खण्ड-203, अंक-8
शुक्रवार, 29 फाल्गुन, शक संवत् 1880
(20 मार्च, 1959 ई0)

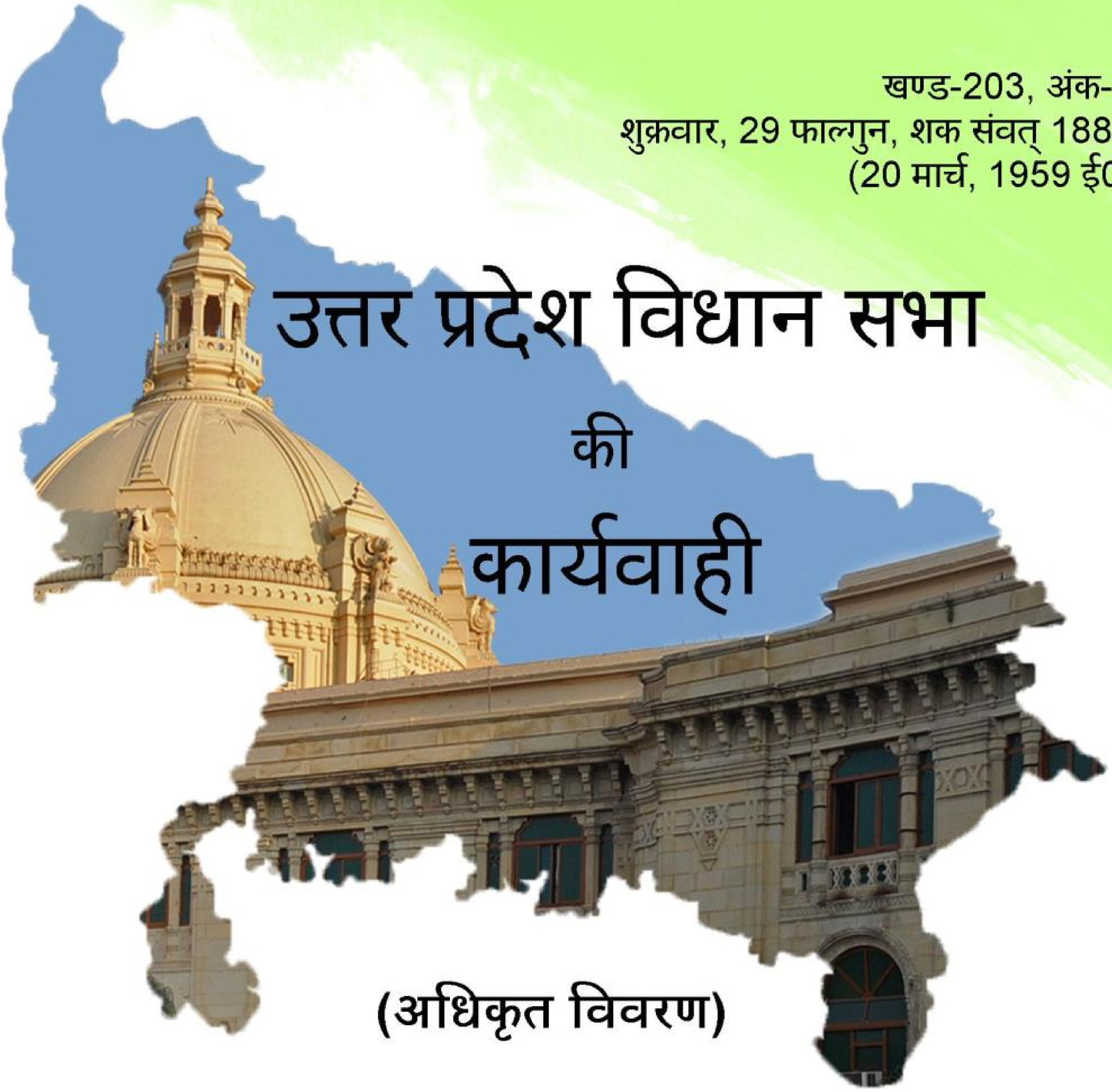

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 203 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५९

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, २० मार्च, १९५९

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में १० बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य--३५७

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जर्रार जाफरी, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
असलम खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गणेशप्रसाद पाँडेय, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री

गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह,
गुरप्रसादसिंह, श्री
गंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
धनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री

विधान सभा प्रदेश

प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भोखालाल, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुज़फ्फ़र हसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ़ जाफ़री, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुराजसिंह चौधरी, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअभिलाख, श्री

रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लखमी सिंह, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री

सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, २० मार्च, १९५९

तारांकित प्रश्न

गोरखपुर में श्री खुदाबख्श के घर पटाखों से धड़ाका

*१--**कुंवर श्रीपालसिंह** (जिला जौनपुर)--क्या सरकार को यह सूचना प्राप्त हुई है कि गोरखपुर के बसन्तपुर मुहल्ले के एक मसजिद के पीछे १८ सितम्बर, १९५८ की रात्रि में धड़ाका हुआ था ? यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह किस चीज के फटने से हुआ तथा उसका कारण क्या था ?

स्वायत्त शासन उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)--१८-९-१९५८ की रात में गोरखपुर के मुहल्ला बसन्तपुर में एक धड़ाके की आवाज श्री खुदाबख्श के घर में उसकी लड़की द्वारा चूल्हे में कुछ पटाखे डाले जाने के कारण हुई ।

*२--**कुंवर श्रीपालसिंह**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपर्युक्त धड़ाके से कुछ धन तथा जन की हानि भी हुई ? यदि हां, तो कितनी ?

श्री रामस्वरूप यादव--जन अथवा धन की कोई हानि नहीं हुई ।

*३--**कुंवर श्रीपालसिंह**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या सरकार को यह भी सूचना प्राप्त हुई है कि इन धड़ाकों के पीछे किसी अन्तर्राष्ट्रीय दल का हाथ है ? यदि, हां, तो किसका ?

श्री रामस्वरूप यादव--जी नहीं ।

कुंवर श्रीपालसिंह--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह पटाखे और जो अभी तीन चार दिन पहले इलाहाबाद के प्रश्न के बारे में बतलाया गया था--क्या वह डिब्बे और पटाखे एक ही किस्म के थे या भिन्न थे ?

श्री रामस्वरूप यादव--वह चीज नहीं है । यह तो पटाखे थे और वे डिब्बे थे ।

कुंवर श्रीपालसिंह--क्या सरकार ने इस बात की जांच कराई है कि इन डिब्बों और पटाखों के पीछे कोई अन्तर्राष्ट्रीय गुट कार्य कर रहा है ?

श्री रामस्वरूप यादव--जी नहीं। पटाखों के लिये कोई अन्तर्राष्ट्रीय गुट की जरूरत नहीं है, उन से तो वैसे ही बच्चे खेला करते हैं।

कुंवर श्रीपालसिंह--क्या इस बात को देखते हुए कि यह पटाखे और डिब्बे देश के एक ही सम्प्रदाय के पास बराबर बरामद हो रहे हैं इससे भी इस बात की संभावना नहीं प्रकट होती है कि इसके पीछे कोई अन्तर्राष्ट्रीय गुट कार्य कर रहा है ? क्या सरकार इसकी फिर से जांच कराने की कृपा करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव--जांच कराने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे तो जो सरकारी अधिकारी हैं उनका कर्त्तव्य है कि ऐसी चीज से वह होशियार रहें जिससे खतरा हो सकता है, अगर ऐसी कोई चीज बनने वाली है। लेकिन इन पटाखों में कोई ऐसी चीज नहीं है।

जिलाधीश खीरी के बंगले में पुलिस गार्ड के क्वार्टर में नकब लगना

*४--**श्री शिवप्रसाद नागर** (जिला खीरी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अक्तूबर, सन् १९५८ में जिलाधीश, खीरी के बंगले पर पुलिस गार्ड के क्वार्टर में नकब लगी थी ? यदि हां, तो कितनी रायफलें और कारतूसें चोरी गईं ?

श्री रामस्वरूप यादव--१९-२० अक्तूबर, १९५८ को जिलाधीश खीरी के बंगले पर पुलिस गार्ड के क्वार्टर में नकब लगी थी। कोई रायफल अथवा कारतूस चोरी नहीं गए।

*५--**श्री शिवप्रसाद नागर**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त मामले की रिपोर्ट थाना कोतवाली लखीमपुर में दर्ज की गई थी ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री रामस्वरूप यादव--रिपोर्ट थाना कोतवाली में दर्ज हुई थी। पुलिस द्वारा जांच की गई, परन्तु अभियुक्तों का पता न लगने के कारण जांच समाप्त कर दी गई।

श्री शिवप्रसाद नागर--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि डिप्टी कमिश्नर के बंगले पर पुलिस गार्ड के क्वार्टर में जो नकब लगी थी उसकी जिस समय जांच की गई उस समय कोतवाली के इंचार्ज कौन थे ?

श्री रामस्वरूप यादव--इसके लिये श्रीमन्, नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री शिवप्रसाद नागर--क्या माननीय मंत्री जी को यह पता है कि जब डिप्टी कमिश्नर के बंगले में यह नकब लगी उस समय कोतवाली के इंचार्ज श्री बी० एस० तोमर थे और उन्होंने बड़ी लापरवाही से जांच की, इस कारण कुछ पता नहीं लग सका ?

श्री रामस्वरूप यादव--नाम के बारे में मैंने निवेदन किया कि मुझे सूचना नहीं है, लेकिन जांच जो हुई उससे पता नहीं चल सका।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह नकब एक सरकारी अफसर के यहां लगी और अब तक अभियुक्तों का पता नहीं लगा सरकार इस बात की जांच करायेगी कि इस तरह की संगीन वारदातों का पता न लग सकने में पुलिस की इनएफीशिएन्सी तो नहीं है ?

श्री रामस्वरूप यादव--चोरी तो एक ऐसा जुर्म है कि पता नहीं भी लग सकता। अब विशेष जानकारी की इसमें सरकार की तरफ से कोई जरूरत नहीं है।

श्री शिवप्रसाद नागर--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस चोरी की जांच जो कि सरकारी रायफलों के कमरों में, डिप्टी कमिश्नर के बंगले में हुई इसकी अहमियत को देखते हुए किस को सौंपी गई ? सर्किल इंस्पेक्टर को, कोतवाल को या कप्तान को ?

श्री रामस्वरूप यादव---इस विशेष मौके में किसने जांच की है इसके लिये नोटिस चाहिये। वैसे तो एस० ओ० की ड्यूटी होती है, लेकिन जब सरकारी मालखाने में या जहां कि पुलिस के सिपाही रहते हैं वहां की बात है तो जरूर ही डी० वाई० एस० पी० ने इसकी जांच पड़ताल की होगी।

*६-७---**श्री मुक्तिनाथराय** (जिला आजमगढ़)---[न्याय मंत्री की प्रार्थना पर ३ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किये गये।]

औरंगाबाद निवासी श्री जगन्नाथ प्रसाद के घर डकैती

*८---**श्री शिवप्रसाद नागर**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या ग्राम औरंगाबाद, थाना मैगलगंज, जिला खीरी में ३ व ४ दिसम्बर, सन् १९५८ को किसी के यहां डाका पड़ा था और उस डाके में गोली चली थी? यदि हां, तो गोली से कितने लोग मारे गये और कितना धन लूटा गया?

श्री रामस्वरूप यादव---उक्त ग्राम में ३ व ४ दिसम्बर, सन् १९५८ को कोई डाका नहीं पड़ा। हां, दिनांक २८/२९-११-१९५८ की रात्रि को श्री जगन्नाथ प्रसाद के घर २०-२२ सशस्त्र डाकुओं ने डाका डाला। इस डाके में डाकुओं ने गोली चलाई जिससे एक व्यक्ति की मृत्यु हुई तथा ७ व्यक्ति गोली से घायल हुए। डाकू लगभग २,१३८ रुपये का सामान लूट ले गये।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो एक व्यक्ति के मरने की रिपोर्ट है वह रिपोर्ट सही नहीं है, बल्कि ३ व्यक्ति मरे और ११ जख्मी हुए?

श्री अध्यक्ष---यह वह कैसे कह देंगे कि जो वह कह रहे हैं वह सही नहीं है।

श्री शिवप्रसाद नागर---मैं यह पूछ रहा हूं कि क्या यह सही है कि ३ व्यक्ति मरे और ११ जख्मी हुए?

श्री अध्यक्ष---वह तो जवाब दे चुके हैं कि १ मरा।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इसी गांव में मार्च में बलरामकृष्ण के यहां डकैती हुई जो कि चोरी लिखी गई और उन्हीं डाकुओं ने यह डकैती भी की थी?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, ऐसी सूचना मेरे पास नहीं है, लेकिन यह भी आश्चर्य है कि डाकू जो डकैती डालने आये उसकी सूचना माननीय सदस्य के पास कैसे पहुंच गई।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो जगन्नाथ प्रसाद जी के यहां डकैती हुई उसके बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की?

श्री रामस्वरूप यादव---उसकी जांच हुई। कुछ अभियुक्त पकड़ गए हैं और कुछ अभी पकड़े नहीं जा सके हैं। उनकी विवेचना जारी है।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन दिनों में यह डकैती हुई उन दिनों मैगलगंज के थानेदार कोतवाली में मौजूद नहीं थे?

श्री रामस्वरूप यादव---इसके लिये तो सूचना चाहिये कि थानेदार उस वक्त कहां थे?

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---क्या सरकार इस बात की जांच करायेगी कि उस डकैती में एक से अधिक व्यक्ति भी जख्मी हुये ?

श्री रामस्वरूप यादव---८ जख्मी हुये हैं। एक मारा गया है। अब जांच की कोई जरूरत नहीं है। मारा एक ही गया है, यह विश्वास है।

श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)---क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो एक व्यक्ति मरा है वह डाकुओं से मुकाबिला करने में मरा है या उसके घर में ही डकैती पड़ी थी और डाकुओं ने उसे मारा ?

श्री रामस्वरूप यादव---नहीं। उसके यहां डकैती नहीं पड़ी थी। वह सहायतार्थ आया था जहां डकैती पड़ रही थी। उसी में कुछ लोगों को चोट लगी और एक व्यक्ति मारा गया।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस डकैती के केस में कितने आदमी पकड़े गये और चालान होकर चला गया या नहीं ?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, अभी इसमें पूरे मुलजिम नहीं पकड़े जा सके हैं। इसका बताना तो अभी संभव नहीं होगा कि कितने और पकड़ने को हैं, लेकिन चालान तो पकड़ने के बाद में ही भेजा जायगा।

*९---**श्री मदन पांडेय** (जिला गोरखपुर)---[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित किया गया।]

*१०---**श्री गनेशचन्द्र काछी** (जिला मैनपुरी)---[न्याय मंत्री की प्रार्थना पर ३ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

*११---**श्री मदन पांडेय**---[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित किया गया।]

*१२-१३---**श्री रामशरण यादव** (जिला लखनऊ)---[न्याय मंत्री की प्रार्थना पर ३ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किये गये।]

*१४-१५---**स्वामी विश्वेश्वरानन्द** (जिला आगरा)---[उन्नीसवें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

*१६---**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**---[हटा दिया गया।]

*१७---**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**---[३ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

*१८-१९---**श्री गनेशीलाल चौधरी** (जिला सीतापुर)---[न्याय मंत्री की प्रार्थना पर ३ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किये गये।]

*२०-२१---**श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)---[न्याय मंत्री की प्रार्थना पर ३ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किये गये।]

वैसान के पुरवा में ब्लाइंड मार्टर से चार व्यक्तियों की मृत्यु

*२२---**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इलाहाबाद की तहसील करछना, ग्राम वैसान के पुरवा में चार आदमी एक ही परिवार के १३ फरवरी को एक ही दिन में मर गये ? यदि हां, तो इनके मरने का क्या कारण था ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां। इनकी मृत्यु एक ब्लाइंड मार्टर (blind mortar) के विस्फोट से हुई।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि यह ब्लाइंड मार्टर कहां से आया और मृत्यु का कारण क्या था ?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, १३ फरवरी, सन् १९५९ को थर्ड इंफैंट्री बटालियन ने तीन ब्लाइंड मार्टर फायरिंग का अभ्यास किया था और वह शाम तक चलता रहा था। उसके बाद लोगों को वहां जाने की इजाजत दे दी गई थी। उसमें से एक शख्स को एक ब्लाइंड मार्टर मिल गया, एक चलाया हुआ और एक वैसा ही और उसे लेकर वह चला गया।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जिन चार आदमियों की मृत्यु हुई है उनके परिवार को सरकार की ओर से कुछ सहायता दी गई ?

श्री रामस्वरूप यादव---जैसा नियम होगा वैसा किया जायगा, लेकिन अभी तक तो नहीं दी गई है।

कुंवर श्रीपालसिंह---क्या माननीय मंत्री जी इस चीज को देखते हुए कि अक्सर इस प्रकार की घटनायें हो रही हैं, मिलिटरी से या जो भी ऐसा करते हैं उनसे कुछ इस किस्म का प्रयत्न करेंगे कि ऐसी घटनायें आगे न होने पायें ?

श्री रामस्वरूप यादव---यह कहना तो सही न होगा कि ऐसी घटनायें अक्सर हो जाती हैं, लेकिन यह घटना हो गई। वैसे तो मिलिटरी वाले जब अभ्यास करते हैं तो उससे पहले प्रोक्लेमेशन कर देते हैं कि कोई उधर न आये और अगर कोई मार्टर रह जाता है तो उसको वह उठा भी लेते हैं। लेकिन यह चांस है कि कोई रह गया और उसको वह शख्स उठा ले गया।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी ने इस ब्लाइंड मार्टर का प्रयोग करने वाले कम्पनी के कमांडर को कोई पत्र लिखा था कि इस तरह की असावधानी भविष्य में न हो ?

श्री रामस्वरूप यादव---वैसे असावधानी तो मृत व्यक्तियों की भी थी कि वह चीज उठाकर लाये और उसको तोड़ा, लेकिन बाकी जो जरूरी है वह तो किया ही जायगा।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस मार्टर के वहां पर छोड़े जाने की जिम्मेदारी किस पर रही ?

श्री अध्यक्ष---यह बता दिया गया है।

औलिया लायलपुर ग्राम की डकैती में विस्फोट

*२३---**श्री कल्याणचन्द मोहिले**---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जिला बाराबंकी, थाना सफदरगंज, ग्राम अतुलियापुर में १३ फरवरी को डकैती पड़ी थी ? यदि हां, तो उसमें कितने आदमी मरे और कितने आदमी घायल हुये ?

श्री रामस्वरूप यादव---जिला बाराबंकी, थाना सफदरगंज के अधिकार क्षेत्र में अतुलियापुर नाम का कोई ग्राम नहीं है। इस थाने के अधिकार क्षेत्र में स्थित किसी ग्राम में १३ फरवरी, १९५९ को कोई डकैती नहीं पड़ी।

*२४---**श्री कल्याणचन्द मोहिले**---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उपरोक्त डकैती में कितने आदमी पकड़े गये ?

श्री रामस्वरूप यादव---प्रश्न नहीं उठता।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या माननीय मंत्री महोदय बतलायेंगे कि १२ फरवरी को उसी थाने के अन्दर कोई डकैती हुई थी ?

श्री रामस्वरूप यादव---इस थाने के अन्दर १२ फरवरी को नहीं बल्कि ४/५ और ८/९ को हुई थी।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो ४ फरवरी को डकैती पड़ने का जिक्र किया वह किस गांव में पड़ी थी ?

श्री रामस्वरूप यादव---औलिया लायलपुर।

श्री शिवप्रसाद नागर---औलिया लायलपुर में जो यह डकैती पड़ी यह किसके यहां पड़ी और इसमें कितना नुक्सान हुआ ?

श्री रामस्वरूप यादव---किसके यहां पड़ी इसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता है, लेकिन २ डकैत थे वह वहीं ग्रामीणों ने पकड़ लिये।

श्री जंगबहादुर वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो औलिया लायलपुर में डकैती पड़ी और उसमें जो डकैत पकड़े गये उसमें उस समय विस्फोट भी हुआ था ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां। उन्हीं डकैतों ने गोला फेंका था जिससे कुछ लोग घायल हुये थे।

श्री जंगबहादुर वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि उस समय विस्फोट से कितने व्यक्ति घायल हुये ?

श्री रामस्वरूप यादव---२३ व्यक्ति घायल हुये।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि उस विस्फोट के सिलसिले में कितने आदमी पकड़े गये ?

श्री रामस्वरूप यादव---उस डकैती में ६ व्यक्ति गिरफ्तार हुए थे।

*२५---**श्री मदन पांडेय**---[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित किया गया।]

*२६-२८---**श्री भगवतीसिंह विशारद** (जिला उन्नाव)---[३ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किये गये।]

विकास कार्यों के निरीक्षण के लिए समाचार-पत्रों के सम्पादकों को निमंत्रण

*२९---**श्री गोविन्दसिंह विष्ट** (जिला अल्मोड़ा)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या पिछले तीन महीने के भीतर उसके खर्चे पर जिला स्तर के अखबारों के सम्पादकों को योजनान्तर्गत बने हुये व बन रहे निर्माण-कार्यों की सैर के लिये निमंत्रण भेजे गये ? यदि हां, तो निमंत्रण भेजने का क्या आधार था और अल्मोड़ा के कितने अखबारों के सम्पादकों को न्योता दिया गया ?

गृह मन्त्री के सभा सचिव (श्री इस्तफा हुसैन)---जी हां। २८ जनवरी, १९५९ को शासन द्वारा प्रदेश के पश्चिमी एवं पहाड़ी जिलों (मेरठ, आगरा, झांसी, रुहेलखंड और कुमायूं कमिश्नरियां) के प्रमुख समाचार-पत्रों के सम्पादकों व उनके मनोनीत प्रतिनिधियों को प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों से परिचित कराने के लिये एक दौरे का आयोजन किया गया था। इसमें जिला स्तर के उन सभी समाचार-पत्रों के सम्पादकों को निमंत्रित किया गया था जिनका प्रकाशन नियमित हो, जिनकी पृष्ठ-संख्या प्रर्याप्त हो और जिनकी ग्राहक संख्या अपने जिले या वितरण क्षेत्र में सर्वाधिक हो तथा जिनकी पत्रकारिता शालीन और विद्वेशरहित हो। यथा संभव प्रत्येक जिले से एक भाषा और प्रकाशनावधि (periodicity) के एक पत्र को ही आमंत्रित किया गया था। केवल अधिक ग्राहक

संख्या वाले दैनिक पत्र ही एक जिले से एक से अधिक संख्या में आमंत्रित किये गये थे। अल्मोड़ा के प्रमुख समाचार पत्र "शक्ति" को भी आमंत्रित किया गया था एवं उनके प्रतिनिधि ने इसमें भाग भी लिया था।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या यह सही है कि जिला गढ़वाल में जो पैमाना रखा गया उसके मुताबिक एक अखबार "कर्मभूमि" निकलता है जो पुराना है, उसके सम्पादक को न बुलाकर "सत्यपथ" के सम्पादक को बुलाया गया ?

श्री इस्तफा हुसैन—पुराना हो सकता है, लेकिन नियमित रूप से उसका प्रकाशन नहीं है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या मंत्री जी के पास ऐसी सामग्री है कि वह नियमित रूप से भी छपता है और सबसे अधिक संख्या में है ? वह सामग्री वैसे मेरे पास भी आ गई है।

श्री इस्तफा हुसैन—सामग्री तो नहीं है, लेकिन सूचना है कि जो बात कही जा रही है वह सत्य है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या समाचार-पत्रों के चुनने में इस बात का ध्यान रखा गया कि केवल उन्हीं पत्रों के सम्पादकों को बुलाया जाय जो सरकार का समर्थन करते हैं और जो आलोचना करते हैं उनको न बुलाया जाय ?

श्री इस्तफा हुसैन—ऐसी बात नहीं है। दूसरों को भी बुलाया गया। पालिसी यह थी कि जो पत्र नियमित रूप से छपता है और प्रकाशन संख्या काफी हो और जो काफी दिलचस्पी के साथ पढ़ा जाता हो उसके सम्पादक को बुलाया जाय।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या यह कथन सही होगा कि केवल एक जिले के संबंध में सिद्धांतों का अपवाद हुआ है और वह है गढ़वाल ? वहां "कर्मभूमि" सबसे ज्यादा ग्राहक संख्या वाला है और उसका.....

श्री अध्यक्ष—यह तो बड़ी आशंका उत्पन्न करने वाली चीज है। यह मेरे पास भी आ गई है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—जिस अखबार के संरक्षक खाद्य मंत्री नेगी जी हैं उसके सम्पादक को बुलाया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव—इस दृष्टि से किसी को नहीं बुलाया गया। आगरे के "सैनिक अखबार" को भी बुलाया गया था जो आलोचना करता है।

श्री अध्यक्ष—वह यह पूछना चाहते हैं कि यह अनुपूरक प्रश्नों की सामग्री भी उसके साथ वितरित हुई है ?

श्री इस्तफा हुसैन—गलती से हो गया।

श्री अध्यक्ष—मैं इस प्रश्न को दूसरे दिन के लिये नियुक्त करता हूं। इसकी सरकार जांच करे और तब उत्तर दे।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—"शक्ति" जिसके संरक्षक गोविन्दबल्लभ पंत जी हैं या नहीं, उसके सम्पादक को क्यों बुलाया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव—नोटिस की आवश्यकता है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार इस बात की जांच करते समय खास तौर पर इस बात की जांच करेगी कि यह पत्र भूल से नहीं भेजा गया है बल्कि जानबूझ कर दिया गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव—यह भूल से चला गया है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—सरकार के पास क्या आधार है यह कहने का कि यह भूल से चला गया है?

श्री अध्यक्ष—जब एक दूसरे का कंट्रेडिक्शन हो रहा है और उनको मालूम ही नहीं है कि पत्र कैसे गया और सरकार की ओर से उपमंत्री जी बोल रहे हैं, कम से कम उनको कोई सूचना नहीं है, इसलिये गृह मंत्री जी जब सदन में आवें तो इसकी सूचना देंगे।

श्री रामस्वरूप यादव—अगर हमारा कोई कानफिडेंशल कागज किसी गल्ती से चला गया है तो उसका प्रयोग माननीय सदस्य नहीं कर सकते हैं, उनको वापस दे देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—वह उसका उपयोग कर सकते हैं। जो चीज उनके पास पहुंच गई और आपकी तरफ से पहुंचाई गई, फिर वह कानफिडेंशल नहीं रही। मैं समझता हूं कि सरकार को जो सूचना जिलों से मिलती है उसके आधार पर ही यहां उत्तर दिये जाते हैं। इसलिये सरकार के ऊपर ऐसा आक्षेप कि जानबूझकर सरकार ने किसी बात की गलत इत्तला यहां दी, नहीं आता। लेकिन अगर इस तरह की चीज सदन के सामने आ जावे और फिर भी सरकार उसकी छानबीन न करे तो उत्तर की सत्यता के संबंध में प्रत्यक्ष जिम्मेदारी सरकार की हो सकती है और फिर कहा जा सकता है, यदि असत्य बात हो, कि जानबूझ कर गलत उत्तर दिया। इसलिये यह चीज प्राइवेट नहीं रह सकती। अब जब पूरक प्रश्नों की सामग्री माननीय सदस्य के पास सरकार भेज चुकी है तब तो उसे छानबीन कर सदन के सामने सही बात रखना चाहिये कि सत्य बात क्या है।

श्री राजनारायण—मेरा वैधानिक प्रश्न है। सरकारी कर्मचारी किसके प्रति जिम्मेदार हैं? सरकारी कर्मचारियों की तरफ से जो कृत्य किये जाते हैं उसकी जिम्मेदारी सरकार की होती है।

श्री अध्यक्ष—सरकार तो जिम्मेदार है ही। सरकार को उनकी गलती की जिम्मेदारी का उत्तर आप यह दे सकते हैं कि उसे आप अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा निकालें। सरकार ने जानबूझ कर झूठ उत्तर दिया, यह आप ऐसी अवस्था में नहीं कह सकते। लेकिन अगर सरकार के पास जिले से सूचना दूसरी आई हो और बगैर उसकी जांच किये हुये अगर उत्तर उसके विपरीत दिया जाता है तो यह भी सरकार से कहा जा सकता है कि वह जानबूझ कर गलत उत्तर दे रही है। इसलिये मैंने अन्तर बतलाया कि मंत्री जी अच्छी तरह से इस बात को समझ लें और इस पत्र की जांच करके जो सही उत्तर हो वह दें।

श्री प्रताप सिंह—मैं एक वैधानिक प्रश्न उठाना चाहता हूं। सप्लीमेंटरी के उत्तर में मंत्री जी ने अभी कहा था कि जो अखबार सरकार के विरोधी हैं उनको नहीं बुलाया जाता है, ऐसी नीति सरकार की नहीं है। जो कागज आपके पास पहुंचा है उसमें लिखा है कि "कर्मभूमि" सारी शर्तों को पूरी करता है। दूसरी बात यह है कि विभाग की ओर से कोई भी गलत इत्तला आती है तो मिनिस्टर जिम्मेदार है। कीथ ने "कैबिनेट आफ ब्रिटेन" के बारे में लिखा है, वह किताब इस समय मेरे पास नहीं है, मिनिस्टर जिम्मेदार है, न कि डिपार्टमेंट।

श्री अध्यक्ष—अब कोई वैधानिक प्रश्न नहीं उठ सकता है। जांच के बाद जब उनका उत्तर आ जावेगा, उसके बाद उठ सकेगा।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—जब ऐसा कोई डाक्यूमेंट हम लोगों के हाथ में आवे तो हम उसे सही समझें या मंत्री जी के सदन में दिये हुये बयान को, क्योंकि अभी जो उन्होंने उत्तर दिया वह उस डाक्यूमेंट के बिलकुल विपरीत है। मेरी समझ में यह सत्य को छिपाने का प्रयास हुआ। यह विशेषाधिकार का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—चूंकि उनके सामने से वह नहीं गुजरा है इसलिये वह कहते थे कि गलती से पहुंच गया होगा। गृह मंत्री जी यहां मौजूद भी नहीं हैं। सरकार इसे देख ले कि किस आधार पर उसने सदन में ऐसा उत्तर दिया, इसका उत्तर आने पर सदन को यह अधिकार होगा कि वह सोचें कि विशेषाधिकार का कोई प्रश्न उठता है या नहीं। इसलिये मैंने मुल्तवी कर दिया है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—इतना और हो जाय कि क्या उनके पास भी यह सूचना है ?

श्री अध्यक्ष—वह मेरे पास रेकार्ड पर मौजूद है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—तो विशेषाधिकार की सूचना मैं देता हूं।

श्री अध्यक्ष—अभी नहीं दे सकते हैं। उनका जवाब आने के बाद दी जा सकती है।

(प्रश्न २९ स्थगित किया गया)

*३०-३१—श्री गरीबदास (जिला जालौन)—[हटा दिये गये।]

*३२—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—[३ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

*३३—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—[न्याय मंत्री की प्रार्थना पर ३ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

*३४—श्री गनेशचन्द्र काछी—[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर ३ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

*३५-३६—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—[न्याय मंत्री की प्रार्थना पर ३ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किये गये।]

*३७-३९—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—[माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न वापस ले लिये गये।]

*४०—डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा (जिला सीतापुर)—[न्याय मंत्री की प्रार्थना पर ३ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

इटावा जिले में गल्ला आन्दोलनकारियों की गिरफ्तारी

*४१—श्री भजनलाल (जिला इटावा)—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला इटावा में २२ सितम्बर, सन् १९५८ को १५० गल्ला आन्दोलनकारियों को कचहरी में गिरफ्तार किया गया था ?

श्री रामस्वरूप यादव—इटावा जिल में २२ सितम्बर, सन् १९५८ को केवल ९ गल्ला आन्दोलनकारियों को गिरफ्तार किया गया था।

श्री भजनलाल—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह सही है कि २२ सितम्बर को १५० सत्याग्रही गिरफ्तार किये गये थे जिनमें से ९ मुख्य व्यक्तियों को जेल में बन्द कर दिया गया और बाकी लोगों को २३ तारीख को घसीट-घसीट कर जेल के कम्पाउन्ड के बाहर निकाला गया ?

श्री रामस्वरूप यादव—मेरे पास तो यही सूचना है कि किसी को घसीट कर नहीं निकाला गया।

श्री भजनलाल—क्या मंत्री जी को यह पता है कि २२ सितम्बर को, ९ बजे रात को प्रजा सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट तथा सोशलिस्ट्स के ३०० साथियों ने अन्दर तसले बजाये और जिलाधीश तथा जेल सुपरिन्टेन्डेन्ट से भोजन आदि की मांग की ? रात के बारह बजे भोजन तो दिया गया, लेकिन जब वारंट बन कर नहीं आये तो २३ तारीख को उनको घसीट-घसीट कर जेल से बाहर कर दिया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, २२ सितम्बर को जलूस जरूर निकाला गया, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई । न भोजन के संबंध में शिकायत की सूचना मेरे पास है ।

श्री राजनारायण—क्या २२ सितम्बर को जिन व्यक्तियों को गिरफ्तार करके लाया गया था उनको कुछ समय तक डिटेन करके छोड़ दिया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव—९ व्यक्ति ही गिरफ्तार हुए थे और उन्हीं के विरुद्ध कार्यवाही कानूनी की गयी ।

श्री राजनारायण—क्या सरकार उन ९ व्यक्तियों के नाम पढ़ देगी ?

श्री रामस्वरूप यादव—राजकिशोर, चन्द्रशेखर, हीरालाल, रामकुमार, रामस्वरूप, मौजीलाल, रामसनेही, राजाराम और राजनारायण ।

श्री भजनलाल—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि केवल उन ९ आदमियों को ही जेल के अन्दर रखा गया और बाकी को लाठी चार्ज करके जेल की सीमा से बाहर निकाल दिया गया २३ तारीख को ?

श्री रामस्वरूप यादव—उनको १०७, ११७ और १५१ के तहत गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाकी को लाठी से मार कर निकाला गया, ऐसी इत्तला मेरे पास नहीं है ।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार यह बतायेगी कि २२ सितम्बर की रात में कुछ ऐसे व्यक्ति भी जेल के अन्दर रखे गये जो बाजाब्ता गिरफ्तार नहीं किये गये ?

श्री रामस्वरूप यादव—ऐसा नहीं हो सकता है । जब किसी को जेल के अन्दर गिरफ्तार करके ले जाया जाता है तो पहले उसका इन्दराज रजिस्टर में होता है ।

श्री राजनारायण—क्या सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जिन माननीय सदस्य ने यह प्रश्न किया है वे स्वतः जेल के अन्दर मौजूद थे, क्या सरकार इस बात की इन्क्वायरी करायेगी कि पहले लोगों को जेल में भरा गया, वहां रखा गया, लेकिन वारंट न पहुंचने के कारण उनको वापस कर दिया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव—मुझे ऐसा स्मरण पड़ता है कि इस प्रकार का प्रश्न भजन लाल जी ने पहले भी किया था, इसलिये इन्क्वायरी कराये जाने की आवश्यकता नहीं मालूम पड़ती ।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह १०७/११७ की धारायें लगायी गयी हैं तो उनका जुर्म क्या था ?

श्री अध्यक्ष—यह कानूनी सवाल है, यदि आपके पास कोई सूचना हो तो बता दें ।

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन, मेरे पास इसकी इत्तला नहीं है ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि जेल कम्पाउन्ड में लाठी चार्ज हुआ या नहीं ?

श्री रामस्वरूप यादव—जांच की आवश्यकता, श्रीमन्, मैं नहीं समझता ।

*४२-४४--श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी तथा श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला बस्ती)--[मुख्य मंत्री से सम्बन्धित इक्तीसवें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या १-३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

स्त्री शिक्षा के लिए केन्द्र से अनुदान तथा जिला परिषद् के स्कूलों की अध्यापिकाओं के लिए भवन निर्माणार्थ सहायता

*४५--श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की बालिकाओं की शिक्षा में प्रसार एवं महिला शिक्षकों का प्रशिक्षण सन् १९५८-५९ नामक योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश को सन् १९५८-५९ के वित्तीय वर्ष में कितना धन प्राप्त हुआ और १५ फरवरी, सन् १९५९ तक कितना धन इस योजना के अन्तर्गत खर्च किया जा चुका है ?

श्री रामस्वरूप यादव--प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत भारत सरकार ने इस प्रदेश को वित्तीय वर्ष १९५८-५९ में १३,८४,००० रु० की सहायता देने का आश्वासन दिया है । यह धनराशि अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

१५ फरवरी, १९५९ तक उक्त योजना के अन्तर्गत कुछ भी व्यय नहीं हुआ है ।

*४६--श्री ताराचन्द माहेश्वरी--उक्त योजना के अन्तर्गत क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किन जिलों की जिला परिषदों ने ग्रामीण बालिका विद्यालयों में नियुक्त अध्यापिकाओं के लिये भवन निर्माण हेतु धन की मांग की है और किन-किन जिलों को धन दिया गया है तथा कितना-कितना ?

श्री रामस्वरूप यादव--समयाभाव से जिलेवार उनके द्वारा मांगी गई सूचना नहीं मंगाई गई है, बल्कि जिलों की इस सम्बन्ध में उपलब्ध आवश्यकतायें देखकर, राजाज्ञा संख्या बी० पी० १९८७/१५--९००(२११) -५६, दिनांक १३ मार्च, १९५९ द्वारा प्राविधान वितरण कर दिया गया है जिसकी प्रतिलिपि† मय वितरण सूची के प्रस्तुत है ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि गैर-सरकारी महिला शिक्षण संस्थाओं को भी इस योजना के अन्तर्गत उसी प्रकार की सुविधा प्रदान की जाती है ?

श्री रामस्वरूप यादव--मान्यता प्राप्त अगर ऐसी अच्छी संस्थायें ग्रामीण क्षेत्रों में हों तो उनको भी यह सुविधा दी जा सकती है, लेकिन इस वर्ष जो रुपया है वह तो वितरण हो चुका है जैसा कि तालिका में दिया हुआ है ।

श्री प्रतापसिंह--क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के शिक्षा मन्त्रालय ने केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय से कितने रुपये की मांग की थी ?

श्री रामस्वरूप यादव--श्रीमन्, उन्होंने एक योजना बना कर यहां भेजी थी । उसमें १० आइटम्स उन्होंने रखे हैं । उनके अन्तर्गत उन्होंने लिखा है कि बालिकाओं की शिक्षा की प्रगति के लिये जो प्रदेश जितना चाहें वे लिखें । इसके बाद यहां हिसाब लगाया गया । इसके बाद अब सेंट्रल गवर्नमेंट से १०० प्रतिशत कर दिया है और १३,८४,००० रु० देने का वादा किया, लेकिन वह रुपया अभी तक नहीं आ पाया है ।

श्री प्रतापसिंह--कितने रुपये की मांग की गयी थी ?

---

†प्रतिलिपि छापी नहीं गयी ।

श्री रामस्वरूप यादव---मांग के विषय में कोई आंकड़ा तैयार नहीं है ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार ने इस योजना के अन्तर्गत १० आइटम्स के अन्दर खर्च करने के लिये जो रुपया रखा है, उसमें से उत्तर प्रदेश की सरकार किन-किन आइटम्स पर रुपया खर्च करने जा रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव---मैंने पिछले सप्ताह ही निवेदन किया था इस सम्बन्ध में कि इस योजना में अध्यापिकाओं के मकान बनाने की बात भी है। एक मकान पर ढाई हजार रुपया खर्च होगा और वह रुपया दे दिया जायगा जब कि आ जायगा ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले में इस योजना के अन्तर्गत वे कितना रुपया खर्च कर रहे हैं ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मान्यता प्राप्त संस्थाओं को इस सहायता हेतु कहां आवेदन-पत्र देना चाहिये ?

श्री रामस्वरूप यादव---मैंने तो निवेदन किया कि इस वर्ष उनके बारे में कुछ नहीं हो सकता है । क्योंकि एकाध जगह से जहां से इस सम्बन्ध में मांग आयी थी उनको लिख दिया गया है कि रुपया आने पर उनको दे दिया जायगा ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि अध्यापिकाओं के रहने के लिये मकान बनाने की योजना है तो क्या लड़कियों के लिये स्कूल बनवाने में भी इस रुपये में से खर्च किया जायगा ?

श्री रामस्वरूप यादव---स्कूल के लिये, श्रीमन्, पहले ही से बजट में काफी रुपया रखा जाता है । उसमें से वह खर्च किया जा सकता है ।

*४७---**श्री झारखंडेराय** (जिला आजमगढ़)---**श्री गोविन्दसिंह विष्ट तथा श्री चन्द्रजीत यादव**---[न्याय मंत्री की प्रार्थना पर ३ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किया गया ।]

*४८---**डाक्टर अवधेश कुमार सिनहा**---[न्याय मंत्री की प्रार्थना पर ३ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किया गया ।]

*४९---**श्री भीखालाल** (जिला उन्नाव)---[न्याय मंत्री की प्रार्थना पर ३ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किया गया ।]

*५०---**श्री रामस्वरूप वर्मा** (जिला कानपुर)---[१९ मार्च, १९५९ को प्रश्न संख्या ५८ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है ।]

*५१-५२---**श्री रामप्रसाद देशमुख** (जिला अलीगढ़)---[३ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किये गये ।]

अतरौली में पुलिस थाना स्थापित करने का आयोजन

*५३---**श्री मोहनलाल वर्मा** (जिला हरदोई) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हरदोई जिले में अतरौली पुलिस थाना बनाने के लिये किस वर्ष में अनुदान दिया गया था और अब तक उसके बनाने के सम्बन्ध में क्या-क्या कार्य हुआ ?

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---पुलिस थाना अतरौली के निर्माणार्थ अनुदान वित्तीय वर्ष १९५७-५८ में दिया गया था परन्तु अभी निर्माण कार्य आरम्भ नहीं हो सका है ।

बदायूं जिले के कादर चौक थाने में विभिन्न अपराध

*५४---श्री श्रीकृष्ण गोयल (जिला बदायूं)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बदायूं जिले के अन्तर्गत का कादर चौक थाने में १ जनवरी, १९५७ से ३१ दिसम्बर, १९५७ तक तथा १ जनवरी, १९५८ से १५ फरवरी, १९५९ तक कुल कितनी चोरियां, राहजनी, डकैती, डकैतीमय कत्ल और कत्ल हुए और उनमें से कितनों का पुलिस पता लगा सकी ?

श्री रामस्वरूप यादव---१ जनवरी, १९५७ से ३१ दिसम्बर, १९५७ तथा १ जनवरी, १९५८ से १५ फरवरी, १९५९ तक बदायूं जिले के कादर चौक थाने के अन्तर्गत हुई चोरी, राहजनी, डकैती कत्ल सहित, डकैती व कत्ल की घटनाओं तथा पुलिस द्वारा पता लगाये गये मामलों की संख्या निम्नांकित है:---

अपराध	घटनाओं की संख्या	पता लगाये गये मामलों की संख्या	घटनाओं की संख्या	पता लगाये गये मामलों की की संख्या
	१-१-५७ से तक	३१-१२-५७	१-१-५८- से तक	१५-२-५९
चोरी	३३	१२	५६	१७
राहजनी	३	२	२	१
डकैती	२	२	१	१
कत्ल सहित डकैती ..	—	—	—	—
कत्ल	१	—	३	३

श्री श्रीकृष्ण गोयल---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सन् १९५७ में जो १६ जरायम का पता चला और १९५८ में २२ का इनमें से कितने मामलों में चालान हुआ और कितने लोगों को सजा हुई ?

श्री रामस्वरूप यादव---इसके लिये सूचना चाहिये ।

श्री श्रीकृष्ण गोयल---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब १९५८ में जरायम एक थाने में बढ़े और वहां के स्थानीय एम० एल०ए० ने उच्च अधिकारियों से इस बारे में शिकायत की तो वहां के एस० ओ० ने पेशबन्दी के तौर पर एम० एल० ए० के खिलाफ रिपोर्टें दर्ज की ?

श्री रामस्वरूप यादव---इस प्रश्न का उत्तर देना जनहित में न होगा ।

*५५---श्री रामसुन्दर पांडेय---[३ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किया गया ।]

एस० आर० एम० इण्टर कालेज, बीसलपुर को हरिजनों की फीस के लिए अनुदान

*५६---श्री शिवराज बहादुर (जिला बरेली)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसने १९५७ ई० में एस० आर० एम० इन्टर कालेज, बीसलपुर, जिला पीलीभीत, को हरिजनों की फीस माफी के नुकसान पूरा करने के लिये कितनी सहायता दी ?

श्री रामस्वरूप यादव---सन् १९५७-५८ में इस कालेज को कोई सहायता नहीं दी गयी ।

*५७---श्री शिवराज बहादुर---क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५८ और १९५९ ई० में कोई ग्रांट उपरोक्त स्कूल को हरिजनों की फीस माफी के नुकसान को पूरा करने के लिये दी गई ? यदि हां तो क्या ? नहीं तो क्यों ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां। १९५८-५९ में हरिजन छात्रों की फीस की माफी के नुकसान को पूरा करने के लिये १९५७-५८ के लिये २,९०० रुपया तथा चालू वर्ष में अप्रैल, १९५८ से सितम्बर, १९५८ तक १,७३३.८४ रु० स्वीकृत किया जा चुका है। अक्तूबर, १९५८ से मार्च, १९५९ तक की तालिका जांच में है।

श्री शिवराज बहादुर---मंत्री जी ने जो फरमाया कि अक्तूबर, १९५८ से मार्च तक की तालिका जांच में है यह जांच कब तक समाप्त हो जायगी ?

श्री रामस्वरूप यादव---तालिका जांच में है वह जल्द ही हो जायगी। समय के अन्दर ही रुपया भेज दिया जायगा।

श्री शिव प्रसाद नागर---मंत्री जी बतायेंगे कि इस स्कूल में हरिजनों के अलावा छठे क्लास तक सभी की फीस माफ थी ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां, यह तो सब को ही पता है कि माफ थी छठें दर्जे तक की फीस और सरकार उसको रीइम्बर्स करती है।

*५८---**श्री लक्ष्मणराव कदम**---[न्याय मंत्री की प्रार्थना पर ३ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

आगरा जिले में रूपा डकैत दल से धन व जन की क्षति

*५९---**श्री देवकीनन्दन विभव** (जिला आगरा)---क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जिले में गत वर्ष रूपा डकैत दल द्वारा कितनी हत्यायें हुईं और कितने धन की हानि हुई ?

श्री रामस्वरूप यादव---आगरा जिले में गत वर्ष (१९५८) में रूपा डकैत दल द्वारा ९ व्यक्तियों की हत्यायें हुईं और ५२,८५५ रु० की सम्पत्ति की हानि हुई।

*६०---**श्री देवकीनन्दन विभव**---क्या गृह मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि प्रदेश की दक्षिण-पश्चिम सीमा पर जो अन्तर्प्रदेशीय दस्यु दल कार्य कर रहे हैं, वे कौन-कौन दल हैं और उनके विरुद्ध जो विभिन्न प्रदेशीय सरकारों द्वारा कार्य हो रहे हैं उनके समन्वय करने का क्या प्रयत्न इस प्रदेश की सरकार की ओर से हो रहा है ? क्या इन दलों के पास जो अस्त्र पाये गये हैं उनमें अमरीकन अस्त्र भी हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---निम्नलिखित अन्तर्प्रदेशीय दस्यु दल प्रदेश की दक्षिण पश्चिम सीमा पर कार्य कर रहे हैं--

(१) रूपा गैंग,
(२) लाखन गैंग,
(३) जहान सिंह गैंग,
(४) देवा सिंह गैंग,
(५) सूरत सिंह गैंग,
(६) छैला राजा गैंग,
(७) सरत सिंह सलीता गैंग,
(८) सूरत सिंह गर्ला गैंग,
(९) गब्बार सिंह गैंग,
(१०) बहादुर सिंह गूजर गैंग।

इन दलों के विरुद्ध जो विभिन्न प्रदेशीय सरकारों द्वारा कार्य हो रहे हैं उनके समन्वय करने का निम्नलिखित प्रयत्न इस प्रदेश की सरकार द्वारा हो रहा है :

(१) इस प्रदेश की ओर से जिलों की सिविल व आर्म्ड पुलिस के अतिरिक्त पी० ए०सी० भी इन दलों को खत्म करने के लिये लगाई गई हैं।

(२) अन्तर्प्रदेशीय स्तर पर भरतपुर, गुरगांव तथा इस प्रदेश के जिलों के बीच रेडियो स्टेशन स्थापित किये गये हैं ताकि दलों की कार्यवाहियों पर नियंत्रण रखा जा सके।

(३) इस प्रदेश तथा दूसरे प्रदेश के सम्बन्धित पुलिस अफसरों के बीच समय-समय पर परामर्श हुआ करता है और इन दलों को खत्म करने की योजना बनाई जाती है।

(४) जहां इन दलों के होने की सम्भावना होती है वहां मिल कर धावा किया जाता है।

यह सही है कि इन दलों के पास जो अस्त्र पाये गये हैं उनमें अमरीकन अस्त्र भी हैं।

श्री देवकीनन्दन विभव---क्या यह सही है कि जब एक प्रदेश की सरकार द्वारा एक विशेष प्रयत्न होता है तो वे दूसरे प्रदेश के क्षेत्र में चले जाते हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---यह तो एक टेक्नीक डाकुओं की हुआ ही करती है कि जब एक ओर से देखते हैं कि ज्यादा दबाव पड़ रहा है तो उस क्षेत्र में जाने की कोशिश करते हैं जिधर वे समझते हैं सहूलियत ज्यादा रहेगी।

श्री झारखंडे राय---क्या माननीय गृह मंत्री जी बताएंगे कि इन डाकुओं को जो आधुनिक हथियार मिल जाते हैं वे कहां से मिलते हैं ? सरकार इसके लिए कोई विशेष खोज कर रही है कि कहां से मिलते हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---सरकार प्रयत्नशील तो रहती है यह जानने के लिये कि किस जगह से ले आते हैं, लेकिन पाया गया है कि वे ले आते हैं चोरी करके या किसी और तरह से।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने खास तौर पर इस बात का पता लगाया है---माननीय मंत्री महोदय ने यह कहा कि इनके पास अमरीकी अस्त्र हैं---कि यह अमरीकी अस्त्र कहां से मिलते हैं ? इसकी कोई जांच की गई और उसका क्या नतीजा हुआ ?

श्री रामस्वरूप यादव---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है। इस वक्त मेरे पास विवरण नहीं है।

श्री झारखंडे राय---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि सरकार को कोई सूचना अथवा शिकायत मिली है कि कुछ अमेरिकन एजेन्सी है जो उनको आर्म्स सप्लाई करती हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, इसका उत्तर देना भी जनहित में न होगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---माननीय मंत्री जी ने जो अनेक दलों के नाम लिये, इन दलों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए क्या सरकार इस एरिया को अरक्षित एरिया घोषित करने की कृपा करेगी जिससे वहां फौज का नियंत्रण हो जाय ?

श्री रामस्वरूप यादव---इस बात की जरूरत नहीं है। जो जरूरी है वह कर दिया है सरकार ने।

श्री झारखंडे राय---क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि उन्हें इस बात की कोई सूचना है कि मानसिंह ने मरने के पहले अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति की उस क्षेत्र में डाका डालने के लिये ?

श्री रामस्वरूप यादव---मानसिंह के गिरोह में तो उसके लड़के भी थे और भी बहुत से साथी थे। सरकार के पास उत्तराधिकारी की घोषणा के बारे में कोई सूचना नहीं है। उसके बहुत से साथी थे, वे डाका डाल रहे हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो जोनल काउंसिल की सिफारिश थी कि ऐसी जांच के लिये कम्बाइंड केडर पुलिस का बनाया जाय, उस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही हुई है ?

श्री रामस्वरूप यादव---श्री नारायणदत्त तिवारी के एक पहले प्रश्न में उत्तर दिया जा चुका है कि उस पर विचार हो रहा है।

श्री झारखंडे राय---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उनको इस बात की सूचना अथवा शिकायत मिली है कि जो भूतपूर्व राजे-महाराजे उस एरिया में रहते हैं, उनके द्वारा भी उनको हथियार मिल जाते हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, सरकार के पास तो बहुत-सी सूचनायें हैं। लेकिन ज्यादातर हर एक व्यक्ति के बारे में कुछ कहना ठीक नहीं होता है।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि दस्यु दल पर काबू पाने के लिये कोई अन्तर्प्रादेशीय पुलिस आफिसरान की गोष्ठी हुई ?

श्री अध्यक्ष---वह तो अभी जवाब दे चुके हैं।

श्री बलदेव सिंह (जिला गोंडा)---क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि जो इन डाकू दलों के पास अस्त्र हैं, वे सब सरकारी आर्मरी के हैं ?

श्री अध्यक्ष---यह भी वह जवाब दे चुके हैं कि सब का नाम लेना वह उचित नहीं समझते।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो दस्यु दल हैं उसको समाप्त करने के लिये कोई इनाम भी घोषित किया गया ? यदि हां, तो किन-किन दलों के लिये और कितना-कितना ?

श्री रामस्वरूप यादव---काफी डाकुओं के बारे में इनाम घोषित किये गये हैं। काफी संख्या है। शायद इसके बाद प्रश्न आ रहा है उसमें संख्या मांगी है। मेरे पास संख्या है उसकी।

छबैला ग्राम का गोली कांड

*६१---**श्री राजनारायण**---क्या सरकार को पता है कि ७ जनवरी, १९५९ को ग्राम छबैला, जिला गोरखपुर में पुलिस द्वारा गोली चलाने पर मरे हुये तथा घायल लोगों को घटनास्थल पर ही छोड़ कर पुलिस चली गई और बाद को घायल लोग अस्पताल पहुंचाये गये ?

श्री रामस्वरूप यादव---पुलिस की गोली से घटनास्थल पर किसी की मृत्यु नहीं हुई। घायलों को उनके साथियों ने अस्पताल पहुंचाया। पुलिस की संख्या कम थी और उनमें से बहुत से उत्तेजित मजमें द्वारा घायल हो चुके थे। मजमें ने आक्रमणकारी रूप धारण कर रखा था। ऐसी परिस्थिति में पुलिस को घायलों को ढूंढ़ कर अस्पताल ले जाना सम्भव नहीं था।

*६२---श्री राजनारायण---क्या सरकार को पता है कि अब तक भी उपर्युक्त कुछ घायल व्यक्तियों का पता नहीं लग रहा है कि उनका क्या हुआ ?

श्री रामस्वरूप यादव---किसी घायल व्यक्ति के लापता होने की सूचना सरकार को नहीं है।

श्री राजनारायण---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि पुलिस दल में उस समय कितने आदमी थे ?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, पुलिस दल के कितने कांस्टेबिल थे इसके लिये तो नोटिस चाहिये, लेकिन कर्मचारियों की संख्या ज्यादा नहीं थी, लगभग २५ थी।

श्री राजनारायण---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो दो व्यक्ति मरे वह कहां मरे ?

श्री रामस्वरूप यादव---मरे हुए व्यक्तियों की सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री राजनारायण---जब सरकार के पास इसकी सूचना नहीं है तो सरकार किस बुनियाद पर यह कहती है कि वह व्यक्ति घटनास्थल पर नहीं मरे ?

श्री रामस्वरूप यादव---मैंने जो उत्तर दिया है वह यह है कि पुलिस की गोली से घटनास्थल पर किसी की मृत्यु नहीं हुई।

श्री राजनारायण---क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि छवैला में ७ जनवरी को किसानों पर जो गोली चली थी उस के फलस्वरूप दो व्यक्ति मरे थे और १४ घायल हुए थे और यह सरकारी रिपोर्ट में आ चुका है ?

श्री रामस्वरूप यादव---कुछ लोग घायल जरूर हुए थे लेकिन कितने किसी और वजह से मरे इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी, बाकी गोली से कोई नहीं मरा।

श्री राजनारायण---क्या सरकार की जानकारी है कि इसी सदन में सरकार की ओर से यह स्वीकार किया जा चुका है कि दो व्यक्ति मरे हैं ?

श्री अध्यक्ष---यह तो वह बता चुके हैं. . . .

श्री राजनारायण---कामरोको प्रस्ताव के सिलसिले में जब उन्होंने कहा था तो गृह मंत्री ने बयान में कहा था. . . .

श्री अध्यक्ष---तो आप सवाल करें।

श्री राजनारायण---क्या सरकार को मालूम है कि माननीय गृह मंत्री जी ने श्री उग्रसेन के कार्य स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में कहा था कि दो व्यक्ति मरे और करीब १४ के घायल हुए हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---एक बयान तो दिया गया था, लेकिन क्या कहा गया था इसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता होगी, कुछ लोग घायल अवश्य हुए थे पर किसी और कारण से मरे, कितने इसके लिये नोटिस चाहिये।

श्री झारखंडे राय---क्या सरकार का ध्यान समाचार-पत्रों में प्रकाशित उन खबरों की ओर गया है कि वहां के गोलीकांड में ५ आदमी मरे और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की और क्या परिणाम हुए ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---वह समाचार सही नहीं था।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब पुलिस ने गोली चलाना बन्द कर दिया तो भीड़ भाग गयी थी या आक्रमण ही कर रही थी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---यह तफसील तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जब गोली चल रही थी तो लोग भागे भी, यह बात सही है।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)--- क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि घटनास्थल पर सरकार के कितने कर्मचारी थे और कितनों को किस किस्म की चोट कहां-कहां लगी ?

श्री रामस्वरूप यादव---सरकारी अधिकारी तो वहां एस० डी० ओ० भी थे, और शायद डी० वाई० एस० पी० भी थे, हेडकांस्टेबिल , एस० आई० और पुलिस के कांस्टेबिल भी थे।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल---मेरा यह भी प्रश्न था कि उन लोगों को कोई चोटें लगीं ? अगर लगी तो किस प्रकार की चोटें लगीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी हां, चोट लगी थी उनको कंकर और पत्थरों की वर्षा से।

श्री झारखंडे राय---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि गोली चलने के पहले जो उनके कथनानुसार वहां भीड़ इकट्ठी थी, उसको डिसपर्स करने के लिये लाठी चार्ज अथवा आंसू गैस का प्रयोग किया गया था ? यदि हां, तो कितने आंसू गैस के सेल छोड़े गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---लाठी चार्ज किया गया था और उनको बार-बार इस बात की वार्निंग दी गयी थी कि अब यह मजमा हटाया जाय, नहीं तो इसके खिलाफ और कार्यवाही की जायगी।

श्री राजनारायण---क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि छबेला में गोली ७ जनवरी को चली उससे कुल कितने व्यक्ति घायल हुए और कितने व्यक्ति उस समय अस्पताल में पहुंचाये गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---घायल तो किसी को अस्पताल, पुलिस ने पहुंचाया नहीं, क्योंकि कोई घायल वहां मिला नहीं।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह सही है कि जो घायल रहे और चन्द्रशेखर मिश्र और फेकू के पीठ पर और गर्दन के पीछे गोलियां लगी थीं और शहीद हुए, उसकी जांच करायी जिसका कि कुर्ता माननीय राजनारायण जी ने सदन में दिखलाया था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इसकी कोई सूचना इस समय मेरे पास नहीं है।

*६३---**श्री गोविन्द नारायण तिवारी** (जिला जालौन)---[न्याय मंत्री की प्रार्थना पर ३ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

*६४-६५---**श्री त्रिलोकी सिंह** (जिला लखनऊ)---[मुख्य मंत्री से सम्बन्धित सत्रहवें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ४३-४४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

दिवियापुर थाने के अन्तर्गत विभिन्न अपराध

*६६---**श्री भजन लाल**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि थाना दिवियापुर, जिला इटावा में अक्तूबर, १९५८ से ७ फरवरी, सन् १९५९ तक कुल कितनी डकैतियां, राहजनी, चोरियां, फौजदारियां और कत्ल हुए ?

श्री रामस्वरूप यादव—इस अवधि में डकैती व राहजनी के किसी घटना की रिपोर्ट नहीं हुई। कत्ल की १, फौजदारी की १ व चोरी की ११ घटनाओं की रिपोर्ट की गयी।

*६७—श्री भजन लाल—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त अपराधों से सम्बन्धित अब तक कुल कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये और कितने शेष रह गये ?

श्री रामस्वरूप यादव—कुल १० व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं और दो लापता हैं।

श्री भजन लाल—क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि लालमन, निवासी माखनपुर, ने २७ जनवरी को थाना दिबियापुर में राहजनी की रिपोर्ट दर्ज करायी थी ? उसमें क्या हो रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामस्वरूप यादव—मैंने तो निवेदन किया कि राहजनी और डकैती की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई।

श्री भजन लाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कत्ल जो हुआ है वह किस व्यक्ति का हुआ है, किन-किन व्यक्तियों ने उसको कत्ल किया है ? वह गिरफ्तार किये गये अथवा फरार हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—४ व्यक्ति, श्री मल सिंह, श्री लाखन सिंह, श्री राम सिंह, श्री बिजन सिंह पकड़े गये हैं। मुकदमा चालान होकर न्यायालय में विचाराधीन है।

श्री मोती लाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस थाने में यह भी कायदा है चोरी लिखाने वालों के लिए कि बिना लिखी हुई रिपोर्ट लेते नहीं हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—वह तो रिपोर्ट में सभी सम्मिलित हैं, लिखित और मौखिक सभी हो सकती है।

श्री भजन लाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो ११ चालान हुए हैं यह किन-किन गांव में किन व्यक्तियों के हुए हैं और उनसे संबंधित कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—गांव और नाम बताने के लिये तो नोटिस की आवश्यकता है, लेकिन छः मामलों की जांच की गयी, चार चालान कर दिये गये हैं, दो में अन्तिम रिपोर्ट लगा दी गयी है।

श्री भजन लाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो दो व्यक्ति लापता हैं वह किस जुर्म के भागी हैं और किन धाराओं के अन्तर्गत उनके वारंट जारी किये गये हैं और कब तक वह गिरफ्तार कर लिये जायंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव—यह तो श्रीमन्, गिरफ्तार जब हो सकेंगे तब किये जायंगे।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—क्या मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि उक्त थाने में डकैतियां, राहजनी, चोरियां और कत्ल की कितनी जांच तलब रपटें लिखी गयी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—ऐसे प्रश्नों का उत्तर बिना नोटिस कैसे दिया जा सकता है।

पिसावां थाने के अन्तर्गत विभिन्न अपराध

*६८—श्री मूलचन्द (जिला सीतापुर)—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले के थाना पिसावां के अन्तर्गत जुलाई, सन् १९५८ ई० से ३१ जनवरी, १९५९ ई० तक कितनी डकैतियां, चोरियां तथा कत्ल हुए और सम्बन्धित गांवों के नाम क्या हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—इस अवधि में कत्ल की दो तथा चोरी की ३३ घटनायें हुईं। डकैती की किसी घटना की रिपोर्ट नहीं हुई।

सम्बन्धित गांव के नाम संलग्न तालिका में दिये गये हैं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७९२ पर)

श्री मूलचन्द—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन दो कत्लों का हवाला जवाब में दिया गया है तो वह किन किन आदमियों का कहां कहां हुआ ?

श्री रामस्वरूप यादव—एक ग्राम नूरुद्दीनपुर में कत्ल की घटना हुई २६–२७ अगस्त को, लेकिन जांच की गयी। मुकदमा लापता रहा। दूसरा ग्राम नबीनगर में हुआ था जिसमें ४ अपराधी पकड़े गये।

श्री मूलचन्द—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो नूरुद्दीनपुर में कत्ल बताया गया है कि पता नहीं चल सका जांच करने के बाद उसका क्या कारण है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—पता नहीं चल रहा है यही कारण रहा।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या उन कत्लों के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट थाने में लिखी गयी और अगर लिखी गयी थी उसमें कौन आदमी नामजद हुए थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—रिपोर्ट तो अवश्य लिखी गयी होगी। न लिखी गयी होती तो जांच नहीं की जाती, लेकिन उसमें कितने नामजद थे यह नहीं कहा जा सकता। उसके लिये सूचना चाहिये।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि मुकदमा लापता रहा या मुलजिम लापता रहे ?

श्री अध्यक्ष—आप कविता कर रहे हैं या प्रश्न पूछ रहे हैं ?

श्री शिवप्रसाद नागर—मैं प्रश्न कर रहा हूं श्रीमन्, कि मुलजिम ही लापता रहे या मुकदमा खुद लापता रहा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मुलजिम नहीं पकड़े जा सके। मुलजिम पकड़े गये होते तो मुकदमे का पता चल ही जाता।

*६९–७०—श्री विश्वनराय (जिला आजमगढ़)—[न्याय मंत्री की प्रार्थना पर ३ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किये गये]।

*७१–७२—श्री गरीबदास—[न्याय मंत्री की प्रार्थना पर ३ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किये गये।]

आजमगढ़ जिले में हरिजन कूप

*७३—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के किन-किन गांवों में वित्तीय वर्ष १९५७–५८ एवं १९५८–५९ में हरिजन बस्तियों में पानी पीने के कुएं कितने-कितने रुपये की लागत के बनाये गये हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—आवश्यक सूचना संलग्न सूचियां (क) व (ख) में दी गई हैं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७९३—७९५ पर)

नोट—प्रश्न ६८ के पश्चात् प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

*७४—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के किन-किन गांवों की हरिजन बस्तियों में पानी पीने के कुएं नहीं हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सूचना एकत्रित की जा रही है।

प्रेस सलाहकार समिति के पुनर्गठन पर विचार

*७५—श्रीमती बेनी बाई (जिला झांसी)—क्या सरकार उत्तर प्रदेशीय प्रेस सलाहकार समिति के पुनर्गठन पर विचार कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां।

*७६-७७—श्री शिवशरणलाल श्रीवास्तव (जिला बहराइच)—[न्याय मंत्री की प्रार्थना पर ३ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किये गये।]

वाराणसी तहसील में मुसहरों को बसाने की योजना

*७८—श्री ऊदल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी तहसील में मुसहर जाति के बसने के लिये क्या सरकार ने कोई बस्ती बनवाने की योजना बनाई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां।

*७९-८०—श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)—[३ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किये गये।]

*८१-८२—श्री राजकिशोर राव (जिला बहराइच)—[३ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किये गये।]

मेरठ विश्वविद्यालय समिति तथा खुर्जा नगरपालिका के अध्यापकों का प्रार्थना-पत्र

*८३—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार मेरठ विश्वविद्यालय के लिये जो कमेटी नियुक्त की गयी थी उसकी अब तक प्रगति की रिपोर्ट सदन के सम्मुख रखने की कृपा करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—समिति के कार्य-क्रम में यह निर्धारित नहीं किया गया था कि वह समय-समय पर अपने कार्य के प्रगति की रिपोर्ट देती रहे अतः समिति के कार्य की रिपोर्ट उस के कार्यकाल की अवधि समाप्त होने के पश्चात् ही ज्ञात होगी। कार्यकाल ३० मार्च, १९५९ को समाप्त होगा।

*८४—श्री रामचन्द्र विकल—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि नगरपालिका खुर्जा, जिला बुलन्दशहर के अध्यापकों का कोई प्रार्थना-पत्र हाउस एलाउन्स के लिये सरकार के सामने आया हुआ है ? यदि हां, तो कब से ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां। जुलाई, १९५८ से।

*८५-८६—श्री रामसूरत प्रसाद (जिला गोरखपुर)—[३ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किये गये।]

राजकीय आदर्श विद्यालयों के अध्यापकों का सेवा क्षेत्र

*८७--श्री मलिखान सिंह (जिला मैनपुरी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या राजकीय आदर्श विद्यालयों के अध्यापकों की सेवा दो वर्ष से रीजनल कर दी गई है ? यदि हां, तो इस समय कितने अध्यापक रीजनों, जहां पर उनका निवास स्थान है, उनके बाहर काम कर रहे हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां, ३७ ।

चमोली की हवालात

*८८--श्री घनश्याम डिमरी (जिला गढ़वाल)--क्या सरकार बताने की की कृपा करेगी कि चमोली, जिला गढ़वाल के हवालात (Lock-up) में कितने कमरें हैं और हर एक कमरा कितने Undertrials के लिये है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--चमोली हवालात में दो कमरे हैं । प्रत्येक में १० कैदी रखे जा सकते हैं ।

*८९--श्री घनश्याम डिमरी--क्या यह सत्य है कि उक्त हवालात में गन्दे पानी के लिये कोई नाली नहीं है और उस गन्दे पानी की वजह से हवालात के आस-पास का स्थल बहुत Insanitary हो गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां, पक्की नाली न होने के कारण आसपास थोड़ी गंदगी हो जाती है उसे रोज साफ किया जाता है । पक्की नाली बनाने के लिये कार्यवाही की जा रही है ।

रामपुर में दफा १४४

*९०--श्री चन्द्रजीत यादव--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रामपुर में इस समय दण्ड विधि संग्रह की धारा १४४ लगा दी गयी है ? यदि हां, तो कब से और क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--धारा १४४ के आदेश दिनांक २५-२-५९ को १४ दिन के लिये लागू किये गये जो १०-३-५९ को समाप्त हो गये इसके लगाने का कारण रामपुर के दो चीनी मिलों में श्रमिकों द्वारा अवैध हड़ताल करने तथा उसके कारण शांति भंग होने की आशंका थी ।

सिग्री कोल ग्राम के दो व्यक्तियों की हत्या

*९१--श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ११-५-५८ को ग्राम दरगाह, थाना मधुबन, जिला आजमगढ़ से घर जाते समय शाम को सिग्री कोल ग्राम के दो व्यक्ति मारे गये थे और दूसरे दिन थाने में ही उनका प्राणान्त हो गया ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--तीन व्यक्तियों को चोट पहुंचायी गयी थी । जिसमें से जो व्यक्तियों का मधुबन हस्पताल में दूसरे दिन देहान्त हो गया । जांच के पश्चात् मुकदमा चलाया गया ।

*९२-९३--श्री राम समझावन (जिला जौनपुर)--[न्याय मंत्री की प्रार्थना पर ३ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किय गये ।]

डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए इनाम

*९४--श्री कल्याण चन्द मोहिले--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्रदेश में कितने डाकुओं के विरुद्ध उनके गिरफ्तारी के लिये कितने-कितने इनाम १९५६ से नवम्बर, १९५८ तक घोषित किये गये और उनमें कितने डाकू पकड़े गये या मार डाले गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इस अवधि में ११३ डाकुओं की गिरफ्तारी के लिये १० रुपये से ५००० रुपये तक के इनाम घोषित किये गये । इनमें से २९ डाकू पकड़े जा चुके हैं और १२ मार डाले गये हैं ।

*९५--श्री कल्याण चन्द मोहिले--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जिला आगरा, ग्राम हरसादा में दो आदमी दिसम्बर, १९५८ में मार डाले गये ? यदि हां, तो उसमें कितने आदमी अब तक पकड़े गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जांच द्वारा विदित हुआ है कि जिला आगरा में हरसादा नाम का कोई ग्राम नहीं है । अतः इस घटना के सम्बन्ध में सूचना देना सम्भव नहीं है ।

गाजीपुर जिले में हरिजन विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां

*९६--श्री यमुना सिंह (जिला गाजीपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले के हरिजन व पिछड़े वर्ग तथा अन्य विद्यार्थियों को अलग-अलग प्राइमरी, जूनियर हाईस्कूल तथा सेकेन्डरी हाई स्कूलों में बजट वर्ष १९५७-५८ में कितनी छात्र-वृत्तियां दी गयीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--आवश्यक सूचना संलग्न तालिका में दी गयी है

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ७९६ पर)

*९७-९९--श्री घनश्याम डिमरी--[न्याय मंत्री की प्रार्थना पर ३ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किये गये ।]

अखिल भारतीय समाज सेवा संघ लखनऊ को सेवा शिविरों के लिए अनुदान

*१००--श्री चिरंजीलाल जाटव (जिला एटा)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अखिल भारतीय समाज सेवा संघ, लखनऊ को सन् १९५५,५६,५७ तथा ५८ में समाज सेवा शिविरों के लिये कितना अनुदान प्रदान किया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--कुल ५१,९६३ रुपया ।

*१०१--श्री चिरंजीलाल जाटव--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त वर्षों में कितने शिविर लगे और किस-किस जगह लगे और उनमें कितना-कितना धन व्यय हुआ ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--केवल १० ।

कानपुर रोड, लखनऊ में दो, वेराफीरोजपुर (बुलन्दशहर) में एक, गनियारी (देवरिया) में एक तथा सिंहपुर (सुल्तानपुर) में एक । इन ५ शिविरों पर २४,७५७ रूपया व्यय हुआ । शेष ५ शिविरों पर २६,१५२ रुपया व्यय हुआ तथा वे इस प्रकार लगे :--

तेलीबाग लखनऊ में दो,

राय बरेली में एक,

सर्वोदय आश्रम में एक,

इन्दुपुर (देवरिया) में एक ।

*१०२--श्री चिरंजीलाल जाटव--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त संस्था रजिस्टर्ड है अथवा नहीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां ।

*१०३--स्वामी विश्वेश्वरानन्द--[न्याय मंत्री की प्रार्थना पर ३-४-५९ के लिये स्थगित किया गया ।]

*१०४--श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर)--[३-४-५९ के लिये स्थगित किया गया ।]

सीतापुर जिले में बड़ा गांव निवासी भारतीय जनसंघ के कार्यकर्त्ता, श्री रामेश्वरीदयाल की हत्या की जांच

* १०५--श्री ताराचन्द माहेश्वरी--१५-१२-५८ के प्रश्न संख्या २५ के पूरक प्रश्नों के उत्तर के संदर्भ में क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सर्किल इन्स्पेक्टर (पुलिस) के द्वारा जांच कराये जाने की आज्ञा किस प्रार्थना-पत्र के प्राप्त होने पर पर दी गयी थी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--ऐसा कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ । मामले की विशेषता तथा महत्व को दृष्टि में रखत हुए सर्किल इंस्पेक्टर द्वारा जांच की गयी थी ।

कविलपुर ग्राम की कथित डकैती

*१०६--श्री गंगाप्रसाद वर्मा (जिला एटा)--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक ३०/३१ जनवरी, सन् १९५९ को ग्राम कविलपुर, थाना एका, जिला मैनपुरी में भयंकर डाकाजनी हुई ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--अभी तक जांच से पता चला है कि जो घटना घटी वह धारा ४५८ भ० दं० वि० (नकब जनी) की है । ३ अपराधी गिरफ्तार किये जा चुके हैं और मामले में जांच की जा रही है ।

*१०७--श्री गंगाप्रसाद वर्मा--क्या उक्त डकैती में किसी को चोट आयी है ? यदि हां, तो कितने व्यक्तियों के ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--१ व्यक्ति के चोट आई ।

गोंडा जिले में पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही

*१०८--श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा में १ जनवरी, १९५८ से लेकर ३१ जनवरी, १९५९ तक कितने पुलिस कर्मचारियों पर विभागीय कार्यवाही चल रही थी उनमें कितनों पर कार्यावाही समाप्त हुई और कितनों पर चल रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--गोंडा जिले में १ जनवरी, १९५८ से लेकर ३१ जनवरी, १९५९ तक ३८ पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गयी जिनमें से ३३ कर्मचारियों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही उक्त अवधि में ही समाप्त हो गयी तथा शेष ५ कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही जारी रही ।

ललितपुर सब-डिवीजन में पी० ए० सी० पुलिस का भत्ता

*१०९--श्री गज्जूराम (जिला झांसी)--क्या यह सही है कि ललितपुर सब-डिवीजन झांसी में पी० ए० सी० पुलिस, डकैती इलाके में रहती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां, आवश्यकतानुसार ।

*११०--श्री गज्जूराम--यदि हां, तो इन्हें तनख्वाह के अलावा भत्ता दिया जाता है ? यदि हां, तो कितना ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--उपरोक्त सब-डिवीजन में तैनात पी० ए० सी० को भी वेतन के अलावा वही भत्ते दिये जाते हैं जो सामान्यतः सारे प्रदेश में पी० ए० सी० को दिये जाते हैं । यह भत्ते निम्नलिखित हैं :--

(क) मंहगाई भत्ता प्रदेश में समय-समय पर स्वीकृत दरों के अनुसार ।

	हेड कान्स्टेबुल	कान्स्टेबुल
(ख) डाइट भत्ता प्रति माह	४ रु०	४ रु०
(ग) कन्सालिडेटेड डेली भत्ता प्रति माह	४.५० रु०	४ रु०
(घ) बिगुल बजाने का भत्ता केवल बिगुल बजाने वालों को		४ रु०

(ङ) पी० ए० सी० भत्ता (स्पेशल वेतन)

कम्पनी हवलदार मेजर	हेड कान्स्टेबुल	कान्स्टेबुल
१५ रु० प्रति माह	१० रु० प्रति माह	६ रु० प्रतिमाह

एम० टी० (मोटर ट्रांसपोर्ट) भत्ता (स्पेशल वेतन)

हेड कान्स्टेबुल ड्राइवर	कान्स्टेबुल ड्राइवर
१० रु० प्रतिमाह	७ रु० प्रति माह

उपरोक्त भत्ते स्पेशल वेतन के रूप में माने जाते हैं ।

(च) उपरोक्त भत्तों के अतिरिक्त जिला आगरा, इटावा, मैनपुरी व जालौन के "ऐन्टी-डकैती आपरेशनल एरिया" में तैनात पी० ए० सी० के लोगों को निम्नलिखित दरों के अनुसार "स्पेशल कम्पेन्सेट्री" एलाउन्स भी मिलता है :

सहायक कमान्डेन्ट	३५ रु० प्रतिमाह ।
एडजुटेन्ट	२५ रु० प्रतिमाह ।
कम्पनी कमान्डर	२५ रु० प्रतिमाह ।
प्लाटून कमान्डर	१५ रु० प्रतिमाह ।
हेड कान्स्टेबुल	१० रु० प्रतिमाह ।
कान्स्टेबुल	६ रु० प्रतिमाह ।

बहेड़ी में ट्रक दुर्घटना

*१११--श्री नत्थूसिंह (जिला बरेली)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बहेड़ी, जिला बरेली, में कितने आदमियों की मौत बस, ट्रक, और मोटर से कुचल कर सन् १९५८ ई० व फरवरी सन् १९५९ तक हुई और उन मामलों में क्या कार्यवाही हुई या हो रही है?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इस अवधि में बहेड़ी में केवल एक स्त्री की मृत्यु दिनांक ११-१२-५८ को ट्रक से कुचल कर हुई । इस घटना के सम्बन्ध में ट्रक के ड्राइवर का चालान कर दिया गया है और इस समय मुकदमा अदालत में विचाराधीन है ।

लखनऊ के मान्टेसरी तथा लालबाग गर्ल्स स्कूल का अनुदान

*११२--श्री रामसिंह चौहान वैद्य (जिला आगरा)---क्या गृह मंत्री प्रथम सत्र, १९५८ के आठवें सोमवार (१-१२-५८) के प्रश्न संख्या ५५ और ५६ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ मान्टेसरी स्कूल, लखनऊ और लालबाग गर्ल्स स्कूल, लालबाग, लखनऊ को सन् १९५६-५७, १९५७-५८, १९५८-५९ में कितनी आर्थिक सहायता मिली है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--यह सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ७९७ पर)

*११३--श्री रामसिंह चौहान वैद्य--इन विद्यालयों में अन्य स्कूलों की भांति प्रारम्भिक कक्षाओं से छठवीं श्रेणी तक फीस माफी की व्यवस्था न करने के क्या कारण हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---कक्षा १ से ५ तक इन स्कूलों में जो पाठन शुल्क लिया जाता है वह निर्धारित दरों से अधिक है । अतएव उस प्रकार के स्कूल स्पेशल स्कूल घोषित हैं और इनमें निःशुक प्रारम्भिक शिक्षा योजना लागू नहीं है ।

लालबाग गर्ल्स स्कूल लालबाग, लखनऊ, की कक्षा ६ में निःशुल्क शिक्षा है । लखनऊ मान्टेसरी स्कूल, लखनऊ में कक्षा ६ नहीं है ।

जरीफनगर थाने के अन्तर्गत अपराधों की घटनाएं

*११४---श्री उल्फत सिंह (जिला बदायूं)---क्या सरकार बतायेगी कि जिला बदायूं, थाना जरीफनगर में १९५७-५८ में कितनी वारदात कत्ल, डकैती, चोरी की हुईं ? कितनों पर मुकदमा चला, कितने सजायाब हुए ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मांगी हुई सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ७९८ पर)

*११५-११६---श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ---[न्याय मंत्री की प्रार्थना पर ३-४-५० के लिये स्थगित किये गये ।]

*११७---कुंवर श्रीपाल सिंह---[न्याय मंत्री की प्रार्थना पर ३-४-५९ के लिये स्थगित किया गया ।]

अतारांकित प्रश्न

१---श्री गनेशचन्द्र काछी---[३ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किया गया ।]

२---श्री गनेशचन्द्र काछी---[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर ३ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किया गया ।]

३-४---श्री नत्थू सिंह (जिला बरेली)---[हटा दिये गये ।]

मोटरों तथा ट्रकों से दुर्घटनाएं

५---श्री रामदीन (जिला मैनपुरी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के प्रत्येक जिले में १९५८ के शुरू से ८-२-५९ तक मोटर ठेलों द्वारा कितने-कितने एक्सीडेन्ट हुए और उनमें कितने मनुष्य मरे तथा कितने पशु ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इस अवधि में १०५० ऐक्सीडेन्ट हुए और उनमें ४८२ मनुष्य तथा १६१ पशु मरे ।

अध्यक्षासन पर अवस्थित ध्वनिविस्तारक यंत्रों के पुनरारोपण के सम्बन्ध में प्रार्थना

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि इधर बहुत दिनों से हमारे बहुत से साथी इस कक्ष में यह अनुभव कर रहे हैं कि ध्वनिविस्तारक यंत्र जो आपके सामने लगे हुए हैं उसके कारण आपकी कृपा दृष्टि हम लोगों पर नहीं पड़ती। मैं सोचता हूं कि बहुत दिन पहले जहां लगा हुआ था वहां ठीक था। इसलिये या तो वह बीच में हो जाय या कहीं साइड मे हो जाय तो हमें भी आपकी कृपा दृष्टि का अवसर और लाभ मिल सके।

यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में प्रख्यापित संशोधन*

परिवहन मंत्री (डाक्टर सीताराम)---श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में परिवहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या एम-वी०-आर-ए-एम १८---३०३---टी०-एम ३०-४-४८४२---टी०-५८, दिनांक ३१ जनवरी, १९५९ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को मोटिर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा १३३ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

द्वितीय विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का द्वितीय प्रतिवेदन*

श्री मदनमोहन (जिला फैजाबाद)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से सभापति, प्रतिनिहित विधायन समिति, की हैसियत से उत्तर प्रदेश-द्वितीय विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

श्रीमन्, प्रथम प्रतिवेदन सदन के समक्ष उपस्थित करने के उपरांत दुर्भाग्य से माननीय द्वारकाप्रसाद मित्तल के नेतृत्व से हम लोग वंचित हो गये, परन्तु संतोष यह है कि माननीय द्वारका प्रसाद जी अब भी समिति के सदस्य हैं और हम उनके परामर्श से लाभान्वित होते हैं। हमें इस बात का हर्ष है कि १९५७-५८ में जितनी भी विज्ञप्ति, संशोधन और नियम इस सदन की मेज पर रखे गये उन सब का करीब करीब हमने निरीक्षण कर लिया है, और अपने विचार इन दोनों प्रतिवेदनों में अंकित करके सदन के समक्ष उपस्थित कर दिये हैं। हमारे जो विशेष सुझाव हैं, वह उन रिपोर्टों में समाविष्ट हैं, इसलिये मुझे कोई विशेष टीका नहीं करनी है, किन्तु एक दो बातें ऐसी हैं, जो मैं इस सदन में कहना चाहता हूं और उन पर सरकार का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट करना चाहता हूं।

श्रीमन्, आप देखेंगे कि अध्याय ४ में पहली पंक्ति यह है कि नियम १८ (२) जौनसार बावर बन्दोबस्त नियमावली, १९५७, अधिनियम के प्राविधानों के विरुद्ध है। यह जो कहीं कहीं प्राविधान का नियमों से विरोध हो जाता है, उसका विशेष कारण श्रीमन्, यह है कि वह अधिकारी वर्ग जो नियमों का निर्माण करता है, वह अपने सामने, ऐसा मालूम होता है, अधिनियम की वह विशेष धारा नहीं रखता जिसके आधार पर नियम बनाये जाते हैं। इस समिति के द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है कि नियमों के शीर्षक में या मार्जिन में उस धारा का अवश्य उल्लेख हो कि जिस धारा के अन्तर्गत नियम बनाया जाता है, और अगर इस बात का ध्यान रखा जाय, तो दो लाभ होंगे। एक तो यह कि समिति का समय इसमें नष्ट नहीं होगा कि वह अन्वेषण करे कि किस धारा के अन्तर्गत नियम बनाया गया है। दूसरा लाभ यह होगा कि वह नियम निर्मातृ अधिकारी-जो नियम बनाता है---उसका भी ध्यान अधिनियम की धारा की ओर आकर्षित हो जावेगा, और अधिनियम की परिधि के बाहर नहीं जायगा।

---

*छापे नहीं गये।

[श्री मदनमोहन]

विशेष रूप से, हमारा आग्रह है कि प्रत्येक नियमों के शीर्षक में इस बात का उल्लेख होना चाहिये कि अधिनियम की किस धारा के अन्तर्गत वह नियम बना है ।

दूसरी बात यह कि हमारी कार्य संचालन नियमावली के अनुसार इस सदन का कार्य हिन्दी में होना चाहिये और होता है । इन नियमों के और अधिनियम के अवलोकन करने से इस समिति का कुछ ऐसा ख़याल हुआ कि इस सदन में हम बोलते तो हिन्दी में अवश्य हैं, किन्तु हमारे समस्त नियम, अधिनियम, परिनियम और विज्ञप्ति अंग्रेजी में लिखी जाती हैं । उनकी कल्पना अंग्रेजी में की जाती है, अंग्रेजी में लिखे जाते हैं और फिर वह अंग्रेजी के नियम अनुवाद विभाग में भेज दिये जाते हैं । अनुवादकर्त्ता जब अंग्रेजी का हिन्दी में अनुवाद करता है तो मक्षिका स्थाने मक्षिका के तरीके से किया करता है । परिणाम यह होता है कि, कहीं कहीं पर नियमों की शब्दावली तथा वाक्यों की रचना ऐसी हो जाती है कि हिन्दी की प्रति को समझने के लिए हमें अंग्रेजी की शरण लेनी पड़ती है । मैं जानता हूं कि इसमें कठिनाई आवश्य है लेकिन अधिकारी वर्ग जो नियम का निर्माता है वह हिन्दी के नियमों को भी कृपा करके पढ़ लिया करे और देख लिया करे कि जो वास्तविक मंतव्य, जो उस नियम का प्राण है, वह वस्तुतः अनुवाद में आया है या नहीं और अगर नहीं आया है तो उसका संशोधन कर देवे ।

श्री अध्यक्ष---आप संक्षेप में ही कहें ।

श्री मदनमोहन---एक ही बात कहनी है और वह भी आवश्यक है । समिति को जो साहित्य उपलब्ध होना चाहिए कानून के सम्बन्ध में, वह उपलब्ध नहीं हो रहा है । यद्यपि इसके सम्बन्ध में कई बार सरकार से निवेदन किया गया कि हम चाहते हैं कि समान (parallel) लेजिस्लेशन जो दूसरे प्रदेशों के हैं वह भी हमें मिलने चाहिए । उसके बराबर जैसा काम होना चाहिए वैसा नहीं होता है ।

दूसरी बात जिसका हमें खेद है वह यह है कि संशोधन और विज्ञप्तियां तो हिन्दी में दी जाती हैं, किन्तु उनके मूल अधिनियम या नियम हमें हिन्दी में उपलब्ध नहीं होते । हमारे पास अंग्रेजी की प्रतियां रहती हैं । हिन्दी में संशोधन तथा नियम बन करके आते हैं । जब हम हिन्दी प्रतियां मांगते हैं तो प्रायः यह उत्तर मिला करता है कि अभी तैयार नहीं हैं । मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि अधिनियम और नियम जिनके संशोधन हमारे पास हिन्दी में आते हैं उनकी हिन्दी की प्रतियां इस समिति को उपलब्ध होनी चाहिए ।

इन शब्दों के साथ मैं द्वितीय प्रतिवेदन सदन के सम्मुख प्रस्तुत करता हूं ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---प्वाइंट आफ आर्डर । मैं आपका ध्यान प्रक्रिया नियमावली के नियम २४७ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें लिखा है---

"If the Committee is of opinion that any other matter relating to any order should be brought to the notice of the House, it may report that opinion and matter to the House."

अभी जो हमारे सामने रिपोर्ट आयी है इसमें बिक्री-कर नियमावली के सम्बन्ध में भी उल्लेख है और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बिक्री-कर अधिनियम के एक भाग को अल्ट्रावायरिस करार दिया है । अतः समिति को अधिकार है और कोई मैटर लाया जा सकता है कि उसको रिकंसीडर करने के लिए भेजा जाय ।

श्री अध्यक्ष---कमेटी के सदस्य मौजूद हैं । वह प्रश्न उठा सकते हैं । कमेटी को पूरा अधिकार है । सदन की तरफ से कोई डाइरेक्शन नहीं दी जायगी कि ऐसा करो । कमेटी बराबर बैठी हुई है । प्रतिवेदन के बाद कमेटी खत्म नहीं हो जाती है । वह बराबर जारी है । आप अपना सुझाव भेज दें । वह देख लेगी ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---अभी हाल की चीज आयी है। कमेटी को आर्डर दिया जा सकता है और कोई मैटर लिया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष---नियम के अनुसार ऐसा नहीं है।

***श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान नियम २१७ (३) की ओर दिलाना चाहता हूं। एक दिन आपने आज्ञा भी दी थी कि अगर किसी समिति का कोई प्रतिवेदन उपस्थित करते समय, जो उस समिति के माननीय अध्यक्ष हों अगर कुछ विचार व्यक्त करें और सरकार का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करें तो उस पर माननीय मंत्री को उसी दिन या जो तिथि निश्चित की जाय उस संबंध में वह वक्तव्य देंगे। तो आज माननीय वर्मा जी, माननीय सदस्य फैजाबाद ने, कुछ विचार प्रकट किये हैं तो मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस बात के संबंध में अभी वक्तव्य दें या कोई तिथि निश्चित की जाय, उस दिन वह वक्तव्य दें।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं वक्तव्य शायद एक मंत्री के ऊपर लागू न होगा, वह कई मंत्रियों के ऊपर लागू होगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी---मुख्य मंत्री दे दें।

श्री अध्यक्ष---सभापति समिति का जो स्टेटमेंट है मुख्य मंत्री जी के पास भेज देंगे। कोई तिथि नियुक्त कर ली जायगी और उस दिन सरकार की राय, जो उस विषय में है, मुख्य मंत्री जी बता देंगे।

श्री राजनारायण द्वारा मुख्य मंत्री, श्रम उपमंत्री और श्री त्रिलोकीसिंह के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न उठाने की सूचना

श्री अध्यक्ष---कुछ विशेषाधिकार के प्रश्न हैं। दो श्री राजनारायण जी के हैं। एक श्री देवनारायण भारतीय जी का है जो समय के बाद आया तो उस पर कोई प्रश्न उठता ही नहीं। एक राजनारायण जी का जो कल वाला प्रश्न था कि विशेषाधिकार के प्रश्न को उठाने के लिए जो अनुमति मैंने नहीं दी थी और जिन सदस्यों ने उठाना चाहा था, वापस ले लिया था, यह करना जबकि विशेषाधिकार की अवहेलना प्रत्यक्ष प्रतीत होती है जबकि प्राइमा फेसी केस अवहेलना का दिखाई देता है तो उसे उठाने की इजाजत न देना यह भी एक विशेषाधिकार की अवहेलना है। इसे उठाने की मैंने इजाजत नहीं दी है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---उसे पढ़ दीजिए जरा।

श्री अध्यक्ष---वह तो मैंने अपने कमरे में ही नामंजूर कर दिया था और बता दिया था कि मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा नियम ६४ के अनुसार।

दूसरा है श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा जी के वक्तव्य के बारे में। "बहुगुणा जी का उपर्युक्त कथन जान बूझ कर सत्य पर परदा डालता है जिससे सदन का अवमान होता है इसलिए मैं बहुगुणा जी के ऊपर सदन के अवमान के लिए विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की आज्ञा चाहता हूं।" जानबूझ कर सत्य पर परदा डालता है, यह आक्षेप इसमें है। तो माननीय सदस्य बतलायें, मेरी समझ में बात नहीं आई, मैंने प्रस्ताव पढ़कर देखा, जानबूझ कर किस प्रकार से आप कहते हैं वह मैं जान लूं और फिर मैं बहुगुणा जी से पूछूंगा। उसके बाद अनुमति दूं या न दूं इस प्रश्न पर विचार करूंगा।

आपने प्रतिलिपि उनके पास भेज दी है ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राजनारायण---जी हां। भेज दी है।

श्री अध्यक्ष---रसीद आपके पास आ गयी है।

श्री राजनारायण---मैंने भिजवा दिया है।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं इसको कल लें तो ज्यादा अच्छा होगा ताकि वह जवाब दे सकें। वह यहां मौजूद नहीं हैं।

श्री राजनारायण---जवाब तो वह दे चुके हैं।

श्री अध्यक्ष---जी नहीं, क्योंकि एक सदस्य के बारे में जानबूझ कर असत्य बात करने का आक्षेप लगाया गया है, इसलिये उसके बारे में क्या आक्षेप है उसको सुन लेना भी जरूरी होता है। उन्हें मौका मुझे देना पड़ेगा।

श्री राजनारायण---हां, हां, मौका आप दीजिए। एक नहीं दो दीजिए।

श्री अध्यक्ष---तो इसको कल लेंगे।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, उनको यह सूचना दे दी जाय कि एक तो हमने लिखी है तारीख ३०.....

श्री अध्यक्ष---वह तो आप मेरे कमरे से भिजवा दें। सदन का समय इसमें क्यों लेते हैं ?

श्री राजनारायण---दूसरे कुछ थोड़ा सा अन्याय हो गया है, आप जरा मेरी एक प्रार्थना सुन लें।

श्री अध्यक्ष---देखिए उस विषय पर कि जिसमें मैंने इजाजत नहीं दी कुछ कहने की मैं इजाजत नहीं दूंगा।

श्री राजनारायण---इजाजत के संबंध में मैं निवेदन नहीं कर रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि मैंने यह कहीं नहीं कहा है कि आपने इजाजत नहीं दी। यह शब्द कहीं नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष---वह तो मैं जानता हूं। लेकिन मैंने कह दिया था कि मैं इजाजत नहीं दूंगा।

श्री राजनारायण---वह आप अपनी बात अपने तईं रखें लेकिन हमारी ओर से आपके ऊपर कोई आक्षेप नहीं है। किन्तु लोगों को लगने लगता है कि अध्यक्ष के ऊपर आक्षेप है। मेरा तो आक्षेप है त्रिलोकी सिंह जी और सम्पूर्णानन्द जी के ऊपर।

श्री अध्यक्ष---आक्षेप किसी के ऊपर हो लेकिन मैंने भी इजाजत नहीं दी थी और मैंने कह दिया था कि आप इसे वापस ले लें। अगर वह वापस न लेते तो मैं इजाजत न देता, यह भी मैं बता देना चाहता हूं।

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ विषयों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष---अब नियम ५२ के अनुसार दो एक प्रस्ताव मेरे पास आये हैं जिनमें से कुछ तो देर में आये इसलिए उनको तो मैं विचार के लिए नहीं लूंगा। एक श्री जंग बहादुर जी का है जिसमें उन्होंने लिखा है कि दो तीन कुर्क अमीन वगैरह ज्यादा मुकर्रर करके सख्ती की जा रही है, इस विषय में है। यह अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय नहीं हो सकता क्योंकि कई रोज से यह बात होती होगी। मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

दूसरा श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी जी का है। यह तो काफी पुराना हो चुका है और वैयक्तिक मामला है। इसको सार्वजनिक महत्व का इतना मैं नहीं समझता हूं कि जिसके लिए मैं इजाजत दूं।

श्री जगतनारायण यादव के अनशन के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष---तीसरा प्रस्ताव श्री भजन लाल जी का है---

श्री जगतनारायण यादव, निवासी औरैया, जिला इटावा, थाना औरैया, के इंचार्ज के भ्रष्टाचार से संबंधित मांगों को लेकर कि उक्त भ्रष्टाचारों की जांच की जाय, १८ मार्च से विधान भवन के सामने आमरण अनशन कर रहे हैं। सरकार की ओर से उपेक्षा की नीति, बार-बार ध्यान दिलाने के बाद भी, बरती जाने के कारण वे अनशन कर रहे हैं जिससे स्थिति चिंताजनक है।

अतः उनके अनशन व थाने की जनता में आतंक से उत्पन्न स्थिति पर विचार करने के लिए सदन आज इस विषय को नियम ५२ के अन्तर्गत प्रस्तुत करता है।

यह विचार करने के लिए नहीं होता है। वक्तव्य के लिए नियम ५२ में सूचना होती है कि सरकार अपना वक्तव्य उस विषय में दे। तो मैं गृह मन्त्री जी से कहूंगा कि इस विषय में उनको कोई जानकारी हो तो कृपा करके अपना वक्तव्य दे दें।

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---मान्यवर, यह सूचना मिली है कि श्री जगतनारायण यादव जी ने १८ मार्च को विधान भवन के सम्मुख अपना अनशन आरम्भ किया और यह भी सूचना मिली है कि उन्होंने मुख्य मन्त्री जी के पास अपनी मांगों की एक तालिका भेजी थी और उस तालिका को माननीय मुख्य मंत्री जी के आदेश से आई० जी० पुलिस के पास जांच और उचित कार्यवाही के लिए भेज दिया गया है। इतनी ही सूचना है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उनकी मांगों की जो तालिका सरकार को दी गयी है उसमें से मुख्य मुख्य मांगें क्या हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---यह तो एक छपा हुआ परचा उनकी ओर से बंटा है। उसी में यह स्पष्ट है। उस तालिका में औरैया थाने के इन्चार्ज के विरुद्ध उनकी कुछ शिकायतें हैं। और उन्हीं शिकायतों की जांच की मांग उन्होंने की थी। वह जांच के लिये आई० जी० पुलिस के पास भेज दी गयी है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो तालिका आई० जी० के पास भेजी गयी है उसकी जानकारी डिप्टी आई० जी० के द्वारा करायेंगे या जिले के किसी अधिकारी के पास भेजेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---अवश्य ही आई० जी० के पास भेजी गयी है जांच करने के लिये, वही उस मुहकमे के सब से बड़े अधिकारी हैं, उन्हीं से जांच करायेंगे।

श्री हरदयालसिंह (जिला शाहजहांपुर)---क्या माननीय मंत्री जी इस बात की कोशिश करेंगे कि कम से कम सर्किल इंसपेक्टर से नीचे किसी आफिसर से जांच न करायी जाय ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मैं समझता हूं कि आई० जी० के द्वारा उचित ही कार्यवाही की जायगी।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो पर्चा उनकी ओर से छपा हुआ है उससे लगता है कि यह शिकायतें उन्होंने पहले भी की थीं और बहुत दिनों से वह कर रहे थे। फिर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई, मैं जानना चाहता हूं कि जो शिकायतें उन्होंने पहले की थीं उन पर क्या कार्यवाही हुई और नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई ?

श्री अध्यक्ष---यह मैं समझता हूं कि अभी जो प्रश्न उन्होंने उठाया तो इतनी पिछली बात उसमें नहीं पूछी जा सकती। इस संबंध में जितनी जानकारी उन्होंने तत्काल हासिल की उससे प्रस्तुत प्रश्न से ताल्लुक नहीं है।

१९५९-६० के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान---अनुदान संख्या २०---लेखा शीर्षक ३६---वैज्ञानिक विभाग और ३७---शिक्षा (क्रमागत)†

***श्री सीताराम शुक्ल** (जिला बस्ती)---श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि मुझे कितने मिनट और बोलना होगा?

श्री अध्यक्ष---आप के ७ मिनट बाकी है और आप ५ मिनट बोल चुके हैं।

श्री सीताराम शुक्ल---कृपा कर मुझे कुछ मिनट और दे दीजियेगा। मैं कल यह अर्ज कर रहा था कि स्वतन्त्रता मिलने के बाद हिन्दुस्तान का सब से पहला गवर्नर जनरल लार्ड माउन्टबेटन बनाया गया। उसकी पहले तो हम मुखालिफत करते थे लेकिन बाद को हमने बड़ी इज्जत की। अपने ही मुल्क के रहने वाले अफसर अगर अपने ही विधायकों की इज्जत नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? "विद्या ददाति विनयम्", विद्या से तो विनम्रता आती है और विनम्रता से बहुत से काम हो जाते हैं जो कि पैसा देने से नहीं होते। उसके लिये बहुत-सी मिसाल यहां पर दी जा सकती हैं।

दूसरी बात यह है कि किसी भी मसले पर यहां बहस की जाय मगर उसमें समाजवाद जरूर आ जाया करता है। उसमें कहा जाता है कि रुख बदला जाय और समाजवाद की ट्रेनिंग हो तो हर बीमारी का यहां से लोप हो जायगा। उस पक्ष से भी, इस पक्ष से भी, कम्युनिस्ट भाइयों की तरफ से और जनसंघ की तरफ से भी और हमारे गोविन्द सहाय जी ने भी बतलाया कि वह ट्रेनिंग होनी चाहिये जिससे समाजवाद आ जाय। इस तरह की शिक्षा भी हो जाय तब भी यह बात नहीं हो सकती है। इसलिये चन्द शब्दों में मैं यह बात बताना चाहता हूं कि हर बीमारी की दवा समाजवाद नहीं है और चीजें भी हैं।

यह बड़े जोरदार शब्दों में कहा जाता है कि जब तक यह ऊंच-नीच है और यह विषमता है तब तक काम नहीं होगा। मैं कहता हूं कि विषमता है और रहेगी और वह दूर नहीं की जा सकती। वह इस वक्त भी है। जमींदारी प्रथा को खत्म कर दिया और पूंजीपतियों पर टैक्स लगा दिया और सब कुछ नेशनलाइज कर लिया तब भी कुछ लोग मोटर पर चढ़ते हैं, कुछ लोग पैदल चलते हैं। आज पूंजीपतियों के पास मोटर है, बड़े सरकारी कर्मचारियों से भी अगर आप ले ले तो कारखाने के अफसर मोटर पर चलेंगे। तब भी ऊंच-नीच रहेगी। और मिसाल में पेश करता हूं जेलखाने की, क्या वहां भी सब भाई बराबर हैं? जेलखाने में एक-सी क्लास का कैदी होता है। उन सब का खाना एक, कपड़ा एक, रहन-सहन एक, रहने की जगह एक लेकिन जो वहां होशियार और चतुर कैदी होता है, ईमानदार होता है, परिश्रमी होता है तो अच्छा काम करके जेलर साहब की हमदर्दी अपने साथ ले लेता है। गोदाम का मालिक बन कर बैठ जाता है। वह गया था वहां पर चक्की पीसने लेकिन गोदाम का मालिक बन कर बैठ जाता है। सिपाही लोग भी उससे सिफारिश करने लगते हैं। जो बुरे स्वभाव के कैदी होते हैं वह वही चक्की पीसते रहते हैं, लेकिन जो अच्छे स्वभाव का कैदी होता है वह अपना खाना कम करके भी एक रोटी कम खाकर ज्यादा खाने वाले को दे देता है, वहां यदि कोई बीमार पड़ गया तो उसकी वह सेवा करता है।

---

† १९ मार्च की कार्यवाही से।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जो बुरे स्वभाव के कैदी होते हैं वह अपना तसला बेचकर भी बीड़ी पीते हैं। तो क्या वहां भी भाई-भाई बराबर हैं? इसलिये जोश में आकर बहुत दूर तक सोचे बगैर जल्द बाजी में कोई फैसला करना उचित नहीं होगा। कोआपरेटिव सोसाइटी के अन्दर बड़ा अच्छा काम हो रहा है। सरकारी कर्मचारियों ने अपनी दूकानें खोली थीं कि बनिया बहुत महंगा बेचता है.....

श्री अध्यक्ष---यह आम बहस नहीं है। शिक्षा का बजट है। उसमें कोआपरेटिव सोसाइटी का जिक्र नहीं है।

श्री सीताराम शुक्ल---श्रीमन्, मैं उसी सिलसिले में यह अर्ज कर रहा था कि सरकारी कर्मचारियों को वे दूकानें बंद करना पड़ीं। मेरी प्रार्थना है कि आप गौर फरमायें। वह लोग कहते हैं कि हम प्रचार करें उसमें आदमियों को अच्छा बनायें, लेकिन आप मेहनत कीजिये परिश्रम कीजिये तो उसका असर जरूर पड़ेगा, किन्तु हमारे यहां प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के स्टैन्डर्ड के लोग होंगे, वह आयेंगे और लिल्लाह बचाइये इस काबिलियत से, यही न होगा कि आप हुक्म दें बैठ जाओ.....

श्री अध्यक्ष---मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं। वह खत्म हो गया, नहीं तो मुझे आप से कहना पड़ेगा.....

श्री सीताराम शुक्ल---मैं हुजूर वाला, आक्षेप नहीं कर रहा हूं। मैं प्वाइन्ट आउट कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष---आप किसी व्यक्ति पर हमला मत करिये।

श्री सीताराम शुक्ल---हो चुका। मैं कह भी चुका। तो यही सिखायेंगे लड़कों को कि हड़ताल करो, बन्द करो, टीचरों का हुक्म मत मानों। हुजूरवाला, हड़ताल होती है यूनीवर्सिटी में और हमारे दोस्त लोग बाहर ब्याख्यान देते हैं। इशारे यहां होते हैं अगर यही समाजवाद का प्रोपेगंडा हुआ, बहुत मजबूर किया गया कि पढ़ो तो बच्चे क्या करेंगे। अभी कलकत्ते में हड़ताल हो रही है इसलिये कि प्रश्न-पत्र सख्त क्यों आया, कल हड़ताल होगी कि कड़ी किताब क्यों लिख दी, परसों हड़ताल होगी कि फीस मत लो, बिना इम्तहान के पास करो और फिर यह होगा कि बिला इम्तहान पास किये हुए नौकरी दे दो। तो क्या यही समाजवाद है जिसके लिये बड़ी कोशिश हो रही है? (व्यवधान)

आप फरमा रहे हैं कि पूंजीवाद है। रूस में, चीन में जहां आप का साम्यवाद, समाजवाद सफल हो चुका है क्या वहां के विद्यार्थियों का अनुशासन अच्छा है बमुकाबले अमरीका, इंग्लैन्ड, फ्रान्स के? उससे अच्छा नहीं है। वहां के मजदूर को क्या खाना, कपड़ा, मकान अच्छा मिलता है। क्या यही अच्छा है कि बोलने की इजाजत नहीं है। जो आज प्रधान मंत्री है कल जेलखाने में बन्द कर दिया गया। आज बुलगानिन साहब कहां हैं? लाल रोशनी हो गयी इसलिये मैं इस विवाद को छोड़ कर कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

सुझाव यह है कि अंग्रेजी के विद्वान को जगह दे दी जाती है, लेकिन संस्कृत और हिन्दी के विद्वान को अच्छी जगह क्यों नहीं दी जाती। चिड़िया को बर्ड लिखने में क्या होशियारी है और पक्षी लिखने वाला क्यों होशियार नहीं रहता। हजूरवाला, मेरी प्रार्थना पर गौर करें।

"अग्निदाहेनमे दुःख न दुःखं लौहताड़नात।
एतत मठंमह दुःखं गुंज मा सहतौलनम् ॥"

सोना कहता है कि मुझे तकलीफ नहीं होती जब पत्थर पर घिसा जाता है, आग में जलाया जाता है या पीटा जाता है, लेकिन जब कांटे में एक तरफ घुंघची होती है और एक तरफ में और मुझे तौला जाता है तो तकलीफ होती है। आज तरजीह दी जानी चाहिये संस्कृत और हिन्दी

[श्री सीताराम शुक्ल]

को बमुकाबले अंग्रेजी के। अंग्रेजी में भी होशियार होते हैं और संस्कृत और हिन्दी पढ़े-लिखे भी। काबिलियत की कदर कीजिये लेकिन अंग्रेजी की शर्त न लगाइये। मैं अपने दोस्त झारखंडे राय जी से कहता हूं कि आप ने साहित्य नहीं पढ़ा। जिस सोशलिज्म को आपने देखा है उससे बहुत अच्छा हमारे यहां है। एक श्लोक है भागवत का—"यावत भ्रयेतजठरम तावत स्वत्वंतिदेहिनाम्। अधिकम थोमिमन्नेतसस्तेनोदन्ड मरहसि" जितना पेट भरने के लिये जरूरत है उतना लेना जायज है। उससे ज्यादा जो लेता है वह चोरी करता है। उसको सजा होनी चाहिये। "आत्मनः प्रति कूलानिपरेशाम न समाचरेत" यह हमारा साहित्य है। मेरी प्रार्थना है माननीय मंत्री जी से कि समाजवाद नहीं, मनुष्य-वाद की ट्रेनिंग होनी चाहिये। परोपकार, धार्मिकता, सभ्यता और भलामनसाहत की ट्रेनिंग होनी चाहिये। यही अच्छा होगा और इसी से देश का झंडा भी ऊंचा उठेगा।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—अध्यक्ष महोदय, शिक्षा का अनुदान मैं कौतूहल से देख रहा था, क्योंकि माननीय मंत्री जी ने बजट के प्रारम्भ में कहा था कि जो अध्यापकों की मांग है उसके बारे में बजट में विचार किया जायगा। श्रीमन्, कल कहा भी गया था किन्तु मुझे दो बातें देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ है। यह तो सही है कि माननीय मंत्री जी ने जो रेट्स बढ़ाये हैं उसके लिये मैं उनको बधाई दूंगा। परन्तु उनके भाषण में जो एक वाक्य था कि दर्जा ६ तक जो फीस माफ होती है, अखबारों में यही था, उसको कैंसिल करने का विचार सरकार कर रही है, इसको देख कर मुझे तो ऐसा लगा कि क्या सरकार इस नौबत पर आ गयी है कि जो सरकार की ओर से इस सदन में कहा जाय, जो अश्वासन दिया जाय उसी बात से साल भर के अन्दर निकल भागा जाय। मेरे कानों में १९५७ के बजट भाषण के शब्द गूंज रहे हैं जब कि उन्होंने सदन में यह आश्वासन दिया था और उस समय के अर्थ मंत्री जी ने भी कहा था कि इस साल हम दर्जा ६ तक की फीस माफ कर रहे हैं और अगले साल दर्जा ७ और ८ तक की माफ करेंगे। वह आश्वासन कहां चला गया ?

मैं श्रीमन् का ध्यान इस ओर आकृष्ट करूंगा कि इस सदन की एक आश्वासन समिति है। मैं समझता हूं कि उसको इस बात को देखने का अधिकार होना चाहिये कि दो वर्ष पहले के आश्वासन की पूर्ति आज तक क्यों नहीं की गयी ?

श्रीमन्, एक बात और है कि माननीय मंत्री जी जिन अध्यापकों का वेतन बढ़ा रहे हैं। वह अच्छा है, लेकिन जो crafts के और लैंग्वेज के टीचर्स हैं, उनके बारे में जो दुर्लक्ष्य किया गया है, वह ठीक नहीं है। उनका वेतन बढ़ना भी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त जो प्राइमरी स्कूलों के अध्यापक हैं, जिन पर शिक्षा की नींव है, उनके लिये केवल ढाई रुपया बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। उनका वेतन और बढ़ना चाहिये और मैं सुझाव के रूप में कहना चाहूंगा कि उनका वेतन ७० रुपये मासिक से कम नहीं होना चाहिये।

श्रीमन्, मैं आंकड़े देख रहा था कि शिक्षा पर आखिर हमारी सरकार कितना खर्च करती है। यह एक किताब है—"पब्लिक फाइनेंस आफ स्टेट्स-ए कंपरेटिव स्टेडी"। मध्य प्रदेश से यह पुस्तक निकली है। मुझे उससे जानकर आश्चर्य हुआ कि जम्मू-काश्मीर को छोड़ कर बाकी इस देश में जितने राज्य हैं उन सबसे कम हम शिक्षा पर खर्च करते हैं। हम योजना बनाते हैं प्रगति की, योजना निर्माण की होती है, जिस पर देश का सुख और प्रगति आधारित है, जिस शिक्षा पर सारा जीवन आधारित है, उत्थान आधारित है, उसी के बारे में यह सब करते हुए हम दुर्लक्ष्य करते हैं। उत्तर प्रदेश में हम खर्च करते हैं १३.९४, जब कि हम से छोटा राज्य जम्मू और काश्मीर १४.४९ खर्च करता है। हमारा सबसे बड़ा राज्य है, रिसोर्सेज ज्यादा हैं, जन-संख्या ज्यादा है। जब कि जम्मू-काश्मीर के रिसोर्सेज कम हैं,

छोटा है फिर भी वह ज्यादा खर्च करता है। यह दुख की बात है परकैपिटा एक्सपेंडिचर हमारा कितना है इसको देखा जाय। आन्ध्र में पर कैपिटा खर्च ३.४६ है, आसाम में ४.६४, बिहार में १.४२, बंबई में १.८१, केरल में २.२१, मध्य प्रदेश में १.२६ और उत्तर प्रदेश में २.३३। तो हमारा सूबा सब से कम परकेपिटा एजूकेशन पर खर्च करता है। यह श्रीमन्, क्या है? क्या इस प्रकार से शिक्षा की ओर दुर्लक्ष्य नहीं करते? आज हमारे समाज को जितनी चीजों की आवश्यकता है उनकी पूर्ति की जिम्मेदारी शिक्षा पर होनी चाहिये लेकिन उस जिम्मेदारी को हम पूरी नहीं कर रहे हैं।

आज हमें आवश्यकता है टेक्नीशियन्स की, ओवरसियर्स की, ड्राफ्टसमैन की, डाक्टर्स की। लेकिन वह आज हमें पर्याप्त संख्या में प्राप्त नहीं हो रहे हैं। श्रीमन्, इतना ही नहीं कि आज टेक्नीशियन्स का अभाव हो, लेकिन उसका परिणाम यह है कि हम रिप्लेस भी नहीं कर पा रहे हैं। जिन लोगों की हमें आवश्यकता है उस आवश्यकता के अनुरूप शिक्षा देने में ठीक कदम नहीं उठाया जा सका है। कहा जाता है कि विद्यार्थी अनुशासनहीन हो रहे हैं। विद्यार्थी पढ़ता है, आठवीं, दसवी, बारहवीं और बी० ए० पास करता है मगर फिर भी उसे रास्ता दिखायी नहीं देता कि वह कहां जायगा, क्या काम उसे मिलेगा अथवा वह बेकारों की ही संख्या बढ़ायेगा। इसके कारण विद्यार्थी के अन्दर एक फ्रस्ट्रेशन की भावना पैदा हो जाती है और फिर उस निराशा से परिपूर्ण विद्यार्थी का अनुशासनहीन होना अनिवार्य हो जाता है। इसके लिये हो सकता है कि शिक्षा मंत्री जी कहें कि एम्प्लायमेंट एक्सचेंज उन्होंने खोल रखे हैं। लेकिन जितनी ऐफीशियेन्टली उनको वर्क करना चाहिये वे नहीं कर पाते हैं और वह विद्यार्थियों को यह नहीं बता पाते कि कहां कितने एम्प्लायमेंट की आवश्यकता है। इसके लिये सरकार को मैं यह सुझाव दूंगा कि वोकेशनल इनफार्मेशन वह हर एक एजूकेशन संस्था में भेजे कि किस काम के लिये उसको कितने नौकरों की आवश्यकता होगी और उसके लिये क्या क्वालीफिकेशन्स चाहिये। इस प्रकार की इनफ.र्मेशन विद्यार्थियों को विद्यालयों में ही प्राप्त हो जानी चाहिये। अगर ऐसी इनफ.र्मेशन उनको प्राप्त हो जायगी तो वे उचित शिक्षा का दृष्टिकोण अपना सकेंगे। लेकिन आज होता क्या है? किसी विद्यार्थी को इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है कि वह किस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करे कि उसे नौकरी मिल सके। श्रीमन्, इस प्रकार की Vocational इनफार्मेशन विद्यार्थियों और उनके संरक्षकों दोनों को मिलनी चाहिये। जब यह इनफार्मेशन उनको मिल जायगी तो जो फ्रस्ट्रेशन आज दिखायी देता है, वह समाप्त होने लगेगा।

आज इस बात की भी आवश्यकता है कि शिक्षा निष्पक्ष हो, टैक्स्ट बुक्स का पब्लिकेशन निष्पक्ष हो। पिछली बार मैंने यह आरोप लगाया था कि केवल एक विशेष दल के होने के कारण एक प्रेस को पुस्तकें और मैगजीन छापने को दी गयीं। आज उसका सबसे बड़ा प्रमाण प्रश्नोत्तरों के समय मिला। एक अखबार के बारे में जब पूछा गया तो उस संबंध में जो अनुपूरक प्रश्नों के लिये सामग्री मंत्री जी के पास आती है वह गलती से इधर बट गयी। उसमें लिखा हुआ था कि एक अखबार जो मंत्री जी का क्रिटिक हो गया था उसको बुलाया नहीं गया। बुलाया किसको गया? जिसके संरक्षक एक मंत्री महोदय थे और दूसरे के संरक्षक केन्द्र के गृह मंत्री थे। अब बुलाने के लिये यह प्रमाण-पत्र समझा जायगा कि मंत्री जी उसके संरक्षक हों, चाहे उस अखबार में कोई दम हो या न हो और उस अखबार को नहीं बुलाया जायगा जो निष्पक्ष हो और जिसका सरक्यूलेशन भी ज्यादा हो। जिन मंत्री महोदय से सूचना विभाग का संबंध है और वहां जब वे ऐसा कर सकते हैं तो सौभाग्य से शिक्षा विभाग का संबंध भी उन्हीं से है, तो क्या जो काम वे एक विभाग में कर सकते हैं, दूसरे में नहीं कर सकते। ऐसा प्रेस जो ब्लैक लिस्ट पर चढ़ा था, जिसमें यह काबिलियत भी नहीं थी कि वह टेक्स्ट बुक्स भी छाप सके। जौनपुर में देखिये, इलाहाबाद में देखिये, चाहे कहीं भी देखिये, लेकिन उन प्रेसों को टेक्स्ट बुक्स दिये जाते हैं और वे पक्षपात के नाते दिये जाते हैं।

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

तो श्रीमन्, ऐसे प्रेसों को देने का परिणाम यह हुआ कि वहां जो पुस्तकें छापी गयीं उनका स्टैन्डर्ड नीचा हुआ और आजकल जितनी जल्दी-जल्दी पुस्तकें बदली जाती हैं, उनकी पुस्तकें देखिये तो बंडल के बंडल लिये हुए लड़के जा रहे हैं। आज उनकी क्रिटिकल फैकल्टी को बढ़ाना आवश्यक है। केवल अधिक पुस्तकें पढ़ने से ही उनकी क्रिटिकल बुद्धि नहीं बढ़ सकती है। इसके लिये आवश्यक है कि उसके स्टैन्डर्ड के अनुसार नये तुले सिलेबस के अनुसार किताबें पढ़ाई जायं जिससे उनकी बुद्धि का विकास हो, फिर चाहे बाद को वह जितनी किताबें पढ़ें लेकिन अपरिपक्व अवस्था में अधिक पुस्तकें पढ़ने का परिणाम यह होगा कि उसकी क्रिटिकल फैकल्टी का डेवलपमेंट नहीं हो सकेगा। केवल इम्तहान पास करने के लिये वह नोट्स पढ़ेगा और जो अनफेयर मीन्स आजकल इस्तेमाल किये जाते हैं उनको इस्तेमाल करेगा।

श्रीमन्, आजकल के जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनको आप देखें तो एक न्यूज पेपर की तरह से आइदर-आइदर करके दुनिया भर के पन्ने भरे पड़े रहते हैं, जिससे विद्यार्थी के लिये उनमें से कोई हिस्सा छांट कर उसका जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता है। विद्यार्थी जब उसका ठीक से जवाब नहीं दे पाते तो विभाग की तरफ से आदेश निकलते हैं कि २५ परसेंट या ३० परसेंट में ही उसे पास करो। आज इतना ज्यादा बोझ किताबों का विद्यार्थियों के उपर लाद दिया जाता है कि जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर पाता है। इसका नतीजा यह है कि स्टैन्डर्ड नीचा होता जाता है। श्रीमन्, विद्यार्थियों का स्टैंडर्ड कितना गिरता जाता है इसका प्रमाण पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट से आप देख सकते हैं। इसलिये माननीय शिक्षा मंत्री जी को चाहिये कि वे विद्यार्थियों के शिक्षा स्टैंडर्ड को ऊंचा करने की तरफ विशेष ध्यान दें। अगर विद्यार्थियों का स्तर नीचा होता है तो समाज का भी विनाश होता है, इसलिये इस पर भी गौर करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर देश को ऊपर उठाना है तो शिक्षा के स्तर को पहले ठीक करना होगा।

श्रीमन्, शिक्षा के आधार पर ही हमेशा किसी भी देश का उत्थान हुआ करता है इसलिये मैं चाहता हूं कि जहां अनिवार्य शिक्षा की घोषणा होनी चाहिये वहां वह घोषणा अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा की होनी चाहिये।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस अनुदान का समर्थन करने के लिये आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। इस बजट को मैंने जितना पढ़ा, कोई शिष्टाचार के नाते नहीं बल्कि बजट में जो बातें दी गयी हैं उसके लिये माननीय शिक्षा मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। वैसे तो अभी माननीय दुबे जी बोल रहे थे और जो कई सुझाव उन्होंने दिये, उनका मैं ही नहीं बल्कि कोई भी शिक्षा में दिलचस्पी रखने वाला व्यक्ति समर्थन ही करेगा। शिक्षा पर हमारे प्रदेश में परकेपिटा कम खर्च है और हमारे बजट का कम हिस्सा ही उस पर खर्च होता है, इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं। मैं इसमें उनसे पूर्णतया सहमत हूं और आपके द्वारा माननीय शिक्षा मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि इस तरफ उनको ध्यान देना चाहिये। परन्तु बजट को जहां तक मैंने देखा, बचत की दृष्टि से, बहुत दिनों से यह चीज सामने नहीं आयी जो इस बजट में है। इस बजट में संचालन में बचत है, इस बजट में निरीक्षण में बचत है। मैंने और किसी भी विभाग में नहीं देखा है कि निरीक्षण में और संचालन में भी बचत हो, चाहे वह बचत २ हजार, ४ हजार या १० हजार की ही हो, लेकिन यह एक विशेष बात इस बजट में है। इसके अलावा माननीय शिक्षा मंत्री जी ने टीचर्स के ग्रेड के बारे में भी घोषणा की जिसके बारे में इस सदन के सभी माननीय सदस्यों को मालूम है कि अब की बार सरकार ने इस ओर एक बहुत बड़ा यह कदम उठाया है। टीचर्स की यह बहुत दिनों से मांग थी कि सरकारी संस्थाओं के अध्यापकों के वेतन की पैरिटी होनी चाहिये, तो इस घोषणा के बाद नीचे के इन तीन ग्रेडों में करीब-करीब पैरिटी हो गयी है और इन्हीं की संख्या अब भी

अधिक है । मैं समझता हूं कि यह होना ही चाहिए था इससे शिक्षा के संचालन में भी सहायता मिलेगी । इस सम्बन्ध में एक बात और कह दूं । हर अधिकार के साथ कुछ कर्तव्य भी हुआ करते हैं । मैं यह भी चाहूंगा कि मंत्री जी यह देखें कि जैसे-जैसे अधिकार बढ़ाये जायं, ऐमेनिटीज़ और फ़ेसिलिटीज़ बढ़ायी जायं यह अच्छा हो कि अनुशासन और उत्तर-दायित्व सरकारी संस्थाओं के बराबर ही इनमें भी पालन किया जाय ।

अध्यक्ष महोदय, छठें क्लास की फीस माफी के बारे में बहुत कहा गया । मैंने जहां तक बजट को देखा मैं यह समझता हूं कि इस सदन का कोई सदस्य इस बात से बिलकुल खुश न होगा कि फ़ीस जो माफ कर दी गयी थी वह आज्ञा वापस ली जाय । और यदि वापस लेना पड़े तो दुख की बात है और मैं समझता हूं कि शिक्षा मंत्री जी भी यह समझते होंगे कि वह हमारे लिये बहुत दुःख की बात होगी और इस बात का प्रयत्न करेंगे कि उसको वापस न लें । बजट में ६३,५२,००० रु० की ऐसी रकम है जो पिछले साल नहीं थी इस साल बढ़ा दी गयी । वह है कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के सम्बन्ध में । १५,८०,००० रु० की रकम विकास योजनाओं के सम्बन्ध में जो पिछले साल नहीं थी । १४,८५,००० रु० की रकम १०० रु० से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के बच्चों की आधी फीस माफी के सम्बन्ध में है । इस तरह से इन तीनों का योग ८०,८०,५०० रु० होता है । छठीं क्लास की फीस माफी के सम्बन्ध में जो रुपया सरकार को देना पड़ता है वह ४७,००,००० रु० है । अब यदि कोई ऐसा अवसर आता है कि शिक्षा मंत्री जी को यह सोचना पड़े कि कौन-सी स्कीम वापस लें, तो मैं समझता हूं इनमें से कोई भी वापस लेने के काबिल नहीं है और सब स्कीमें आवश्यक हैं । मुझे आशा है कि मंत्री जी इस बात का पूरा प्रयत्न करेंगे कि छठी क्लास की फीस माफी के सम्बन्ध में जो राजाज्ञा है उसे वापस न लें । परन्तु यदि कोई योजना टालनी पड़ती है तो यह दुस्साहस होगा, परन्तु मैं कहूंगा कि वही आज्ञा वापिस लें और योजना न छोड़ें । २६,०५,१०० रु० शिक्षित युवकों की बेरोजगारी दूर करने के सिलसिले में है । यह एक ऐसा कदम है जिसमें १,४०० स्कूल खुलेंगे और यह सहायता केन्द्रीय सरकार ने दी है । इससे मैं समझता हूं कि सदन को खुशी होगी कि हमारा ५,००० स्कूलों का जो लक्ष्य था द्वितीय पंचवर्षीय योजना तक खोलने का वह पूरा हो जायगा । अगर यह सहायता केन्द्रीय सरकार से न मिलती तो जो १,४०० स्कूल हमें इस वर्ष खोलने थे न खुलते और उस लक्ष्य तक पहुंचने में दिक्कत होती ।

अध्यक्ष महोदय, कल शिक्षा मंत्री जी ने थोड़ा-सा जिक्र किया था, मैं भी कहना चाहूंगा कि इस वर्ष हमने एक इंटरमीडिएट ऐजूकेशन बिल पास किया था और वह जरूरी भी था । अध्यापकों को कुछ शिकायतें थीं जिनका दूर होना जरूरी था । उनको सर्विस में सिक्योरिटी मिलनी चाहिये थी । परन्तु इस अवसर पर यह जरूर कहूंगा उस विधेयक को यदि देखें तो व्यवस्थापकों के साथ, जो हमारे प्रदेश में हायर सेकेन्ड्री शिक्षा का, ७५ से ८० फीसदी भार वहन करते हैं, विभाग का व्यवहार अच्छा नहीं है । मैं मंत्री जी के लिये तो नहीं कहूंगा, उन्होंने इसे सुधारने का प्रयत्न किया । मथुरा में इसी वर्ष व्यवस्थापकों की एक कान्फ्रेन्स हुई उसमें उस ऐक्ट पर विचार किया गया और हमारे इस सदन के एक मंत्री जी भी उसमें मौजूद थे । उस पर विचार किया गया और उसके खिलाफ विरोध जाहिर किया गया । मैं उस विरोध से पूर्णतया तो सहमत नहीं हूं, परन्तु मैं यह जरूर कहूंगा कि उनके दृष्टिकोण को भी देखने का सरकार प्रयत्न करे । उदाहरण के तौर पर उस ऐक्ट के द्वारा एक संशोधन किया गया कि कोई व्यवस्थापक या कोई मैनेजिंग कमेटी शिक्षक को यदि सजा देती है उसको अलग करने की या बरख्वास्त करने की, तो वह आगे जायगा सरकार तक, वहीं मन्जूर नहीं होगा । मैं उससे सहमत हूं मगर एक दिक्कत हमारे सामने आयेगी और वह यह होगी कि किसी अध्यापक की

[श्री जगदीशप्रसाद]

प्रिन्सिपल से या मैनेजिंग कमेटी से नहीं पटती तो उसका क्या इलाज आपके पास है ? सरकारी स्कूल में तो एक इलाज है कि प्रिन्सिपल की रिपोर्ट कर देने पर निश्चित समय में उस अध्यापक का ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में तो यह व्यवस्था नहीं है । जिसका नतीजा यह होता है कि स्कूलों में शिक्षा का नुकसान होता है । इसलिये प्राइवेट स्कूलों में भी ट्रांसफर के बारे में कोई व्यवस्था करनी आवश्यक होगी ।

अध्यक्ष महोदय, मैनेजर्स के सामने एक बहुत बड़ी दिक्कत रहती है । हमारी सरकार से नहीं, अध्यापकों से नहीं, वह दिक्कत कार्यालय से रहती है, निरीक्षक के कार्यालय से या संचालक के कार्यालय से रहती है । इस अवसर पर मैं कुछ व्यावहारिक दिक्कतें आपके सामने रखूंगा । दो काम ऐसे हैं एक सहायता और दूसरे रिकग्नीशन, जिसमें बारबार उन्हें दौड़ना पड़ता है । स्कूलों को रिकागनीशन मिलने और ग्रान्ट को बढ़ाने और मंजूर कराने के लिये सैकड़ों की तादाद में मैनेजर्स को इलाहाबाद और लखनऊ भागना पड़ता है । मैं एक सुझाव रखूंगा, माननीय मंत्री जी इस पर सोंचे कि क्या कोई ऐसा प्रथा निकाली जा सकती है कि जिलों के स्तर पर कोई कमेटी बना दें । उसमें एकाध मैनेजर्स के रिप्रेजेन्टेटिव हों, अध्यापक के हों, निरीक्षक हों, जिससे ग्रान्ट जिलों में ही मिल जाय और लोगों को भागना न पड़े । यहां से जिलों को ब्लाक ग्रान्ट दे दी जायें । रिकग्नीशन के संबंध में भी हो सकता है कि इस साल हमें इतने स्कूलों को रिकगनीशन देना है, हमारा बजट इतने की इजाजत देता है । उसको तकसीम कर दें जिलों में और वह भी जिलों के स्तर पर हो जाय तो ठीक है ।

अध्यक्ष महोदय, इस सदन में बहुत काफी विचार शिक्षा की पद्धति पर हुआ, काफी सदस्यों ने कहा । एक बात माननीय मंत्री जी के सामने रखूंगा । अब हमारी शिक्षा का वह स्टेज है जिसको हम एक प्रकार से स्टेबिलाजेशन कह सकते हैं । हम देखें कि शिक्षा में कहां कमी है । आज यह बात निश्चित है कि विद्यार्थियों के अनुशासन पर, उनकी योग्यता पर, वह वहां से निकल कर जो कुछ करें, रोजगार किस प्रकार प्राप्त करें, इस पर हमको संतोष नहीं है । माननीय शिक्षा मंत्री जी को भी संतोष नहीं है । हम यह सोचें कि वह वहां से निकल कर खुद कर लेंगे, यह नहीं हो सकता । उसमें कहीं मौलिक खराबी है, उसे देखना पड़ेगा । जहां तक प्रारंभिक शिक्षा का संबंध है, मैंने तो पहले भी एक बार कहा है कि कोई कमेटी बनावें, किसी परिणाम पर पहुंचें जो आप अपने प्रारंभिक स्कूलों में सही रूप से बेसिक एजूकेशन की नई तालीम को ला सकें । मैंने जहां तक नई तालीम को पढ़ा है, वह जीवन की मौलिक आवश्यकताओं की वस्तुओं के उत्पादन के द्वारा शिक्षा देना है । यदि यह होगा तो नीचे से बच्चों का चरित्र बनेगा । जहां तक सेकेन्ड्री शिक्षा का ताल्लुक है मेरा एक सुझाव तो शिक्षा के बारे में माननीय मंत्री महोदय से यह है कि वह यह देखें कि हमारी चार प्रकार की शिक्षा है, यूनीवर्सिटी, हायर सेकेन्डरी, प्रारंभिक और टेक्निकल । यदि ऐसा हो सकता हो कि प्रारंभिक शिक्षा हम लोकल बोर्ड्स को दें, वह अब भी चलती है । हायर सेकेन्डरी की शिक्षा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन्स को दें, वह अब भी चलती है । यूनीवर्सिटी की शिक्षा यूनिवर्सिटी करती ही है । टेक्निकल शिक्षा गवर्नमेंट ले ले । मैं समझता हूं कि यह किस प्रकार हो यह एक कमेटी बनाकर जैसा हो सके देख लिया जाय ।

मैं व्यवस्थापकों के संबंध में एक मिनट और लूंगा । मेरे पास एक किताब है "सोशल सर्विसेज इन ब्रिटेन" । इसमें कुछ लाइनें हैं इस बात के ऊपर कि कैसा संबंध व्यवस्थापकों से होना चाहिए गवर्नमेन्ट का । इसमें लिखा है:—

"Teachers are servants of the local authorities or of the governing bodies or managers of their schools. The relation of the central authority

(in England and Wales, the Ministry of Education) to local education authorities is based on consultation and co-operation by direct contact with the Minister and his Department and through Her Majesty's Inspectors who act as liaison officers.

The great bulk of expenditure on education is met out of public funds, in part by the Exchaquer from taxes and in part by local authorities out of local rates."

इसके आगे इसमें यह भी लिखा है कि ६० परसेन्ट तक दिया जाता है । तो हमारे यहां भी यही यदि होगा कि इन विभागों का काम एक लियाजां आफिसर, सम्पर्क स्थापित करने का हो तो शिक्षा की प्रगति होगी । इस समय तो इन्स्पेक्टर का कार्यालय मास्टर का काम करता है ।

समय समाप्त हो रहा है इसलिये ज्यादा नहीं कहूंगा । अब वह समय आ गया है कि हम शिक्षा का सुधारें आचार्य नरेन्द्र देव कमेटी के जो खास-खास सुझाव थे, उनको आप किसी न किसी रूप में ले आये हैं । मुडालियर कमीशन की जो रिपोर्ट है उसमें कुछ एजूकेशन के स्टैंडर्ड उठाने के लिये, परीक्षाओं की पद्धति के लिये भी है, स्टैंडर्ड्स आफ एजूकेशन को भी उठाने की बात है । कुछ शिक्षा के मैथड्स को बदलने की बात है । इनको भी लागू किया जाय और यदि आवश्यक समझें तो इन सब चीजों के लिये कोई हाईपावर कमीशन बनाया जाय तो अच्छा है कि जो इन सब बातों पर विचार करे और कोई तरीका निकाला जाय कि जिससे अच्छी-अच्छी सिफारिशों पर अमल किया जा सके जिससे हमारे यहां के एजूकेशन के स्टैन्डर्ड इम्प्रूव हो सकें । इसके अलावा अभी एक इंटरमीडियेट संशोधन बिल और आने को है, परन्तु पिछले बिल के समय में माननीय मंत्री जी ने विश्वास दिलाया था कि वे जल्द उसको लायेंगे और उससे तमाम दिक्कतें दूर हो जायंगी । मैं उनसे आप के द्वारा प्रार्थना करूंगा कि वह इसको शीघ्र लायें ।

*श्रीमती राजेन्द्रकुमारी (जिला हमीरपुर)—मान्यवर अध्यक्ष महोदय, आपने जो यह मुझे बोलने का समय दिया है इसके लिये मैं आप की बहुत ही आभारी हूं । कल से यहां शिक्षा के विषय में चर्चा हो रही है और यह मद बहुत ही महत्वपूर्ण है । शिक्षा से ही हमारे देश की उन्नति हो सकती है । आज हम देखते हैं कि हमारे देश की हालत क्या है, वह कितना पिछड़ा हुआ है और जिसमें हमारे महिला समाज की तो बहुत ही खराब हालत है । मैं, मान्यवर, आप के द्वारा मंत्री जी से यह कहना चाहती हूं कि अगर महिला समाज की तरफ मंत्री जी ने ध्यान नहीं दिया तो देश का सुधार नहीं हो सकता, क्योंकि महिला समाज से ही देश की उन्नति हो सकती है, उसी की गोद में से बच्चे शिक्षित और उत्साही हो सकते हैं कि जो देश का भविष्य उज्ज्वल कर सकते हैं । अतः मेरी मंत्री जी से यही प्रार्थना है कि वह स्त्री समाज के लिये हर एक सुविधा दें और शुरू से आखिर तक उन की फीस माफ करें ताकि बालिकाओं को सहायता मिले और हमारे देश की महिला समाज की उन्नति हो । जबतक महिला समाज की उन्नति नहीं होगी, देश का भला नहीं हो सकता ।

मैं देखती हूं कि जब मातायें योग्य नहीं हैं तो सन्तानें कैसे अच्छी हो सकती हैं । आज सब से जरूरी है कि हमारा चरित्र और ईमानदारी यह दोनों पहले कायम हों । शिक्षा के साथ ही साथ हमारा यह परम कर्तव्य है कि हम अपने यहां चरित्र और ईमानदारी को कायम करें, तभी देश की उन्नति हो सकती है । आज मैं इस लिहाज से नहीं खड़ी हुई

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्रीमती राजेंद्रकुमारी]

हूं कि मैं मंत्री जी की या सरकार की आलोचना करूं या बुराई करूं, हमारा देश बहुत ऊंचा रहा है, हर जगह इसका सम्मान रहा है लेकिन आज जिस हालत में वह है उसे देखकर दुख होता है ।

मैं कुछ देहाती क्षेत्र के विषय में भी बताना चाहती हूं । हमारे यहां दो कमियां हैं । एक तो यह कि हमारा देहाती क्षेत्र जानकार और शिक्षित होना चाहिये । उस क्षेत्र से विधायक भी जैसे यहां आने चाहिये वैसे नहीं आ पाते । जनता की यह कमजोरी है क्योंकि वह नासमझ है इसलिये योग्य विधायक नहीं चुन पाती और गांव समाज के लिये भी योग्य प्रधान नहीं चुन सकती । यह दुख की बात है, परन्तु जनता यदि विद्वान और शिक्षित होगी तो निश्चय ही हमारी उन्नति होगी । जब तक कि समाज का सुधार नहीं होगा तब तक कोई भी सुधार जितना चाहे आप चिल्लाइये नहीं हो सकता । अभी मैं दौरे में देहाती क्षेत्र में गयी थी तो मैंने वहां देखा कि किस तरह से देहात में बच्चे पढ़ते हैं । वहां न इमारतें हैं, न टाट और न पट्टी हैं और धूल में बैठे हुए बच्चे पढ़ रहे हैं । शहराती अध्यापक और अध्यापिकाएं वहां जाने के लिये तैयार नहीं होतीं । तो देहाती अध्यापक और अध्यापिकाओं के लिए बहुत कम तनख्वाह मंत्री जी ने रखी है। मेरा सुझाव है कि इससे ज्यादा तनख्वाह होनी चाहिए तभी हमारे देश का सुधार हो सकता है और तभी वह दिलचस्पी से बालक और बालिकाओं को पढ़ायेंगे और तभी हमारे देश की उन्नति हो सकती है ।

आज बच्चे बहुत बुरी हालत में हैं, उनके उपचार और ठीक से शिक्षा का इन्तजाम होना आवश्यक है । साथ ही मेरी यह प्रार्थना है कि महिला समाज की उन्नति के लिए महिलाओं को हर प्रकार की सुविधा देनी चाहिए, क्योंकि स्त्री समाज के सुधार से ही देश का उद्धार हो सकता है । अध्यक्ष महोदय, हम अपनी सन्तान को जब अच्छी शिक्षा नहीं दे सकेंगे तो वह कैसे बुद्धिमान और काबिल हो सकते हैं और कैसे यह सरकार चलायी जा सकती है । आज मैं जब हाउस के अन्दर नुक्ताचीनी सुनती हूं और जो आलोचना होती है उसको सुनती हूं तो मुझे दुःख होता है । मान्यवर, मैं तो सोचती थी कि जब अपनी सरकार बनेगी तब हम बहुत ही खुशहाल होंगे, लेकिन आज मैं हाउस में बैठती हूं तो मेरे आंसू गिरा करते हैं, मुझे दुख होता है कि हम कितने अशिक्षित हैं, कितने नाकाबिल हैं, क्या हमारी हालत हो रही है ?

यही दो-चार बातें मैं कहना चाहती थी और मैं समझती हूं कि मंत्री जी उन पर अवश्य ध्यान देंगे और महिला समाज की उन्नति के लिए जो भी सुविधायें दे सकेंगे वह देने की कृपा करेंगे ।

श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)--माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रीमन्, शिक्षा के अनुदान पर जिला देवरिया के आदरणीय माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी की बजट स्पीच तथा माननीय शिक्षा मंत्री जी के भाषण को मैंने गौर से पढ़ा और सुना, परन्तु मुझे खेद है कि दोनों में मैंने किसी भी प्रकार की उन्नति या तरक्की की झांकी कहीं नहीं पायी । श्रीमन्, यह जरूर है कि माननीय वित्त मंत्री जी की बजट स्पीच से यह प्रतीत होता है कि सरकार के डायरेक्टर आफ एजूकेशन के दफ्तर के द्वारा उन आंकड़ों में जिन स्कूलों के उद्घाटन हुए हैं उनकी पूरी संख्या को जोड़ कर उनको भेज दिया गया है और उसके ऊपर एक प्रकार का कैटालागिंग किया है । यह बताया गया है कि कितने स्कूल और पाठशालाएं खुलीं, परन्तु यह नहीं बताया गया कि कितनी बन्द हुईं । इसी प्रकार माननीय शिक्षा मंत्री जी का भाषण सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा प्राप्त किये हुए आंकड़ों का एक नेटवर्क (जाल) है । मुझे क्षमा करें तो मैं उनसे कहूंगा कि यह फिगर्स के साथ जगलरी है ।

श्रीमन, मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी के कुछ आंकड़ों को प्रस्तुत करने के लिए आज्ञा मांगूंगा । कल भाषण में शिक्षा मंत्री जी ने यह फरमाया कि बजट का १८ प्रतिशत शिक्षा में खर्च हो रहा है । मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि मेरे हिसाब से १३.३ है । १२१ प्वाइंट कुछ करोड़ का बजट, जिसमें १६ प्वाइंट कुछ के अनुदान, तो १८ प्रतिशत नहीं, यह १३·३ प्रतिशत आता है । दूसरी बात माननीय मंत्री जी द्वारा बालिकाओं की शिक्षा के बारे में कहा गया कि उसमें प्राइमरी एजूकेशन में ३०० प्रतिशत और माध्यमिक और हायर में ४०० प्रतिशत की वृद्धि हुई है । मुझे माफ किया जाय यदि मैं यह कहूं कि मुझे इन आंकड़ों में गलती प्रतीत होती है । इनका बेसिस क्या है, मैं यह जानना चाहता हूं । सन् १९४६-४७ को क्यों बेसिस बनाया जाता है ? यदि आसफुद्दौला और गाजीउद्दीन के समय को बेसिस बनाया जाय तो ६०० प्रतिशत क्या ६ लाख प्रतिशत हो जायगा । होना यह चाहिये कि आपके फाइव ईयर प्लान्स चल रहे हैं । दूसरा प्लान समाप्त होने जा रहा है । तो जहां फर्स्ट फाइव ईयर प्लान समाप्त हुआ हो वहां से आधार मानकर देखें कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के काल में कितनी प्रगति हुई है । मैं अर्ज करूंगा कि यदि १९५४-५५ को अपना बेसिस मान लें, जब कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की समाप्ति हुई तो आपको पता लगेगा कि यह ३०० और ४०० प्रतिशत की बात गलत है । सन् १९५४-५५ में ८३,३८५ बालिकायें पढ़ती थीं माध्यमिक में और अब १९५७-५८ में १,०७,९२५, तो यह ४ सौ प्रतिशत कैसे हुआ ? मुझे माफ करेंगे यह केवल २९·३ प्रतिशत की वृद्धि हुई । उसी प्रकार से प्राइमरी एजूकेशन में १९५४-५५ में ४,३३,१६६ बालिकायें थीं और १९५७-५८ में ५,६९,१९६ थीं । यह ३०० प्रतिशत वृद्धि कैसे हुई ? यह तो ३१·६ की वृद्धि हुई ।

उसके बाद प्राइमरी एजूकेशन के लिये मंत्री महोदय ने यह फरमाया कि उन्होंने उसको निःशुल्क कर दिया है । लेकिन उन्होंने यह नहीं फरमाया कि दूसरे तरीकों से उसमें कितना पैसा लिया जाता है जैसे इंक फी, गेम्स फी, और अदर फंड्स ।

इसके बाद टीचरों के रोल यानी भूमिका के सम्बन्ध में उनके भाषण में कुछ भी नहीं बताया गया है । केवल यह कह देना कि ५० रुपये की उनकी मांग थी, हमने साढ़े ४८ तक पहुंचा दिया है, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरी नाकिस राय में यह बात कहना ही उनके साथ मजाक है और उनकी हतक है । आपके चपरासी ५० रुपये से ज्यादा पाते हैं और सेंट्रल के चपरासी ८७-८८ रुपये पाते हैं और आप कहते हैं कि अध्यापकों की तनख्वाह आपने साढ़े ४८ कर दी है । चपरासी जो निरक्षर हैं और जो आप में से बहुत से लोगों का खाना बनाते हैं और पानी भरते हैं उनकी तनख्वाह के बराबर भी उनकी तनख्वाह नहीं जिनके ऊपर समाज की आने वाली पीढ़ी का विकास निर्भर है । माननीय मंत्री जी ने कल फरमाया कि हमारे अध्यापक समाज के एक स्तम्भ हैं । मैं उनकी बात से सहमत ही नहीं बल्कि मैं तो आगे बढ़कर कहना चाहता हूं कि मेरी राय में समाज के २ स्तम्भ हैं । पहला स्तम्भ हैं स्त्रियां और दूसरा हैं अध्यापक । मुझे आज्ञा दें कि मैं कहूं कि मेरे विचार से आने वाले समाज का कल्याण इस बात पर निर्भर नहीं है कि माननीय जवाहरलाल नेहरू या माननीय सम्पूर्णानन्द जी की फिलासफी और पालिसी क्या है बल्कि वह इस पर निर्भर है कि स्त्रियों से क्या शिक्षा मिलती है और उसके बाद अध्यापकों से क्या शिक्षा मिलती है । श्रीमन्, मैं आपके द्वारा नम्र निवेदन करूंगा कि स्त्रियों को जो आदर माननीय मंत्री जी के राज्यकाल में मिला है वह हाल के थोड़े दिनों की चर्चा से प्रख्यात है । अध्यापकों को सुदृढ़ बनाना चाहिये । यह मंत्री जी ने स्वयं कहा है । ढाई रुपये की तरक्की देकर आप उनको सुदृढ़ बनाना चाहते हैं ?

(लाल बत्ती जलने पर) ।

श्रीमन्, मुझे दो मिनट और दे दिये जायं क्योंकि यह मेरी एक तरह से मेडन स्पीच है । साल भर बाद मैं आज शिक्षा पर बोल रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष---दो मिनट तो हैं। आप की मेडन स्पीज है यह कह कर आप अपने को बहुत फ्लैटर कर रहे हैं।

श्री सुरथबहादुरशाह---दूसरी बात मैं यह कहूंगा कि मंत्री जी ने यह ढाई रुपये का जो प्रलोभन दिया है तो उनको सुदृढ़ बनाने के लिये नहीं बल्कि १९६२ के जनरल एलेक्शन के लिये यह एक क्रम छोड़ा है जिसको कुत्ते के लिये टुकड़ा कहते हैं। उनको सुदृढ़ नहीं बल्कि अपने को सुदृढ़ बनाने का प्रयत्न है।

दूसरी चीज श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें हायर एजूकेशन का कहीं जिक्र नहीं है। एक सरसरी तौर पर इसका तजकिरा है। यह क्या है? यदि आप मुझे इजाजत दें तो मैं यह कहूंगा कि हायर ऐजूकेशन हमारी ऐजूकेशनल सिस्टम की एक हैवी इंडस्ट्री है। यूनिवर्सिटी वह जगह है जहां हमारे शिक्षकों का जन्म होता है, यह वह जगह है जहां हमारी शिक्षा शैली का जन्म होता है, यह वह जगह है जो हमारे समाज के खयालों की एक डिपोजिटरी है। जिक्र न करने का कारण है श्रीमन्, कि हमारे मंत्री जी के राज्यकाल में और इस सरकार के रिजीम में यूनिवर्सिटीज की जो अधोगति हुई है वह सबको मालूम है। बनारस यूनिवर्सिटी की बात मैं नहीं कहता, क्योंकि उसकी हालत सबको मालूम है और लखनऊ यूनिवर्सिटी के बारे में भी कुछ नहीं कहना है। उसके बारे में भी सबको मालूम है। आज सारी चीजें बदली जा रही हैं। हमारी सरकार गर्व करती है कि जमींदारियों का उन्मूलन किया, लेकिन लखनऊ यूनिवर्सिटी के एक खास हजरत के कारण ढांचा बदला जा रहा है। वह बरकरार रहें जब कि सारी चीजें बदली जा रही हों। गत ७ वर्षों से उसके कांस्टीट्यूशन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। श्रीमन्, मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि मुझे संदेह होता है कि यदि माननीय मंत्री जी इस नये कानून को लागू करेंगे तो श्रीमन्, मंत्रिमंडल के भंग करने की पी० सी० सी० में कामना की जाने का भय है।

श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन (जिला टेहरी-गढ़वाल)---अध्यक्ष महोदय, कल जो अनुदान मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है उसका मैं स्वागत करने के लिए खड़ी हुई हूं। वास्तव में शिक्षा में बहुत ही ज्यादा प्रगति हुई है। जो छोटी-सी शिक्षा की प्रगति नामक पुस्तिका बटी है उसमें जो आंकड़े या ब्यौरा दिया है उसी से पता चलता है कि कितनी उन्नति शिक्षा में हुई है। वैसे तो हमारी सरकार बहुत से प्रगति के काम करना चाहती थी, लेकिन वित्तीय स्थिति अच्छी न होने के कारण वह नहीं कर पायी और विदेशों से इसके लिए सहायता लेना नहीं चाहती है। पहली योजना में कृषि पर जोर था ताकि हम अन्न के मामले में स्वावलम्बी बन जायं। दूसरी योजना में उद्योग पर जोर दिया गया। हमें किसी भी चीज के लिये चाहे वह मशीन ही क्यों न हो बाहर के देश से सहायता लेनी नहीं है। लेकिन उस आदत का त्याग कर रहे हैं, हम दूसरों पर निर्भर रहना ठीक नहीं समझते। रूस और चीन में जो नियोजन चल रहा है, वहां एक ही चीज को लेकर---बिजली हो चाहे कृषि हो---चलते हैं जबकि हमारी सरकार मनुष्य के जीवन के सभी पहलुओं को लेकर चलती है। यह गौरव की बात है।

कल मंत्री जी ने बताया कि प्राइमरी स्कूलों से विश्वविद्यालय तक कितनी संख्या बढ़ी है। बहुत से स्कूलों को उन्होंने एडेड बना कर सहायता देना आरम्भ कर दिया है। हमारे उधर के बहुत से भाइयों ने यह कहा कि जैसी उन्नति होनी चाहिए वैसी नहीं हुई है। मैं यह मानती हूं कि हमारे यहां जैसी उन्नति होनी चाहिए थी वैसी नहीं हुई है। यह भी आपको पता है कि हमारा देश हर एक स्थल पर पिछड़ा हुआ है और देश की प्रगति करना ११-१२ साल के अन्दर बड़ा मुश्किल होता है। अब जब कि सरकार ने सभी पहलुओं पर जोर दिया है तो यह सराहनीय है कि शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रचार और प्रसार हुआ है। स्कूलों की संख्या के अतिरिक्त मंत्री जी ने प्रारम्भिक पाठशालाओं से लेकर विश्वविद्यालय के मास्टरों के प्रशिक्षण केन्द्र खोले हैं। इसके अलावा उनके वेतनों में भी वृद्धि की है।

छात्रों के लिए ही नहीं बल्कि छात्राओं के लिए भी सुविधाएं प्रदान की हैं, विशेषकर हरिजन छात्र और छात्राओं को छात्रवत्तियां दी जा रही हैं। मैं तो यह कहूंगी कि इस हालत में जब कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक न होते हुए भी हमारी सरकार ने इन ११-१२ सालों के अन्दर इतनी ज्यादा शिक्षा में उन्नति की है यह गौरव की बात है। मैं यह जरूर कहूंगी अपने मंत्री जी से और अपनी सरकार से कि यह नहीं है कि अब आगे करने की कुछ गुंजायश नहीं है। अभी हमारी शिक्षा में बहुत कुछ कार्य आगे बढ़ाना है और बहुत कुछ खामियां हैं उनको दूर करना है तथा वह दूर तभी हो सकती हैं जब कि इधर-उधर से जितने भी हमारे माननीय सदस्य हैं वह शिक्षा के अन्दर जितनी खामियां हैं उनको बताते हुए और साथ ही साथ सुधार के लिये सुझाव दें और अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा शिक्षा मंत्री जी से कहूंगी कि वह उन पर ध्यान देते हुए शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति करें जिससे कि हमारा देश शिक्षा के क्षेत्र में, हर पहलुओं में आगे बढ़ सके। देश की गुलामी को दूर करने के लिए और देश की पिछड़ी हुई हालत को ठीक करने के लिए सबसे पहली चीज है शिक्षा। यह मनुष्य की बौद्धिक और आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने के लिए सबसे पहली शक्ति है। आपको पता है कि मैदानी इलाकों और पर्वतीय इलाकों को देखा जाय तो उनमें भौगोलिक परिस्थिति के कारण बड़ी भिन्नता है। और यह चीज तो मंत्री जी महोदय भी जानते हैं कि पर्वतीय इलाके में शिक्षा की सुविधा कुछ कम होने के कारण से कुछ हमारे यहां असन्तोष लोगों में है। वहां लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में बड़ी मुश्किल पड़ती है। यहां तक कि एक गांव से दूसरे गांव तक जाने के लिए दो-दो पहर लग जाते हैं। इसे सभी जानते हैं।

दूसरे हमारे जिले टेहरी-गढ़वाल में विलीनीकरण से पहले जो स्कूल खोले गये थे उनमें से विलीनीकरण के बाद कुछ बन्द हो गये ह, इस कारण भी वहां लोगों में असन्तोष है। मैं तो यह कहूंगी कि जैसी विलीनीकरण के समय शर्तें थीं उसी के मुताबिक जैसी कि बाहर के अध्यापकों के लिए योग्यता के अनुसार वेतन-क्रम है यहां के अध्यापकों को वैसा पद और वेतन-क्रम नहीं मिला जो कि मिलना चाहिये। इसी मामले को लेकर वहां के अध्यापक हाई कोर्ट में गये हैं और यह हम लोगों के लिए बहुत शोभनीय बात नहीं है। उनका जो वेतन का मामला है, जैसे सब को मिलता है, उनको पद और वेतन मिलना चाहिए। मैं ज्यादा कुछ न कह कर सिर्फ इतना ध्यान और दिलाना चाहती हूं कि मैंने समय-समय पर शिक्षा मंत्री जी को मौखिक और लिखित रूप में अपने इलाके की मांगों को दिया है, उन पर विचार करें। एक देवप्रयाग में कन्या पाठशाला के लिए मैंने मांग की है, जिसके लिए जमीन मौजूद है लेकिन पाठशाला के भवन के लिए कठिनाई है जिस पर कुछ कार्यवाही नहीं हो रही है। कीर्तिनगर में हायर सेकेंडरी स्कूल खोलने के लिए भी मांग है। लोस्तु बडियारगढ़, लौरा-भरदार, कड़ाकोटस इत्यादि जहां कि पिछले साल बाढ़ आई थी तो इसके लिए मेरा निवेदन है कि जहां भी यहां के बच्चे पढ़ते हों उनको निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए, यह मेरी कामना है। और मैंने बहुत-सी मांगें शिक्षा मंत्री जी के सामने रखी हैं और मुझे विश्वास ही नहीं पूर्ण आशा है कि वह ध्यान देकर के उन्हें पूरा करेंगे। एक और पट्टी हीडोला खाल है वहां बहुधंधी स्कूल खोला जाय जिससे वहां की गरीब जनता अपने बच्चों को कुछ सिखा सके और वह कुछ उन्नति कर सके। दूसरी बात मेरी यह है कि हमारे यहां कीर्तिनगर में कहीं पर भी जो नये शिक्षक लोग होते हैं उनके लिए एक ट्रेनिंग कालेज खोला जाय जिससे कि वहां के लोग वहीं उससे लाभ उठा सकें। उनको इधर-उधर आने-जाने में बड़ी मुश्किल होती है।

*श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह (जिला गोंडा)—अध्यक्ष महोदय, शिक्षा अनुदान पर जो कटौती का प्रस्ताव पेश हुआ है उसका समर्थन करते हुए मैं भी दो-चार शब्द इस विषय पर कहने का साहस कर रहा हूं। श्रीमन्, देश को स्वतंत्र हुए लगभग १० वर्ष से ऊपर हो रहे हैं मगर शिक्षा की अपने देश में क्या प्रगति है इस पर अब हमें बहुत गम्भीरतापूर्वक विचार करना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह]

है। मैं तो यह कहूंगा कि जितनी दुर्दशा शिक्षा विभाग और शिक्षा पद्धति की इस समय हो रही है शायद कभी नहीं हुई है और यह सरकार और यह सदन अब अगर इस पर विचार नहीं करेगा तो बहुत भयंकर परिणाम होने जा रहा है। शिक्षा की महिमा का बखान करने की मुझे आज यहां आवश्यकता नहीं है। सभी जानते हैं कि अपने देश और प्रान्त की सारी प्रगति शिक्षा पर निर्भर है। आज श्रीमन्, देखना यह है कि आचार्य नरेन्द्र देव जी की कमेटी के बाद से बराबर नयी-नयी कमेटी ही सरकार बनाती चली जा रही है। आज क्या शिक्षक वर्ग है, क्या विद्यार्थी है, क्या विद्यार्थी का गार्जियन है, सभी इस बात पर परेशान हैं कि किस पद्धति से हमें अपने बालक को पढ़ाना है, आज किस रास्ते पर लगे हैं, कल किस रास्ते पर जायेंगे, यह निश्चित नहीं हो पा रहा है।

(इस समय १२ बजकर २९ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी पीठासीन हुए।)

मैं तो यह कहूंगा कि आज जो नयी-नयी पद्धतियां बराबर बदलती चली जा रही हैं उससे हम कोई तरक्की नहीं देख रहे हैं। हां, अनिश्चितता का वातावरण जरूर फैल रहा है और उससे लोग परेशान हो रहे हैं। यह मैं अवश्य पा रहा हूं। आज विद्यार्थियों की दशा देखी जाय। अनुशासनहीनता अलबत्ता बढ़ती चली जा रही है। यूनिवर्सिटी एजूकेशन से लेकर प्राइमरी एजूकेशन तक एक अजीब अनुशासनहीनता का वातावरण हो रहा है लोगों में। बालकों में इन्डिसिप्लिन फैल रहा है। मुझे सरकार से यह अनुरोध करना है कि वह गम्भीरतापूर्वक कोई योजना बना ले और फिर उसको कुछ दिन चालू रहने दे, उस पर अमल करे और उसका नतीजा देखे।

अभी अपने बजट-भाषण में माननीय मन्त्री जी ने स्वयं कहा कि हम अभी विचार करने जा रहे हैं और विचार करेंगे कि आगे हमारी पढ़ाई कैसे हों। आश्चर्य की बात है कि इतने दिनों के अनुभव के बाद भी वह किसी रास्ते पर नहीं लग पा रहे हैं। श्रीमन्, हमारी जो शिक्षा पद्धति है उसके दो-तीन भाग हैं। एक तो प्राइमरी शिक्षा है। उसकी क्या हालत है वह भी हमें देखना है। ग्रामीण जनता की शिक्षा की दशा आज क्या हो रही है इस तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान मैं विशेष रूप से आकर्षित करना चाहूंगा। सरकार ने एक प्रश्न के उत्तर में बतलाया कि ग्रामीण क्षेत्रों में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय यानी हायर सेकेंड्री स्कूल केवल १५ हैं जब कि शहरी क्षेत्र में १११ स्कूल सरकार की ओर से स्थापित हैं। मैं नम्रतापूर्वक यह पूछना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर कि ८५ फीसदी जनता रहती है वहां तो सरकार चाहती है कि केवल ११ स्कूलों द्वारा शिक्षा का प्रसार हो और शहरी क्षेत्र में जहां कि केवल दस-बारह प्रतिशत लोग रह रहे हैं वहां पर यह हालत है। देहात के स्कूलों की क्या दुर्दशा हो रही है, वहां के प्राइमरी स्कूलों की क्या हालत है, इस पर भी हमें सोचना है। मैं तो यह कह सकता हूं कि यह सारी गड़बड़ी जो एजूकेशन डिपार्टमेंट में हो रही है उसका कारण केवल यही है कि अध्यापक वर्ग आज अपनी जगह पर परेशान है, सन्तुष्ट नहीं है, घबड़ाया हुआ है। आज आप देखिए कि अध्यापकवृन्द में किस जमात के लोग आते हैं? मैं तो यह कहूंगा कि काबिल से काबिल आदमी, विद्वान् से विद्वान् आदमी जिसको कि शिक्षा से प्रेम है वह दूसरे कामों में जाना पसन्द कर रहा है, वह थानेदार और दरोगा हो जाना पसन्द करेगा, क्योंकि वहां उसको आमदनी होगी, लेकिन शिक्षा में वह तभी आयेगा जब कोई रास्ता उसके लिए नहीं रह जायगा। जब वह देखेंगे कि हमें कोई स्थान नहीं मिल रहा है, कोई हमारी रोजी का साधन नहीं मिल रहा है तब वह हमारी इस शिक्षा के काम को अपनाने के लिये तैयार होते हैं। यह हमको गम्भीरतापूर्वक सोचना है। २ रुपया, २॥ रुपया जो आप समय-समय पर बढ़ा देते हैं इससे हमारा कल्याण नहीं होने वाला है। मैं यह कहता हूं कि हमारी शिक्षा को देने वाले अध्यापक जब तक सन्तुष्ट न हों तब तक यह काम अच्छी

तरह से होना कठिन है। पुराने जमाने में गुरुकुल की रीति थी उसके अध्यापक अपनी गृहस्थी के जंजाल से सन्तुष्ट रहा करते थे और वह शिक्षा भी दान के रूप में दिया करते थे। वह इतने परेशान भी नहीं रहते थे। उससे किस तरह इनको मुक्त किया जाय, इस पर सरकार को विचार करना है और उसके बड़े-बड़े विशेषज्ञों को विचार करना है। मगर मैं एक नागरिक की हैसियत से चाहता हूं कि इसके ऊपर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाय। जब तक इस पर विचार नहीं होगा तब तक कल्याण नहीं होगा। मैं तो इसके लिए सरकार को दोष दूंगा कि मास्टर लोगों की जो भरती हुआ करती है उसमें फेवरटिज्म हुआ करता है। उन संस्थाओं पर भी उस दलबन्दी का असर पड़ता है। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि स्कूल में यदि अमुक दल अधिक हुआ तो उसकी राजनीति का प्रचार होगा। मैं कहूंगा कि दलबन्दी से विद्यालयों को अलग रखा जाय। अगर सरकार की तरफ से इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाय तो कम से कम विद्यालयों को हानि न पहुंचे। जिस समय किसी स्कूल को ग्रान्ट दी जाय उसके लिये यह न देखा जाय कि यह किस क्षेत्र का स्कूल है, किन लोगों के हाथ में इसकी मैनेजिंग कमेटी है। अगर वास्तव में किसी तरह से विद्यालयों को चलाना है तो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि उनकी आवश्यकता क्या है। इस पर ध्यान देकर ग्रान्ट दी जाय तो इससे ज्यादा कल्याण हो सकता है।

मैं प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों की भर्ती के विषय में मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। देहातों में और शहरों में भी प्राइमरी एजूकेशन की विशेष व्यवस्था है। मैं तो यह कहूंगा कि गोंडा में जब तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड रहा, जब तक वहां डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के हाथ में स्कूलों की संस्था रही, इस बात पर जोर दिया जाता रहा कि अध्यापकों की भरती योग्यता के आधार पर हो। पिछले २–३ सालों की रिपोर्ट देखी जाय तो मालूम होगा कि कोई प्राइमरी स्कूल का अध्यापक हाई स्कूल से नीचे नौकर नहीं हुआ है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने प्रस्ताव पास किया कि हम हाई स्कूल पास ही अध्यापक रखें। मगर आज डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के हटते ही जिस वक्त यह अन्तरिम जिला परिषद् आई, जिससे कि यह आशा की जाती थी कि वहां पर पार्टीबन्दी नहीं होगी, इसके जमाने में जो मास्टर रखे गये हैं अगर उनकी लिस्ट को देखा जाय तो मालूम होगा कि जो हाई स्कूल पास थे वे बैठे रहे और मिडिल पास, आठवीं पास नौकर रख लिये गये। उसमें कुछ सरकारी लोगों के चपरासियों के लड़के आये और कोई किसी खानसामा का लड़का आया और कुछ दूसरे लड़के आये। इस बात को नहीं देखा गया कि उनकी मैरिट क्या है या योग्यता क्या है। एक तो हम वैसे ही तनख्वाह कम दे रहे हैं फिर सेलेक्शन भी इस तरह का हो तो फिर वह अपना काम जिम्मेदारी से नहीं करते और काम भी ऐसा ही होता है। वे कुछ दूसरी भावना से काम करते हैं। इसलिये मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि आप इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें।

आज हमारे देश में जो भ्रष्टाचार का दौर-दौरा चल रहा है, वह हमारे शिक्षा विभाग में भी घुसने लगा है। यदि हम इस भ्रष्टाचार को कम न कर पाये तो हमको खा जायगा। मुझे तो यह भय है कि अगर एजूकेशन विभाग में यह भ्रष्टाचार बढ़ा तो हमारा पूरा ढांचा बैठ जायगा। आज प्राइमरी शिक्षा के अध्यापकों की इस तरह की शिकायतें आ रही हैं कि पास करने के लिये वे हक हकूक, भरती करने के लिये हक हकूक उनको मिलने चाहिये। ऐसे वातावरण की रोकथाम यदि नहीं करेंगे, अच्छे मास्टर नहीं रखेंगे और उनको सन्तुष्ट नहीं रखेंगे तो यह भ्रष्टाचार वहां भी पहुंच ही गया है तो इससे बड़ी हानि होगी। आज जो बालक वहां पर पढ़ते हैं वह दो रुपया देकर पास हो जाते हैं। इस तरह से भ्रष्टाचार वहां पर होने लगा है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके दिमाग में एक नींव पड़ रही है जो भविष्य के लिये बहुत हानिकारक है। इसको हमें विशेष रूप से देखना है और इस बात पर विचार करना है। इसको दूर करने के लिये हमको उद्योग करना है वरना जो दुर्दशा होने जा रही है उससे देश बहुत पीछे चला जायगा। जो बालक वहां से निकलेंगे वह जिम्मेदारी के

[श्री राघवेन्द्र प्रतापसिंह]

ओहदों पर जायंगे और देश की राजनीति को भी वही चलायेंगे। अगर भ्रष्टाचार का संकल्प उनके दिमाग में इस तरह से शुरू में ही उत्पन्न होता है तो इसका नतीजा क्या होगा इसको हमें देखना है। श्रीमन्, जैसा मैंने शुरू में कहा, राजनीति का बहुत कुछ बुरा असर पड़ रहा है। सरकार के हाथ में है कि नामजदगी मास्टरों की वह करती है, मैं इसका विरोध करता हूं। अध्यापकों को विद्या पढ़ाना है, कोई रिप्रेजेंटेशन करना तो है नहीं। हमारे जिले में पिछले २-३ सालों में जो अध्यापक सरकार द्वारा यहां से नामजद होकर गये हैं अगर उनकी योग्यता और फिजिकल कंडीशन देखी जाय तो मालूम होगा कि जहां यह उम्मीद की जाती है कि सरकार के नामजद किये हुए लोग विद्वान् होंगे वह नहीं होता लेकिन वह पार्टीबन्दी और सिफारिश के आधार पर होता है और योग्यता का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। इससे बहुत बुरा असर पड़ता है।

टैक्स्ट बुक्स भी रोज-रोज नहीं बदलनी चाहिये। कोई अध्यापक किसी की सिफारिश टैक्स्ट बुक कमेटी में ले जाता है तो कमेटी वाले भी घबरा जाते हैं और कहते हैं कि भाई हिस्टरी की किताब तो हम मंजूर कर चुके हैं तुम ज्योग्रफी की किताब लाओ तो हम स्वीकार कर लें। वह अध्यापक भले ही ज्योग्रफी स्वयं न जानता हो मगर किसी दूसरे से किताब लिखाकर ले आता है और वह सिफारिश के आधार पर स्वीकार हो जाती है।

रिओरियन्टेशन की स्कीम है जिसमें कृषि सिखाने की बात है। इसमें यह होता है कि ठीक से योजना बनानी चाहिये। यदि बीज दिया जायगा २ महीने बाद और जहां हल है वहां बैल नहीं है और जहां बैल हैं वहां हल नहीं है, तो इस तरीके से काम करने से या शिक्षा देने से कोई लाभ नहीं है।

भारत शिक्षा की तरफ भी सरकार का ध्यान जाना चाहिये। हमारे समाज की अजीब दशा होती जा रही है। अंग्रेज की देन है कि प्राइवेट लाइफ में हम क्यों दखल दें। मगर मैं कहता हूं कि इसकी तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। एक-एक व्यक्ति होकर समाज बनता है और उससे देश बनता है। अगर अमुक व्यक्ति को हम अच्छे रास्ते पर नहीं लायेंगे तो समाज और देश के ऊपर बुरा असर पड़ेगा। जिसकी तस्वीर टंगी हुई है उसके आचरण से हमारा देश कितना आगे बढ़ा है, उसकी शिक्षा देनी चाहिये। आज अगर शरीर में एक ही अंग सुन्न हो जाय तो सारा शरीर शुन्न कहा जाता है। यदि समाज में एक एक व्यक्ति का आचरण ठीक नहीं रहेगा तो हमारा समाज क्या बन जायगा? हमारे भारतवर्ष को इस बात का बड़ा भारी गर्व रहा है कि अगर हम उसे ऊंचा न उठा सकें तो कम से कम कायम जरूर रखें।

जो बातें मैंने कही हैं, आशा है कि माननीय मंत्री जी उन पर ध्यान देंगे।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करते हुए माननीय मंत्री जी का ध्यान शिक्षा की नीति में कुछ परिवर्तनों की ओर ले जाना चाहता हूं।

मान्यवर, जब हम अपनी वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर इस दृष्टिकोण से विचार करते हैं कि हम नये समाज की रचना के लिये कैसी और कितनी सामग्री अपनी शिक्षा संस्थाओं से निकालने में सफल हो पा रहे हैं तो मुझे बड़ी निराशा होती है। हम इस बदलते हुए, युग में, समाजवादी और सहकारिता के युग में, अपने विश्वविद्यालयों के स्नातकों से बात करें तो हमें उस समय बड़ी निराशा होगी क्योंकि उनका ज्ञान व विचार नये समाज की रचना में सहायक नहीं हो पा रहा है। वे नहीं जानते कि समाजवाद और सहकारिता का क्या तात्पर्य है, भावी समाज की रचना का लक्ष्य क्या है और उसकी रचना हम कैसे कर सकते हैं। इसलिये मेरा माननीय मंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि वह इस दृष्टिकोण से शिक्षा पद्धति पर विचार करें। इन आपत्तियों और आलोचनाओं की परवाह न करें कि रोज पुस्तकें बदली जाती हैं या कार्यक्रम में परिवर्तन होता रहता है। इस क्रान्तिकारी युग में यह होना अनिवार्य है हमें अपनी शिक्षा का लक्ष्य

और स्तर उस ओर ले जाना चाहिये जिससे हमें शिक्षा संस्थाओं से नये समाज की रचना के लिये नई सेना मिल सके। हमारा नवयुवक शिक्षा संस्था से यह सीखकर निकले कि व्यक्ति समाज के लिए है, न कि समाज व्यक्ति के लिये है। आज हमारे समाज में चारों ओर से अनैतिकता की पुकार आती है। इसकी जिम्मेदारी सब नहीं तो बहुत कुछ हम अपनी शिक्षा के तरीके पर डाल सकते हैं। जैसा मुझ से पूर्व वक्ता महोदय ने कहा, हमें यह अनुभव करना चाहिये कि शिक्षा ही एक ऐसा प्रशिक्षण केन्द्र है जहां से हम नये समाज की रचना के लिये नये लोगों को निकाल सकते हैं।

हमारी योजनाओं की सफलता ग्रामों में रहने वाले उन किसानों पर निर्भर करती है जिनमें अधिकतर लोग अनपढ़ हैं। सरकार उस ओर अपना विशेष ध्यान रखे तो बहुत अच्छा होगा। आज कल अधिक से अधिक प्रौढ़ शिक्षा के लिये इस सरकार का प्रयत्न होना चाहिये था जो नहीं हुआ। आज की अच्छी से अच्छी योजना और कार्यक्रम के देहात में सफल होने में इसलिये दुविधा रहती है कि वे लोग करीब-करीब सभी निरक्षर हैं। आज कल अनपढ़ होने के ही कारण राजनीति के पहलवान उनके बीच जाकर उन भोले-भाले किसानों को अच्छी से अच्छी योजनाओं का रूप विकृत से विकृत करके दिखाने में सफल हो जाते हैं। उदाहरण के लिये मैं सहकारी खेती के लिये ही निवेदन करता हूं। हमारे राजनीति के अखाड़े के पहलवान आज सहकारी खेती का वह रूप ले जाकर किसानों के सामने रखते हैं जिससे वे समझने लगते हैं कि उनकी सारी की सारी भूमि छिन जायगी। अगर किसानों के लिये प्रौढ़ शिक्षा पर ध्यान दिया जाता तो वे समझ सकते कि सहकारी खेती से नये समाज की रचना में कितनी सहायता हो सकती थी। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने गत वर्षों के सुझावों की ओर दिलाना चाहता हूं। मैं कई वर्षों से लगातार शिक्षा के मामले में माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता रहा हूं कि आप देखें कि आपके शिक्षा के क्षेत्र में जातीयता कितने जोरों से बढ़ रही है, इस जातीयता को रोकने के लिये सरकार को कुछ करना चाहिये, लेकिन मुझे दुःख है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी माननीय मंत्री जी और इस मंत्रिमंडल ने अभी तक ध्यान नहीं दिया। जातीयता और जाति के नाम पर बढ़ती हुई शिक्षा संस्थाओं को देखकर मेरा मस्तिष्क परेशान होता है। एक ओर तो हमारा इरादा है कि हम जातिविहीन और वर्गविहीन समाज की रचना करें और दूसरी ओर हमारे समाज में जाति और उपजाति के नाम पर इतनी संस्थायें बढ़ती जा रही हैं कि जिनकी गिनती भी नहीं हो सकती। केवल नगर मुरादाबाद में ही पहले हिन्दू कालेज और मुस्लिम कालेज नाम की दो ही ऐसी संस्थायें थीं, लेकिन आज वैश्य कालेज है, अग्रवाल कालेज है, रस्तोगी कालेज है, खत्री कालेज है, दूसरा खत्री कालेज है, इस प्रकार की दर्जनों संस्थायें हैं और शेष जातियां होड़ में लगी हुई हैं कि हमारी भी जाति के नाम पर संस्थाओं की स्थापना होनी चाहिये। उसका प्रभाव यह हो रहा है कि एक ओर अलग-अलग जातियों में स्पर्धा व ईर्षा बढ़ रही है दूसरी ओर ऐसी जातियां जिनके पास पैसा है, धन सम्पन्न हैं, अपनी जाति के नाम पर संस्थाओं की स्थापना करके, जाति विशेष के नवयुवकों को शिक्षा देती हैं और उसके लिये रुपया सरकार के उस खजाने में से जिसको प्रदेश के दुःखी और गरीब लोग भरते हैं। लिया जाता है और उस रुपये का अपव्यय जाति विशेष वालों पर होता है। इन जाति विशेष के नाम पर बनी हुई संस्थाओं में निर्धनों के बच्चों की फीस भी माफ नहीं होती और उन बच्चों की फीस माफ की जाती है जिनके माता-पिता के पास गगनचुम्बी अट्टालिकायें हैं या जो इन्कम टैक्स तक देते हैं, लेकिन उनकी फीस माफ नहीं की जाती जिनके पिता सड़कों के किनारे खड़े होकर चने बेचते हैं। माननीय मंत्री जी मेरी बात को छोटी समझ कर भले ही ध्यान न दें लेकिन यह बात निश्चय है कि यह बढ़ती हुई जातीयता हमारे अन्तिम लक्ष्य में दुखदायी व बाधक सिद्ध होगी। मुझे तब और भी खेद होता है जब कि इस सदन में जाति के नाम पर बातें की जाती हैं। सरकार एक ऊंचे से ऊंचे लक्ष्य पर पहुंचना चाहती है और कहती है कि हमें वर्गविहीन और जातिविहीन समाज की रचना करनी है। मुझे अफसोस होता है जब एक विरोधी दल के नेता, राजनारायण जी की तरफ से भी जातीयता की बात उठायी जाती है और उसके जवाब में माननीय मुख्य मंत्री जी जाति के नाम पर अफसरों

[श्री मही लाल]

की गिनती करा देते हैं। जिस समय माननीय मुख्य मंत्री जी श्री राजनारायण जी की बात का उत्तर दे रहे थे तो मैं बैठा हुआ थर्रा रहा था और सोच रहा था कि यह हमारा समाज किस ओर जा रहा है, सरकार कहां जा रही है, और कैसे नये समाज की रचना होने जा रही है। इसलिये मैं माननीय शिक्षा मंत्री से जोरदार शब्दों में अपील करता हूं कि वे अपने शिक्षा के क्षेत्र में जाति विशेष के नाम पर बढ़ती हुई संस्थाओं को रोकें। अगर नहीं रोक सकते हैं तो कम से कम उनको संरक्षण न दें।

उपाध्यक्ष महोदय, अब शिक्षा के क्षेत्र में जो आर्थिक असमानता है, उसकी ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। यह माननीय मंत्री जी भी जानते हैं कि एक निर्धन आदमी का लड़का साधनहीन होने के कारण, ऊंची से ऊंची योग्यता रखते हुए भी, इंटर में अच्छे से अच्छा डिवीजन पाने पर भी, विश्वविद्यालय में आगे बढ़ने से रुक जाता है और एक धनवान का लड़का गिरे से गिरा डिवीजन पाने पर भी अच्छी से अच्छी संस्था में शिक्षा पाकर अच्छे से अच्छा नवयुवक बन कर निकलता है। कम से कम इस ओर हमारे शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसा कदम उठना चाहिये कि हमारे समाज के निस्सहाय, निर्बल और धनहीन होनहार बच्चे आगे बढ़ सकें और उनको आगे पढ़ने का मौका मिले। कितने ही बच्चे ऐसे हैं जो फीस न देने की वजह से आगे नहीं पढ़ पाते हैं। कम से कम हमारा शिक्षा विभाग इतनी व्यवस्था करे कि हमारे निर्धन समाज के ऐसे बच्चे, जो भावी और चमकते हुए नागरिक हैं, ऊंची से ऊंची शिक्षा प्राप्त कर सकें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत थोड़ा-सा समय स्त्री शिक्षा पर लेना चाहता हूं। हमारे समाज में स्त्रियों की जनसंख्या का जो अनुपात है वह ४७·६ प्रतिशत है और इस बजट का केवल ८ प्रतिशत धन स्त्री शिक्षा पर खर्च हो रहा है। एक प्रकार से हमारे समाज के पिछड़े वर्ग में स्त्री समाज शामिल है जिसके कारण उनके लिये खास रियायत होनी चाहिये और सरकार का विशेष ध्यान होना चाहिये, लेकिन उस विशेष ध्यान का प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि जहां स्त्री समाज की संख्या का अनुपात ४७·६ प्रतिशत है वहां बजट के खर्च का अनुपात ८ प्रतिशत है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं एक बात कह कर जो गैर-सरकारी संस्थायें हैं उनकी ओर सुधार के लिये सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, जहां जाति विशेष के नाम पर संस्थायें खुली हैं वहां कुछ धनवान व्यक्ति अपने बापदादों के नाम पर अपना एक बिजनेस सेंटर शिक्षा क्षेत्र में खोलते जा रहे हैं। इन व्यक्ति विशेष की शिक्षा संस्थाओं को बराबर हमारा विभाग मान्यता देता चला जा रहा है। मान्यता देते समय कम से कम इतना तो हो ही सकता है कि ऐसा प्रतिबन्ध लगा दिया जाय कि जिससे जिस अनुपात में हमारे सरकारी खजाने से उन संस्थाओं को धन दिया जाय उसी अनुपात में सरकार के द्वारा कुछ प्रतिनिधि उनकी प्रबन्धकारिणी समितियों में भेज दिये जायं जिससे उनके हिसाब व अवैधानिकताओं को देखा जा सके और उस संस्था पर देख रेख रह सके।

श्री उपाध्यक्ष---आपका समय समाप्त हो गया।

***श्री रूर्मसिंह** (जिला शाहजहांपुर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो शिक्षा का अनुदान माननीय मंत्री महोदय ने पेश किया है, उस पर श्री रामायण राय द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुदान है। शिक्षा ही किसी देश के उत्थान और पतन का एक कारण है। माननीय मंत्री जी ने इसकी तरक्की के बारे में आंकड़े उपस्थित करते हुए कहा है कि शिक्षा के अनुदान में रकम भी बढ़ी है, छात्र भी बहुत बढ़े हैं, अध्यापक भी बढ़े हैं, संस्थायें भी बढ़ी हैं। मैं इस बात को सही मानता हूं कि सन् १९४६ की अपेक्षा इस वक्त धन भी बढ़ा है, छात्र भी बढ़े हैं, और अध्यापक भी बढ़े हैं। यह सब कुछ बढ़ा है, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? हमें देखना यह है कि

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शिक्षा की कितनी प्रगति हुई है और शिक्षा का उद्देश्य क्या है। जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैं तो यह समझ पाया हूं कि शिक्षा का मतलब है जानकारी, ज्ञान हासिल करना और ज्ञान को लेकर देश और प्रदेश के जीवन की जितनी भी मुसीबतें व उलझनें हैं उनको सुलझाना और फिर देश को आगे बढ़ाना। तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आज की शिक्षा बिलकुल पंगु मालूम होती है, नाबालिग मालूम होती है। मैं बतलाना चाहता हूं कि संविधान की दृष्टि से १४ भाषाएं देश के अन्दर मानी गयी हैं। उनमें एक राष्ट्रभाषा हिन्दी है। लेकिन आज अंग्रेजों के जाने के बाद भी हमारे देश की भाषायें अंग्रेजी जुबान के कैदखाने में बन्द हैं। क्या शिक्षा समर्थ हो सकी देश की भाषाओं को अंग्रेजी जुबान के कैदखाने से छुड़ाने में, या देश के अन्दर जो भ्रष्टाचार है, बेईमानी है, गरीबी और अमीरी है, जो हीन भावना है इसको दूर करने में? इस देश के अन्दर जो नागरिक हैं उनको ऊंचा बनाने में शिक्षा समर्थ हो सकी? आज जो पढ़े-लिखे हैं ज्यादा से ज्यादा गरीबों के प्रति घृणा का भाव रखते हैं उसको दूर कर सकी है? तो जवाब यही मिलेगा कि आज की शिक्षा से यह जो सवाल मैंने रखे हैं कोई हल नहीं हुए हैं। ऐसी शिक्षा को लाने से क्या फायदा हो सकता है सिवाय इसके कि पूंजीवाद को प्रोत्साहन मिले या जो शिक्षा की पद्धति है उसमें आज भी हमारे ऊपर अंग्रेजी प्राधान्य हो और अंग्रेजी भाषा क जरिय सारे देश को नीचे दबाया जाय, गरीब बनाया जाय और अंग्रेजी हमारे सर पर सवार रहे। मैं इसको अच्छी तरह से महसूस करता हूं कि जब तक शिक्षा के अन्दर से अंग्रेजी भाषा का उन्मूलन नहीं होगा तब तक इस देश का कल्याण नहीं हो सकता।

हमारे मंत्रीगण इस बात को कहते हैं कि हम अंग्रेजी को धीरे-धीरे खत्म कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं यह बिलकुल धोखा है, जनता को भुलावे में डाला जा रहा है। जितने भी राजकाज के बड़े काम होते हैं सब अंग्रेजी भाषा में होते हैं। छोटी-छोटी बातें या सूचना विभाग की तरफ से कुछ पत्रिकायें निकाल कर यह सिद्ध करने की कोशिश की जाती है कि हम अंग्रेजी भाषा को दूर कर रहे हैं। मैं तो कहना चाहता हूं कि आज की कांग्रेस सरकार जो समाजवाद का नारा दे रही है, जो अमीरी-गरीबी के फर्क को कम करने की बात कह रही है उसके लिये भी आज शिक्षा सहायक नहीं बन सकती बल्कि आज की शिक्षा अमीरी और गरीबी के फर्क को बढ़ावा ही देगी। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि अगर वाकई देश की उन्नति करना है, समृद्धिशाली बनाना है, तो कम से कम शिक्षा के क्षेत्र से अंग्रेजी के माध्यम को खत्म किया जाय। हिन्दी के माध्यम से शिक्षा दी जाय और देश की जो दूसरी भाषायें हैं शिक्षा के क्षेत्र में उनका भी विकास होना चाहिये। मैं कहना चाहता हूं, आज सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन पिछले वर्ष में लगभग २८,००,००० रुपया सरकार ने कम खर्च किया है। कहते हैं केन्द्रीय सरकार ने हमको सहायता नहीं दी इसलिये हमने यह खर्च कम किया है। छठें क्लास की फीस माफ करने का वादा किया था लकिन आज सरकार उससे पीछे हट रही है। यह जो २८,००,००० रुपया कम खर्च किया है इससे सातवें क्लास की फीस माफ की जा सकती थी। मैं समझता हूं सरकार पढ़े लिखे लोगों से घबरा रही है। जितने लड़के पढ़ गये हैं उनमें बहुत से बेकार हैं, वे काम मांगते हैं, सरकार उनको काम देने में असमर्थ होती है। केन्द्रीय सरकार का भी ऐसा दृष्टिकोण है। इसीलिये शिक्षा विकास के लिये जो अनुदान देने की बात कही थी उसको नहीं दिया और यह सरकार भी घबड़ा रही है कि अगर शिक्षा का क्षेत्र विस्तृत हो जायगा और ज्यादा से ज्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे तो फिर नौकरी नहीं दे सकेंगे, उनको काम नहीं दे सकेंगे। ऐसी सूरत में इस मुसीबत को क्यों लिया जाय। इसलिये शिक्षा के क्षेत्र में सरकार कम से कम पैसा खर्च कर रही है। बहुत-सी खराबियां हैं। अगर शिक्षा के संचालन के देखें तो उसमें बहुत-सी खराबियां हैं। आज आप देखें कि जो सरकारी स्कूल हैं उनके अध्यापकों की तनख्वाह और है, जो प्राइवेट स्कूल हैं उनके अध्यापकों की तनख्वाह और है। जिन स्कूलों को सरकार मान्यता देती है, मदद करती है उनके अध्यापकों और सरकारी स्कूल के अध्यापकों में भेद क्यों करती है? इसमें सरकार को क्या परेशानी है? जिस तरह से सरकारी स्कूलों में देती है वही तरीका वहां भी अपनाना चाहिए। उसको अपने हाथ में ले ले।

[श्री रूर्मासिंह]

इसी तरीके से शिक्षा के अन्दर दो तरीके अपनाए जाते हैं। एक मान्टेसरी स्कूल और दूसरे अन्तरिम जिला परिषद् के म्युनिसिपैलिटी के या जूनियर हाई स्कूल वगैरह। वहां पर ३०० रुपया खर्च होता है एक लड़के पर मांटेसरी में, और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या अंतरिम जिला परिषद् के स्कूल में ५-७ रुपया महीना खर्च होता है। इस शिक्षा के अन्दर सब से बड़ी मान्यता है तो वह अंग्रेजी को है। योग्यता का मानदंड आज के इस कांग्रेजी राज्य में अंग्रेजी है। जो मांटेसरी स्कूल के लड़के हैं वही तो आई० जी० पुलिस, आई० जी० जेल, कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर या और आफिसर बनेंगे क्योंकि वे अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं। उन पर ज्यादा रुपया खर्च होता है, लेकिन जो १०-१२ साल के बाद अंग्रेजी शुरू करते हैं वे तो नौकरियों में नहीं लिये जाएंगे। बड़े-बड़े आफिसर मांटेसरी स्कूल वाले ही बनेंगे। इस तरह से आज कांग्रेसी राज्य में दो तरह की शिक्षा है। एक तरफ एक लड़के पर सैकड़ों रुपया माहवार और दूसरी तरफ ५-७ रुपया माहवार खर्च होता है। इस तरह से काम नहीं चलेगा।

साथ ही साथ सरकार बड़ा ढोल पीटती है कि हमने अध्यापकों के लिये पैसा बढ़ा दिया है। दो-ढाई रुपया तनख्वाह बढ़ाई जाती है तो दो फीसदी बढ़ती है, और महंगाई बढ़ती है तो पचास फीसदी। क्या फायदा तनख्वाह के बढ़ाने से? अध्यापकों के दो ढाई रुपये बढ़ा दिये, लेकिन बाजार में सारा सामान कितना महंगा मिलता है? ऐसी तनख्वाह बढ़ाने से कोई लाभ नहीं होगा। मंत्री जी भले ही कुछ दिन अध्यापकों को धोखा दे लें, लेकिन इस धोखे से ज्यादा दिन काम नहीं चल सकता है।

विद्यार्थियों की संख्या सभी स्तरों पर अगर देखी जाय तो ढाई गुना बढ़ी है, लेकिन इन सब बातों के होते हुए भी अगर हम शिक्षा संस्थाओं की तरफ जाते हैं तो हम देखते हैं कि उनमें उस तरह से वृद्धि नहीं हुई है। सन् १९४५-४६ में शिक्षा संस्थाओं की संख्या २४,७९३ थी और सन् १९५७-५८ में ४३,३०५ है। कुल ७४ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसका नतीजा यह हो रहा है कि शिक्षा संस्थाओं में विद्यार्थियों की भीड़ होती जा रही है और उसके बहुत से दुष्परिणाम भी इस कारण हो रहे हैं। हम देखते हैं कि अध्यापकों की इतनी क्षमता नहीं होती और उनको विद्यार्थियों को कंट्रोल करने में नाकामयाबी हो रही है और शिक्षा का स्तर भी गिर रहा है। विद्यार्थियों में जो उच्छृंखलता बढ़ रही है उसका एक यह भी कारण है कि शिक्षक उनको कंट्रोल नहीं पर पाते। विद्यार्थियों की तादाद इतनी ज्यादा है कि वे कंट्रोल नहीं हो पाते और अनुशासनहीनता उनमें नित्यप्रति बढ़ती जाती है और शिक्षा का स्तर गिर रहा है। इसलिये मैं इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं।

मैं इस ओर भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि विद्यार्थियों की बढ़ती हुई तादाद को देखते हुये शिक्षा संस्थाओं की तादाद को भी बढ़ाने की आवश्यकता है। आज सरकार ने बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा बोझ लाद रखा है, अंधाधुंध किताबें रक्खी हैं। मेरा सुझाव है कि दसवें दर्जे तक किताबें कम कर दी जायं और साथ ही साथ यह भी सुझाव है कि विद्वानों से ऐसी पुस्तकें लिखवायें कि जो कम से कम दस साल तक चलें। साल भर में बदल देते हैं कुछ लोगों को पैसा कमाने के लिये। एक तरफ तो जनता पर किताबों से खर्च का बोझ डालते हैं और दूसरी तरफ दूसरे लोग जो मालदार हैं उनको किताब का ठेका देकर, और मालदार बनाते हैं। मेरा सुझाव है कि दसवें क्लास तक कोई ज्यादा खोज की बात नहीं होती, इसलिये उन किताबों को कम से कम दस साल तक चलाया जाय।

देहाती क्षेत्रों के अन्दर कहीं स्कूल की इमारत नहीं है, कहीं कुर्सी नहीं, कहीं मेज नहीं, कहीं टाट की पट्टी नहीं। इस तरीके से शिक्षा नहीं हो सकती है। एक तरफ तो शिक्षा के लिये आलीशान इमारतें बनाई गई हैं, हजारों लाखों का फर्नीचर है, दूसरी तरफ जो गरीब बच्चे हैं वे बरसात में न भीगें, उनके लिये मामूली सा मकान या छप्पर तो बनवाया जाय।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)--उपाध्यक्ष महोदय, आज शिक्षा के अनुदान पर यह हाउस विचार कर रहा है । इसमें दो रायें नहीं हैं कि यह अनुदान बहुत महत्वपूर्ण है । हमारे देश और राष्ट्र के निर्माण की प्रगति बहुत कुछ हमारी शिक्षा पर ही निर्भर है । कौन देश कितना प्रगतिशील है यह इस बात पर निर्भर करता है कि वहां के कितने लोग शिक्षित हैं और वहां पर किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है । जहां तक आंकड़ों का सम्बन्ध है उन को यदि हम देखें तो यह सही है कि पिछले दस-ग्यारह सालों में निरन्तर शिक्षा के क्षेत्र में हमारे प्रदेश में बहुत प्रगति हुई है । जहां तक स्कूलों का, जूनियर हाई स्कूलों का, हायर सेकेन्डरी स्कूलों का, इंटर और डिग्री कालेजों का या विश्वविद्यालयों का सम्बन्ध है उनमें काफी संख्या में और बहुत तेजी के साथ वृद्धि हुई है, लेकिन इसके साथ-साथ यदि हम इस बात को देखें कि हमारे देश के सामने जो हमारे राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक लक्ष्य हैं उन के अनुरूप हमारी शिक्षा है या नहीं और जो हमारे नौजवान विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के बाद कालेज, स्कूल और विश्वविद्यालयों से निकलते हैं उन की उचित मान्यता होती है या नहीं तो हमें कुछ मायूसी होती है । हम देखते हैं कि हमारे यहां एजूकेटेड अनएम्प्लायमेंट भी बढ़ा है और विश्वविद्यालय से निकलने के बाद जो एक विद्यार्थी में आत्मविश्वास होना चाहिये और संसार का और अपने जीवन की परिस्थितियों का मुकाबला करने की एक क्षमता और यह कि वह दृढ़ प्रतिज्ञ हो बजाय इस के कि वह फ्रस्ट्रेटेड मालूम पड़ते हैं और उनके दिल में एक मायूसी सी महसूस होती है । हमारी शिक्षा हमारे देश का जो लक्ष्य है उस के अनुरूप नहीं है, यह एक बुनियादी सवाल है जिस के ऊपर सरकार को गौर करना होगा । समय कम है, ब्योरे में न जाकर केवल दो-चार बातों की ओर ही मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

पहली बात तो यह है कि एजूकेशन का एक इन्टेग्रेटेड सिस्टम है । मुझे यह देखकर ताज्जुब हुआ कि जनरल एजूकेशन एक तरफ रख दी गई है और टेक्निकल एजूकेशन को चार भागों में बांटा गया है । कुछ मेडिकल के साथ, कुछ एग्रीकल्चर के साथ, कुछ इन्जीनियरिंग के साथ और कुछ को इंडस्ट्रीज विभाग के साथ जोड़ा गया है । जब हम एजूकेशन को एक इन्टेग्रेटेड यूनिट मानते हैं तो कोई वजह नहीं है कि टेक्निकल और जनरल एजूकेशन को अलग-अलग रखा जाय । हम चाहते हैं कि एजूकेशन का एक ही यूनिट रहे और वह सब एक ही मंत्री महोदय के पास रहे ।

दूसरी बात यह है कि इंटरमीडियेट एजूकेशन संशोधन बिल जब सदन के सामने आया था उस समय माननीय मंत्री जी ने वायदा किया था और कल पुनः उन्होंने सदन के सामने उस बात को दोहराया कि वह उस सम्बन्ध में एक व्यापक बिल लाना चाहते हैं । आशा है कम से कम समय में वे एक काम्प्रिहेन्सिव बिल इस सम्बन्ध में लायेंगे । इसके अलावा मंत्री जी ने टीचर्स के वेतन के बारे में जो नये ग्रेड बनाये हैं उनसे हमें आशा है कि अध्यापकों को कुछ खुशी हुई होगी, लेकिन मैं इसको एक दूसरी दृष्टि से भी देखता हूं कि जहां तक डिग्री और पोस्ट डिग्री कालेजों का सम्बन्ध है, विशेष कर प्राइवेट का, मुझे ऐसा लगता है कि विभाग ने काफी होशियारी की है । ऐसे ग्रेड दिये हैं कि पब्लिक इन्स्टीट्यूशन के उपर से, खासतौर से डिग्री कालेजों के ग्रेड सरकारी कालेजों के ग्रेड से भी अधिक दिये गये हैं सिर्फ इसलिये कि उनके ग्रेड भी बढ़ जायें । अभी जो आंकड़े बांटे गये हैं उनमें है कि जिन डिग्री कालेजों के ग्रेड साढ़े ८०० तक थे उनको अब उन्होंने ९०० कर दिया है, क्योंकि मैं जानता हूं कि डिस्पैरिटी के नाम पर यह मांग होगी कि गवर्नमेंट सर्वेन्ट की पे भी ९०० तक होनी चाहिये । दूसरे डिपार्टमेंटल हेड्स की पे अब तक ५०० रुपया थी । हमारे यहां भी जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन्स थे उनमें ५०० रुपया थी और अब गवर्नमेंट ने ६०० रुपया की है । मुझे पूरा विश्वास है कि गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के आदमी भी कहेंगे कि हमको ६०० रुपया दीजिये । फिर ४५० के ५०० कर दिये गये हैं । बुनियादी तौर से मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि एक घुड़दौड़ मची हुई है हमारे प्रदेश में तनख्वाहें बढ़ाने के लिए । मैंने हमेशा महसूस किया है कि आपकी तनख्वाहों का ढांचा, हमारे देश का जो आर्थिक ढांचा है उसके हिसाब से बहुत ज्यादा है । इतने बड़े ढांचे को यह प्रदेश कभी बरदाश्त नहीं

[श्री नवलकिशोर]

कर सकता और जब मुझको याद आती है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के टीचर्स की बात। प्राइमरी स्कूल के टीचर्स को देख कर मुझे बड़ा दुख होता है। जो डिस्पैरिटी माध्यमिक स्कूल और प्राइमरी स्कूलों के मास्टरों की पे में थी वह अब उससे ड्योढ़ी और दुगुनी होने जा रही है, हम डिस्पेरिटीज को बढ़ाने जा रहे हैं। तो वह दिन आने वाला नहीं है जब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के टीचर्स की हालत अच्छी होगी, शायद हमारे जीवन में जिस स्तर पर हम उनको लाना चाहते हैं उनको ला नहीं पायेंगे। आपका जो कम्पलसरी एजूकेशन का ध्येय है मौजूदा तनख्वाहों के ढांचे में उसको २०-३०-४० साल तक कोई गवर्नमेंट पूरा नहीं कर सकती है। कहीं न कहीं आपको इस ढांचे को बदलना पड़ेगा। एक बुनियादी सवाल है हमारे देश के सामने और प्रदेश के सामने कि हमारा जो गरीब देश है इसके अन्दर हम तनख्वाहों का ढांचा कहां तक ले जायं। हर आदमी चाहता है कि हमारी पे यूनिवर्सिटीज की हो जायं। मुझे यह भी महसूस होता है कि गवर्नमेंट ने इन ग्रेड्स को देकर जो मामूली तौर से कोई गवर्नमेंट दे नहीं सकती थी, जो उसकी आर्थिक सीमायें हैं उनसे आगे बढ़ कर इन ग्रेड्स को दिया है।

तीसरी बात मुझे यह भी लगती है कि जो वर्गहीन समाज का हमारा ध्येय है उसमें आज नये-नये वर्ग पैदा होते जा रहे हैं, उनको भी एक किस्म का प्रोत्साहन मिलता है कि जो जितना ज्यादा वोकल होगा, ज्यादा एजीटेट कर सकता है उनकी मांगों को सरकार ज्यादा आसानी से मंजूर कर लिया करेगी। बहरहाल, खुशी है जो कुछ किया आपने।

एक चीज कही गयी कि दर्जा ६ तक जो फीस माफ की है उसको अगली जुलाई से माफ रखा जाय या न रखा जाय, यह मसला सरकार के विचाराधीन है। कहने को यह बात कही जा सकती है कि जो बात विचाराधीन है उसके ऊपर क्या बात कही जायगी। मगर, मान्यवर, मुझको बड़ा अन्देशा है कि दर्जा ६ की फीस अगर हमने माफ नहीं की तो बड़ा असन्तोष पैदा होगा। जहां तक कम्पलसरी एजूकेशन की बात हम करते हैं हम यह समझते थे कि दर्जा ६ के बाद दर्जा ७ की माफ होगी, दर्जा ८ की माफ होगी। हमारा विश्वास था कि नवें व दसवें तक माफ हो जायगी, लेकिन आज हम उसको वापिस लेने की बात करते हैं। मैं जितना इसका विरोध कर सकता हूं, करना चाहता हूं कि सरकार मेहरबानी करके दर्जा ६ की माफी को न रोके और अगर इस बुनियाद पर टीचर्स के स्केल को बढ़ाया है कि वह तब बढ़ायेंगे जब दर्जा ६ की फीस की माफी को वापस लें तो मुझे नये स्केल्स नहीं चाहिये, मगर दर्जा ६ की फीस माफ होनी ही चाहिये।

एक सदस्य---१ करोड़ का फायदा होगा।

श्री नवलकिशोर---फायदे की बात दूसरी है। मैं यह कहना चाहता हूं कि आपको अगर स्केल्स देने हैं तो इकानामी कीजिये। अगर आप चाहें तो करोड़ों रुपये की इकानामी कर सकते हैं, १२ करोड़ की कर सकते हैं, १४ करोड़ की कर सकते हैं, जितनी हिम्मत करें उतनी कर सकते हैं। और अगर यह भी करना नहीं चाहते, इसमें भी बेबसी है तो एजूकेशन टैक्स लगाइये, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मगर जो एक दफा फीस माफ हो गयी है उसके लिये यह कहा जाय कि दोबारा लागू होगी, तो मैं उसको उचित नहीं समझता।

मान्यवर, मुझे यह भी इसमें अर्ज करना है कि जो आप ग्रांट देते हैं बेसिक स्कूलों को वह मार्च तक स्कूलों में पहुंचती है, इससे उनको कोई फायदा नहीं होता। इन्टरमीडियेट बोर्ड इतना अनवील्डी हो गया है, इतनी संख्या बढ़ गयी है एग्जामिनीज की कि उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। एक जमाने से मांग थी कि एक से दो किये जायं या चार किये जायं। मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं कि जो मौजूदा बोर्ड का कम्पोजीशन है उसको बदला जाय और जितनी जल्दी बदला जाय उतना अच्छा है।

यूनिवर्सिटीज में हमने बहुत से चेंजेज किये । इस उम्मीद में किये थे कि अनुशासन अच्छा होगा, स्टैंडर्ड ऊंचा होगा। हमने डीन आफ स्टूडेंट्स वेलफेयर का अप्वाइंटमेंट्स किया कि काक्स (caucs) कम हो जायंगे, इन्ट्रीग्स (intrigues) कम होंगी, मगर उसमें क्या उन्नति हुई और क्या इम्प्रूवमेंट्स हुये ?

मैं माध्यमिक शिक्षा के टीचर्स से भी एक बात की दरख्वास्त करना चाहता हूं कि आपने इतना एजीटेशन किया और आपकी तनख्वाहें बढ़ीं, उसके साथ आपका कुछ थोड़ा कर्त्तव्य यह भी है कि आप कोशिश कीजिये कि अनुशासन ठीक हो और स्टूडेंट्स का स्टैन्डर्ड ऊंचा हो ।

एक्सटेंशन टीचर्स २,००० से ज्यादा हैं जो कि एग्रीकल्चर के सम्बन्ध में बच्चों को शिक्षा देते हैं । मैं जानना चाहता हूं कि उनके काम से कितना फायदा हुआ ? मुझे मालूम है कि गवर्नमेंट ने कोई कमेटी बैठाई ? मेरा अपना विचार यह है कि अगर वे टीचर नहीं होते तब भी विशेष हानि नहीं होती । बहरहाल जब आपने रखा है तब कभी-कभी उस कमेटी को देखें कि उनकी कितनी यूटिलिटी है । हमारी जो डेवलपमेंट की मशीनरी है उसके अन्दर इनका कहां तक सहयोग हो सकता है ।

मैं दो बातें और कहना चाहता हूं । एक तो स्टूडेंट्स के अनुशासन के सम्बन्ध में आजकल कल्चरल ऐक्टीविटीज की चर्चा बहुत होती है । मेरा एक्सपीरियेंस है कि कल्चरल ऐक्टीविटीज से वैड कल्चर बहुत डेवलप कर रहा है और यह ऐक्टीविटीज खतरनाक साबित हो रही हैं । मुझे कई साल का अनुभव है और मैं जानता हूं कि अच्छा हो इन स्टूडेंट्स को अब एजूकेशन दी जाय और उनके मारल स्टैंडर्ड को ऊंचा किया जाय और जब उनमें मैच्योरिटी आ जाय तब उनको यह कल्चरल ऐक्टीविटीज की तरफ ले जाया जाय तो ज्यादा अच्छा हो ।

इंटरमीडियेट संशोधन बिल पास हुआ है । उसके सम्बन्ध में मेरे पास ५ गवर्नमेंट आर्डर्स हैं जिनका नाम है रिमूवल आफ डिफीकल्टीज आर्डर्स । २३ जनवरी से लेकर १० फरवरी तक, १८ दिन के अन्दर ५ आर्डर्स इश्यू हुये और मैं समझता था कि रिमूवल आफ डिफीकल्टीज के माने यह हैं कि उस ऐक्ट के इम्प्लीमेंटेशन में अगर कोई डिफीकल्टी हो तो गवर्नमेंट कुछ अपने नियम बना सकती है। परन्तु जो कुछ सामने हैं उससे मैं कह सकता हूं और जब मैं इनको पढ़ता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सी दफाओं को अमेंड कर दिया गया है । जो अधिकार इस हाउस का है वह अधिकार भी ऐडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर्स से अपने हाथ में लेने की कोशिश की गई है । मुझे यह भी लगता है कि जो वैधानिक सीमा है उसका उल्लंघन किया गया है और माननीय डिप्टी मिनिस्टर साहब यहां बैठे हुये ह वे कृपया इन बातों को देखें कि जो बातें मैंने कही हैं वे कहां तक सही हैं, और यदि हैं तब उचित कार्यवाही करें ।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के अनुदान पर जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है उसके समर्थन में मैं अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहता हूं । इसमें कोई मतभेद नहीं है कि अपने देश या प्रदेश के नये समाज की रचना करने के लिये, समाज के स्तर को ऊंचा उठाने के लिये और जनता में चेतना बढ़ाने के लिये शिक्षा का सर्वप्रथम स्थान है और उस पर जितना अधिक धन व्यय किया जाय वह कम होगा । इस बात को देखते हुये जो धन इसकी मद में रखी गयी है वह कम है, लेकिन हमारी मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुये और इस धन को देखते हुये हमें यह देखना है कि जो धन हम इस मद पर खर्च करने जा रहे हैं उसका सही उपयोग होता है या नहीं । अगर नहीं होता है तो उसके लिये क्या रास्ता है ।

जब हम इस अनुदान के लिये सन् १९४५ के आंकड़ों से मुकाबिला करते हैं तो हम देखते हैं कि शिक्षा की ग्रांट करीब तीन गुना बढ़ी है और दूसरे व्यय के जो स्रोत हैं जिससे आमदनी होकर खर्च होते हैं वे भी करीब पांच गुना बढ़ गये हैं। शिक्षा मंत्री जी का सम्भवतः यह ऐलान हुआ है कि जुलाई से छठें दर्जे की जो फीस माफ है वह वापस ले ली जायगी। यह इसलिये किया जा रहा है कि अनिवार्य शिक्षा को लागू करना है और उसको लागू करने में काफी खर्चा बढ़ेगा। इसलिये अब

[श्री भीखालाल]

फीस माफ नहीं की जा सकती । यह बहुत ही घातक कदम होगा । और यदि आप इसको उठायेंगे तो उचित नहीं होगा । मैं इसका घोर विरोध करता हूं । अगर इसकी वास्तविकता की ओर ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि प्राइमरी स्कूलों में छात्रों की संख्या ३२ लाख और जूनियर हाईस्कूलों में केवल साढ़े चार लाख है । इसकी क्या वजह है ? इसका कारण यही है कि इन क्लासेज में फीस इतनी ज्यादा है कि वह जनता कि क्षमता से बाहर हो जाती है कि वह अपने बच्चों को स्कूल में भेज सकें और इतनी फीस दे सकें । अगर छठें दर्जे में फीस लागू कर देंगे तो यह अनिवार्य शिक्षा के खिलाफ जायगा और यह लागू नहीं हो सकती है । मैं तो यह कहूंगा कि जनता के ऊपर यह अनिवार्य टैक्स लग जायगा । इसलिये मैं जोरदार शब्दों में अपील करूंगा कि यह घातक कदम होगा इसलिये इसको न उठाया जाय ।

अध्यापकों के ग्रेडों में जो तरक्की की गई है वह बड़े संतोष की बात है, लेकिन प्राइमरी स्कूलों के टीचरों को केवल ढाई रुपये देकर संतुष्ट नहीं किया जा सकता है । कम वेतन के कारण वह अपना पूरा समय नहीं दे पाते हैं इसलिये शिक्षा का स्तर गिर रहा है । जो ढाई रुपया उनको दिया गया है वह बिलकुल नगण्य है । हमने जिलों में देखा है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मास्टरों के ऊपर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का टैक्स लगा दिया जाता है । उनको इस टैक्स से मुस्तसना कर दें, ताकि किसी तरह से वे अपने जीवन का निर्वाह कर सकें ।

हमारे हरिजन विद्यार्थी छोटी क्लासेज में जाते हैं और इंटर तथा बी० ए० में इस आशा से जाते हैं कि उनको सरकारी छात्रवृत्ति मिलेगी और अपनी पढ़ाई कर सकेंगे । इसके लिये दरख्वास्तें जुलाई और अगस्त में दी जाती हैं, लेकिन हम देखते हैं कि शिक्षा का इतना बड़ा विभाग है और हरिजन कल्याण विभाग भी है जिसका बड़ा भारी अमला है, लेकिन बावजूद इसके उनकी दरख्वास्तें ७, ८ महीने तक पड़ी रहती हैं और मार्च में छात्रवृत्ति की मंजूरी मिलती है और वित्तीय वर्ष के खत्म होने का अंदेशा न हो तो शायद मार्च में भी न मिलें । जो विद्यार्थी छात्रवृत्ति के मिलने की आशा में आते हैं, तीन-चार महीने बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं । इन विद्यार्थियों का स्तर गिर रहा है और ये अच्छा डिवीजन नहीं बना पाते हैं । उसका मूल कारण यह है कि वे ऐसे वातावरण से आते हैं जो शिक्षा योग्यता के प्रदर्शन के अनुकूल नहीं है । दूसरे जब वे छात्रवृत्तियों के लिये प्रार्थना देते हैं तो ६–६, ७–७ महीने तक वे मंजूर नहीं होती हैं । उनको संदेह रहता है कि छात्रवृत्ति मंजूर होगी या नहीं । उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता है और उनकी पढ़ाई-लिखाई ठीक नहीं चल पाती है, जिसके कारण उनका अच्छा डिवीजन नहीं आता । इस लिये माननीय मंत्री इस ओर भी ध्यान दें । वह नये-नये विभाग बनाते जा रहे हैं, लेकिन छात्रवृत्ति-की दरख्वास्तें ७–८ महीने तक पड़ी रहती हैं । यह बहुत ही घातक चीज है । शिक्षा के सम्बन्ध में हर एक कदम पीछे जा रहा है । छठें दर्जे तक फीस माफ थी वह फिर आ रही है । उसी तरह से हरिजनों की फीस माफी का जो कदम उठाया था उसको भी पीछे हटाया जा रहा है । जिन हरिजनों की १०० रुपये से ज्यादा आमदनी होगी उनके लड़कों की फीस माफ नहीं होगी । मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वह यह प्रतिबन्ध न लगायें, क्योंकि जो कोई भी अभिभावक १०० रुपये की आमदनी वाला है, यह उसकी क्षमता के बाहर है कि वह अपने बच्चों की फीस को अदा कर सके । इसलिये मेरा निवेदन यह है कि आप ऐसा प्रतिबन्ध न लगायें । उनकी शिक्षा में बाधक न हों । मैं इन शब्दों के साथ इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा के अनुदान का समर्थन करता हूं । माननीय शिक्षा मंत्री असरकारी मान्यता प्राप्त पाठशालाओं के विभिन्न स्तरों के अध्यापकों के संशोधित वेतन-क्रम की जो घोषणा की है उसके लिये मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं । मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय मंत्री जी के दिल में अध्यापकों के लिये काफी गुंजायश है । वह अध्यापकों को उचित और सम्मान का स्थान देना चाहते हैं । जिन अध्यापकों का वेतन-क्रम सुधारा नहीं गया है मैं आशा करता हूं, उनके बारे में माननीय मंत्री जी शीघ्र ध्यान देंगे ।

विद्यार्थियों का शीलवान होना, अच्छे नागरिक होना अनुशासित होना, हम सब लोग चाहते हैं। हम सब का कर्त्तव्य है कि हम सब का इसमें सक्रिय सहयोग हो। इस काम के लिये प्रारम्भिक स्तर पर और उसके बाद भी जो बेसिक प्रणाली की शिक्षा का सूत्रपात हुआ है और जूनियर स्टेज पर भी जो कृषि और उद्योगों का शिक्षा के साथ सम्बन्ध जोड़ा गया है इस दिशा में उससे काफी सहायता मिली है, लेकिन मैं समझता हूं कि उसका पूरा उपयोग नहीं हो रहा है। उसका कारण यह है कि बेसिक शिक्षा का जो सिद्धान्त है वह ठीक तौर से बरता नहीं जा रहा है। यहां बेसिक शिक्षा कला द्वारा होनी चाहिये जिससे वह रुचिकर हो और विद्यार्थियों को बोझा न मालूम हो, वैसा न करके शिक्षा के साथ कला जोड़ दी गयी है जिससे उसकी उपयोगिता में कुछ कमी हो गयी है। वह इतनी रुचिकर छोटे छात्रों के लिये नहीं हो पाती है जितनी उसे होना चाहिये। ऐसा करने के लिये यह आवश्यक है कि विभाग के जो कर्मचारी हों या जो निरीक्षक वर्ग हों उनमें इसके प्रति सजीव विश्वास होना चाहिये। मेरे खयाल से इस तरह के विश्वास की उनमें कमी है और प्रसार अध्यापक भी या जो दूसरे अध्यापक रखे जाते हैं उनको चुनते वक्त इसका पूरा ध्यान नहीं रखा जाता। इसका परिणाम यह होता है कि बेसिक शिक्षा का विकास सही न होकर के एक ऊपर की शिक्षा हो रही है और उसका पूरा लाभ नहीं हो रहा है। यही नहीं, बल्कि लखनऊ में जो बेसिक ट्रेनिंग कालेज है उसमें जो अध्यापकों को शिक्षा दी जाती है वहां पर भी इसी प्रकार की बात है। वहां भी एक प्रकार की ऊपर की शिक्षा है और उसका ढांचा ऐसा रखा गया है कि जो प्रदर्शनात्मक हो, जब कोई आ जाय तो वह देखने के लिये हो और वास्तविक क्या काम है उसके लिये नहीं है। तो जब अध्यापक इस तरह ट्रेंड किये जा रहे हैं तो मुझे विश्वास नहीं है कि वह स्कूल में जा कर कोई वास्तविक कार्य करेंगे। जब वह स्कूल में पढ़ाने जाते हैं कोई उन्हें रुचि नहीं होती, उसका परिणाम यह होता है कि देश की शिक्षा नाम की शिक्षा रहती है और वास्तविक शिक्षा नहीं हो पाती। इस विभाग में जो खास तौर से इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है कि अगर हमारे निरीक्षक और अधिकारी वर्ग सजीव विश्वास नहीं रखते तो उनको हमारी शिक्षा से सम्बन्ध नहीं रखना चाहिये उनको हट जाना चाहिये क्योंकि इससे देश का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है।

एक सदस्य--आपका इशारा किस तरफ है ?

श्री जयराम वर्मा--इशारा तो आप समझ गये होंगे (हंसी)।

श्री उपाध्यक्ष--यह इशारा आपका दो तरफा है।

श्री जयराम वर्मा--छात्रों में अनुशासन को बढ़ाने के लिये इस बात की जरूरत है कि जो हमारी नीचे की कक्षायें हैं वहां लड़कों की संख्या इतनी ज्यादा न हो कि अध्यापक उन पर पूरा ध्यान न दे सकें। संख्या ज्यादा होने से अध्यापक लड़कों की तरफ पूरा ध्यान दे नहीं सकते और प्रारम्भिक शिक्षा के स्तर पर मैं समझता हूं कई कक्षायें एक अध्यापक के पास होती हैं। उसका परिणाम यह होता है कि अध्यापक पूरी तरह से विद्यार्थियों की तरफ ध्यान नहीं दे सकते और जब अध्यापकों का ध्यान नहीं जा पाता तो उन छोटे बच्चों का अनुशासन ठीक नहीं हो पाता। अध्यापक उन छोटे बच्चों में ठीक से अनुशासन नहीं बना पाते और जो बन जाता है बचपन से वह फिर बना ही रहता है। इसलिये प्रारम्भिक कक्षाओं के लिये इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि लड़कों की संख्या अधिक न हो और अध्यापकों के पास कक्षायें भी ज्यादा न हों। मैं इस शिकायत को सही नहीं मानता हूं कि छात्रों की संख्या के साथ-साथ उसी अनुपात में अध्यापकों की संख्या नहीं बढ़ी है। ऐसा नहीं है। छात्रों की संख्या की वृद्धि के अनुपात से अध्यापकों की संख्या में वृद्धि नहीं हो सकती है और न उसकी आवश्यकता है। छात्र की संख्या बढ़ती है तो आध्यापक की संख्या बढ़नी चाहिये, लेकिन उस अनुपात से नहीं। जैसे एक कक्षा में, कक्षा ६ में दस लड़के या २० लड़के या ३० लड़के या ३५ होंगे तब भी एक ही

[श्री जयराम वर्मा]

अध्यापक रहेगा यह नहीं कि साढ़े तीन गुना लड़के बढ़ गये इसलिये साढ़े तीन गुना अध्यापक भी बढ़ें। हां, यह जरूर है कि संख्या विद्यार्थियों की उतनी ही होनी चाहिये जितने को अध्यापक ठीक से देख सके।

इसके अलावा माननीय मंत्री जी का ध्यान मैं कुछ विशेष बातों की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। एक वर्ग अध्यापकों का गवर्नमेंट सर्विस का है। यह वर्ग है माडेल स्कूल टीचर्स का। इनकी तरफ सरकार का ध्यान अभी तक नहीं गया है और अगर गया भी तो उससे कोई परिणाम नहीं हुआ। सन् १९४७ के जी० ओ० के अनुसार गवर्नमेंट माडल स्कूल के अध्यापक जिला बोर्डों से अस्थायी तौर पर पांच साल के लिये आते थे और उनको ४५ रुपया प्रारम्भिक वेतन मिलता था जब कि सी० टी० का प्रारम्भिक वेतन ४० रुपया मासिक था। सी० टी० का ग्रेड अब ७५ का हो गया है। लेकिन उन माडल स्कूलों के अध्यापकों का वेतन-क्रम अभी वही है यद्यपि इस बीच में वह अस्थायी से स्थायी कर दिये गए हैं। उनका वेतन वही बना हुआ है। गवर्नमेंट माडल स्कूलों में जो हमारे पुराने वी० टी० सी० हैं, जिन्होंने कि हाई स्कूल, इंटरमीडियेट, शास्त्री इत्यादि की योग्यतायें प्राप्त कर ली हैं, उनके अलावा वहां पर जे० टी० सी० अध्यापक भी रखे गए हैं, काम एक है, लेकिन जे० टी० सी० अध्यापक का प्रारम्भिक वेतन ६० रुपया है जबकि पुराने वी० टी० सी० जो कि अब हाई स्कूल और इंटरमीडियेट वगैरह पास कर लिये हैं उनका प्रारम्भिक वेतन ४५ रुपया रखा गया है। तो यह भेदभाव नहीं होना चाहिये। हमारे जो पुराने वी० टी० सी० अध्यापक हैं उनका वेतन भी वही होना चाहिये जो कि जे० टी० सी० का है। एक बात और है जिसकी तरफ सरकार का, ध्यान नहीं गया है एक व्यवस्था ऐसी है कि सी० टी० ग्रेड से उन्नति करके कोई आदमी एल० टी० ग्रेड में जा सकता है। एल० टी० से उन्नति करके और आगे जा सकता है, लेकिन सी० टी० के नीचे के अध्यापक के लिये पदोन्नति का मार्ग बिलकुल बन्द है। वह कोई भी योग्यता प्राप्त कर ले, वहीं का वहीं रहेगा। तो वहां भी इस तरह की गुंजायश होनी चाहिये कि सी० टी० ग्रेड से नीच क जो अध्यापक हैं किन्हीं शर्तों को पूरा करने के बाद उनकी भी पदोन्नति होनी चाहिये।

एक बात और है। एक पुराना जी० ओ० था जिसके हिसाब से माडेल स्कूल में अध्यापक वही हो सकते थे जिनका कि एक्स्पीरियेंस ५ वर्ष का पढ़ाने का हो। लेकिन पिछले साल में दस-ग्यारह नार्मल स्कूल जो खोले गए जिनके साथ माडल स्कूल लगे हुए हैं उनमें बिलकुल नये जे० टी० सी० रख दिये गए हैं। जी० ओ० कहता है कि ५ वर्ष का एक्स्पीरियेंस होना चाहिये, लेकिन वहां बिलकुल नये-नये अध्यापक रख दिये गए हैं। और वहां पर हेडमास्टर की कोई गुंजायश नहीं की गई है। वह दस-बारह स्कूल बिना हेडमास्टर के चल रहे हैं। अगर हेड-मास्टर वहां रखे जाते तो पुराने माडल स्कूल के मास्टर ५० प्रतिशत उनमें आ जाते, लेकिन वह नहीं किया गया। इस तरफ भी सरकार का ध्यान जाना चाहिये।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदान में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। माननीय मन्त्री जी की वक्तृता सुनने से इस बात का आभास मिला कि शिक्षा में प्रगति हो रही है। शिक्षा में चतुर्मुखी प्रगति हो रही है। इसके मानने में भी मुझे कोई संकोच नहीं है। मैं मानता हूं कि माननीय मंत्री जी का प्रयास सफल हुआ है। परन्तु एक प्रश्न मेरे सामने यह आता है कि क्या शिक्षा में प्रगति हुई है या साक्षरता में प्रगति हुई है? क्योंकि दोनों बिलकुल अलग-अलग चीजें हैं। साक्षरता एक अलग चीज है। शिक्षा अलग चीज है। मैं मानता हूं साक्षरता में प्रगति हुई है। जन-संख्या के हिसाब से साक्षर लोगों में वृद्धि हुई है। परन्तु क्या शिक्षा में भी वृद्धि हुई है? श्रीमन्, जो वर्तमान शिक्षा के उद्देश्य हैं उनमें से तीन प्रमुख उद्देश्य माने गए हैं—पहला यह है कि मानवोचित गुणों का विकास हो, दूसरा है अनुशासन की स्थिरता निश्चित हो, तीसरा है कि व्यक्तिगत और सामाजिक विकास हो। इन तीनों उद्देश्यों को लेकर के ही शिक्षा संस्थायें कार्य-रत

हैं। पर मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इन तीनों उद्देश्यों में हमें कुछ सफलता मिली है? हम कुछ आगे बढ़ पाये हैं? हमारे अन्दर जितना अनुशासन, जितने मानवोचित गुण और जितना व्यक्ति और समाज का विकास था उससे आगे क्या हम बढ़ पाये हैं? तो उत्तर यही मिलता है कि नहीं। बल्कि हम उससे भी पीछे गये हैं। श्रीमन्, इसके लिए कहीं दूसरी जगह से कोई प्रमाण खोजने की आवश्यकता नहीं है। आये दिन यहीं हम देखते हैं लखनऊ में ही, लखनऊ के चौराहों पर पुलिस का सिपाही खड़ा रहता है, बी० ए० और एम ए० पढ़े हुये छात्र जिनको बच्चा नहीं कहा जा सकता है, जिनकी बुद्धि अपरिपक्व हो यह भी नहीं कहा जा सकता है, जो उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त करते हैं वही छात्र कानून को तोड़ते हुये ३,३ और ४,४ व्यक्ति एक ही साइकिलों पर चढ़े हुये जब चौराहों से गुजरते हैं तो उस पुलिस के सिपाही को मामा कहते हुये बिना किसी संकोच के चले जाते हैं। उसको मामा कहकर चिढ़ाते हैं। अगर देखा जाय तो अमीनाबाद या हजरतगंज में संध्या के समय वे छात्र वहां पर घूमती हुई बालिकाओं और स्त्रियों के साथ बोली कसते हैं। क्या यही हमारे चरित्र का उत्थान है? क्या यही अनुशासन है? क्या यही शिक्षा के सिद्धान्तों का प्रचार और प्रयास है? क्या इससे हम उन्नति कर सकते हैं? तो यह कहना पड़ेगा कि यह चीजें जब तक हैं तब तक उन्नति नहीं होगी। जब तक हमारे चरित्र का उत्थान नहीं होगा तब तक साक्षरता भले ही आगे को चले, लेकिन वास्तविक शिक्षा से हम जरूर पीछे हैं।

श्रीमन्, इतना नहीं जैसा कि अभी माननीय सीताराम शुक्ल जी ने कहा था और कलकत्ता की मिसाल दी थी 'आज' अखबार की कटिंग मेरे पास है उसमें कहा है कि कलकत्ता के ६८ केन्द्रों पर इसलिये हमला किया गया, इसलिये शीशे तोड़े गये, इसलिये निरीक्षकों को पीटा गया कि प्रश्न-पत्र कठिन था यानी वह आसान आना चाहिये। हमारी सरकार भी उसमें थोड़ा मुलायम पड़ती है। परीक्षा की कापी जिस समय निरीक्षक के पास जाती है तो इस आदेश के साथ जाती है कि इतने प्रतिशत कम से कम पास होने चाहिये। उस समय बहुत से परीक्षक ऐसा करते हैं कि जब उन कापियों को जांचते हैं तो उन में यह देखते हैं कि एक प्वाइन्ट भी कहीं पर अगर लड़के ने सही लिखा है तो उसी आधार पर नम्बर देकर पास कर देते हैं। इस प्रकार से ये आंकड़े बनाये जाते हैं दिखाने के लिये कि हमारे यहां प्रगति हो रही है और हम शिक्षा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मगर वास्तविक शिक्षा का स्तर दिन प्रति दिन नीचे जा रहा है।

श्रीमन्, दूसरी एक चीज यह है कि आज की शिक्षा में इतने ज्यादा सबजेक्ट्स पढ़ाये जाते हैं कि किसी का एक तरफ भी विकास नहीं हो पाता। उसके लिये वही कहावत हो जाती है कि "जैक आफ आल मास्टर आफ नन"। थोड़ी-थोड़ी सारी चीजों को बच्चों के दिमाग में भरने की कोशिश की जाती है उसका नतीजा यह होता है कि उनको एक चीज का भी ज्ञान नहीं हो पाता। इसका परिणाम यह होता है कि बड़े होने पर भी उनको असली ज्ञान नहीं हो पाता। आइ० ए० एस० के इम्तहान में जो उच्च कोटि के शिक्षा प्राप्त लोग जाते हैं उनसे जिस समय कोई जनरल नालेज का सवाल पूछा जाता है तो वह ऊटपटांग जवाब दिया करते हैं। इस प्रकार की बहुत सी बातें अखबारों में भी आया करती हैं। श्रीमन्, मुझे एक मिसाल याद है कि एक मर्तबा आई० ए० एस० के इन्टरव्यू में कोई महाशय गये। वह एम० ए० थे। उनसे पूछा गया कि स्वेज कैनाल कहां है तो उन्होंने उत्तर दिया कि यह पाकिस्तान की तरफ कहीं पर है। एक दूसरे से पूछा गया कि हिमालय पर्वत कहां पर है तो उन्होंने जवाब दिया कि उधर कहीं रूस के बोर्डर पर है। यह है हमारी शिक्षा का ज्ञान। कहने के लिये हम शिक्षित हो जाते हैं परन्तु वास्तविक ज्ञान से हम इतनी दूर चले जाते हैं जिसका अन्दाजा हम इन चीजों से लगा सकते हैं।

[कुंवर श्रीपालसिंह]

श्रीमन्, अभी अनुशासन के विषय पर थोड़ा सा और निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि माननीय मन्त्री जी जब तक उस पर विशेष ध्यान नहीं देंगे तब तक इस शिक्षा के स्तर का ऊंचा होना बहुत ही कठिन है। अभी नवलकिशोर जी ने कहा कि यह एक्सटेन्शन टीचर्स बिलकुल बेकार रखे गये हैं। उनका कोई भी काम नहीं है। मेरे सिंगरामऊ में एक स्कूल है। वहां एक एक्सटेंशन टीचर भेजे गये जो शहर के रहने वाले थे। जाति के सुनार थे। वहां गये थे खेती का काम सिखलाने के लिये। पर उनके सामने जौ और गेहूं का पौधा लाकर रख दिये गये और पूछा गया तो उनकी समझ में ही नहीं आया कि कौन सा क्या है। तो इस किस्म के टीचर पढ़ाने जाते हैं जिनको स्वयं ही कोई ज्ञान नहीं होता।

श्री उपाध्यक्ष---यह किस साल की कहानी है ?

कुंवर श्रीपालसिंह---यह कहानी आज के ४, ५ साल पहले की है।

श्री उपाध्यक्ष---किस जिले की है यह भी बतला दें।

कुंवर श्रीपालसिंह (व्यवधान होने पर)---मैं मन्त्री जी के लिये नहीं कह रहा हूं। मैं तो यह निवेदन कर रहा हूं कि आप इन त्रुटियों को दूर कीजिये। आप उस कुल से आये हैं जिसका काम शिक्षा देना ही था। आप अपने कुल धर्म को पूर्ण कीजिये, आप इसकी उन्नति कीजिये। मेरा आपसे यही निवेदन है। पहले के शिक्षा मन्त्री के लिये मैं कुछ निवेदन नहीं करना चाहता।

माननीय महीलाल जी ने कहा कि जातीयता का प्रचार हो रहा है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि आखिर यह प्रचार कौन कर रहा है ? उन्होंने तो तमाम सब को एक में लपेट दिया। जो प्रतिदिन यहां प्रश्नोत्तर होते हैं उनको यदि ध्यान से देखा जाय तो पता चल जायगा कि वास्तव में जातीयता का प्रचार कौन कर रहा है।

श्री उपाध्यक्ष---आपका समय समाप्त हुआ।

*श्री देवीप्रसाद मिश्र (जिला फैजाबाद)---श्रीमन्, बहुत इच्छा थी इस बात की कि माननीय शिक्षा मंत्री जी को बधाई दूं कि अध्यापकों के वेतन की बात, जिसका हम सालों से इंतजार कर रहे थे, सुनाई दी, लेकिन दुख के साथ यह भी कहना पड़ता है कि शिक्षा मन्त्री जी ने इस के साथ ही एक ऐसी चीज जोड़ दी है कि जिससे अध्यापकों की मान और मर्यादा बहुत ज्यादा नीचे गिर जायगी। आपने अभी निर्णय तो नहीं किया है कि दर्जा ६ की फीस जो माफ थी वह माफ न रखी जाय, लेकिन आपने उसकी भूमिका जरूर बांध दी कि वह फीस ली जायगी। मैं शिक्षा मंत्री जी के सामने विनम्र निवेदन करूंगा कि अभी दो महीने पहले अध्यापकों का वर्ग सड़कों पर यह नारे लगाता हुआ पाया गया था कि हमारे वेतन में वृद्धि करो। वह अध्यापक जब अपने समाज में जायगा और समाज में जब यह पता चलेगा कि उसके वेतन में वृद्धि तो हो गयी है, लेकिन दर्जा ६ के लड़कों की फीस जो माफ थी वह बंद हो गयी है तो उस अध्यापक की क्या दशा होगी ? आप शायद उसको न सोच सकें लेकिन मैं अनुभव करता हूं। जिन सड़कों पर हम गुजरे हैं और नारे लगाये हैं उन्हीं पर हमारा सिर नीचा होगा। आपने विद्यार्थियों के हाथ से रोटी छीन कर अध्यापकों के हाथ में देने का प्रयत्न किया है। यह अध्यापक के लिये शोभा की बात नहीं है। इसके अलावा आपने इसमें व्यापार भी बरता है। अध्यापकों को आप १५, २० लाख रुपया दे रहे हैं और फीस की माफी से आपको फायदा हो रहा है १ करोड़ रुपया। आप १ करोड़ का फायदा कर १५, २० लाख रुपया बांट कर यश लेना चाहते हैं। इसके लिये मैं आपको बधाई नहीं दे सकता, तो आप मुझे माफ करेंगे।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अब मैं कुछ शिक्षा की बात करना चाहता हूं । शिक्षा का मुख्य स्तर प्रारम्भिक शिक्षा है इसको हम सभी मानते हैं । प्राइमरी की दशा यह है कि अभी तक आपने ३५ फीसदी विद्यार्थियों के लिये सुविधा जुटाई है । ११ साल के शासन में ३५ फीसदी । १०० फीसदी के लिये कितना समय लगेगा अगर इसकी गणना मैं स्वतः करूं तो मुझे कबूल करना पड़ेगा कि यह आपके इस राज्य में न होगा, दूसरे राज्य में भी न होगा और देश ज्यादा दिनों तक इंतजार नहीं करेगा । इसलिये मैं जहां तक समझता हूं, आपने इस प्राब्लम को अभी तक सोचा नहीं है । प्राइमरी शिक्षा जल्द से जल्द निःशुल्क हो जानी चाहिये थी वह हो गयी, लेकिन जब तक १०० फीसदी के लिये शिक्षा की सुविधा नहीं दी जाती तब तक यह कहना कि वह निःशुल्क हो गयी है केवल कागजी बात है । वास्तविक बात तो वह तब होती जब कि हम १०० फीसदी आदमियों को शिक्षित कर सकते । लेकिन आप कहते हैं कि कठिनाइयां हैं, रुपये की कमी है, धनाभाव है, लेकिन इसका रोना कैसे ? धन तो आप कभी पूरा नहीं कर सकेंगे, १०, २० साल में भी ऐसी परिस्थिति नहीं आने वाली है कि जब आप उतना व्यय कर सकें जितना कि प्रारम्भिक शिक्षा पर होना चाहिये तो धन की कमी के कारण क्या आप इस मुख्य बात को छोड़ देंगे ? आप को इस के लिये कोई दूसरा तरीका अपनाना चाहिये । बहुत से देशों ने किया है और आप भी कर सकते हैं । शिक्षा और संस्कृति का आप बहुत नाम लेते हैं, लेकिन आप ने इस के लिये कोई तरकीब निकालने की कोशिश नहीं की है । एक महात्मा गांधी की तस्वीर यहां लग रही है । इस बुड्ढे ने एक तरकीब सोची थी । आपने उसकी हत्या तो नहीं की, लेकिन अगर उस रास्ते को यहां अपनाया गया होता तो कम से कम इस प्रान्त में प्रारम्भिक शिक्षा का प्रश्न तो हल हो ही गया होता । बिना रुपये के भी हम १०० फीसदी लड़कों को सुविधा दे चुके होते जो देनी चाहिये थी । मैं प्रार्थना करूंगा कि जब आप जानते हैं कि धनाभाव है, १०, २० वर्ष में जब हम इतना धन नहीं एकत्रित कर पा सकते तो कोई न कोई तरीका आप अवश्य ऐसा सोचें कि यह प्रारम्भिक शिक्षा सभी लोगों को दी जा सके । यह मौलिक प्रश्न है और यदि यह न किया गया तो आपकी डेमोक्रेसी क्या है ? जनतंत्र क्या है ? तमाम नारे बेकार हो जाते हैं अगर हम प्रारम्भिक शिक्षा भी नहीं दे पाते ।

दूसरी बात माध्यमिक शिक्षा की है । आपने बताया है कि इसमें विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है । ठीक है, इस पर हमें प्रसन्नता भी है, लेकिन जो मुख्य बात है वह यह कि माध्यमिक शिक्षा को एक तरह से हमारी शिक्षा का अंत होना चाहिये । उसे समाप्त कर हमें इस योग्य हो जाना चाहिये कि हम अपने व्यापार में या निजी जीवन में प्रवेश कर सकें । लेकिन वास्तविकता क्या है ? क्या आप नहीं जानते कि माध्यमिक शिक्षा का अर्थ केवल यह है कि हम शिक्षित बेकारों की संख्या बढ़ा रहे हैं ? मैंने बताया कि सभी देशों में जो धनी हैं, जहां यूनिवर्सिटी की शिक्षा दी जा सकती है, कोई रुकावट नहीं है । उनमें भी माध्यमिक शिक्षा एक तरह से शिक्षा का अंत है ९० फीसदी आदमियों के लिये, और आपके यहां माध्यमिक शिक्षा इतनी बेकार और पुरानी है कि जिसके लिये बर्नार्ड शा के शब्द याद आते हैं कि उसने कहा था कि "कुछ न कर सको तो पढ़ने चले जाओ" । माध्यमिक शिक्षा समाप्त कर उससे शिक्षित व्यक्ति कोई काम नहीं कर सकता । नतीजा यह है कि विद्यार्थी को सिवाय यूनिवर्सिटी की तरफ दौड़ लगाने के और कोई रास्ता नहीं है । मैं प्रार्थना करूंगा कि आप माध्यमिक शिक्षा पर सोचें और प्रयत्न कर ऐसा इसे बनावें कि अधिक से अधिक विद्यार्थी अपना जीवन यहीं पर सम्पूर्ण कर लें और आगे पढ़ने की कोशिश न करें । आज लड़के यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे हैं क्लर्क होने के लिये । जहां हाई स्कूल और इंटरमीडियेट होना पर्याप्त है वहां वे यूनिवर्सिटी जा कर पी० एच० डी० हो कर लौटते हैं और अपना ७ साल का जीवन बर्बाद कर के आते हैं क्लर्की करने के लिये, इसको सुधारिये । रुपये की कमी को हल करने का यह एक तरीका हो सकता है कि जो

[श्री देवीप्रसाद मिश्र]

यूनिवर्सिटी में जाने काबिल है उसी को वहां जाने दीजिये। अयोग्य लड़कों को वहां जाने देने का अर्थ है कि आप अनुशासनहीनता को प्रोत्साहन देते हैं, देश का रुपया बर्बाद करते हैं और मैंने बताया कि हजारों और सैकड़ों नवयुवकों का ४, ५ साल व्यर्थ करते हैं।

अब मैं यूनिवर्सिटी शिक्षा की तरफ जब आता हूं तो उसके विषय में एक बात की शिकायत मुझे है, वह यह है कि बाहर के देशों में जब मैं देखता हूं, खास कर रूस की तरफ जब मैं देखता हूं तो यह देखता हूं कि २५–३० बरस के जो लोग यूनिवर्सिटी से निकले हुए होते हैं, वे विज्ञान के शिखर पर पहुंच जाते हैं। ब्रिटेन और अमेरिका को जहां तक पहुंचने में ६–७ सौ वर्ष का समय लगा वहां रूस के विद्यार्थी थोड़े ही दिनों में पहुंच गये, उसका क्या कारण है? कारण स्पष्ट है, वहां यूनिवर्सिटियों में वही विद्यार्थी जाते हैं जो फर्स्ट क्लास हैं। उनके रहने-सहने आदि का सारा खर्चा स्टेट ही बरदाश्त करती है। लेकिन हमारे यहां यूनिवर्सिटियों में अच्छे लड़के तो जा ही नहीं पाते हैं क्योंकि वे गरीबों के ही अधिकतर होते हैं जो पैसा न होने के कारण यूनिवर्सिटी की शिक्षा पा ही नहीं सकते, उनके पास पर्याप्त साधन नहीं हैं। इसके लिये आपको कोई न कोई व्यवस्था करनी ही चाहिये। इस देश में जो नवयुवक होनहार है, जो देश का सिर ऊंचा कर सकता है, वह गरीबी के कारण यूनिवर्सिटी की शिक्षा से वंचित रह जाता है। ऐसी अवस्था देश के लिये शोभा की बात नहीं है। इसके लिये आपको जल्द से जल्द कोई प्रबन्ध करना होगा कि आपके देश का एक भी विद्यार्थी धनाभाव के कारण विद्या पाने से वंचित न रह जाय, इसको आप कर सकते हैं। इस तरह से कि उनको आप रोक दें जो यूनिवर्सिटी जाने के योग्य नहीं हैं। यदि आप इसको निजी स्वतः किन्हीं कारणों से न कर सकें तब तो उनको ज्यादा महत्व मैं देता नहीं हूं लेकिन मैं समझता हूं उनको आप राजनैतिक कारणों से न कर सकेंगे।

माननीय मंत्री जी ने बताया कि वे एक बिल इस सम्पूर्ण शिक्षा के विषय में लाने वाले हैं। मैं प्रार्थना करूंगा कि उसको आप जल्द ले आयें, और उसका कारण यह है कि अध्यापकों का वेतन ज्यों-ज्यों बढ़ता जा रहा है त्यों-त्यों यह आवश्यक होता जा रहा है कि प्रबंध समितियों के चंगुल से उनको मुक्त किया जाय क्योंकि अगर प्रबंध समितियां अधिक वेतन वाले अध्यापकों का शोषण करती रहीं तो सिवाय भ्रष्टाचार के और कुछ हो नहीं सकता। थोड़े वेतन वाले अध्यापक अगर उनके अन्डर रहते थे तो उसमें बुराई कम थी, लेकिन जब अधिक वेतन वाले अध्यापक प्रबंध समिति में आयेंगे तो यह मानी हुई बात है उनको एक लालच होगा और अयोग्य अध्यापक रखे जाने लगेंगे, भाई बंद, जाति बिरादरी आदि के लोगों का ध्यान रखा जाने लगेगा। इसलिये वेतन बढ़ाने के साथ ही साथ सरकार के ऊपर इस बात की भी जिम्मेदारी आ गयी है कि उन लोगों को जल्द से जल्द प्रबंध समितियों के चंगुल से मुक्त किया जाय। अगर इतना करना संभव न हो तो उनके अधिकारों को कम से कम इतना सीमित कर दिया जाय कि उन लोगों की नियुक्ति और डिस्मिसल उनके हाथ में न रहे। यदि इन दो कामों को भी आप न कर सकें तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा, यह निश्चित है।

एक बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस समय जो इन्टरमीडियेट बोर्ड है, कहना तो नहीं चाहता लेकिन वह आजकल भ्रष्टाचार का केन्द्र बना हुआ है। तरह-तरह की वहां की शिकायतें सुनने को मिलती हैं। मेरा सुझाव है कि इस इन्टरमिडियेट बोर्ड के दो हिस्से कर दिये जायं। एक हिस्सा तो वह जो कि टेक्स्ट बुक्स को रिकमेंड करता है, जो परीक्षा लेता है। उसका संबंध उस विभाग से न होना चाहिये जो शिक्षा के विषय में सिलेबस बनाता है। शिक्षा के ये दोनों मुख्य काम हैं और इनका अलहदा-अलहदा होना अत्यन्त आवश्यक है। इन दोनों को मिला देने से भ्रष्टाचार के लिये एक जगह बनी हुई है। अभी अभी ३–४ बरस पहले चुनाव हुए। बोर्ड के एक साहब ग्रेजुएट कांस्टीटुएंसी से खड़े हुए तो बोर्ड के शिक्षा इंस्पेक्टर्स का केवल एक ही काम रह गया था कि अध्यापकों से वोट मांगें और वह भी

बोर्ड के खर्चे पर। इस प्रकार का भ्रष्टाचार बोर्ड में चलता है। यह इसलिये चल रहा है क्योंकि वहां ग्रुप है, इसलिये चल रहा है क्योंकि उनके हाथ में ऐसे अधिकार हैं, जिनका वह दुरुपयोग कर सकते हैं

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां मैं माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा उठाये गये उस कदम की सराहना करता हूं जिसमें उन्होंने अध्यापकों के स्तर को ऊंचा करने की बात कही वहां मुझे यह कहने में तनिक भी हिचक नहीं है कि जिस तरह से शरीर पांच तत्व से बना है उसी तरह से आपकी शिक्षा की नीति भी निम्न पांच तत्वों से बनी है --भग्न आशा, बेरोजगारी, असमानता, अफसलता और असन्तोष। श्रीमन्, अपने भाषण में मैं इन बातों को सिद्ध करने का प्रयत्न करूंगा। मान्यवर, स्कूलों की संख्या बढ़ायी जाय और साक्षरों की संख्या बढ़ायी जाय तो इससे यह पता नहीं चलता कि हमारे प्रदेश में शिक्षा की नीति प्रगति कर रही है। मान्यवर, पूज्य बापू ने तो यहां तक लिखा है कि "लिटरेसी इन इट सेल्फ इज नो एजूकेशन" (Literacy in itself is no education) हमारे देश के प्रकांड विद्वान और पी० एस० पी० के लीडर आचार्य कृपलानी ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिये :--

"The purpose of education is to fit the individual to take his rightful place in the economic, social and political life of the community. It is rather that the individual be changed to become an enlightened citizen."

उन्होंने कहा है कि इस प्रकार की शिक्षा मिलनी चाहिये कि जिससे हम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में अपना स्थान प्राप्त कर सकें।

इसके बाद, मान्यवर, जहां तक बेसिक एजूकेशन की बात कही जा सकती है, सन् १९३७ में ही पूज्य बापू ने इसकी आधार शिला रखी। मैं आपके द्वारा माननीय शिक्षा मंत्री जी से पूछ सकता हूं कि इस २० साल के अन्दर उन्होंने इसमें कहां तक सफलता पायी है? इस शिक्षा के द्वारा क्यों नहीं राजा राम मोहन राय और लोकमान्य तिलक जैसे विद्वान पैदा किये जा सके? मैं समझता हूं कि हमारी शिक्षा नीति का जो तरीका है वह शत प्रतिशत असफल है। इसलिये इस तरफ माननीय शिक्षा मंत्री जी को तवज्जह करनी चाहिये। माननीय मंत्री जी ने बड़े ताव के साथ यह कहा कि दर्जा ७, ८ की शिक्षा को कम्प्लसरी करने की बात हम नहीं सोचते, निःशुल्क करने की बात तो अलग रही।

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--ताव का क्या मतलब?

श्री प्रतापसिंह--इसका मतलब कि बड़ी शान से।

श्री उपाध्यक्ष--माननीय सदस्य का शायद मतलब है कि आपका भाषण बड़ा ओजस्वी था।

श्री प्रतापसिंह--तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि हमारे प्रदेश की शिक्षा नीति ठीक तरीके से नहीं चल रही है। श्रीमन्, मैं आपका ध्यान यू० के० की तरफ ले जाना चाहता हूं जहां पर १९५७ में ही १६ वर्ष तक के बच्चों के लिये अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा कर दी गयी। फ्रांस में १८ वर्ष तक के बच्चों के लिये निःशुल्क शिक्षा कर दी गयी है और इस मामले में रूस तो सबसे आगे है जहां प्रथम योजना में ही सब के लिये निःशुल्क शिक्षा के लिये व्यवस्था कर दी गयी। हम तो इसको अपने यहां स्वप्न की बात ही समझते हैं कि हमारी सरकार निकट भविष्य में इस तरह का प्रबन्ध कर सकेगी। मान्यवर, हमारे यहां प्राइमरी एजूकेशन पर केवल ३३ प्रतिशत खर्च होता है जब कि वास्तव में बजट का २/३ उस पर खर्च होना चाहिये। आखिर इतना कम खर्च करने का क्या कारण है, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिये। मैं तो यह समझता हूं कि यह बजट जो बनाया जाता है वह ऐसे लोगों के द्वारा बनाया जाता है जिनके बच्चे ऐसे जीर्णशीर्ण स्कूलों में नहीं जाते हैं इसलिये यह बजट डिफेक्टिव है। उनके बच्चे तो ऐसे स्कूलों में कभी जाने की बात स्वप्न में भी नहीं सोच सकते हैं। श्रीमन्,

[श्री प्रतापसिंह]

मेरे पास समय नहीं है नहीं तो मैं सब आंकड़े भी प्रस्तुत करता। अगर सन् १९५३ के स्टेट के एजूकेशन बजट को देखा जाय तो पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में १०·८ प्रतिशत शिक्षा है और यह हिन्दुस्तान के दूसरे प्रान्तों के मुकाबले बहुत कम है।

मान्यवर, एक बात मैं एडेड स्कूल्स के बारे में कहना चाहता हूं। ऐसे स्कूलों को सन् १९४७–४८ में ५ लाख रुपये की सहायता दी जाती थी, लेकिन १९५५–५६ में उनके लिये १ लाख रुपया ही रखा गया है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि उनकी आर्थिक हालत में ऐसी कौन सी बात हो गयी जिससे यह सहायता ४ लाख रुपया कम कर दी गयी ?

दूसरी बात मुझे साक्षरता के बारे में कहनी है और वह यह है कि देहातों में यह बहुत कम है। माननीय मंत्री जी ने सदन में कहा कि सेकेंडरी हाई स्कूलों की संख्या शहरों में १११ है और गांवों में १५ है। माननीय मंत्री जी से इस बात को भी कहा गया है कि मास्टरों को मेडिकल फैसिलिटीज और पुस्तकालयों की फैसिलिटीज भी दी जायं। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं उसकी ओर क्यों नहीं ध्यान दिया गया ?

दूसरे जो असमानता की बात कही तो आज भी प्रदेश में ऐसे स्कूल मौजूद हैं जिनमें मंत्रियों के और बड़े-बड़े अफसरों के बच्चे पढ़ते हैं और छोटे किसान के बच्चों के पढ़ने के स्कूल दूसरे हैं। यह चीज समाप्त होनी चाहिये।

इसके अलावा जो कम्प्रीहेन्सिव बिल मंत्री जी ला रहे हैं उसके लाने के पहले यह जरूरी है कि पूरे प्रदेश के लिये एक एजूकेशन कमीशन बनायें। इस दिशा में भी प्रदेश क्यों नहीं आदर्श स्थापित करता ? आज, मान्यवर, कोआर्डिनेशन नहीं है। दर्जा ६ की एक किताब है। यह एक इंगलैंड रिटर्न आदमी की लिखी हुई है। उसमें एक प्रश्न ऐसा है जिसका उत्तर ही गलत है।

फीस माफी की दुहाई मंत्री जी ने दी। दूर स्थानों की बात तो मैं नहीं करता। आपके ही नगर में कान्यकुब्ज वोकेशनल कालेज है उसमें दर्जा ३, ४, ५ तक के लड़कों से फीस ली गई, देहाती स्कूलों के बारे में तो कहा ही क्या जा सकता है। लखनऊ में ही फीस ली जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष—आपका समय समाप्त हो गया।

*श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—मान्यवर, मैं उन तमाम माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस महत्वपूर्ण शिक्षा के अनुदान पर अपने सुझाव दिये। मैंने यह देखा कि दोनों ही तरफ के सदस्यों ने एक स्वर से यह स्वीकार किया कि शिक्षा की नीति में आमूल परिवर्तन होना चाहिये। इसके लिये मैं सभी सदस्यों का पुनः आभार प्रकट करता हूं। कुछ सुझाव मंत्री जी की सेवा में रखना चाहता हूं। पहला सुझाव तो यह है कि शिक्षा मंत्री जी को तत्काल प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों के लिये १०० रुपये प्रतिमास का ग्रेड तय कर देना चाहिये। दूसरा सुझाव यह है: संविधान में यह कहा गया था कि समान कार्यों के लिये समान पुरस्कार दिया जायगा तो जो ग्रेड हमारे सामने रखे गये हैं वे ग्रेड उस सिद्धान्त के आधार पर नहीं हैं, उससे विषमता और बढ़ी है उसे दूर करने की चेष्टा करनी चाहिये। विषमता इस सम्बन्ध में भी है कि जब मैं महंगाई, फंड और चिकित्सा की सुविधा को देखता हूं। तीसरा सुझाव यह है कि अध्यापकों के आवास निवास की व्यवस्था स्कूल कम्पाउन्ड्स में होनी चाहिये। चौथा सुझाव यह है कि अध्यापकों के बच्चों को बिना यह खयाल किये हुए कि किसको क्या मिलता है प्रत्येक स्तर पर उनको मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिये।

पांचवां सुझाव यह है चिकित्सा सुविधा, जिसकी घोषणा माननीय हाफिज जी ने की थी, आज तक नहीं मिली है उसके लिये तत्काल कदम सरकार की तरफ से उठाया जाना चाहिये। छठा सुझाव यह है कि १९५८ में जो हमने इंटरमीडियेट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक पास किया था उसके आधार पर जो नियम बनने हैं वे नियम तत्काल सदन के सामने लाये जायं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सातवां सुझाव यह है, जो महत्वपूर्ण है, अध्यापकों के सैकड़ों मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं शिक्षा विभाग के अधिकारियों के पास उन्हें तत्काल तय करने के लिये कोई व्यवस्था मंत्री जी करें। केवल उनको तय ही न करने के लिये बल्कि उनका फैसला कैसे कार्यान्वित होगा उसके लिये भी व्यवस्था करें। आठवां सुझाव यह है कि स्कूलों की व्यवस्था में अध्यापकों का सक्रिय सहयोग लिया जाय सहकारिता के आधार पर, व्यावसायिक दृष्टि से नहीं। एजूकेशन बोर्ड के पुनःसंगठन को सभी माननीय सदस्य चाहते हैं उसको मैं दोहराना भी नहीं चाहता। एक विस्तृत शिक्षा योजना प्राइमरी से विश्वविद्यालय तक के लिये बनायी जाय। गिरते हुए शिक्षा के स्तर के कारणों की जांच करने के लिये विशेषज्ञों की समिति नियुक्त की जाय। विद्यार्थी, शिक्षक तथा पाठशालाओं का अनुपात ठीक करने के लिये अध्यापक तथा स्कूल बढ़ाये जायं। पुस्तकालयों तथा प्रयोगशालाओं को उपयोगी सामग्री शीघ्र से शीघ्र दी जाय। दो ग्रेड सिस्टम, जैसा विश्वविद्यालय में है, इस घोषणा से ऐफीलियेटेड कालेजेज में तीन ग्रेड बन जाते हैं यह गड़बड़ी नहीं रहनी चाहिये। दो ग्रेड वहां भी प्रचलित किये जायं। घोषणा के पूर्व से १०, १५ वर्ष तक के टीचर्स जो इनएफिलियेटेड कालेजेज में काम कर रहे हैं उन अध्यापकों को घाटा होगा वह घाटा न होने पाये इसके लिये सरकार व्यवस्था करे। जूनियर, सीनियर अध्यापकों का जो नया वर्ग बनाया गया है आयु के आधार पर, यह दूर होना चाहिए। अच्छे परीक्षा-फल और अनुशासन के आधार पर माध्यमिक स्कूलों में और प्राइमरी स्कूलों में, जूनियर हाई स्कूलों में पुरस्कार की व्यवस्था होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि जिले में एक स्कूल को हर साल पुरस्कार दिया गया तो उसका परीक्षा-फल ऊपर जायगा और अनुशासन भी बढ़ेगा।

पुस्तक प्रकाशन की जो व्यवस्था है--मैं इसे भी बहुत आवश्यक समझता हूं--स्टेट ट्रेडिंग के फील्ड में इसे भी लिया जाय। प्रशिक्षित होने के अतिरिक्त डिप्लोमा लेने के बाद ब्यूरो के जिन अधिकारियों को १२० रुपये का महज ग्रेड दिया जाता है, इस अन्याय को मंत्री जी शीघ्रातिशीघ्र दूर करने की कृपा करेंगे। सभी प्रकार के लोगों के लिये एक प्रकार की शिक्षा संस्थाएं होनी चाहिए। बड़े-बड़े रईसों के लिये दूसरी और गरीबों के लिये दूसरी, इससे समाजवाद नहीं आएगा। परीक्षा पद्धति के बारे में आचार्य नरेन्द्रदेव कमेटी ने जो सिफारिश की थी, उसके लिये सारे राज्य में कोई योजना न लागू कर सकें, तो रीजन-वाइज लागू करने की कृपा करें। निर्धन तथा पिछड़ी हुई जाति की कन्याओं तथा छात्रों, सभी के लिये--किसी भी जाति की कन्या हो--हरिजन विद्यार्थियों के साथ-साथ उनकी भी माफी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। एफीशियेंसी बार मंत्री जी की कल्पना हो सकती है। लेकिन प्राइवेट मैनेज्ड जो स्कूल हैं उनमें एफीशियेंसी बार कैसे कार्यान्वित होगी, इस पर भी गौर करें। फीस माफी का जहां तक सवाल है, वे पीछे नहीं हटेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जब मंत्री जी खड़े होंगे तो घोषणा करेंगे कि हमने दसवें दर्जे तक की फीस माफ की, और ऐसी व्यवस्था कर दें कि हमारा जो राज्य है वह पंजाब के मुकाबले में कम से कम आ जाय।

गोरखपुर विश्वविद्यालय की नियुक्तियों की बहुत चर्चा हुई। उसके बारे में जो फेवरेटिज्म किया गया उसको दूर करने की कृपा करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष--यूनिवर्सिटी आटोनोमस बाडी है, उसके बारे में न कहें।

श्री रामायणराय--देवरिया में एक कृषि विद्यालय है। कुछ दिया गया जरूर है। लेकिन उसकी जो आवश्यकता है उसके सामने वह नहीं के बराबर है। कुशीनगर जो अन्तर्राष्ट्रीय स्थान है, वहां एक डिग्री कालेज है। वह बहुत बुरी हालत में है। उसकी आर्थिक स्थिति संभालने के लिये गौर करें। उससे मंत्री जी का ही नहीं पूरे देश का मस्तिष्क ऊंचा होगा। आचार्य नरेन्द्र देव के नाम पर देवरिया में एक पहली पाठशाला प्रारम्भ हुई थी। उसके पास भवन तक नहीं है। कम से कम उसके भवन निर्माण के लिये सहायता दें। उसमें कोई पुस्तकालय भी खोलने की कृपा करें।

[श्री रामायणराय]

अन्त में मेरा दृढ़ विश्वास है कि सदन के माननीय सदस्यों ने जिस उदारता के साथ और जितने खुले दिल से अपने विचार व्यक्त किये हैं शिक्षा के स्तर को उठाने के लिये, नया समाज बनाने के लिये, और उन्होंने अपने विचार व्यक्त करते समय पार्टी का और दल का खयाल नहीं रखा है वे देश के नाम पर, समाजवादी नये समाज के नाम पर हमारे कटौती के प्रस्ताव के पक्ष में अपना मत देंगे, ऐसा भरोसा लेकर मैं बैठ रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय मंत्री जी, आप तीन बजे तक अपना भाषण जारी रखेंगे। उसके बाद अनुदान पर मत ले लिया जायगा।

श्री कमलापति त्रिपाठी—मान्यवर, लोक जीवन से बहुत ही गहरा सम्बन्ध रखने वाले इस विभाग के अनुदान के सम्बन्ध में जो वाद-विवाद हुआ आदरणीय सदन में उससे सभी को बड़ा संतोष होगा क्योंकि सारे विचार-विमर्श का स्तर बहुत ऊंचा रहा है और शिक्षा से सम्बन्ध रखने वाले उसके सभी पहलुओं पर गम्भीरता के साथ विचार करने की कृपा की गई है। मैं उसके लिये माननीय सदस्यों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूं और यह स्वीकार करता हूं कि उन्होंने बहुत से ऐसे सुझाव दिये हैं जिन से हमें सहायता मिलेगी और हमारा पथ-प्रदर्शन होगा। अभी हमारे भाई रामायण राय जी ने अपने कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने की सब से प्रार्थना की। मैं क्या बताऊं अभी तो इतना ही कहा जा रहा है कि प्रदेश में शिक्षा पर कम व्यय होता है और अधिक रुपया मिलना चाहिये, लेकिन अगर जो कुछ थोड़ा बहुत रुपया मांगते-मूंगते मिला है उसमें भी कटौती की जायगी तो कैसे काम चलेगा। मैं यह प्रार्थना करने के लिये खड़ा हुआ हूं और मुझे पूरी आशा है, मेरा अनुरोध भी है कि जब मत देने का समय आये तो मैं प्रार्थना करूंगा कि माननीय रामायण राय जी अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें, रुपया दो रुपया काट कर ही वे क्या करेंगे, उससे तो कोई लाभ नहीं होगा।

जिस लम्बी तालिका को उन्होंने प्रस्तुत किया उसमें बहुत सी बातें ऐसी हैं कि जिनकी तरफ सरकार का स्वयं ध्यान है और बहुत सी बातें ऐसी हैं कि जिनको वह करना चाहते हुए भी नहीं कर पाती है और उन्हें वह करेगी अवसर प्राप्त होने पर। बहुत सी बातें ऐसी भी हैं कि जिनको करने के विषय में कदाचित् हम कुछ न कुछ कदम बढ़ा भी रहे हैं।

जहां तक फीस की बात उन्होंने कही, अभी बहिन श्रद्धा जी कह रही थीं कि श्री रामायण राय जी आपको ताव दिला रहे हैं, आपने कहा कि खड़े हो कर आप घोषणा कर दें। तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि फीस तो अभी माफ ही है, अगर माफी वापस होगी तो जुलाई में होगी, अभी तो फीस लगाने की कोई घोषणा नहीं हुई है और इस सम्बन्ध में मैं कल निवेदन कर चुका हूं कि इस विषय पर हम विचार करेंगे, तो यह प्रश्न तो अभी विचाराधीन है ही। हमारे मित्र पंडित देवी प्रसाद जी कदाचित् कल जब अनुदान पेश किया गया था वह यहां दुर्भाग्य से नहीं थे। उनकी यह बात बिलकुल सही है कि इसका कलंक, फीस को हटाने का अध्यापकों पर नहीं जाना चाहिये। हमारी भी ऐसी मंशा नहीं है कि हम एक तरफ अध्यापकों का वेतन-क्रम बढ़ायें और दूसरी तरफ फीस की माफी वापस करें। मैंने कल भी कहा था और फिर दोहराता हूं कि फीस की माफी की वापसी और अध्यापकों के वेतन-क्रम से कोई सम्बन्ध नहीं है। अगर फीस की माफी वापस न भी ली जाय तब भी वेतन-क्रम की वृद्धि तो रहती है और वापस ली गई तब भी। यह क्रम तो हम निर्धारित करते ही हैं उससे कोई सम्बन्ध नहीं है और न कोई व्यवहार करने की चेष्टा की गई है क्योंकि १ करोड़ रुपया तो माफी को वापस लेने से बचता भी नहीं और दर्जा ६ की फीस पर ६० लाख रुपया व्यय होता है, वही बचता, १ करोड़ का तो प्रश्न ही नहीं उठता। हमारी जो वेतन-वृद्धि हुई है इसकी उससे कोई बड़ी पूर्ति हो जायगी ऐसी बात नहीं है, जिस १२, १० या २० लाख का आपने जिक्र किया वह तो केवल इसी वर्ष है। वेतन-वृद्धि का हिसाब लगाकर हम देखते हैं

तो वह १९७२–७३ तक २ करोड़ तक पहुंचेगा, दस बारह वर्ष में । इस से जूनियर ट्रेनिंग कोर्स से लेकर यूनिवर्सिटी स्टेज तक सब लोग प्रभावित होंगे जिस में वह २२–२३ लाख सम्मिलित नहीं है जो कि आगामी १२–१३ वर्ष में २ करोड़ के ऊपर पहुंच जायगा। तो उससे कोई इसका सम्बन्ध नहीं है ।

एक सदस्य---६ दर्जे वाले लड़के भी बढ़ेंगे ।

श्री कमलापति त्रिपाठी---वह ज्यादा नहीं बढ़ता । ३ लाख के करीब वह भी बढ़ेगा । तो उससे बचने की कोई ऐसी बात नहीं है । इस फीस की माफी को वापस लेने का एक ही कारण है जैसा कि मैंने कल कहा था, हमें जूनियर हाई स्कूलों की माफी के प्रश्न पर इस समय विचार नहीं करना है । क्योंकि प्रारम्भिक पाठशालाओं को निःशुल्क और अनिवार्य रूप प्रदान करने की चेष्टा करनी है और भारत सरकार ने ही, जैसा कि मैंने कल निवेदन किया था, स्वयं आरम्भिक पाठशालाओं की अनिवार्यता को ५–६ वर्ष के लिये टाल दिया जब कि उन्हें १९६० में उसे कर डालना चाहिये था, जो डायरेक्टिव्स हैं कांस्टीट्यूशन के उनके मुताबिक वे नहीं कर पाये । तो केवल प्राइमरी स्कूल तक अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा चलाने के लिये १९६६ तक की उनकी योजना है और मैंने कल भी कहा था, जैसा कि पंडित देवी प्रसाद जी ने कहा कि अनिवार्य तो करो, निःशुल्क तो कर चुके हो । यह बात सही है कि अनिवार्य करने की जो योजना हमने बनायी है, जैसा कि भारत सरकार ने स्वयं माना है । तीसरी पंचवर्षीय योजना में प्रारम्भिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य करने की बात है, तो हमारे प्रदेश में करीब ८१ करोड़ रुपया खर्च होता है अनिवार्य और निःशुल्क करने में । तो हमारी सारी शक्ति उस तरफ लगनी थी और जूनियर में दर्जा ६ अकेले की फीस माफ करें और ७–८ की रखें कुछ दिनों के लिये उससे भार तो बहुत बड़ा हो जाता है सारे कोष पर और लाभ कुछ अधिक नहीं पहुंचता है । जो विद्यार्थी दर्जा ६ में गया उसे ७–८–में तो फीस देनी ही है और भार सरकार के ऊपर पड़ जाता है तो भारत सरकार ने जब स्वयं ६ वर्ष के लिये उसे टाला है प्रारम्भिक शिक्षा को और ११ से १४ वर्ष के बच्चों का प्रश्न हमारे सामने विचाराधीन नहीं है तो हम इसे वापस लें और यह एक रकम होगी जो बच जाती है ।

एक माननीय सदस्य ने एजूकेशन टैक्स लगाने की बात कही तो टैक्स लगाना तो दूर रहा यह इंडायरेक्ट ढंग से अगर उसकी एक आमदनी होती चले तो वह हम सोच रहे हैं । लेकिन उससे हमारे अध्यापकों के वेतन से कोई सम्बन्ध नहीं था । इस चीज पर गम्भीरता से विचार हो रहा है और इस सदन के माननीय सदस्यों की जो भावना उसके ऊपर है वह भी हमें ज्ञात हो ही गयी और उस पर सरकार अभी विचार कर रही है और शीघ्र ही उसमें जो कुछ उचित होगा फैसला करेगी ।

हमारे सुरथ बहादुर शाह साहब ने एक मेडेन स्पीच दी . . .

श्री उपाध्यक्ष---इस साल के एजूकेशन बजट पर मेडेन स्पीच थी ।

श्री कमलापति त्रिपाठी---मगर उनकी स्पीच बड़ी मसकुलर हो गयी । हमने तो १९४६–४७ से १९५७ की तुलना की और उसमें जो वृद्धि हुई वह बतायी, उन्होंने १९५४ और १९५५ से तुलना करके कह दिया कि इतनी है ।

श्री सुरथबहादुरशाह---क्वेश्चन ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---क्वेश्चन इज आलवेज देयर बिफोर यू (Question is always there before you) । हमने स्वयं १३.५ परसेंट कहा कि खर्चा होता है और जब अन्य विभाग जो एजूकेशन पर खर्च करते हैं वह जोड़ दिया जाय वह ५ परसेंट अगर और जोड़ दिया जाय तब १८ परसेन्ट हो जाता है, क्योंकि बहुत सा खर्चा और विभागों द्वारा भी किया जाता है । और उसमें आप

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

जानते हैं कि हमारे मेडिकल कालेजेज चलते हैं, उन पर हेल्थ डिपार्टमेंट खर्च करता है, इंजीनियरिंग कालेजेज चलते हैं उन पर पावर डिपार्टमेंट खर्च करता है, ऐग्रीकल्चरल कालेजेज और वेटरीनरी कालेज चलते हैं उन पर ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट खर्च करता है। यह तमाम खर्चा भिन्न-भिन्न डिपार्टमेंटों से होता है, लेकिन होता है एजूकेशन के ऊपर और अगर केवल एजूकेशन के बजट को ही देखें तो जैसा मैंने कल भी निवेदन किया था कि वह १३.५ परसेंट खर्च है। अगर पांच परसेंट इन लोगों का भी जोड़ लिया जाय तब कुल बजट का १८ परसेंट होता है। इसकी व्यवस्था यह है कि सिर्फ एजूकेशन मुहकमे के साथ सारा एजूकेशन नहीं है। हमारा मेडिकल एजूकेशन मेडिकल डिपार्टमेंट के साथ है, इंजीनियरिंग पावर डिपार्टमेंट के साथ है, ऐग्रीकल्चर की शिक्षा ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ है, लेकिन हैं सब एजूकेशनल इंस्टीट्यूशन्स ही और छोटे इंस्टीट्यूशन्स नहीं हैं। रुड़की यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी है हमारे डिपार्टमेंट से वह रन नहीं की जाती है, लेकिन उस पर काफी रकम खर्च होती है जिसका पैसा हमारे इस बजट में शामिल नहीं है। मेडिकल कालेज कानपुर और लखनऊ के हैं। बहुत काफी रुपया उन पर खर्च होता है। आगरा का मेडिकल कालेज है, उसमें हमारे विभाग से एक पैसा खर्च नहीं होता, लेकिन सरकार का खर्च होता है मेडिकल डिपार्टमेंट से। ऐग्रीकल्चरल कालेज, कानपुर और मथुरा का वेटरीनरी कालेज और इसके साथ ही एक बड़ी यूनिवर्सिटी बनने वाली है रुद्रपुर में, उसकी योजना चल रही है। इन सब का ताल्लुक ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से ही है, हमारे बजट से एक पैसा नहीं होता है पर हैं ये सब एजूकेशन के काम और इन सब को जोड़कर ही हम ने कल कहा था कि १८ परसेंट तक जाता है। सुरथ बहादुर शाह जी ने कहा कि हमने जगलरी की है। हमें तो कोई जरूरत नहीं होती कि हम जगलरी करें। क्योंकि हमारा लाभ इसमें अधिक नहीं होता कि हम फिगर्स कम दिखावें। हमारा लाभ तो इसमें अधिक होता है कि हम अपनी फिगर्स को आपके सामने रखें। उसमें हम जगलरी करके क्या करेंगे ?

एक यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ बातें कही गयीं। न मालूम उनके मन में कैसे यह भय पैदा हुआ और, मान्यवर, जो भयग्रस्त होता है वह समझता है कि सभी भयग्रस्त होंगे और न मालूम सब के मन में क्या हो। काफी तेजी से कुछ बातें कही गयीं। मैं नहीं जानता कि किस बात के लिये उनको संदेह हुआ। हमारे तमाम ऐक्ट्स बने हुए हैं और तमाम उनके स्टैट्यूट्स बने हुए हैं और उनको लेकर वे चल रहे हैं। अगर कहीं किसी यूनिवर्सिटी में किसी पर कोई अनियमितता है तो हर एक को राइट है। कोई भी हाई कोर्ट में चला जाता है और रिट लेकर आ सकता है। किसी नागरिक के अधिकारों पर कुठाराघात करने की कोशिश करने का इरादा न लेजिस्लेचर का है, न सुरथ बहादुर शाह जी का ही है और न हमारा ही है। वह कानूनी बात है और आदरणीय सदन ने जिस प्रकार का बिल पास किया है उसके अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

श्री सुरथबहादुरशाह---क्वेश्चन ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---योर क्वेश्चन विल नेवर साल्व, माई फ्रेंड (Your Question will never solve my dear)। संशय तो बना रहेगा : शुबहे का इलाज तो लुकमान के पास भी नहीं था। मैं कैसे इलाज करूं।

कई प्रश्न रखे गये हैं। हमारे भाई दीनदयालु शास्त्री जी ने कुछ वाराणसी के संस्कृत कालेज की यूनिवर्सिटी के बारे में कहा है। उसका स्टैट्यूट १० दिन तक हाउस के सामने रहा। उस पर किसी ने कोई संशोधन नहीं दिया। वह परिनियम बन गये। वह यूनिवर्सिटी बाडीज बन जायेगी। तीन चार महीने में उसका कोर्ट बनेगा, उसकी सीनेट बनेगी। सारे स्टैट्यूट्स यहां से मंजूर हो कर चले गये। वह बाडीज वगैरह बन गयीं। अब कोई हरिजन विद्यार्थी नहीं लिया गया इसकी कोई सूचना मेरे पास नहीं है। मेरी सूचना के अनुसार तो हरिजन

विद्यार्थी क्या विदेशी विद्यार्थी ४० से ऊपर आये हैं। कोरिया से आये हैं, चीन से आये हैं, जापान से आये हैं, बर्मा से आये हैं, लंका से आये हैं। ४० से ऊपर विद्यार्थी वहां विदेश के संस्कृत विश्वविद्यालय में हैं। अगले वर्ष और आयेंगे, ऐसी उम्मीद की जाती है। और यदि कोई ऐसी बात है कि किसी हरिजन विद्यार्थी को अस्वीकार किया गया है तो शास्त्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि वह कृपया सूचना दें। ऐसा नहीं होना चाहिये। हम चाहते हैं कि उसमें विदेशी आयें, सब आयें और संस्कृत का ज्ञानार्जन उस यूनिवर्सिटी में कर सकें। फिर इस देश के किसी निवासी के लिये वहां कैसे कोई रुकावट डाली जा सकती है ?

वहां के पंडितों के ग्रेड के बारे में, उनकी तनख्वाह के बारे में, कहा गया कि इतना ग्रेड हो गया। अब आपने उसे यूनिवर्सिटी जब बनाया तो उनका ग्रेड भी वही लागू होगा। वहां यूनिवर्सिटी ऐक्ट के मुताबिक सिलेक्शन कमेटी भी बनी। वहां के वाइस-चांसलर कोई पब्लिक सर्विस कमीशन के आदमी थे। उन्होंने प्रोफेसर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर्स का चुनाव किया। तो जब उनका सिलेक्शन हो गया तो जो ग्रेड अन्य यूनिवर्सिटीज में है वही तो देंगे। यह ठीक नहीं था कि वहां दूसरा ग्रेड रखा जाता। उसको यूनिवर्सिटी बनाने के बाद लोअर ग्रेड रखना उचित नहीं था और उसको वह प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होती जो होनी चाहिये। अब दीनदयालु जी भी जो संस्कृत के बड़े प्रेमी हैं इस बात को कभी नहीं सोच सकते हैं। यूनिवर्सिटी का काम स्टैट्यूट्स बन जाने के बाद और तेजी से चलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है।

माननीय रामायणराय जी ने कहा था कि दर्जा एक के बाद पांच तक लड़के नहीं पहुंच पाते हैं। यह तो मानी हुई बात है कि प्राइमरी के बाद जूनियर हाई स्कूल में संख्या कम होती है और इसके बाद हाई स्कूल तथा इंटर तक बहुत कम पहुंचते हैं और शायद २० प्रतिशत भी नहीं पहुंच पाते। यूनिवर्सिटी में और भी कम जाते हैं। जहां तक प्राइमरी में संख्या कम हो जाने की बात है इसमें शिक्षा नीति की कोई बात नहीं है। दर्जा एक के बाद दर्जा ५ में लड़के वैसे ही कम हो जाते हैं। इसके अनेक कारण हैं और यह बात नहीं है कि सरकार की दृष्टि उधर न गयी हो। यह भी नहीं है कि हमने इसका कोई सर्वेक्षण या पर्यवेक्षण नहीं कराया। हमने भी किया, दूसरे प्रदेशों ने भी किया और विदेशों में भी यह बात है कि वहां भी संख्या आगे चलकर कम हुई है और वहां भी यह हुआ है। इसमें अनेक कारण होते हैं। हमारी सामाजिक परिस्थिति ही एक कारण है, हमारे देश की अत्यन्त गरीबी भी एक बड़ा कारण है कि लोग छोटे बच्चों को स्कूल में भेज देते हैं और कुछ दिन बाद काम में लगा लेते हैं। हमारे यहां पढ़ाने लिखाने की रुचि नहीं है, आर्थिक स्तर गिरा होने के कारण। इसी तरह से और अनेक कारण हैं।

लड़कियों में शिक्षा और भी कम होती है। जहां ७–८ साल की बच्ची हुई कि देहात में उसका लड़कों के साथ पढ़ना भेजना सम्भव नहीं क्योंकि यह समझा जाता है कि "अष्ट वर्षा भवेत गौरी दशवर्षा तु रोहिणी"। इसलिये १, २ दर्जे में बच्चियां चली जाती हैं और जहां ८ वर्ष की हुईं कि उनका जाना सम्भव नहीं होता। अवसर स्कूल भी दूर होते हैं और मील दो मील तो जाना ही पड़ता है और लड़कियों को नहीं भेजते हैं, इसलिये उनकी संख्या कम होने लगी है। इसलिये अनिवार्य है कि हम प्राइमरी शिक्षा को अनिवार्य बनायें कानूनन कम से कम ४–५ दर्जे तक पढ़ायें और जितनी सुविधायें आवश्यक हों वह दी जायं। जैसे नजदीक नजदीक स्कूल हों, अध्यापक हों और वहीं उनके रहने के लिये जगह हो जिससे वह बच्चों को पकड़ कर ला सकें। अध्यापक बच्चों को हांक कर भी ले आते हैं। वह सुबह निकलते हैं और गांव में जा कर कहते हैं कि "चल भैया, चल भैया" आये तो ठीक है वरना निकल गये तो भैया तिड़क कर भाग गये। फिर सामाज की परिस्थिति बदले, रुचि भी बढ़े तो आप देखेंगे कि धीरे-धीरे शिक्षा में सुधार होगा। संख्या की बात आपकी सही है और इसमें शिक्षा विभाग

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

की कोई नीति नहीं है कि कम होती चली जाय । यह तो एक प्रश्न है, एक समस्या है जिसकी ओर ध्यान देना है और इस समस्या का हल निकालना है । बड़ा भारी कदम यह होगा कि हम प्राइमरी शिक्षा को अनिवार्य करें और जैसे भी हो और जितना हो सके इसके लिये पैसा मुहय्या करें । पंडित देवी प्रसाद जी ने कहा कि २५ साल तक हम नहीं कर सकेंगे । जैसे कहा है कि :—

"विघ्ने पुनपुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारम्भ्य चौत्तमजना न परित्याजन्ति ।"

यानी काम शुरू करके पीछे नहीं हटना चाहिये । आप देखें कि हम यह सम्भावना नहीं करते थे कि अंग्रेज हमारे बीच में से चला जायगा, वह चला गया । देश स्वतंत्र हुआ आज । बहुत कुछ हम आगे बढ़े हैं । कार्य कठिन है । प्रधान मंत्री ने स्वयं स्वीकार किया है कि हमने ६ वर्ष की जो अवधि रखी है इसमें भी पूरा कर सकेंगे या नहीं, इसमें संदेह है । इसमें ३०० करोड़ से ऊपर खर्चा होगा । कहां तक इस बोझ को उठा सकेंगे, यह देखने की बात है। पर संकल्प तो है ही कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में सम्पादित करेंगे ।

हमारे एक भाई ने यह कहा कि जो ग्रांट देते हो बिल्डिंग वगैरह की वह देहातों को नहीं देते । यह बात सही नहीं है । जो बिल्डिंग्स के लिये ग्रांट्स दी गयी हैं उनको अगर आप देखें, मेरे पास तालिका मौजूद है शायद ६८ प्रतिशत वे संस्थाएं हैं जो देहाती संस्थाएं हैं, जिनको भवन का अनुदान दिया गया है । शहरों की संस्थाएं तो फिर भी कुछ देहात की संस्थाओं से सम्पन्न मानी जा सकती हैं । इसलिये बिल्डिंग वगैरह का धन अधिकतर देहात की संस्थाओं को ही दिया गया है ।

मान्यवर, जो फुटकर बातें यहां कही गयीं उनमें से प्रत्येक का उत्तर देने में बड़ा समय निकल जायगा, जैसे गुरुकुल कांगड़ी विद्यालय के सम्बन्ध में । उसको ५ हजार रुपया दिया और आगे भी देने की कोशिश करेंगे । कुछ और खास विद्यालयों की बात कही गयी । उनमें से बहुतों को अनुदान दिया गया और दूसरे बहुतों को दिया जायगा ।

दो तीन बातें बुनियादी तौर पर कही गयीं । वे बातें ऐसी हैं जिनसे मैं बहुत कुछ सहमत हूं । एक बात यह कही गयी कि जो शिक्षा पर खर्च होता है वह बहुत कम है । दूसरे प्रदेशों की अपेक्षा खर्चे का अनुपात कम है । मैं इस बात को स्वीकार करता हूं । अवश्य शिक्षा पर कम है और बढ़ना चाहिये । जिन सदस्यों ने इसकी ओर ध्यान आकृष्ट किया सरकार को उनसे बल ही मिलेगा । इस विभाग को यह मांग करने में कि और धन दिया जाय, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह बड़ा महत्वपूर्ण है और ऐसा विषय है कि जिसकी समानता क्या । बिना शिक्षा के हम अगर विकास की बात करें तो बहुत दूर तक नहीं जा सकते । इस बात को हम स्वीकार करते हैं । इसकी ओर हम सचेष्ट रहेंगे कि अधिक से अधिक इस दिशा में हम अग्रसर हो सकें ।

बालिकाओं की शिक्षा के सम्बन्ध में हमारी बहनों ने काफी संख्या में अपनी राय दी । उसे मैं स्वीकार करता हूं । वह बिलकुल सही है । हमारे प्रदेश में बालिकाओं की शिक्षा के ऊपर रुचि भी उत्पन्न करने की आवश्यकता है और व्यवस्था भी करने की आवश्यकता है । सुरथबहादुर जी ने कहा कि स्तम्भ खाली अध्यापक ही नहीं है महिलाएं भी हैं । ठीक है । स्तम्भ क्या, वे तो आधार ही हैं क्योंकि जब तक महिलाएं सुशिक्षिता न हों तब तक न व्यक्ति और न समाज ही सुशिक्षित हो सकता है । हमारे देश में कहा गया है 'त्वाम् बुद्धिर्बोध लक्षणा' । वह भगवती का स्वरूप है । बोध लक्षणा बुद्धि रही है । यह खेद की बात रही है कि चाहे जो कारण रहा हो, सामाजिक परिस्थिति रही हो हमने अधिक प्रगति नहीं की । उस दिशा में भी ध्यान देने की आवश्यकता है ।

एक तीसरी बात बार-बार कही गयी शिक्षा में आमूल परिवर्तन करने की। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसके बारे में कई बार इस आदरणीय सदन में चर्चा हो चुकी है और जब इस सदन में इस विभाग का अनुदान आता है तो कहा जाता है कि शिक्षा की पद्धति में आमूल परिवर्तन की जरूरत है।

एक सदस्य—आप भी मानते हैं कि आमूल परिवर्तन होना चाहिये?

श्री कमलापति त्रिपाठी—द्वाभ्यां तृतीयो न भवामि राजन्। दो आदमियों के बीच में तीसरे आदमी को बोलना नहीं चाहिये। यह हमारे शास्त्र की परम्परा है तीसरा घुसता है तो उसके लिये जो संज्ञा दी गयी है अनपार्लियामेंट्री हो जायगा अगर कहूंगा तो।

मैं, श्रीमन्, निवेदन कर रहा था कि आमूल परिवर्तन की बात कही गयी। आमूल परिवर्तन का प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं तो रामायण राय जी से भी, अपने यादवेन्द्रदत्त जी नहीं हैं और भी जिन लोगों ने इसकी चर्चा की है, उन सब से यह कहना चाहता हूं कि वह विचार करें कि आमूल परिवर्तन वाला जो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है? कभी-कभी नारे भी लग जाते हैं। बहुत दिन हुये अंग्रेज के जमाने में आमूल परिवर्तन की बात कही जाती थी कि पद्धति शिक्षा की बड़ी दोषपूर्ण है और बदलना चाहिये और उसके जाने के बाद यह बात सोचते रहे कि आमूल परिवर्तन होना चाहिये। सवाल यह होता है कि आमूल परिवर्तन का क्या स्वरूप है। हमारी शिक्षा पद्धति वही नहीं रह गयी है जो आज से दस वर्ष पूर्व थी। आज जितना चाहें शिक्षा विभाग की टीका टिप्पणी करें और जितना चाहें यहां हम सब को अधिकार है शिक्षा के जो हमारे अधिकारी हैं उनको अयोग्य और निकम्मा घोषित करने की चेष्टा करें। पर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज दस वर्षों के बीच में हमारे यहां की शिक्षा पद्धति और क्रम में परिवर्तन हुआ है या नहीं इसे आप देखें और देखें क्या अपने उन आदरणीय अध्यापकों से पूछें जो अध्यापन के कार्य में और शिक्षा के प्रसार में लगे हुए हैं। अब वह पद्धति नहीं रह गई है कि स्कूलों में किसी प्रकार रटा करके पास करा दें। है कुछ, लेकिन बहुत कुछ परिवर्तन आ है नई भावनाओं का व नयी दृष्टि का व कुछ नये विषयों का भी प्रवेश हुआ है। आपके यहां सैनिक शिक्षा का भी कुछ थोड़ा-थोड़ा प्रवेश हुआ है, स्काउटिंग का भी कुछ प्रवेश हुआ है, फिजिकल शिक्षा का भी प्रवेश हुआ है। जितनी कल्चरल और लिटरेरी ऐक्टिविटीज हमारे स्कूलों में हैं उनको मैंने अभी देखा तो मुझे आश्चर्य हुआ कि कैसे यह इतना हुआ, बालिकाओं और लड़कों के विद्यालयों में। सोशल एजूकेशन की भी बात चली है और जिस प्रकार विद्यार्थियों की समस्त वृत्तियों को उभड़ने का अवसर प्रदान करने की चेष्टा हो रही है उससे स्वयं स्पष्ट है कि आपकी पद्धति में बड़ा परिवर्तन हुआ है। टेक्निकल शिक्षा का भी कहीं-कहीं प्रवेश हुआ है। यह बात है कि उस क्रम में, उस पद्धति में, एक परिवर्तन होता चला जा रहा है। अवश्य ही मैं स्वीकार करता हूं कि अभी तक उसकी एक निश्चित रूप रेखा नहीं बनी है और जैसा कि मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं उसका बनना बहुत आवश्यक है। इसके लिये सरलता होगी उस दिन जिस दिन शिक्षा का एक वास्तविक लक्ष्य आप निर्धारित कर लें, एक आदर्श जिस दिन उसके लिये निर्धारित हो जाय कि किस लिये शिक्षा हो, कैसी हो, क्या उसका आदर्श हो। जिस दिन यह हो जायगा उस दिन आपकी सारी शिक्षा पद्धति में सब प्राण आ जायेंगे जो आप उसमें डालना चाहते हैं।

आज जरूर कमी है देश में इस बात की कि शिक्षा का अभी कोई हम एक दर्शन नहीं बना पाये। हमारे भाई गोविंद सहाय जी नहीं है, उन्होंने कल बहुत सी बातें कहीं। समाजवाद की व्यवस्था हो रही है तो समाजवाद की शिक्षा दे दें, अब लोकतंत्र की व्यवस्था हो रही है तो लोकतंत्र की शिक्षा दे दो। क्या दे दो, कैसे दे दो? लोकतंत्र की शिक्षा क्या कोई रीडर पढ़ने से होगी या समाजवाद की शिक्षा कोई एक पाठ रटाने से और उस पर परीक्षा लेने से होगी? हां, हमारी पुस्तकें उससे भिन्न न हों, उनमें उस आत्मा का समावेश हो यह भी माना, पर वे सारी चीजें स्कूलों में पढ़ा देने से वैसा ही मनुष्य बन जायगा, एसा समझना जरा मुश्किल मालूम

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

होता है। फिर यह कैसे हो, किस स्टेज पर हो, किस प्रकार से हो, कौन से हैं उसके अवयव जिनके द्वारा इन संस्कारों को बदलने की चेष्टा हो, यह प्रश्न है। हमारे देश में कोई फिलासफी एजूकेशन की नहीं बन पायी और इसीलिये उस लक्ष्य की प्रतिष्ठा हम नहीं कर पाये हैं। अंग्रेजों के जमाने में तो एक थी उनकी फिलासफी। पढ़ाओ लड़कों को इसलिये कि हमारे बाबू का काम कर सकें और उनके ऊपर अपनी संस्कृति का असर डाल सकें, यह सीधा लक्ष्य था। उस तरफ वह तेजी से लेगये और बहुत कुछ सफलता उन्हें उसमें प्राप्त हुई। प्राचीन काल में भी हमारे यहां की शिक्षा का लक्ष्य था .....

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---लक्ष्यहीन कब तक रखेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---नहीं, रखेंगे नहीं, यह तो मैं, अपनी कमी की ओर, और सारे देश की सारे विद्वानों की कमी की ओर ध्यान दिला रहा हूं। मैं यह कहूं कि मैं कोई आदर्श शिक्षा को आज प्रतिष्ठित कर दूंगा तो यह मेरी अहम्मन्यता होगी और घोर धृष्टता होगी। मैं तो यह निवेदन कर रहा था कि हमारे देश में शिक्षा आदर्शाभिमुख थी। "साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशु पुच्छ विषाण हीनः" मनुष्य मनुष्य ही नहीं होता था जब तक कि वह सुशिक्षित न हो। द्विजत्व की प्राप्ति उसे होती थी दीक्षा लेने पर। उसका दूसरा जन्म उस समय से होता था। जब तक वह उन संस्कारों को प्राप्त नहीं कर लेता था तब तक वह मनुष्य नहीं समझा जाता था, पशु समझा जाता था। जिस दिन उसे दीक्षा मिली उस दिन से उसका मनुष्य का जन्म प्रारम्भ होता था और वैल्यूज़ के ऊपर शिक्षा थी हमारी। हमारे देश की शिक्षा का आदर्श श्रीमन्, यह था कि शिक्षा व्यक्ति केन्द्रित थी। मनुष्य के भाव-जगत की उन्नति हो किसी लक्ष्य की ओर और वह लक्ष्य था हमारे देश का, उस तरफ ले जाने के लिये वह शिक्षा होती थी। विद्या ददाति विनयम् विनयात् याति पात्रताम् मनुष्य पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि प्राप्त करे, यह शिक्षा थी। आज हमारे सामने कोई लक्ष्य नहीं। हम भटकते हैं कि हमारी शिक्षा ऐसी हो जिससे बच्चा कुछ कमा सके, हमारी शिक्षा ऐसी हो जिससे कि बच्चे कुछ पढ़ लिखकर के नौकरियों में जा सकें। नहीं मिलती है नौकरी तो हमारी शिक्षा ऐसी हो जाय कि कुछ कल कारखानों का काम सिखा दिया जाय। हमारी शिक्षा कैसी हो, किस लक्ष्य को लेकर हो, इस विषय में जो एक-एक प्रश्न हमारे सामने उठते रहते हैं उन्हीं में हम टटोलते रह जाते हैं।

वास्तव में हमारी समझ में तो शिक्षा का लक्ष्य जहां यह हो कि मनुष्य को योग्य बनाओ जिससे कि वह अपने जीवन का यापन कर सके, ठीक है, पात्रता आनी चाहिये, योग्यता तो उसमें होनी भी चाहिये पर वह योग्यता प्राप्त करे शिक्षा के द्वारा केवल इसलिये कि वह नौकरी पा ले या रोजगार पा ले। 'अर्थकरी च विद्या', इतना ही उसका लक्ष्य नहीं होना चाहिये। कोई भी व्यवस्था स्थापित कीजिये उसका आधार मानना होता है। उन वैल्यूज़ को अगर हम क्रियेट कर सकें, उत्पन्न कर सकें और प्रतिष्ठित कर सकें जिनका सम्बन्ध मनुष्य के जीवन से होता है और जिनसे उसका संस्कार होकर वह एक उन्नत प्रकार का मानव बनता है तो कोई भी व्यवस्था हो वह स्थापित की जा सकती है। समाजवादी व्यवस्था भी तभी चल सकती है।

(इस समय २ बजकर ५२ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

आज आप सारी भौतिक उन्नति कर दीजिये लेकिन मनुष्य में यदि वह उन्नत भाव न आये, उसकी विशिष्टता और शुभ्रता उसमें न पैदा हो तो फिर जो उन्नति आज कर दी जायगी उसका भी सुख वह नहीं भोग सकेगा। दुनिया के सामने आज यही बात है। मनुष्य को सुविधायें बहुत प्राप्त हुई, लेकिन उसका भाव-जगत इतना उन्नत नहीं हुआ है। यदि शिक्षा का एक लक्ष्य ऐसा हो तो आमूल परिवर्तन तो उसमें आप से आप हो जायगा। यह कोई सरकार कर देगा कोई हमारे ऐसा छोटा-सा मिनिस्टर करदे, यह मैं समझता हूं कि सम्भव नहीं है।

इस कार्य को कर सकेगा विद्वान् ही, पंडित ही, वही जो शिक्षा के क्षेत्र में लगा हुआ है, वही जिसने जीवन पर्यन्त उसमें साधना की है, या देश का एक सामूहिक मन और भाव और बुद्धि इस विषय में इस विषय की प्रतिष्ठा कर सकेगा और यही होना भी चाहिये। किसी सरकार के हाथ में सारी शिक्षा पद्धति के सूत्र को दे देना यह टोटैलिटैरियन स्टेट की बुद्धि रहती है जिसमें पूरा ब्रेन वाश होता है। हमारा तो यही काम है कि सरकार मार्ग की बाधाओं को दूर करे और उन पंडितों और विद्वानों के द्वारा उस शिक्षा के आदर्श की प्रतिष्ठा हो, उसके लक्ष्य की प्रतिष्ठा हो जिसके प्रकाश में मनुष्य के भावों की उन्नति हो। उन्नत भावापन्न मनुष्य जब होगा तो कोई भी व्यवस्था, चाहे समाजवाद की हो, चाहे लोकतंत्र की हो, चाहे भौतिक उन्नति की भी हो, मैं समझता हूं कि वह सामूहिक रूप से चल सकेगी।

अब जो यह आमूल परिवर्तन की बात है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी तक जो पद्धति हमारी है उस पद्धति से हमें सन्तोष नहीं है। उसमें हमारी प्रगति नहीं हो रही है, न भौतिक और न आध्यात्मिक। उसमें कमी है। उस कमी की तरफ हम सचेत हैं और उस कमी को दूर करने की ओर बराबर चेष्टा हो रही है और अपनी उस पद्धति में बहुत कुछ परिवर्तन भी हो चुका है परन्तु यह सही है कि अभी तक उसका सम्पूर्ण स्वरूप इस देश के सम्मुख व्यक्त नहीं हुआ है। इसलिये उसकी चेष्टा बराबर तेजी के साथ हो रही है।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--वह व्यापक विधेयक कब तक आ रहा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--वह तो आप लोग लायेंगे। मुझे उसमें क्या करना है ? आप मार्ग दर्शन करेंगे तब आयेगा। हां, केवल "विद्या विवादाय, धनं मदाय शक्तिः परेषां परिपीडनाय" रही, अगर आप का पांडित्य विवाद के लिये ही रहा, तब कुछ नहीं होगा। अगर उसके लिये कुछ मार्ग सुझा सके तो कल्याण मार्ग पर चल सकेंगे।

हमारा जो अनुदान प्रस्तुत किया गया है उसका समर्थन करना चाहिये। इस अनुदान में शिक्षकों के वेतन-क्रम के सम्बन्ध में प्रयास किया गया है और अन्य भी कुछ आयोजन अगले वर्ष के लिये हैं, उनके प्रयास के लिये भी इसमें है। जितनी बातें यहां पर कही गयी उनके सम्बन्ध में मुझे जो कहना था वह मैं कह चुका और फिर कहता हूं कि, हमारे प्रदेश में हमारी माध्यमिक शिक्षा को अधिकाधिक मूल्य और अधिकाधिक महत्व प्राप्त होगा। मैं देवी प्रसाद जी की इस बात से बिलकुल सहमत हूं कि हमारी माध्यमिक शिक्षा का वह स्तर होना चाहिये, जिसके करने से वह अपने स्वरूप में सम्पूर्ण हो और वहीं वे केवल बैठे न रहें कि हर एक यूनिवर्सिटी की ओर जाय और उसके लिये दूसरा मार्ग और गति न रह जाय। इस विषय का सम्बन्ध बड़े प्रश्नों से है और सरकार का ध्यान उस ओर है। इस विषय पर, जैसा कि मैंने आपसे कहा, वह भी हमारी सेकेंडरी एजूकेशन का अंग है, गवर्नमेन्ट आफ इंडिया भी विचार कर रही है और हमारा भी उस पर विचार हो रहा है। वह भी एक महत्वपूर्ण विषय है। इस ओर भी हम प्रयास करेंगे।

इन्टरमीडियेट एजूकेशन का व्यापक जब कोई विधेयक हमारे सामने आयेगा तो उसमें सब लोगों की, सब विशेषज्ञों की, सम्मति होगी और हम उस दिशा में जरूर अग्रसर होंगे। प्रारंभिक शिक्षा के विषय में मैं निवेदन कर चुका कि उसको अधिकाधिक बढ़ाना है। हमारे उनके अध्यापकों की तादाद बहुत अधिक है, उनके लिये २।। रुपये की वृद्धि कोई खास वृद्धि नहीं है किन्तु २,४ वर्षों से अब इस ओर बढ़ते गये हैं और हम यह आशा करते हैं कि हम इस दिशा में अपना कदम बढ़ाते रहेंगे।

अध्यापकों के कुछ और वर्ग हैं जिनकी ओर ध्यान आकर्षित किया गया। लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक ओरिन्टयल सेक्शन है, उसमें पंडितों का डिप्लोमा कोर्स चल रहा है। बहुत दिनों से उसकी मांग थी। उसको किया और हमने उनकी मांग को स्वीकार किया और वह ग्रेड उनको दिया जो कि असिस्टेन्ट प्रोफेसर का है। माडल स्कूलों के टीचरों की बात कही गयी। उस तरफ सरकार विचार कर रही है। जे० टी० सी०

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

और वी० टी० सी० के मसले पर भी हम विचार कर रहे हैं। वह प्रश्न केवल हमारे स्कूलों से सम्बद्ध नहीं रहा बल्कि वह प्रश्न तमाम उन सेकेंडरी स्कूलों से सम्बद्ध है जो लोकल बोर्ड के द्वारा चलाये जाते हैं। तो इस विषय पर विचार करने की आवश्यकता होगी और हम उसको देख रहे हैं। साहित्यरत्न के सम्बन्ध में प्रश्न उठाया गया। मैं कहना चाहता हूं कि जहां पर इन लोगों ने २ वर्ष तक इन्टरमीडियेट को पढ़ाया हो वहां पर उनको ट्रेन्ड ग्रेजुएट का ग्रेड दिया जाय। लैंग्वेज टीचरों का मामला भी हो गया है। वे अगर किसी इन्टरमीडियेट कालेज में पढ़ा रहे हैं तो उनको अन्डर ग्रेजुएट का ग्रेड दिया जाय। आर्ट्स टीचरों के बारे में सरकार विचार कर रही है। ये तमाम प्रश्न उठाये गये और उनकी ओर हमारी दृष्टि है और हम उन पर शीघ्र ही कुछ निर्णय कर सकेंगे।

अन्त में मैं अपने भाई रामायणराय जी से प्रार्थना करता हूं कि इस अनुदान को बिना कटौती के पास हो जाने दें और अगर उन्हें बिना कटौती के सन्तोष न हो तो मैं और माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि वे इसमें सम्मिलित न हों। मेरी विद्यार्थियों से, अध्यापकों से और उन व्यवस्थापकों से, जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा का ७५ फीसदी भार उठा रखा है और जिनमें से बहुतों ने अपना सारा जीवन और शक्ति लगाकर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा के विस्तार में जनता और सरकार की सहायता की है, जिसके लिये हमें उनका कृतज्ञ होना चाहिये, सबसे यही प्रार्थना करता हूं कि हमारे शिक्षा के क्षेत्र में एक स्थिरता ले आने की आवश्यकता है। जैसा भाई गौरीशंकर राय जी ने कहा कि स्कूलों में पार्टीबंदियां हो जाती हैं, इस प्रकार के झगड़ों को दूर करके हम सब शिक्षा के पवित्र कार्य में लगें। देश के सामने अधिक समय नहीं है। एक कानून भी बना है और अध्यापकों के वेतन भी स्थिर हुए हैं। शिक्षा का स्तर ऊंचा करने की चेष्टा में हम सबका सहयोग हो। स्तर भी उठेगा, जब कि विद्यार्थी और अध्यापक का प्रयास होगा और पठन-पाठन की ओर उनका विशेष ध्यान होगा। हमें विश्वास है कि उनकी कृपा हमें प्राप्त होगी और स्तर को ऊंचा उठाने में उनका आशीर्वाद और सहयोग इस प्रदेश की जनता को और हम सबको प्राप्त होगा और उत्तरोत्तर हम इस दिशा में अग्रसर होते जावेंगे। बजट में जो कमी है जिसके कारण हम बहुत सी बातें कर नहीं पा रहे हैं, मैं आशा करता हूं कि अगले वर्ष से हम उनको करने में समर्थ हो सकेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं आदरणीय सदन से प्रार्थना करता हूं कि इस अनुदान को स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---मैं शिक्षा मंत्री जी की तारीफ करता हूं कि उन्होंने स्पष्ट तरीके से कह दिया कि जो शिक्षा इस समय चल रही है न तो उसका कोई आदर्श है, न लक्ष्य है और न कोई ध्येय है। जब वह स्वतः ऐसा समझते हैं तो क्या इस सदन से आदर्शविहीन शिक्षा पद्धति के लिये अनुदान मांगना मंत्री जी के लिये शोभा देता है ?

श्री अध्यक्ष---इसका उत्तर माननीय सदस्य स्वयं दे लेंगे।

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)---मेरा वैधानिक प्रश्न है कि इस अनुदान के लिये सदन ने ३ बजे तक का समय निश्चित किया था और अब ३ बजकर २ मिनट हो गये हैं। तो क्या इस मद पर हम आगे अब कार्यवाही कर सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष---मेरे आते ही मुझे मालूम हुआ कि उपाध्यक्ष जी ने यहां से यह घोषणा कर दी थी कि ३ बजे तक उत्तर देने का समय मंत्री जी का होगा। उसी के अनुसार यह हुआ है, तो इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है।

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर १ रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य---नीति का व्योरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है विश्वविद्यालय सम्बन्धी सरकारी नीति तथा उनके कार्य में हस्तक्षेप का किया जाना उचित नहीं है।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, क्या आपके पास कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि इस आदर्शविहीन शिक्षा के लिये अनुदान देने से स्वतः रोक दें ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--यह आदर्शविहीन की बात नहीं है । अगर अपनी कमी दिखाई देती है तो उसकी ओर दृष्टि रखना ही सबसे बड़ा आदर्श है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ :--

पक्ष में--४३,
विपक्ष में--११३ ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर १ रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य--नीति का ब्यौरा जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है--माध्यमिक पाठशालाओं की दशा खराब होना ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य --नीति का ब्यौरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है--प्राइमरी पाठशालाओं की दशा में सुधार की आवश्यकता है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य-नीति का ब्योरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है--वर्तमान शिक्षा प्रणाली समाजवादी लक्ष्य को प्राप्त कराने में पूर्णतया असफल रही है, अतः उसमें आवश्यक परिवर्तन के लिये सुझाव देना ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)--अध्यक्ष महोदय, मैं वापस लेना चाहता हूं ।

श्री राजनारायण--मैं इसका विरोध करता हूं ।

(सदन की अनुमति से प्रस्ताव वापस लिया गया ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य--नीति का ब्यौरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है--हाई स्कूल तक निःशुल्क शिक्षा न दिया जाना ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)--अध्यक्ष महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहता हूं ।

(सदन की अनुमति से प्रस्ताव वापस लिया गया ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर १ रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य--नीति का ब्यौरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है--वर्तमान शिक्षा प्रणाणी निरुद्देश्य होने के कारण शिक्षित वर्ग में व्याप्त बेरोजगारी को दूर करने के लिये शिक्षा नीति में मौलिक परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता पर विचार ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री (जिला मेरठ)---श्रीमन्, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेती हूं।

(सदन की अनुमति से प्रस्ताव वापस लिया गया।)

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---श्रीमन्, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से प्रस्ताव वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २०---शिक्षा---लेखा शीर्षक ३६---वैज्ञानिक विभाग और ३७---शिक्षा के अन्तर्गत १६,२०,०७,८०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४२---लेखा शीर्षक ५७---अनुसूचित और पिछड़ी जातियों का सुधार और उत्थान

श्री कमलापति त्रिपाठी---मान्यवर, मैं राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४२---अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान---लेखा शीर्षक ५७---प्रकीर्ण के अन्तर्गत १,५१,३९,४०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय।

मान्यवर, इस विभाग द्वारा हरिजनों की अनुसूचित तथा पिछड़ी जातियों के उत्थान की दिशा में जो काम किया जाता है, वह दो हिस्सों में विशेष रूप से बांटा जा सकता है। जो अनुदान प्रस्तुत किया गया है उसमें एक काम तो इस विभाग का यह है कि इसके द्वारा इन वर्गों के शिक्षा के प्रसार में उनको सहायता देना है और दूसरा काम उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार तथा उनकी कठिनाइयों का परिहार करना है। दो प्रकार के काम इस विभाग के द्वारा होते हैं। इस विभाग के अनुदान के लिये यदि इसके आय-व्यय को आप बजट में देखें और उस पर दृष्टिपात करें, तो ऐसा लगता है कि इसमें १,५१,३९,४०० रुपये जो हैं, उन में से जो सबसे बड़ी रकम है, वह शिक्षा के लिये है। हमारे हरिजन विद्यार्थियों, पिछड़ी तथा अनुसूचित जातियों तथा मोमिन अन्सार के बच्चों की शिक्षा के लिये सबसे बड़ी रकम इस विभाग की इस दिशा में खर्च होती है।

आज हमारे हरिजन विद्यार्थी जो हमारे प्रदेश में शिक्षा पाते हैं, उनकी तादाद आरम्भिक दर्जों से लेकर डिग्री कालेजों तक करीब ६ लाख हैं। ये सब विद्यार्थी निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकें और उनसे किसी भी दर्जे में फीस भी न ली जाय, इस बात की चेष्टा सरकार कर रही है और साथ ही साथ इन विद्यार्थियों को वह छात्रवृत्ति भी देती है। मान्यवर, इस अनुदान को देखें, तो करीब १ करोड़ रुपया इसका इसी काम पर खर्च होता है। ८२ लाख रुपया तो सरकार का बच्चों की छात्रवृत्ति में और फीस के रिइम्बर्समेंट पर खर्च होता है और ११ लाख ५० हजार रुपया जो छात्रवृत्ति अनावर्त्तक अनुदान में पिछड़ी जाति के बच्चों तथा मोमिन अन्सार के बच्चों को दिया जाता है, उसमें खर्च हो जाता है। २८ हजार रुपया उनकी छात्रवृत्तियों पर, अनावर्त्तक अनुदानों पर और विमुक्त जातियों पर खर्च करना होता है। इस प्रकार से करीब-करीब एक करोड़ रुपया इस फीस की माफी और अनुदानों पर खर्च हो जाता है।

अभी भारत सरकार ने भी इस दिशा में एक योजना चालू की है। उन्होंने यह कहा कि हाई स्कूल के ऊपर जो लड़के शिक्षा पा रहे हैं उनको वे छात्रवृत्ति देंगे। लेकिन वह सीधे-सीधे उस छात्रवृत्ति को देते हैं। हमारी इस विषय में जो सूचना है उसके अनुसार यह छात्रवृत्ति हाई स्कूल के ऊपर इंटरमीडियेट में या डिग्री कालेजेज़ में पढ़ने वाले ११ हजार विद्यार्थियों में से करीब ६-७ हजार को प्राप्त हो जाती है। कुछ और रह जाते हैं। हाई स्कूल के नीचे के जो

विद्यार्थी हैं उनकी फीस की माफी के कारण दर्जा एक से लेकर बी० ए०, एम० ए० तक वह फीस का रुपया उत्तर प्रदेश की सरकार से रिइम्बर्स होता है। इसी प्रकार से उन विद्यार्थियों की, जिनकी पूरी जिम्मेदारी भी भारत सरकार ने ले ली है, उसका पैसा हमको मिलना चाहिये ताकि सभी ऐसे बच्चों की आवश्यकताओं को हम पूरा कर सकें। यदि कहीं उनको नहीं मिलती है तो हम उनको दे देते हैं। इस प्रकार से करीब एक करोड़ के रुपया हमारा शिक्षा के काम पर ही खर्च हो जाता है।

हरिजन विद्यार्थियों के लिये हमारी निःशुल्क शिक्षा की योजना तो है ही ताकि सभी विद्यार्थी निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर लें। छात्रवृत्तियों की जो योजना है उससे भारत सरकार की उस योजना से बहुत बड़ा लाभ उन लोगों को पहुंचेगा यदि वह पूरे तौर से मिल सके, क्योंकि अभी हम दसवें दर्जे से ऊपर जो छात्रवृत्ति देते हैं उसका सारा भार भारत सरकार ले लें तो नीचे के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने के लिये अधिक रुपया हमारे पास बच सकेगा जिसको हम बांट सकेंगे।

इस मद के सिवाय इस विभाग की और मदों की ओर भी अगर हम दृष्टिपात करें तो आप देखेंगे कि करीब ५३० शिक्षक संस्थायें ऐसी हैं जिनका संचालन सार्वजनिक सेवाओं के द्वारा होता है अथवा विभाग से भी होता है जिन पर करीब साढ़े चार लाख रुपया हम खर्च करते हैं जिनमें हरिजन पाठशालायें हैं, और छात्रावास वगैरह हैं।

इसके अलावा कुछ ट्रेनिंग सेंटर्स भी हैं, नैनीताल, गोरखपुर में और बख्शी के तालाब में जिनमें कई प्रकार की टेक्निकल शिक्षा उन लोगों को देने की चेष्टा की जाती है। सेंटर के खर्चे के अतिरिक्त उन लोगों का सारा खर्चा भी बर्दाश्त किया जाता है। स्टाइपेंड भी ३० रुपये से ३५ रुपये तक उनको देते हैं। यह जो सारा खर्चा शिक्षा से संबंधित है, जिसमें टेक्निकल ट्रेनिंग भी आ जाती है उसके लिये काफी बड़ी रकम हो जाती है।

इसके अतिरिक्त और जो रकमें हैं उनमें पानी के पीने के कुएं, गृह-निर्माण के लिये, कृषि की व्यवस्था में सुधार के लिये, कुछ कुटीर उद्योगों के लिये मदें रखी गयी हैं जिनमें से किसी में २ लाख, किसी में २ लाख ९० हजार, किसी में ढाई लाख, किसी में १ लाख ५० हजार का खर्चा रखा गया है।

कुछ रुपया कोलोनाईजेशन के लिये भी रखा गया है। इनमें खासकर वे कालोनीज हैं जो एक्स-क्रिमिनल ट्राइब्स के लिये बनायी गयी हैं तथा खाना बदोशों को बसाने के लिये रकम रखी गयी है। कुछ बैकवर्ड एरियाज़ हैं जिनमें विशेष प्रकार का प्रबन्ध करने की आवश्यकता है जैसे कि पहाड़ों के पांच जिले हैं, अल्मोड़ा, नैनीताल, टेहरी-गढ़वाल और देहरादून और दक्षिण के बदायूं, मिर्जापुर तथा झांसी के जिलों में विशेष रूप से सहायता देने के लिये रुपया रखा गया है क्योंकि वहां अधिक गरीबी है। उनके लिये १ लाख ५२ हजार रुपया रखा गया है। इस प्रकार के काम इस विभाग के द्वारा होते हैं और इस प्रकार से हरिजनों की सहायता करने की कोशिश की जाती है।

जिला स्तर पर भी हरिजन सहायक समितियां थीं जो बीच में लुप्त हो गयी थीं, इसके अतिरिक्त प्लानिंग उपसमितियां थीं जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के विलयन के कारण आप से आप विलुप्त हो गयीं थीं उनको फिर से हम जारी करना चाहते हैं और उनके द्वारा भी हम बहुत धन उनको देना चाहते हैं और उसके द्वारा उनकी सहायता करना चाहते हैं। जिले के स्तर पर जो प्लानिंग उप-समितियां हैं उनके द्वारा यह काम हो रहा है तथा हमने फिर उन समितियों के निर्माण के आदेश भेज दिये हैं कि उनकी रचना कर दी जावे। तब तक वे काम कर रही हैं जब तक जिला परिषद् का चुनाव न हो जाय और उप-समितियां न बन जायं; और उस समय फिर देखा जायगा कि इनका संगठन किस तरह से किया जाय।

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

प्रादेशिक स्तर पर एक हरिजन सहायक बोर्ड की भी स्थापना हुई है और इस प्रकार का कार्य हो रहा है कि जो हमारे सार्वजनिक सेवी और गैरसरकारी लोग सलाह दें और उनकी सलाह से यह कार्य हो। इसी यंत्र के द्वारा यह कार्य होता रहा है और यह विभाग जो है इसका संचालक भी है और सचिवालय तथा जिले के स्तर पर हमारे कुछ सुपरवाइजर्स और कुछ अवैतनिक कार्यकर्त्ता भी हैं जो इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। यह प्रश्न बड़ा गम्भीर है। हमारे दुर्भाग्य से समाज का यह एक बहुत बड़ा अंग आज तक पिछड़ा हुआ है और इसके लिये कितना करना है, यह कुछ बतलाने की आवश्यकता नहीं है। जितना भी हो जाय, जितना भी किया जाय वह इस दिशा में कम ही है। शिक्षा के क्षेत्र में उनकी कुछ वृद्धि हुई है और उसमें कुछ थोड़ी बहुत सहायता भी सरकार की ओर से और केंद्रीय सरकार की ओर से भी मिलती रही है।

आज हमारी इन जातियों का जो सबसे बड़ा प्रश्न है वह आर्थिक प्रश्न है और जब तक उनकी आर्थिक स्थिति में कोई विशेष रूप से सुधार न हो तब तक उनके सामाजिक स्तर को हम वहां तक नहीं पहुंचा सकते, जहां तक ले जाना हम सब का लक्ष्य है। उस दिशा में आगामी वर्ष में कुछ करने के लिये भारत सरकार की भी योजना है और उत्तर प्रदेश की सरकार भी कुछ योजनायें बना रही हैं। व्यवसाय में वे लगाये जायं, व्यवसाय व कलाकौशल की शिक्षा विशेष रूप से उनको प्राप्त करायी जाय, इनको कुछ ऐसे स्थानों पर बसाया जाय जहां सरकार से जमीन मिल जाय और भारत सरकार से भी कुछ सहायता मिले, जहां खेती की व्यवस्था करायी जाय या हो सके तो सहकारिता के आधार पर हो। और इस प्रकार से उनके आर्थिक स्तर को ऊंचा करने के लिये कुटीर उद्योग, ग्राम उद्योग और छोटे-छोटे उद्योगों की स्थापना करके और इंडस्ट्रियल स्टेट बना करके कृषि और व्यवसाय में भी उनको लगावें और हम उनके स्तर को ऊंचा करने की चेष्टा करें। इस दिशा में भारत सरकार की ओर से भी सहायता मिलने की आशा है और हम अब तक जो कुछ करते रहे हैं उस रकम को संयोजित इकट्ठा करके उस दिशा में बढ़ने की योजना बना रहे हैं ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो और उनकी सामाजिक, शैक्षिक उन्नति होने में भी सहायता प्राप्त हो सके।

एक मुख्य प्रश्न हरिजनों के लिये गांवों में पानी पीने के प्रबन्ध करने का भी है। अब तक यह बात बहुत टेढ़ी रही है कि बहुत से गांवों में कुएं ही नहीं हैं जहां से वे पानी पी सकें और जिन कुओं से पानी लेने की जरूरत महसूस होती है वहां बाधायें भी खड़ी की जाती हैं। इस विभाग के द्वारा पानी पीने के लिये कुएं के निर्माण के लिये भी रकम दी जाती रही है। अब यह सोचा गया है कि आगामी वर्ष से यह योजना चलायी जाय कि इस दिशा में फुटकर धन इकटठा करके कुएं बनाने का विशेष रूप से प्रयास हो और जहां कहीं हमारी ये बस्तियां हैं वहां हमारे कुएं अवश्य हो जायं, इसकी चेष्टा करें। मैं नहीं जानता कि कितने ऐसे कुओं की आवश्यकता पड़ेगी। सरकारी विभाग के पास जो सर्वेक्षण की रिपोर्ट है उससे तो ऐसा मालूम होता है कि १२, १४ हजार कुएं अगर हों तो हर हरिजन बस्ती में एक कुआं हो सकता है, जो बन चुके हैं उनके अलावा। मैं नहीं कह सकता कहां तक ठीक है पर इस बात की चेष्टा करने का इरादा है कि हम इस दिशा में काम करें चाहे फेज्ड प्रोग्राम के द्वारा हो कि कुएं हरिजन बस्तियों में प्रायः सभी मुहैया कर सकें। इसी प्रकार औद्योगिक क्षेत्र में, कारीगरी के क्षेत्र में भी कृषि और शिक्षा के क्षेत्र में भी और साधारण जीवन जो उनका हमारे गांवों में है उस क्षेत्र में भी हम कुछ अग्रसर हों। हमारी बड़ी भारी समस्या गांवों में भी यह रहती है जहां कहीं हरिजन बस्तियां हैं उनको अगल-बगल बढ़ने के लिये कोई गुंजायश नहीं रहती। यदि उनकी आबादी बढ़ गयी है तो जहां कहीं बस्ती है उसी में वे सैंडविच्ड हैं और कहीं भी विस्तार होने की गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि उनकी नींव तक खेत जुते रहते हैं। इस दिशा में भारत सरकार से हमने सहायता की मांग की है और आशा है कि हमें कुछ प्राप्त होगा कि हम इस बात की चेष्टा करें कि इनकी जो बस्तियां बसायी जाया करें जिसमें गृह

निर्माण में भी सहायता हो और ऐसी जो बस्तियां हैं उनके विस्तार के लिये यदि कोई रास्ता निकल सके। कुछ तो हुआ कंसालीडेशन के द्वारा या गांव पंचायतों के द्वारा । पर निश्चित रूप से उनके पास इतनी जमीन मिल सके, उनके विस्तार की चेष्टा की जा सके क्योंकि उनकी आबादी बढ़ गयी है । उन्हें जगह हो उस दिशा में भी हम उनकी सहायता कर सकें। मान्यवर, यह संक्षेप में इस विभाग के कार्य की रूप रेखा है और जो उस पर खर्च होता है उन मदों का उल्लेख किया और भविष्य में जो करना चाहते हैं उसे आपकी आज्ञा से आदरणीय सदन से निवेदन किया। मेरी प्रार्थना है कि इस अनुदान पर स्वीकृति प्रदान की जाय।

श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्तुत अनुदान में निम्न कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं:—

"सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—नीति का ब्योरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है:—अनुसूचित तथा पिछड़ी हुई जातियों के लिये पर्याप्त मात्रा में सहायता का प्रबन्ध न करना तथा उनके लिये उद्योग धंधे देने के लिये किसी विशेष योजना का अभाव; उनके लिये नौकरियों में स्थान न सुरक्षित करना जिससे उनकी आर्थिक दशा में सुधार नहीं हो रहा है।"

अध्यक्ष महोदय, यह अनुदान, जैसा कि मंत्री जी ने स्वयं कहा, बहुत गम्भीर और महत्व का है और हिन्दुस्तान के और इस प्रदेश के सभी लोगों की इच्छा है कि हमारे देश से छुआछूत का भूत भाग जाय और हरिजन और पिछड़े हुए भाइयों की आर्थिक उन्नति हो और सामाजिक उन्नति हो। सरकार भी कई साल से इस दिशा में प्रयत्नशील है और उसने सेंटर में भी और यहां भी मुहकमे खोले हैं, हरिजन वेलफेयर डिपार्टमेंट, बैकवर्ड और हरिजनों के लिये खुले हुए हैं। हमारे संविधान में यह बात कही गयी थी कि १० वर्ष के अन्दर हम लोग ऐसा प्रयत्न करेंगे, सरकारें कांग्रेस की, कि जिससे आगे रिजर्वेशन करने की जरूरत न हो। लेकिन जब हम दृष्टिपात करते हैं अब तक के काम पर तो क्या सरकारें खुद जवाब देंगी कि क्या ऐसी हालत हो गयी है कि हरिजन और लोगों के समकक्ष आ गये हैं, आगे रिजर्वेशन रखा जाय या न रखा जाय, इस कसौटी पर जब हम कसते हैं तो देखते हैं कि हरिजनों की दशा में बहुत सुधार नहीं हुआ है। पंडित जी ने, जो मंत्री जी हैं, अपने भाषण के अन्त में सभी चीजों पर बहुत अच्छा चित्रण किया कि बस्ती बसा दी जायेंगी, शिक्षा में परिवर्तन होगा और जमीन खोजी जा रही है। यह सब काम हो जायेंगे। जो टापिक थे सब पर कहा कि केन्द्रीय सरकार से लिखा-पढ़ी हो रही है । लेकिन जब हम इस साल के बजट को देखते हैं तो कहीं नहीं दिखाई देता। शिक्षा पर जो खर्च होने वाला था पारसाल, उतना ही करीब-करीब है। रिइ बरमेंट में भी वही हालत है। यहां तक कि आयुर्वेद कालेज में एक देहरादून के साहब मिले थे उनके यहां १९ लड़के पड़े हैं जिन्हें वजीफा नहीं मिला है। वहां के कलेक्टर ने शिक्षा संचालक को लिखा है लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वजीफे की हालत यह है, जो छात्र वृत्ति मिलती है, उसका इस साल का तो अजीब करिश्मा है। साल का साल बीत गया, मेरा खयाल है कि १५ दिन या एक महीना हुआ है वजीफा मिले। कितने ही व्यक्तियों ने पढ़ाई छोड़ दी।

नाइन्थ के लड़के जो पढ़ने वाले हैं, उनमें हमारे जिले में जो हरिजन उपसमिति बनी है, उसने तय किया कि प्रथम श्रेणी के लोगों को वजीफा दिया जाय, वह भी हर स्कूल में एक लड़के को। मान लीजिये अगर बैकवर्ड में दो-तीन हैं फर्स्ट क्लास के, तो एक को ही मिलेगा। हरिजनों में भी वही हालत है; वजीफा सब को नहीं मिलता। केंद्रीय सरकार ने कहा कि १०वें क्लास से ऊपर सारा खर्च वह बरदाश्त करेगी, यह अच्छी बात है।

[श्री विश्रामराय]

मंत्री जी ने बताया था कि करीब-करीब ६ लाख लड़के पढ़ते हैं। छात्रवृत्ति कितनों को दी जाती है? मेरा खयाल है कि दसवें हिस्से को भी नहीं दी जाती है। छात्रवृत्ति बहुत कम है। पढ़ने के लिये जैसा मंत्री जी ने शिक्षा के अनुदान के संबंध में कहा, कितने लड़के पढ़ाई दर्जा एक के बाद दूसरे और तीसरे में छोड़ते जाते हैं? शिक्षा की समस्या इस तरह से हल नहीं होगी।

जिलों में छात्रावास की बहुत कमी है। शहरों में बड़े-बड़े लोगों को रहने के लिये, नौकरों को रहने के लिये कमी रहती है तो हरिजन लड़कों को कहां जगह मिलेगी। इसलिये हर जिले में अधिक छात्रावास की जरूरत है और उसके लिये अनुदान बढ़ाने की जरूरत है।

अब दूसरी शिक्षा जो दी जाती है वह है वोकेशनल, जो औद्योगिक शिक्षा होती है। बख्शी के तालाब में, नैनीताल में, गोरखपुर में इंस्टीट्यूशन्स खुले हुए हैं। मेरे गांव के पास का एक लड़का ढलाई का काम सीखा हुआ बख्शी के तालाब का कलकत्ता गया। वहां से थोड़े दिन काम करने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। उसे काम नहीं मिला। रुड़की इंजीनियरिंग कालेज की ओर से कोई बोर्ड है जो शिक्षा में मान्यता देता है कि कौन स्कूल टेक्निकल शिक्षा देने के योग्य माना जाय। एक लड़का बिजली का काम सीखा था। वह आया था और कहता था कि कोई हमको अपरेंटिस नहीं रखता, क्योंकि गवर्नमेंट के जो टेक्निकल स्कूल हैं उनके मुकाबले में हमारी सनद नहीं मानी जाती है। बख्शी तालाब वगैरह कुछ चुने हुये स्थान हैं जहां हरिजनों की शिक्षा होती है। उनको भी आप काम नहीं दे पाते तो क्या तरक्की हुई है। थोड़े से जो शिक्षित होते हैं उनको भी काम नहीं मिल रहा है। मेरा खयाल है कि दो परसेंट को भी काम नहीं मिलता।

अब छुआछूत की बात लीजिये। पारसाल विश्वनाथ मंदिर का मामला सामने आया। यू० पी० में बहुत से ऐसे मंदिर हैं जहां छुआछूत है। बड़ी मुश्किल से विश्वनाथ मंदिर में प्रवेश कराया गया, वह भी सिर्फ गर्भ द्वार तक।

हिन्दू यूनीवर्सिटी की बात लीजिये। दो वर्ष हुए, हमारे यहां के एक छात्र होस्टल में खाना नहीं खा पाते थे। बहुत से ऐसे होटल खुले हुए हैं जहां यह कानून नहीं लागू किया जाता।

आज भी जबर्दस्ती बेगार लेने पर चालान नहीं किये जाते, जबर्दस्ती उनसे काम लिया जाता है, लेकिन थाने में कोई रपट नहीं लिखी जातीं। उनकी आर्थिक दशा में भी हमें अभी बहुत उन्नति करना है। आज जो हालत देहात में हरिजनों की है वह बहुत खराब है, जब तक उनकी आर्थिक दशा नहीं सुधरेगी उनका कल्याण नहीं हो सकता। उन की आर्थिक दशा सुधारने के लिये क्या प्रयत्न हुए हैं? खेती के लिये कहीं-कहीं कुछ बस्तियां बसायी गयी हैं जैसे खीरी में, लेकिन उन की मात्रा इतनी कम है कि उस से काम नहीं चलेगा। हरिजनों की संख्या बहुत है। उनकी संख्या करीब डेढ़ करोड़ है और इस अनुदान की रकम भी डेढ़ करोड़ है, यह एक रुपया प्रति आदमी भी नहीं पड़ता, अगर बैकवर्ड क्लासेज को भी जोड़ दिया जाय। इसलिये यह उत्थान का कार्य नहीं के बराबर है और अभी हमें उनके लिये काफी सहायता करने की जरूरत है।

हरिजन आज भी कर्जे से पटे हैं। अन्य लोगों के लिये यह रहेन का कानून बना है। उनके कर्जे पुश्त दर पुश्त चले आते हैं, एक बार कर्ज किसी ने ले लिया फिर उसका छुटकारा नहीं होता। हम चाहते हैं कि उन लोगों पर जितना कर्ज है उसकी इंक्वायरी होनी चाहिये और एक ऐसा कानून आना चाहिये कि जिसके जरिये से इस तरह के तमाम नाजायज कर्जे माफ कर दिये जायं।

इसके अलावा हरिजनों को मेडिकल एड भी बिलकुल नहीं मिलती। अगर घायल होकर किसी सिविल सर्जन के पास जाते हैं तो वह बिना फीस के बात नहीं करते और उनकी इतनी ताकत नहीं है कि वे फीस दे सकें। नतीजा यह होता है कि वे मेडिकल एड से महरूम रह जाते हैं। इसलिये उनको मेडिकल एड फ्री मिलना चाहिये।

इसके अलावा लीगल एड भी उनको फ्री मिलना चाहिये चाहे वह सरकार की तरफ से दी जाय या समाज की तरफ से। बैकवर्ड कमीशन ने भी सिफारिश की है कि उनके लिये लीगल एड का प्रबन्ध होना चाहिये। यहां कानून बना कि जिसका मौके पर कब्जा होगा वह जमीन का मालिक बनाया जायगा, लेकिन हजारों हरिजन किसानों को मुकदमों में आखिर में या तो स्तीफा देना पड़ा या वे मुकदमें का दीवानी तक का खर्च न उठा सके।

हरिजनों की सामाजिक उन्नति भी नहीं हुई है। ४० लाख अधिवासी नये सीरदार हुए हैं उनमें से हरिजन ही अधिक थे, जिन से जबर्दस्ती स्तीफा दिलाया गया और बाहर के जिलों से उन पर चीटिंग केसेज चलाये गये, ऐसी हालत हरिजनों की है ताकि मजबूर होकर स्तीफा दें या मुकदमा छोड़ दें।

इसके अलावा उनको पीने के पानी की बड़ी तकलीफ है। १०० रुपये कुए की मरम्मत के लिये दिये जाते हैं लेकिन वह तब दिये जाते हैं जब कम्प्लीशन का सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाय। इस तरह से हरिजनों पर विश्वास नहीं किया जाता, उनके पास कोई धन नही है उनके पास तो केवल एक श्रमधन है, उसी के आधार पर उन्हें पैसा मिलना चाहिये। हमारे जिले में लालगंज ब्लाक है, प्रान्त में दस ब्लाक छांटे गये हैं जहां हरिजनों को विशेष रुपया दिया गया था। हमारे यहां लालगंज में ८० हजार रुपया पड़ा हुआ था, अभी १५-२० दिन हुए तब कहा गया कि इसे जल्द खर्च करो, मार्च खत्म हो रहा है, वह लैप्स हो जायगा। केन्द्र में इस सम्बन्ध में एक कांफ्रेंस भी हुई थी, उसमें कहा गया था कि हरिजनों के लिये जो रकम दी जाती है उसका बहुत भाग काम में नहीं लाया जाता। जो बस्तियां भी बसायी गयी हैं वे बहुत कम हैं, उनके पीने के पानी के लिये पर्याप्त कुएं नहीं हैं, मैं चाहता हूं कि इसके लिये खासतौर स एक प्लान बनाया जाय तब यह कुआं का काम हो सकता है। पानी पीने के लिये कुओं की बहुत कमी है। इस विषय में बहुत कम प्रयास हुआ है और जो डिपार्टमेंट बने हुए हैं जिनमें हरिजन वेलफेयर अफसर गजटेड बने हुए हैं वे अधिकांश निकम्मे हैं, बेकार बैठे हुए हैं, समझते हैं कि हम तो गजटेड अफसर हैं, तनख्वाह मिलती ही रहेगी, काम कुछ नहीं है। यह मैंने स्वयं अपने जिले में देखा है। सुपरवाइजर और डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर अफसर का नाम तो बढ़िया है, अमल कुछ नहीं है।

बजट में पढ़ा कि जो सर्वे यूनिट कायम हो रहा था वह भी स्थगित कर दिया गया। इसकी जांच होनी चाहिए कि १० वर्ष के अन्दर क्या काम हुआ। हरिजनों के सम्बन्ध में मंत्री जी ने कहा कि इनकी खास तौर से बस्ती बसाने के लिये कुछ जमीन ली जायगी और केन्द्रीय गवर्नमेंट से कहा जायगा। तो मेरा सुझाव है कि जो लैंड की सीलिंग मुकर्रर होने जा रही है तो मुझे उम्मीद है कि सरकार शायद यह बिल ले आवे इस सूबे में--तो उससे जितनी भी जमीन बचे पहले उस जमीन को खेतिहर मजदूरों में और खास तौर से यू० पी० के हरिजन लोग हैं, उनमें बांट देनी चाहिये एक दिन कानून बना करके कि वे सहकारी खेती करें। तब उनको विश्वास होगा कि वाकई यह जनता की सरकार है और हमारा कोई पूछने वाला है। आज हिन्दुस्तान में जो दबे हुए लोग हैं, जो मूक हैं, उनके अन्दर की ज्वाला को संतुष्ट करने के लिये बहुत बड़ बजट की जरूरत है और तेजी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। इसके लिये लैन्ड आर्मी बनाने की जरूरत है और काफी आदमी उसमें काम कर सकते हैं।

जो काम हुआ है। जो वजीफ़े मिले हैं उनसे बहुत लोग पढ़े हैं, इसमें सन्देह नहीं है। लेकिन परसेंट बहुत कम है। इसको एक नेशनल ईश्यू, नेशनल प्लान बनाकर राष्ट्रीय पैमाने पर

[श्री बिश्रामराय]

चलाने की जरूरत है। इतना बड़ा तबका, जो डेढ़ करोड़ के करीब है और आबादी का छठवां हिस्सा है और बैकवर्ड क्लासेज को मिला लिया जाय तो काफी हो जाते हैं, इसलिये उनके लिये काफी प्रयत्न की जरूरत है और केन्द्र से भी अधिक रुपया लेने की जरूरत है। इस विषय में कटौती नहीं होनी चाहिये।

इन शब्दों के साथ में इस कटौती के प्रस्ताव को पेश करता हूं।

*श्री बुनाकीराम (जिला हरदोई)---माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में हरिजनों की समस्या हमारे राष्ट्र के लिये कलंक बनी हुई है, जिससे कोई इन्कार नहीं कर सकता। हमारी सरकार ने इस कलंक को धोने के लिये, मिटाने के लिये, जो-जो प्रयत्न किये और उसमें जितना रुपया हर साल सरकार ने खर्च किया वह सराहनीय है। हम जानते हैं, और कोई इससे इन्कार नहीं कर सकता, कि करोड़ों रुपया सरकार हरिजनों के ऊपर खर्च करती है फिर भी हरिजनों की दशा आज उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि हम करना चाहते हैं। हरिजनों के लिये विशेष प्रयत्न करने होंगे, उनकी समस्याओं पर सोचना पड़ेगा और ध्यान देना होगा, तभी यह समस्या दूर हो सकती है।

हमारी विशेष समस्या आर्थिक है, सामाजिक है और शिक्षा सम्बन्धी समस्या है। जब तक आर्थिक संकट दूर नहीं होगा तब तक सामाजिक कष्ट दूर नहीं होगा और जबतक ये हरिजन लोग शिक्षित नहीं होंगे तब तक हरिजनों की समस्या हल नहीं हो सकती। आज आर्थिक समस्या हल करने के लिये हमारी सरकार बड़ा प्रयत्न करती है, लेकिन जितना प्रयत्न होना चाहिये अभी उतना नहीं हो पाया है। शिक्षा संबंधी समस्या को दूर करने के लिये तथा हरिजनों को अधिक से अधिक योग्य बनाने के लिये हम हर वर्ष करोड़ों रुपया खर्च करते हैं परन्तु जितना हम आगे बढ़ना चाहते हैं अभी नहीं बढ़ सकते हैं। हमें इसके लिये और भी प्रयत्न करने होंगे।

जहां तक सामाजिक समस्याओं का सम्बन्ध है, अध्यक्ष महोदय आपसे छिपा नहीं है कि इन हरिजनों की सामाजिक दशा बहुत बदतर हो चुकी है और सामाजिक हालत हरिजनों की जब तक ठीक नहीं होती तब तक ये चाहे कितने शिक्षित हो जायं, इनकी आर्थिक दशा कितनी ही अच्छी हो जाय, इनका समाज में आदर नहीं हो सकता। आज हरिजन चाहे भूखा क्यों न रहे, चाहे अशिक्षित ही क्यों न रहे, लेकिन समाज में सिर उठा कर चलना चाहता है और इज्जत के साथ रहना चाहता है। हम सम्मान चाहते हैं और उसके लिये एक ही रास्ता है कि जब तक हमारी सामाजिक दशा अच्छी नहीं होती तब तक समाज हमको इस स्थिति पर लाने के लिये तैयार नहीं है। सभी जानते हैं कि देहातों में, उनको चारपाई पर भी इस २०वीं शताब्दी में बैठने नहीं दिया जाता, देहातों मे कुंओं से पानी नहीं लेने दिया जाता। जिस तरह की हमारी सामाजिक परिस्थिति है जब तक उसे हम ठीक नहीं करते तब तक हरिजनों की हालत अच्छी नहीं हो सकती।

अध्यक्ष महोदय, जिस वक्त अंग्रेज और फ्रांसीसी हिन्दुस्तान में आये, उन्होंने बहुत सा रुपया पिछड़ी जातियों पर खर्च किया। उनकी सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाया और उनको पढ़ाया, उनको अच्छे-अच्छे रोजगार धंधे दिये जिसका नतीजा यह हुआ कि आज लाखों हिन्दू, जिनको हम परिगणित जाति कहते हैं, ईसाई बन गये। इसी तरह से मुस्लिम काल में भी बहुत से क्षत्रिय तक और बड़ी ऊंची जाति वाले भी मुसलमान बन गये क्योंकि उनके सामने टेम्प्टेशन था और उनको कुछ फायदा सामने नजर आता था। इसलिये उन्होंने अपने धर्म परिवर्तित कर दिये। इसीलिये हम चाहते हैं कि यदि यह इच्छा है कि हरिजनों का कल्याण हो तो हमें अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करना चाहिये। अगर अन्तर्जातीय विवाह पद्धति को बढ़ावा दिया जाय तो सामाजिक दशा हरिजनों की अच्छी हो सकती है। इस सम्बन्ध में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। जितना रुपया हम मकान बनाने के लिये, या

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कुआं बनाने के लिये या बेकार की कालोनीज बनाने में खर्च करते हैं उतना रुपया उन लड़कों को दिया जाय जो हरिजन लड़की के साथ विवाह करना चाहते हों। एक पढ़ा-लिखा हरिजन अगर किसी दूसरी कौम की लड़की के साथ शादी करने को तैयार हो और वह पढ़ा-लिखा हो तो उसकी योग्यतानुसार उसको फौरन् नौकरी दे दी जाय। यदि एक हरिजन लड़की किसी और जाति के लड़के के साथ शादी करना चाहती है तो उसको तत्काल जो भी रोजगार वह करना चाहता हो उसको अनुदान दे दिया जाय। इस प्रकार का अगर टेम्प्टेशन दिया जाय तो मुझे उम्मीद है कि अन्तर्जातीय विवाह पद्धति को हम सफलतापूर्वक चला सकते हैं। जब तक अन्तर्जातीय विवाह नहीं चलते तब तक हिन्दुस्तान में हरिजनों की सामाजिक दशा अच्छी नहीं हो सकती।

जहां तक नौकरियों में हरिजनों के प्रतिनिधित्व का सवाल है, रोज हाउस में हम कहा करते हैं कि कितने हरिजन पढ़े-लिखे हैं लेकिन संरक्षण के अनुसार उनको नौकरियों में प्रोत्साहित नहीं किया जाता। तो जब तक हमारा परसेंटेज नौकरियों में अच्छा नहीं होगा और जो सरकार ने हमारे लिये तादाद रखी है पूरी नहीं होगी तब तक हरिजनों का पिछड़ापन दूर नहीं हो सकता। जहां तक वजीफों का सवाल है, हम जानते हैं कि लाखों रुपया खर्च किया जाता है परन्तु बहुत से गरीब लड़के ऐसे होते हैं जिनको वजीफा नहीं मिल पाता है। मैंने देखा है कि मेरे जिले हरदोई में २००-२५० लड़के नवीं क्लास में पढ़ते हैं जिनमें से केवल १९ लड़कों के लिये वजीफा गया। इसी तरह से छठें दर्जे में ३००-४०० लड़के पढ़ते हैं और केवल २५ वजीफे गये। मेरे कहने का मतलब यह है कि जितना कालीनों वगैरह में खर्च किया जाता है उतना रुपया इसमें लगाया जाय क्योंकि हम कालीन नहीं चाहते हैं। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि वजीफे ज्यादा से ज्यादा तादाद में मिलें।

इसी प्रकार जहां तक कुओं तथा मकानों का संबंध है, इसमें हालांकि बड़ी कोशिश की जा रही है कि कोई भी कुआं कच्चा न रहे जहां से हरिजन पानी पीते हों और उनके लिये मकान बनाने की भी काफी कोशिश हो रही है; मगर फिर भी हजारों गांव ऐसे हैं जहां एक भी कुआं नहीं है और वहां हरिजन लोग गन्दे तालाबों से और चश्मों से पानी पीते हैं। इसलिये मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि सब से अधिक ध्यान हरिजन लड़कों की शिक्षा पर जाना चाहिये और कम से कम तीन लड़के के बीच में दो को वजीफा जरूर मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष---कौन-कौन से कटौती के प्रस्ताव *लिये जायंगे, पहले मैं यह मालूम कर लूं।

[श्री माता प्रसाद — सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य---नीति का ब्योरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है :—

नौकरियों में संरक्षण के अनुसार परिगणित जाति वालों को स्थान न देना।

श्री ब्रजनारायण तिवारी — सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय।

---

*ये कटौती के प्रस्ताव उपस्थित नहीं किये गये वरन् उपस्थित किये गये माने गये।

कमी करने का उद्देश्य---नीति का ब्योरा जिस पर चर्चा करने की अभिप्राय है।

विभागीय खर्च का बढ़ना।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी — सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य---नीति का ब्योरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है।

भूतपूर्व अपराधशील-जन जातियों का भूमि में बसाकर उद्धार तथा स्पर्शता निवारण पर निर्धारित राशि अत्यन्त कम है, उसके बढ़ाये जाने पर चर्चा।

श्री रामशरण यादव — सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य---नीति का ब्योरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है।

अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों के सुधार और उत्थान हेतु विभाग के बजट का अनियोजित रूप से प्रशासन किया जाना जिससे उत्थान नहीं हो रहा है।

श्री हरदयाल सिंह — सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य---नीति का ब्योरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है।

अनुदान की धनराशि का निश्चित अवधि में व्यय न होने के कारणों की आलोचना करना।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी — सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में १०० रुपये की कमी कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य---विशिष्ठ शिकायत जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है।

पिछड़ी हुई जातियों और मोमिन अन्सार जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति तथा सहायता के लिये निर्धारित धनराशि कम है।]

श्री यशपालसिंह (जिला सहारनपुर)---अध्यक्ष महोदय, इस अनुदान से मुझे कोई बड़ी खुशी नहीं है। इसलिये नहीं है कि जो हिन्दू समाज को मानता है वह हिन्दुओं को एक यूनिट मानता है, एक नेशन मानता है, लेकिन जो लोग वर्ण-व्यवस्था का गलत अर्थ करते हैं, समझ नहीं सकते कि हिन्दू संस्कृति क्या है। हमारे यहां नामदेव जी धोबी के घर में पैदा हुए थे, उनको हम बड़ा भारी ऋषि मानते हैं, वाल्मीकि जी भंगी के घर जन्मे थे उन्हें हम महर्षि मानते हैं। वाल्मीकि जी भंगी थे, रविदास चमार थे,

उनको हम अवतार मानते हैं। हमारे यहां है कि "जातिपांति पूछ नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई"। यह टू-नेशन थ्योरी यूरोप की दी हुई चीज है। टू-नेशन थ्योरी को रख कर थोड़ी सी सीट्स के लिये नेशन के टुकड़े किये जाना कहां तक उचित है? हमारे हरिजन भाई वर्मा, शर्मा लिखने लगे थे जबकि दस साल पहले रिजर्वेशन नहीं था। कुंवर उदयबीर सिंह गहलोत लिखते थे, पंडित दयानन्द व्यास लिखते थे और मानसिंह ठाकुर लिखते थे, ठाकुर मूलचन्द यादव लिखते थे। लेकिन जब से रिजर्वेशन आया है तब से करोड़ों आदमियों को दोबारा चमार बनना पड़ गया है, दोबारा भंगी बनना पड़ गया है। उन्होंने शर्मा, वर्मा और गुप्ता लिखना छोड़ दिया है, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य बनना चाहते थे। हमारे धर्म शास्त्रों में कहा गया है "शूद्रो ब्राह्मणतामोति ब्राह्मणो याति शूद्रताम्"। यदि मैं क्षत्रिय के घर में पैदा हुआ हूं और मैं विद्या नहीं पढ़ सकता, मैं धर्म युद्ध में तलवार नहीं उठा सकता, मैं रक्षा नहीं कर सकता, देश के लिये संग्रह नहीं कर सकता तो शूद्र हो जाऊंगा। लेकिन अगर कोई भंगी के घर में पैदा हुआ है और वह वेद पढ़ सकता है तो ब्राह्मण की पदवी प्राप्त करेगा। अगर वह तलवार चला सकता है, धर्म युद्ध में लड़ सकता है तो क्षत्रिय की पदवी हासिल करेगा। देश के लिये संग्रह करता है तो वैश्य हो जायगा। अगर सेवा करता है तो वह भी नीचा कर्म नहीं है। जिस वक्त राजसूय यज्ञ हुआ, तो सब ने एक-एक काम ले लिया। किसी ने घोड़े को पकड़ा, किसी ने हवन का काम लिया, किसी ने पुष्पों का काम लिया। उस समय सोलहों कलाओं से पूर्ण नयनानन्द गोविन्द माधव मुकुन्द आनन्द कन्द केशव श्रीकृष्णचन्द्र जी महाराज ने पैर धोने की ड्यूटी ली थी। उन्हीं पैरों को आज नीचे डालने की कोशिश की जाती है। आज हमारे भाई जो ब्राह्मणत्व की ओर उन्नति कर रहे थे अपनी उन्नति भल बैठे हैं और रिजर्वेशन के नाम पर चमार बन कर सीट मांगने लगे—

"तैयार थ नमाज को सुन-सुन क जिक्र हूर।
जलवा बुतों का देख के नीयत बदल गयी।"

मेरे भाई महीलाल जी इस बात को जानते हैं, उधर भाई हरदवसिंह भी इस बात को जानते हैं, कि हम लोग आज से ५० साल पहले जाति-बहिष्कृत किये गये थे। हम लोगों ने अछूतोद्धार का नारा लगाया था और मंदिर प्रवेश का कार्य किया था। मैं आज से २८ साल पहले हरदेवसिंह जी को लेकर एक गांव में गया था। जब उनको प्लैटफार्म पर बिठाया तो डेढ़ सौ लाठियां मेरे खिलाफ आयी थीं। हरदेव सिंह जी को तो मैंने खिड़की के रास्ते बाहर भेज दिया और डेढ सौ लाठियों का सामना मैं ही हाथ जोड़ कर करता रहा। लेकिन जो हरिजनों के खिलाफ थे, जो हरिजन सुधार नहीं चाहते थे वे ही हरिजनों के नाम से आज थोड़ी सी सीटें हासिल करके गुलछर्रे उड़ाना चाहते हैं। उनके साथ देश की शोषित जनता का हृदय नहीं है जो हरिजन सीट से टिकट ले कर आये हैं। उन्हें पकी पकायी मिल जाती है, वे ही रिजर्वेशन का नारा लगाते हैं।

(व्यवधान)

आपको मौका मिलगा। आज यह पता लगाया जाय कि कितन हरिजन एम० एल०ए० जो कांग्रेस का टिकट ले कर आये हैं वे दोबारा हरिजनों के मुहल्लों में और बस्तियों में जाते हैं। और नारा लगाते हैं हरिजनोत्थान का!

(व्यवधान)

भाई महीलाल जी अपन भाषण में जाति-पांति क विरुद्ध बहुत बोले, लेकिन क्या उन्हें ऐसा बोलने का अधिकार है? माननीय महीलाल जी एक जाति विशेष के टिकट

[श्री यशपालसिंह]

पर यहां आए हैं; उन्हें जाति-पांति के खिलाफ बोलने का हक नहीं है। हां, मुझे कहने का अधिकार है। मैं तो एक ऐसी कांस्टीटुएंसी से आया हूं जहां देवबन्द शहर में ७० फीसदी के लगभग मुसलमान रहते हैं। लेकिन जो जाति के टिकट से आये हुए हैं उन्हें जाति की बुनियाद के खिलाफ बोलने का अधिकार नहीं है। मैं जाति-पांति नहीं मानता। मैं वर्ण-व्यवस्था मानता हूं, जिसका अर्थ है अकार्डिंग टु क्वालीफिकेशन, अकार्डिंग टू कैपेसिटी, अकार्डिंग टु एबिलिटी। जाति पांति का मैं हामी नहीं हूं। हर आदमी को कपड़ा मिलना चाहिये, रोटी मिलनी चाहिये, मकान मिलना चाहिये, सम्मान और सामान मिलना चाहिये। लेकिन यह जो एक नया वर्ग पैदा किया जा रहा है इससे एक और पाकिस्तान तैयार हो जायगा और देश का नेशनलाइजेशन नहीं हो सकेगा। भाई छत्रपति अम्बेश को जब तक मैं एक बार देख नहीं लेता मेरा हृदय शांत नहीं होता। उनमें और मेरे में कौन सा फर्क है? कुंवर सुखलाल को आप जानते हैं जो सबसे बड़े राजपूतों में हैं; उनके लड़के की शादी चमारों में हुई है। भाई कन्हैयालाल जी वाल्मीकि जानते हैं कि चौधरी कल्याणसिंह के लड़के की शादी की बातचीत चल रही है एक वाल्मीकि के यहां। हम से वह पूछ रहे हैं जो रिएक्शनरी हैं। हम तो कहते हैं कि उनको डेढ़ करोड़ ही क्यों दिया जाय; उन्हें बीस करोड़ क्यों न दिया जाय। यह शोषित जनता है जो सैकड़ों सालों से दलित रही और बर्बाद की गयी है। लेकिन रिजर्वेशन के नाम पर दस बीस सीट देकर कोटि-कोटि हरिजन जनता को बेवकूफ बनाना ठीक नहीं है। जिन्होंने पहाड़ों को काटकर सड़कें तैयार की हैं, रेगिस्तान को काट कर चमन खिलाये हैं, मैदानों को चीरकर भाखरा डैम तैयार किया है वे हमारे अंग हैं, हमारे अन्दर आत्मसात् हो गये हैं। अगर आज उनके लिये रिजर्वेशन रखा जाता है तो जैसे जिन्ना साहब ने पाकिस्तान बनाया है वैसे ही एक नया देश और बन जायगा। श्री छत्रपति अम्बेश ने पूछा "बड़े भाई आपने कितने ब्राह्मण बनाये हैं?"

मुझसे आप पूछते हैं, श्री रामदास प्रिंसिपल डी०ए० वी० कालेज, हुशियारपुर-मेरे पिता स्वर्गीय महात्मा काली कमली वाले के चेले हैं। हमसे पूछते हैं कि कितने ब्राह्मण बनाये हैं। हमने वेद पढ़ाये हैं, ब्राह्मण बनाये हैं, हमने क्षत्रिय तैयार किये हैं, हम जाति-बहिष्कृत हुये हैं; इस बात के लिये श्री दाता राम बैठे हैं। वह गूजर हैं, गूजर हमारे सरदार हैं। आज तक तो यह क्षत्रिय महासभा बनाया करते थे; अब यह बैकवर्ड महासभा बनाते हैं। भाई साहब डाक्टर खमानीसिंह यहां रौनक अफरोज हैं। ये पहले से ही क्षत्रिय मात्र के संगठन के हामी हैं। यादव हम में से हैं। क्षत्रियों में ये लोग ऊंचे हैं। लेकिन आज उन्हें भी बैकवर्ड के नाम पर पीछे ढकेलने की कोशिश की जा रही है। बड़े अफसोस की बात है कि १०, २०, ५० रुपये के लिये भीख मांगते हैं। मैं सेकुलरिज्म का मानने वाला हूं। हमारे माननीय गृह मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी भारतीय संस्कृति के पुजारी हैं। उनसे मुझे आशा है। आज हमारा राष्ट्रीय उत्थान होगा, हमें यह उनसे आशा है। हम तो यह मानते हैं--ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यःकृतः, उरूतदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शद्रोऽजायत।

हम कभी भी नहीं मानते हैं कि कोई नीच इसलिये समझा जाय कि चमार से पैदा हुआ है। हमारे वर्ल्ड टीचर्स ने, स्वामी विवेकानन्द, स्वामी रामतीर्थ, राममोहन राय, दयानन्द, इन लोगों ने कभी भी छुआछूत की बात नहीं की। इन लोगों ने छुआछूत को मिटाया। विश्ववंद्य नेता जी ने, गांधी जी ने सभी ने छुआ-छूत को हटाया। हमको हरिजन अलग नहीं रखने हैं, वे धीरे-धीरे हम में आत्मसात् हो रहे हैं। जिस तरह से--

"यथा नदी नदाः नदाः सर्व सागर यांति संस्थितिम्।"

इसके लिये आपका भी कर्त्तव्य है हिन्दू नेशन को मजबूत करने के लिये आप सब लोग एक हो जायं। अलग-अलग नारे न लगायें। छोटे बन कर, बैकवर्ड बनकर भीख मांगना आपको शोभा नहीं देता। हम और आप मिल कर के इस देश की उन्नति के लिये काम करें। यह हमारे लिये बड़े अफसोस की बात है, बड़े शर्म की बात है कि हम छोटी-छोटी बातों के लिये दस बीस रुपये के लिये भीख मांगते फिरें। नहीं, एक जाति हो, एक देश हो, एक राष्ट्र हो। अगर

राष्ट्र जिन्दा रहेगा तो आप जिन्दा रहेंगे; देश जिन्दा रहगा तो आप जिन्दा रहेंगे। हम टू-नेशन थ्योरी का नारा लगाकर जिन्दा नहीं रह सकते। हम लोग आपके आत्म सम्मान के लिये प्राण तक देने को तैयार हैं। कोई कारण नहीं है कि अलग-अलग जातियों का निर्माण किया जाय और अलग-अलग रिजर्वेशन मांगा जाय। इससे हिन्दू जाति नष्ट हो जायगी और समाज की बैकबोन बिलकुल टूट जायगी। मैं देहात में गया, चमारों को लेकर कुओं पर चढ़ाया, राजपूतों ने एतराज नहीं किया, गूजरों ने भी नहीं किया। लेकिन जब भंगी लोग कुएं पर चढ़े तो चमारों ने कहा कि हमारा धर्म खराब हो जायगा, कुआं छोड़ कर अलग खड़े हो गये। आप बताइये कितनी शादियां चमार और भंगियों के बीच में हुई हैं और अगर हुई हैं तो आपके लिये मुबारकबाद, आपके लिए बधाई है। लेकिन जब तक आप इस छुआछूत को दूर नहीं करेंगे, सवर्ण लोग इस छूआछूत को दूर नहीं कर सकते।

(इस समय ४ बजकर ५ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन ए।)

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो हरिजन संबंधी अनुदान के लिये मांग की है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। आज यह महत्वपूर्ण अनुदान जो हमारे सामने पेश है इसे किसी बहस में या जद्दोजहद में डालकर हम हरिजनों का या इस समुदाय का विशेष लाभ करने नहीं जा रहे हैं बल्कि यह तो बहस और विवाद से अलग की बात है। चाहे इधर के बैठने वाले हों, चाहे उधर के बैठने वाले हों, यह एक कलंक है सारे देश पर कि हमारे समाज का एक अंग इस प्रकार से दूषित रहे। यह सारे देश के लिये, सारे समाज के लिये, एक कलंक है। हमारे समाज की एक भी कड़ी अगर कमजोर रहती है तो उसकी सारी इमारत के ढह जाने का भय रहता है। उसको सबल बनाना हमारे सभी देशवासियों का कर्त्तव्य है।

आज दूसरे देशों में यह सोचा जा रहा है कि हमारे समाज का कोई भी अंग हीन न रहे, लेकिन हमारा देश, जो कभी सबसे ऊंचा देश था जिस देश में यह ऊंचता और नीचता का भाव नहीं था, कुछ समय ऐसा आया कि जिसमें ऊंचता और नीचता का भाव यहां पैदा हो गया और वह सामाजिक नाते से, आर्थिक नाते से इतनी मजबूती पकड़ गया कि रूढ़िवाद में परिवर्तित हो गया। आज जो वर्ण-व्यवस्था की बात कही जाती है; ऐसे वातावरण में कार्यान्वित होना उसका बड़ा कठिन हो रहा है। जैसा कि ठाकुर साहब ने कहा सही बात है कि ऋषि दयानन्द एक महान् आत्मा थे जिन्होंने स्त्री और शूद्र का स्थान समाज के अन्दर रखा। उनके समय में स्त्री और शूद्र की जो दशा थी वह शोचनीय थी, दयनीय थी। आज हम उनके आभारी हैं। उसके बाद महात्मा गांधी जी के हम आभारी हैं जिन्होंने सारे देश के, समाज की हालत को देखा और इस कमजोरी को निकालने का प्रयत्न किया।

आज आर्थिक दृष्टि से हरिजन समाज इतना गिरा हुआ है, बौद्धिक दृष्टि से इतना गिरा हुआ है कि अपने को सम्हाल नहीं पा रहा है। यह सारा दोष है उस समाज का जिसने कि उसे कमजोर समझकर के उसे पद-दलित किया। आज वह इसका प्रायश्चित करेंगे कि हमने इसको पद-दलित क्यों किया, समाज की एक कड़ी को इतना कमजोर क्यों बनाया। यह हमारा विषय नहीं है। यह उन्हीं का विषय है। वह सोचें कि उन्होंने इसे इस प्रकार कमजोर क्यों बनाया। उस समय उनकी एक महानता थी, वह अपनी सेवा का काम लेना चाहते थे, इस प्रकार की यह दूषित भावना रखना चाहते थे कि हम बड़े माने जायं, वह बड़े कैसे माने जाते जब तक कि कोई छोटा न रहता। इसलिये उन्होंने इसे इतना कमजोर बनाया। फिर भी महर्षि दयानन्द और महात्मा गांधी की पूज्य आत्मा ने हरिजन, पिछड़ों को समाज के अन्दर उठाने की अति कोशिश की। आज मौलिक प्रश्न इस समाज के उत्थान का है। यों तो राजनैतिक पहलू से कोई भी किसी हथियार का प्रयोग करे, यह अच्छा नहीं मालूम होता। अच्छा यही है कि हम आर्थिक बौधिक दृष्टि से इसे ऊंचा उठायें, सामाजिक दृष्टि से ऊंचा उठायें,

[श्री रामदास आर्य]

इंसानियत के नाते से ऊंचा उठायें, तभी हमको इसमें सफलता मिल सकती है। आज हम हरिजनों की दशा देख रहे हैं चाहे वह पहले से चली आ रही हो, चाहे वह बाद के वातावरण में उत्पन्न हुई हो, फिर भी उनकी दशा शोचनीय है, वे शोषित हैं। सरकार भी कोशिश कर रही है कि उस कमजोरी को हम निकालें और इसका सुधार करें। इनकी आर्थिक दशा कुछ ऊंची हो, इसके लिये आवश्यकता है इस बात की कि हम हरिजनों को उद्योग-धंधे दें, हरिजनों को रोजगार दें, व्यापार के साधन दें, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा है। लेकिन यह अभी नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं कि समाजवादी समाज बने, लेकिन यह कहना मात्र रहा है। इस कमजोर समाज की तरफ अगर ध्यान दिया जाय और उत्थान की चीजें उनमें पैदा की जायं तो इनका उद्धार हो सकता है। आज उद्योग-धंधे खोल करके देने के बारे में, जैसा कि अभी कहा गया और खेती का कार्य देने को कहा गया। हरिजन ज्यादातर खेतों पर काम करते हैं। उनमें बहु संख्यक खेतिहर मजदूर हैं। खेती उनका बोझ नहीं उठा रही है। ऐसे लोगों को शीघ्र दूसरे धंधों, व्यवसायों में लगाया जाये। आज उनके लिये पैर टेकने का स्थान नहीं है, रहने का स्थान नहीं है और अभी तक उनके बच्चों की शिक्षा के लिये भी समुचित प्रबन्ध नहीं हो पाया है। सरकार इस संबंध में उनकी शिक्षा के लिये कुछ कर रही है, लेकिन उस स्तर पर अभी यह कार्य नहीं हो पाया, जिसे कि उसको होना चाहिये। आज सर्विसेज में जितने लोग मिलते हैं, शायद मैं अगर गलती न करूं, तो ८५ फीसदी लोग उन्हीं लोगों में से हैं जो शक्तिशाली हैं, जो लोग शिक्षा सम्पन्न हैं और जो मालदार हैं उनके आदमी सर्विसेज में आपको मिलेंगे। हरिजनों के १८ प्रतिशत भी संरक्षण की पूर्ति नहीं हो रही है, खेद है। क्या इसी को समाजवाद कहना चाहते हैं? क्या इस तरह से समाजवाद बनाना चाहते हैं? क्या यही गरीबों को ऊपर उठाने का प्लान है? सरकार कोशिश कर रही है और उसने कुछ सहूलियत भी दीं कि उनको शिक्षा मिल जाय, लेकिन हम जानते हैं कि एक विधेयक माननीय रेवेन्यू मंत्री जी ने यहां पर पास कराया था कि १२॥ एकड़ भूमि हम एक बालिग और उसके परिवार के लिये रखेंगे। आज उसके लिये वह सीलिंग करना चाहते हैं, ठीक है। आज हमारे देश में भूमि पर सीलिंग करने की आवश्यकता भी है ताकि दूसरों को रोजगार मिले। सहकारिता पर जोर दिया जाय ताकि सहकारिता के आधार पर लोग खेती करें और सहकारिता हर एक काम के लिये बरती जाय और छोटे-छोटे उद्योग-धंधे हर एक को मिलें। कोई आदमी रोजगारहीन न रहे। जैसा कि मैंने कहा, आज हरिजन पूर्ण उन्नति नहीं कर रहे हैं और न हम पैसे वाले माने जाते हैं। हम लोग कहीं भी किसी का मुकाबला नहीं कर पाते हैं। हमारे हरिजन बच्चे स्कूलों में कैसे जा सकते हैं जबकि उनको खाने के लिये रोटी नहीं मिलती, नाश्ता नहीं मिलता? क्या वे दूसरी जाति का मुकाबला कर सकते हैं जिनके पास सब साधन हैं? आप इस बात को भूल जाते हैं कि जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी उसकी बौद्धिक दशा कैसे अच्छी हो जायगी और किस प्रकार उसकी आत्मोन्नति हो जायगी, वह आगे कैसे बढ़ सकते हैं। इस विचार को आपको भूलना नहीं चाहिये।

कहा गया कि हरिजनों से प्रेम रखना चाहिये और उनको ऊंचा स्थान देना चाहिये। उस संबंध में गांधी जी ने कहा था कि जो चीज नीचे से शुरू करके ऊपर जायगी वह सही होगी। इसलिये समाज में सबसे नीचे लोगों को नीचे से उठाकर ऊपर की तरफ ले जाना चाहिये। अगर ऐसा हो तो यह खाई जल्दी पट जायगी। सरकार यद्यपि शुरू से कोशिश करे तो यह कठिनाई हल हो जाय। यूं बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने हरिजन समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया है। हम उनके आभारी हैं। हम महात्मा गांधी के विशेषरूप से ऋणी हैं। पहले यह देश तो गुलाम था ही, लेकिन हरिजन गुलामों के भी गुलाम थे। आज हमारा देश गुलाम नहीं है, तो देश में कहीं भी गुलामी नहीं रहनी चाहिये। देश में सभी को समानता का अधिकार, व्यवहार क्रियात्मक मिलना चाहिये। सब को सामाजिक अधिकार व्यावहारिक रूप में मिलने चाहिये। आज अस्पृश्यता कहीं-कहीं

खूब दिखाई पड़ती है। कानून के अन्दर हरिजनों को धाबा, भोजनालय खोलने का अधिकार है, लेकिन वह प्रयोग में कहां आ रहा है ? इन लोगों के लिये रोजगार की व्यवस्था कहीं पर नहीं है जिससे ये अपने पैरों पर खड़े हो सकें। यह सिर्फ इस वजह से है कि उनके पास टैक्निकल एजूकेशन नहीं है। जब तक उनके लिये टैक्निकल एजूकेशन की व्यवस्था न की जायगी तब तब वे कैसे रोजगार में बढ़ सकते हैं।

मुझे खुशी है कि माननीय मंत्री जी ने काफी बातें अपने भाषण में कही हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रदेश में हरिजनों के लिये कुछ होने जा रहा है। जब तक उनके मौलिक प्रश्नों को हल नहीं किया जायगा तब तक यह प्रयत्न सफल नहीं हो सकते हैं। सबसे पहले उनकी मौलिक समस्याओं के हल होने की जरूरत है और उन पर ही जोर देने की जरूरत है। आज हम देखते हैं कि जहां तक लड़कों की छात्रवृत्ति का प्रश्न है, छात्रवृत्ति ११वीं और १३वीं क्लास के छात्रों को अभी तक सेंटर से नहीं मिल पाई है। वे परेशान हैं। आज कहा जाता है कि निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है, निःशुल्क तो है लेकिन जब उनका एडमिशन होता है तो उनसे पूरी फीस लेकर ही दाखिला होता है। फिर इम्तहान की फीस है चाहे वह वापस हो जाय, लेकिन उस वक्त तो उनके लिये यह एक समस्या पैदा हो जाती है। फिर वे ऊंची-ऊंची शिक्षा कैसे पा सकते हैं ? इसी वजह से वे ऊंचा एजूकेशन पाने से वंचित रह जाते हैं। इस तरह से मैं समझता हूं कि सारा धन जितना हो सके उनकी शिक्षा और उद्योग-धंधे सिखाने के लिये खर्च किया जाय।

हरिजन कल्याणार्थ जिलों में जो हरिजन सहायक अफसर रखे गये हैं वे सरकार ने इसलिये रखे थे कि उनसे भला हो, लेकिन उन से कोई लाभ हरिजनोत्थान में नहीं हुआ है। अफसरों की तनख्वाहें भी हरिजन फंड से दिलाया जाना उचित नहीं मालूम होता। इस पद को समाप्त किया जाय। हरिजनों की मौलिक समस्यायें, आर्थिक, सामाजिक और बौद्धिक समस्याओं को हल करने पर सरकार ज्यादा जोर दे और उनके कार्यान्वित करने में देर न लगने दे। अगर प्लान बन जाता है और वह कार्यान्वित नहीं होता तो उससे कोई भला नहीं होने वाला है। अस्पृश्यता तो हृदय-परिवर्तन का प्रश्न है। सदन में बैठे हुए सभी महानुभाव मिल कर यदि कोशिश करें और सोचें कि यह हमारे भाई हैं, हमारे अंग हैं और इसको क्रियात्मक रूप में लें यह तभी हो सकता है, लेकिन उन के साथी ही आपस में मेल नहीं रखते। अफसरों में भी हर जगह छुआछूत है। जब नौकरों में यह हाल है तो छुआछूत कैसे दूर होगी ? मैं इसके लिये मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि हरिजनों के मौलिक प्रश्नों को वे हल करें और उनको क्रियात्मक रूप देने का कष्ट करें। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करते हुये आशा करता हूं कि वे मेरे सुझावों पर ध्यान देंगे।

श्री हरदयालसिंह (जिला शाहजहांपुर)---उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान पर दिये गये कटौती के प्रस्तावों का मैं समर्थन करता हूं। इस समय हाउस में हरिजन और बैकवर्ड क्लास के सम्बन्ध में चर्चा हो रही है। यह समाज सदियों से पिछड़ा हुआ है और इस सिलसिले में पहले भी हमारे देश के नेता प्रयत्न कर चुके हैं। सब से पहले हमारे देश के पूज्य नेता बापू ने यह महसूस किया था कि जब तक हम इन पिछड़े हुये लोगों को जो करोड़ों की संख्या में हैं, ऊपर नहीं उठाते हैं तब तक देश की आजादी बेकार होगी। इसलिये उन्होंने सब से पहले इस समाज को उठाने की कोशिश की और उसके लिये शुरू से प्रयत्न किया। यदि आज हम उनके दृष्टिकोण से अपनी सरकार के कामों को देखते हैं तो पाते हैं कि उसका सौवां अंश भी पूरा नहीं किया जाता है। प्रत्येक जिले में एक हरिजन सहायक अफसर है और हर जिले में हरिजन और बैकवर्ड क्लास के लिये एक कमेटी बनी हुई है। इन कमेटियों में हरिजनों और बैकवर्ड के प्रतिनिधियों की बहुत कमी है, उनका प्रतिनिधित्व कम है। जब यह कमेटी हरिजनों और बैकवर्ड क्लासेज के लिये है और उनकी शिक्षा संबंधी तथा दूसरे सहायता

[श्री हरदयालसिंह]

कार्य में मदद करने के लिये है तो फिर क्या कारण है कि उसमें हरिजनों तथा बैकवर्ड क्लासेज के प्रतिनिधि अधिक न हों ? इसके साथ साथ इन कमेटियों का दुबारा कोई संगठन नहीं होता है। जिस तरह हैं उसी तरह से चलती चली आ रही है। इसके अतिरिक्त जो अनुदान जिलों में दिया जाता है पहले तो वह बहुत कम है। इस समाज की अवस्था को देखते हुए यह अनुदान बहुत कम है, लेकिन जो भी दिया जाता है उसमें नियमों की कुछ व्यवस्था ऐसी है कि वह पूरे का पूरा खर्च नहीं हो पाता।

एक दिन माननीय मंत्री जी द्वारा बताया गया था कि जो रुपया जिलों में हरिजनोत्थान के लिये दिया जाता है वह पूरा खर्च नहीं हो पाता। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या उसने इन कारणों पर विचार किया है कि यह खर्च क्यों नहीं हो पाता। क्या जो दिक्कतें हैं उनको दूर करने का सरकार ने प्रयत्न किया है ? आज सरकार कुवें बनवाने के लिये या और गृहनिर्माण तथा दूसरे कामों के लिये आर्थिक सहायता देती है, कुटीरउद्योग के लिये सहकारी समितियां बनी हुई हैं, उन से लोगों को मदद मिलती है, लेकिन इस समाज के सामने सब से बड़ी परेशानी यह है कि समाज निर्धनता के कारण कार्य समय पर नहीं कर पाता और इस प्रकार सहायता से वंचित रह जाता है। अनुदान में जो शर्तें पहले से हैं वह भी पूरी न कर सकने के कारण इस समाज पर पैसा नहीं लग पाता। इन तमाम कारणों से पूरा पैसा खर्च नहीं हो पाता और हर जिले में बच जाता है। मुझे कई जगह इस तरह की जानकारी है। मैं निवेदन करूंगा कि जो कठिनाइयां इस सिलसिले में हैं उनको दूर करने की कोशिश की जाय।

इसके बाद नौकरियों में १८ प्रतिशत का जो संरक्षण दिया गया था, उस के सम्बन्ध में आज भी सब को कई बार प्रश्नों के उत्तरों से मालूम होता रहा है कि पूरा नहीं होता। उत्तर यह मिलता है कि हरिजन अयोग्यता के कारण यह दूसरी किन्हीं कमियों के कारण नौकरियों में नहीं पहुंच पाते। मैं पूछना चाहता हूं कि जब १८ फीसदी का संरक्षण उनको है तो फिर उनको नौकरियां न देने की कौन सी बात है ? मैंने देखा है कि बड़ी-बड़ी जगहों पर भी बिना पढ़े लिखे लोग कार्य कर रहे हैं। हमारे श्री कामराज नादर, जिनकी योग्यता केवल दर्जा ८ तक है, एक सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं और सारे सूबे का शासन करते हैं। तो देश के शासन में उनको अयोग्यता के कारण न लेना या शारीरिक अयोग्यता के कारण निकाल देना एक अभिशाप की बात है। उनका संरक्षण हर दशा में पूरा होना चाहिये और किसी सूरत में उसमें कमी नहीं रहनी चाहिये।

बैकवर्ड क्लासेज के लिये १९५३ में केन्द्रीय सरकार ने एक कमीशन बैठाया था जिसने सारे देश का दौरा कर के अपनी एक रिपोर्ट पेश की जिसको केन्द्रीय सरकार ने रद्दी की टोकरी में डाल दिया। भारत सरकार ने जो उस कमीशन की रिपोर्ट के सिलसिले में किया है, निहायत गलत है। देश की ९० फीसदी जनता पिछड़ी हुई है, उसकी माली हालत अच्छी नहीं है, उनके हित के लिये कमीशन ने जो सिफारिशें कीं थीं अगर उन पर अमल किया गया होता तो आज जिनके लिये हम लड़ रहे हैं, जो राजनीतिक और जनवादी पार्टियां जिस समाज के लिये लड़ रही हैं, उनकी हालत आज अच्छी होती। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, जिस किसी भी क्षेत्र में लिया जाय, यही समाज सब से पिछड़ा हुआ निकलेगा। तो इसके लिये आवश्यकता थी कि उस कमीशन की सिफारिशों पर अमल किया जाता। उस पर अमल न किया जाना हमारे लिये लज्जा की बात है और सरकार को इस बात के लिये शर्म आनी चाहिये कि जब वह हरिजनों और बैकवर्ड क्लासेज के लिये इतना कुछ कर रही है यदि वास्तव में देखा जाय तो वह कुछ नहीं होता है।

कानूनी सहायता के लिये मैं कहना चाहता हूं कि अगर कानूनी सलाहकार मुफ्त सहायतार्थ नियुक्त कर दिये जायं तो सरकार को क्या एतराज हो सकता है। इस व्यवस्था से पिछड़े हुये समाज का अदालतों में काफी पैसा बच सकता है, क्योंकि आज जो सैकड़ों दंगे, फसाद और झगड़े होते हैं और समाज में इन लोगों को परेशानियां हैं, अदालत में इनको मुफ्त

सहायता मिल सकती है, तो यह बहुत उचित बात होगी। आज बैकवर्ड और हरिजनों के लिये इस सम्बन्ध में सरकार कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। मैं निवेदन करता हूं, यहां पर मंत्रिमंडल के सदस्य भी बैठे हैं, उनसे कहता हूं कि यदि वे इस बात पर विचार करें और कानून के सिलसिले में प्रत्येक जिले में हरिजनों को इस तरह से सुविधा प्राप्त हो जाय, तो हम सचमुच में इस तरह से उन का उत्थान कर सकते हैं।

इसके साथ ही साथ मैं एक बात यह भी अर्ज करूंगा कि सरकार बैकवर्ड क्लास के नाम पर जो आज एक संगठन चला रही है, तो हम उस में आज भी यही देखते हैं कि मंत्री महोदय जाते हैं और उसका उद्घाटन करते हैं, तो यह बहुत गलत चीज है। इस तरह से जो कुछ भी वे आज कर रहे हैं बैकवर्ड क्लास और हरिजनों के नाम पर, उन के संगठन में इस तरह से कार्य करने के लिये निजी स्वार्थ को लेकर जाते हैं, उन के उच्च पदाधिकारी लोग मौके पर पहुंचते हैं, उन की बातें सुनी जाती हैं, तथा उन लोगों के दुख की बातें सुनकर और इस तरह से मौके निकाल कर, आप जो कुछ भी करते हैं, उसके लिये मैंने हमेशा यही देखा है कि आप उन को अपनी तरफ मिलाये रखना चाहते हैं, ताकि आप को मौके पर उनसे वोट मिल सके।

इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इन हरिजनों और बैकवर्ड क्लास का जो संगठन चल रहा है और इसके लिये जिस तरह का संगठन आप बनाये हुये हैं यदि देखा जाय तो सचमुच सरकार इस तरह से कार्य कर के उनको इस्तेमाल करते रहना चाहती है और सरकार का इस तरह से कार्य करना उचित नहीं कहा जा सकता है जब कि वे उन से स्वार्थ लाभ उठाना चाहते हैं। मैं यहां पर उन सदस्यों के लिये भी कहता हूं जो कि संसद् और असेम्बली में चुन लिये जाते हैं, वे भी अपने कर्त्तव्य को जो कि उनके प्रति होना चाहिये, उसे भूल जाते हैं। जो आज इस प्रकार से विधान सभा के या संसद् के सदस्य हो गये हैं, वे अपने रिश्तेदारों, परिवारों, सम्बन्धियों तथा मित्रों को ही फायदा पहुंचा सकते हैं, लेकिन करोड़ों की संख्या में समाज का यह पिछड़ा हुआ अंग जो कि देहातों में है, उनको इससे क्या फायदा होता है। मैं आप से इस तरह की बात कहता हूं कि उन लोगों को जो कि सैकड़ों की संख्या में गांवों में हैं, आप से क्या लाभ हो रहा है। मैं इस तरह की बात जरूर कहूंगा, भले ही मेरी राय यहां के माननीय सदस्यों को गलत मालूम हो, सरकार को भी कटु मालूम हो, लेकिन मैं यह कहने से नहीं चूकूंगा कि हमें आज हरिजनों का सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में उत्थान करना है और इस तरह से उन का उत्थान नहीं हो सकता है। मेरा सरकार के सामने यह सुझाव है कि उनको बिक्री-कर, ग्राम-शिक्षा-शुल्क, कर, तथा मूल कर से छूट दी जाय, उस से उन को फ्री किया जाय और इस पर सरकार को विचार करना चाहिये। इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहता हूं कि संसद् और असेम्बली में जो उनके लिये रिजर्वेशन रहता है, उसे समाप्त कर दिया जाय, ताकि इस तरह की भावना से उन लोगों को आगे बढ़ने का स्वावलम्बन मिल सके। जब हम इस तरह के कार्य करेंगे, तभी उनकी माली हालत अच्छी होगी और समाज में ऊंचा स्थान ग्रहण कर सकेंगे तथा सभी क्षेत्रों में अग्रसर हो सकेंगे। आज वे समाज में इस तरह की बुराइयों से कुचले हुये हैं क्योंकि हम अगर देखें तो आज भी सैकड़ों वर्ष की परम्पराएं तथा रिवाज जो चले आ रहे हैं, वे आज भी उसी तरह से चल रहे हैं और इसका परिणाम यह होता है कि वह समाज में बराबर गिरते चले जाते हैं। हमें उनके इस तरह के कार्य को रोकना है और उनको आगे बढ़ाना है ताकि वे भी हमारे समाज के साथ ही साथ आगे बढ़ सकें, इस बात के लिये भी वे मौका हासिल कर सकें जिसके लिये महात्मा गांधी ने वर्षों पहले से कहा था कि जब तक भारत का प्रधान मन्त्री एक हरिजन नहीं होगा तब तक इस देश का कल्याण नहीं हो सकता है।

मैं यह भी कहता हूं कि जिस तरह की सहायता सरकार उनको दे रही है, वह सहायता नहीं के बराबर है, उस में सुधार होना चाहिये। सहायता आप जरूर दें, लेकिन उस सहायता

[श्री हरदयालसिंह]

के ढंग में सुधार होना चाहिये। जो आज असेम्बली और पार्लियामेंट हो रही है, उसमें भी गवर्नमेंट इस बात पर विचार करे कि इस सहायता में किस तरह से सुधार हो, ताकि हम इस वर्ग को और आगे बढ़ा सकें। अगर यह वर्ग आगे नहीं बढ़ेगा, तो आप के यहां जितनी भी पार्टियां बनी हैं, जो कि जनतंत्र पार्टी के नाम से अपने को कहती हैं, तो इनमें से कोई भी पार्टी आप को ऐसी नहीं मिलेगी जो कि किसानों और मजदूरों की बातें न करती हो। किसानों और मजदूरों की मुसीबतों को देखिये, वे गिरे हुये हैं, पिछड़े हुए हैं, उस दलित समाज की कितनी दुर्दशा है। जो यहां ३-४ प्रतिशत वाले लोग आपको शासन सत्ता में दिखायी पड़ते हैं वे उनमें नहीं हैं वे तो शासक वर्ग के व्यक्ति हैं, यह ९५-९७ प्रतिशत जिनके हाथ में कोई ताकत नहीं है, वे लोग अब भी मुसीबत में हैं। जो पार्लियामेंट में या विधान सभाओं में हैं, उनका कोई अपना व्यक्तित्व नहीं है, वे तो सरकार के इशारों पर काम करते हैं। जो उनको प्रतिनिधित्व प्राप्त है वह शोषित समाज के लिये या जो बैकवर्ड समाज है, उसके लिये बिलकुल बेकार है।

*श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे जो हरिजन मंत्री हैं उन्होंने जो अनुदान पेश किया है उस के लिये मैं उनको बधाई देता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अभी अपने माननीय सदस्यों के भाषणों को सुना। भारतीय संस्कृति और हिन्दुओं की बड़ी भारी परम्पराओं की दुहाई दी गई। आर्य जाति की बड़ी भारी प्रशंसा की गयी जिसको सुन कर मुझ बड़ी भारी पीड़ा हुई और दुःख भी हुआ, क्योंकि मैं जानता हूं कि इन्होंने ही भारत के हरिजन वर्ग को पददलित किया उनका शोषण किया और आप कहते हैं कि उन्होंने हमको उठाया। आज आप हमें भारतीय संस्कृति सिखाते हैं और हमें आज मिलाने की बात कहते हैं उस वर्ग से जिसने विदेशियों को हटाने के लिये अपनी बहू बेटियों की लज्जा बेची और शरीर को स्वाहा कर दिया। इस देश के शासक तो हमी लोग थे। आप का तो इससे कोई सरोकार ही न था। आप लोगों ने तो देश का शोषण किया। हमने उदारता दिखायी, आप का आदर किया, मानव को मानव समझा और आज फिर उसी मानवता की आज लाखों वर्षों के बाद पूज्य बापू ने स्थापना की, लेकिन आप ने हमारी उस भलमनसाहत का यह लाभ उठाया कि आप हमको गिराते ही गिराते चले गये। राज्य छीना, जमींदारी छीनी और गिराते गिराते अछूत बना दिया। वह हरिजन वर्ग ही था जिसने इस देश की रक्षा की। अपनी पुरानी संस्कृति को देखिये जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है और आप अब हमें गंगा की तरह मिलाना चाहते हैं। आप हममें आकर मिलिये। पूज्य बापू ने यह चीज क्यों कही? देश का बटवारा होने जा रहा था। उन्होंने कहा था कि देश का बटवारा नहीं होना चाहिये। हमने तो उदारता दिखायी और आप हमें यह शिक्षा देते हैं। उपाध्याय महोदय, फिर हरिजनों ने इस देश के लिये उदारता बरती और कहा कि जो भी इस देश का निवासी है वह मिल कर रहेगा, लेकिन जो हिन्दू मुसलमान हो गये थे उनको भी आप नहीं मिला सके, वे बनते ही रहे और उसका नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान बन गया। यह जिम्मेदारी हरिजन वर्ग की नहीं थी, यह आप की जिम्मेदारी थी। आपने सदैव से ही हरिजन वर्ग का शोषण किया। दो दो आने में कमवाया और बैठ कर खाया। आप पूज्य बापू जी के लिये दुआयें दीजिये। इस सम्पूर्णानन्द जी की सरकार ने १५२ लाख रुपये का बजट हरिजनों के लिये बनाया है। कमलापति जी जैसे विद्वान् मिनिस्टर ने उनकी सहायता के लिये यह रखा है। आप कहते हैं कि हम लोग बिक गये हैं, लेकिन हम आज तक बिके नहीं। बिके आप लोग हैं हम नहीं बिके। हमने इस देश की रक्षा के लिये अपने प्राणों की आहुति दी और आपने सन् १९५७ में देश को ग़ुलाम बना कर जमींदारियां लीं। इस बात को तो श्री राजनारायण जी कह सकते हैं जिन्होंने विश्वनाथ मन्दिर के सामने हरिजनों के प्रवेश के लिये सत्याग्रह किया। आप तो ऐसे माननीय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सदस्यों में से हैं, जिन्होंने इस आदरणीय सदन में एक काम रोको प्रस्ताव इस सम्बन्ध में किया। कुंवर श्रीपाल सिंह जी ने विश्वनाथ मन्दिर प्रवेश के सम्बन्ध में कामरोको प्रस्ताव रखा था और आप ने पूज्य करपात्री जी का तो नाम ही नहीं लिया कि वे क्या कहते हैं। आप हमसे पूछते हैं कि हमने हरिजनों के लिये क्या किया ? हमने तो भंगियों की २५, ३० लड़कियां ब्याही हैं, जिनका उदाहरण मैं हर साल देता हूं, आप प्रोसीडिंग्स उठा कर देख लीजिये। आप बतलायें कि आप ने ऐसे कौन से कार्य किये हैं, आज से नहीं बल्कि १०० वर्ष पहले से क्या कार्य किये हैं। जहां इस सरकार का बजट पहले हरिजनों के लिये ६, ७ लाख का रहता था वहां इस सरकार ने इस साल १,५२,००,००० रु० का बजट रखा है। आप पूज्य पंडित कमलापति त्रिपाठी की बात करते हैं, लेकिन उनको मैं अच्छी तरह से जानता हूं और आप को बतलाऊं कि उन्होंने मुझे बुला कर साथ में एक थाल में खाना खाया है। उन्होंने हरिजनों के लिये अपनी जान की बाजी लगायी है और उनके लिये अपने जीवन को अर्पण किया है। आज उन पुराणों की बात कहते हैं जिसमें कायस्थ जैसी शिक्षित जाति को भी वेद पढ़ने से मना किया गया है। और बनारस यूनिवर्सिटी में एक कायस्थ को वेद पढ़ने की इजाजत तक एक समय नहीं दी गयी।

श्री हरदयालसिंह---उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बार बार "आप" शब्द का इस्तेमाल करते हैं, यह नहीं होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष---ठीक है, "आप" शब्द चेयर के लिये ही होता है।

श्री हरीसिंह---श्रीमन्, चूंकि वे हिन्दू संस्कृति के बारे में कुछ जानते तो हैं नहीं, इसलिये ऐसी बात कहते हैं। आप से मेरा मतलब कुंवर साहब से था। श्रीमन्, आप के द्वारा मैं कुंवर साहब से इस बात को बतलाना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर दो लांछन लगाये कि मैंने चन्द सीटों के लिये अपने को बेच दिया है, लेकिन उनको मालूम होना चाहिये कि हम अपने को चन्द सीटों के लिये कभी भी नहीं बेच सकते हैं लेकिन असल बात यह है कि आप हमको फिर अपने अधिकार स वंचित करक वही अपने हल जुतवाना चाहते हैं और कोल्हू चलवाना चाहते हैं ? चाहे उधर के बैठने वाले हों या इधर के बैठने वाले हों माननीय सदस्य हों, वे सब इस बात को जानते हैं कि इस सरकार ने हरिजनों की तरक्की के लिये बहुत कुछ किया है। मैं माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि चन्द एम० एल० एज० ने अपना क्या फायदा उठाया है। आप देखें कि चपरासी से लेकर डिप्टी कलेक्टर और असिस्टेन्ट डाइरेक्टर तक हमारी सरकार न हरिजनों में से बनाया है, तो क्या ये सब एम० एल० एज० के रिश्तेदार हैं ?

श्री हरदयालसिंह---मालदारों की संख्या बढ़ाने से हरिजनों का फायदा नहीं होने वाला है।

श्री हरीसिंह---श्रीमन्, आप के द्वारा माननीय मंत्री जी से मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने हरिजनों की सर्विस के लिये जो १८ फीसदी का रिजर्वेशन रखा है उसको हर विभाग में अभी तक पूरा नहीं कर सकी है, जिसके प्रति मुझे सरकार से अवश्य शिकायत है, लेकिन इस सदन के सभी माननीय सदस्य चाहे वे इधर बैठे हों या उधर बैठे हों इस बात को स्वीकार करेंगे कि हरिजनों के लिये जितना इस सरकार ने किया है उतना अभी तक किसी सरकार ने नहीं किया है। आशा है कि भविष्य में भी नहीं करेगी, लेकिन मुझे दुख होता है कि सरकार द्वारा इतनी उदारता बरतने के बाद भी सरकार के प्रति इस तरह की बात कही जाती है और वह भी कुंवर साहब जैसे आदमी की तरफ से कही जाती है जो स्वयं शोषक रहे हैं और हम लोगों का बराबर शोषण किया है। अगर राजनारायण जी इस तरह की बातें कहें तो कुछ समझ में भी आ सकती है जिन्होंने हरिजनों को आगे बढ़ाने के आन्दोलन में हिस्सा लिया और अपने कर्त्तव्य को पूरा किया, लेकिन कुंवर साहब तो जानते नहीं हैं कि बनारस में हो क्या रहा है।

[श्री हरीसिंह]

दूसरी बात श्रीमन्, मुझे बालिकाओं की शिक्षा के सम्बन्ध में कहनी है इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि हरिजन बालिकाओं के लिये जो पाठशालाएं हैं वे नाम मात्र को हैं और हरिजन विभाग उधर ध्यान नहीं देता है। दूसरी बात यह है कि इंजीनियरिंग कालेज, मेडिकल कालेज, आयुर्वेदिक कालेज में हरिजन विद्यार्थियों की मदद के लिये कहा जाता है तो शिक्षा विभाग की तरफ से कह दिया जाता है कि शिक्षा विभाग के बजट में इसके लिये गुंजायश ही नहीं है। कृपा कर इन अधिकारियों से हमें बचाइये। उपाध्याय महोदय, मैं आप के द्वारा फिर कहता हूं कि अगर बजट में गुंजायश नहीं है तो ऐसी रकम रखिये। जब हम स्कूलों की बात करते हैं तो बजट में इमारतों के लिये गुंजायश नहीं है। तो यह १,५२,००,००० रु० जाता कहां है? हरिजनों को इससे उतना फ़ायदा नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिये। मैं कहना चाहता हूं कि इस सूबे में २ स्कूल हैं, दोनों को मदद नहीं मिलती। तीसरी बात यह है आज तक हमारे हरिजन विभाग में जिसके लिये प्रति वर्ष कहते हैं कि ऐसे आंकड़े जरूर हों कि कितने नौकर इस सरकार में किस किस पद पर हैं और उनमें हरिजन कितने हैं जिससे मालूम हो सके कि सरकार ने यह कार्य किया है।

इसके अलावा मैं अपने अधिकारियों की प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने इंडस्ट्री की एक योजना बनायी और वह ऐसी है जो उद्योग विभाग में भी नहीं है, लेकिन वह अभी चालू नहीं की गई। वह चालू की जाय और इंडस्ट्री पर अधिक से अधिक ध्यान दिया जाय जिससे आर्थिक दशा जल्दी सुधर सकती है।

जहां तक जमीन की बात है हम चाहते हैं कि सहकारी फ़ार्म हों और जमीन के बटवारे के पक्ष में नहीं है। हम सरकारी फ़ार्म चाहते हैं, हर कार्य में सहकारिता हो अगर हरिजनों की आर्थिक दशा सुधारनी है।

जहां तक विवाह शादी की बात है अगर हमारी आर्थिक दशा अच्छी हो जायगी तो किसी के कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस देश की नीति ही सदा से ऐसी रही है कि पैसे वाले की सदा पूजा हुई है या लंगोटी वाले की हुई है।....

श्री राजनारायण--लंगोटी तो है।

श्री हरीसिंह--जहां तक लंगोटी की बात है उसके लिये हम सदा क्रान्ति करते आये हैं, लेकिन आप के तरीके से नहीं। वह तो हम त्यागी तपस्वी हैं ही।

श्री उपाध्यक्ष--यह आप की दाढ़ी की तरफ़ इशारा है। (हंसी)

श्री हरीसिंह--तो मैं मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं जहां तक उद्योगधंधे का प्रश्न है जो आपके हरिजन अधिकारी हैं उनको आप पूरी शक्ति दीजिये। जहां तक हमें मालूम है उनको कोई शक्ति नहीं है कि एक पैसा अपने जिले में खर्च कर सकें। वे दूसरे के अधीन हैं इसलिये हरिजनों के कार्य नहीं हो पाते। हरिजनों में प्रचार के लिये १, २ लाख रुपया रखा जाया करे। जहां तक भारतीय संस्कृति की बात होती है हालांकि वे कट्टर हिन्दू हैं, उनमें हिन्दूपन है आप में हो या न हो। लेकिन उन्हें कोई समझाने वाला नहीं है। इसलिये मेरा कहना है कि २, ३ लाख रुपया अवश्य रखिये जिससे प्रचारक मंडली उन्हें सामाजिक सुधार की बातें समझा सकें। इस तरीके से हरिजन कल्याण होने वाला नहीं है जिस ढंग से अब तक चल रहा है। अफसरों के पास जब हम जाते हैं तो वे कहते हैं कि बजट में रुपया नहीं है। मेरा निवेदन है कि बजट में ऐसी मद रखिये जिसमें अधिकारियों को पूर्ण अधिकार हो कि जिसको चाहें सहायता दे सकें और हमारी कठिनाइयां दूर हो सकें। इसलिये मैं मंत्री जी से पुनः आशा करता हूं कि ऐसे विद्वान आदमी के हाथ में यह विभाग आ गया है जिनसे हमें पूर्ण आशा है, काशी के विद्वान् पंडित, कि अब हमारा कल्याण होगा और अवश्य होगा। इसलिये मेरा पुनः निवेदन है कि जो लड़के मारे मारे फिरते हैं हरिजनों के उन्हें छात्रवृत्ति

दी जाय, स्कूलों की इमरतों के लिये रुपया तुरन्त दिया जाय और जो रुपया तनख्वाह और भत्तों में बेकार जा रहा है इसको रोका जाय।

श्री शिवराम (जिला बिजनौर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें तो कोई शक नहीं कि माननीय सदन में जितने भी सज्जन बैठे हुये हैं वे इस बात से अवश्य सहमत हैं कि हरिजन उद्धार होना चाहिये। अभी जो उधर से वक्ता बोल रहे थे उन्होंने पहले तो कुछ हरिजन उद्धार की तारीफ की और अन्त में यही कहा कि हरिजन उद्धार में जो मौजूदा समय में काम किया जाता है इसमें खामियां हैं। मैं उस भाई को यही बता देना चाहता हूं आपके द्वारा कि इधर के बैठने वाले भी यही कहते हैं कि हरिजन उद्धार के लिये जो मौजूदा सरकार की नीति है उससे हम सहमत नहीं हैं, इसलिये सहमत नहीं हैं कि वास्तव में सरकार यह सोच लेती है कि हरिजनों के उद्धार के लिये हमने रुपया मंजूर किया यही बहुत काफी है। उधर के बैठने वाले भाई यह भी सोचते होंगे कि हरिजनों को कुछ सीटें मिल गई, इसी में हमारा कल्याण हो गया। यह सब कोई जानता है कि इन सीटों को पाने के लिये क्या क्या प्रयास किया जाता है। मैं उन भाइयों से यह पूछना चाहता हूं कि कम से कम यह तो बतावें कि हरिजन उद्धार के मुहकमें ने उनके अपने जिले में हरिजनों के बारे में कितने काम किये हैं, सिवा इसके कि कुछ लड़कों को वहां पर छात्रवृत्ति दी गई है, या कुछ कुयें बनवा दिये गये हैं और जिन जिलों में इस प्रकार के कुयें बनवा दिये गये हैं वह तो हरिजनों को और भी पृथक् करने की बात है।

मैं एक ऐसे जिले का रहने वाला हूं, जहां हरिजन समानता का कानून भी नहीं बना था, उससे पूर्व ही कुओं का मसला हल कर दिया गया था। हमारे अन्दर शक्ति होनी चाहिये कि इन खराबियों को दूर कर सकें। आज तो हरिजन अपने आपस की चीजों को ही नहीं दूर कर सके। आपस के वर्ग में ही समानता नहीं ला सके। जाटव और चमारों के भेद-भाव को नहीं मिटा सके। मेरे अपने जिले बिजनौर के अन्दर इस प्रकार के कुयें नहीं हैं जहां हरिजनों को पानी भरने की मनाही हो। अभी मैं २०/२२ तारीख को पिछले महीने बिजनौर गया था रैदास जयन्ती पर। वहां रैदास जयन्ती में सारे सवर्ण लोगों ने भाग लिया और हलवा इत्यादि ग्रहण किया। वहां चमार ही नहीं, भंगी भी कुओं से पानी भरते हैं, लेकिन मैंने तो इस प्रकार की चीज सुनी है कि जहां हरिजन उद्धार की बात करते हैं कांग्रेस एम० एल० ए० भाई, वहां किसी गांव में किसी एम० एल० ए० को चारपाई पर बैठा देखकर किन्हीं सज्जन ने उसे चारपाई से नीचे गिरा दिया।

अभी मेरे भाई ने मंजूर किया कि हम यह जरूर मानते हैं कि सरकार ने १८ फीसदी जो जगह हैं, उनको पूरा नहीं किया। पुलिस के सिलसिले में अभी अखबार में छपा था कि उसमें २ फीसदी ही सिर्फ लिये गये हैं। इसी प्रकार से और नौकरियों में भी १८ फीसदी को पूर्ण नहीं किया गया। जहां नौकरी मिल भी जाती है तो नौकरी करने वाले शहरों में उनको मकान तक नहीं मिलता है। पूछा जाता है कि आप कौन हैं, हरिजन हैं। विद्यार्थियों की जहां तक बात है उन्हें छात्रालय में रहने नहीं दिया जाता। कहा जाता है कि स्थान नहीं है। इस प्रकार से हरिजनों का उद्धार कैसे होगा? हम मानते हैं कि जहां वह भाई इस तरह की बातें पैदा करते हैं कि हम में सामर्थ्य है, हम पहले से शासक इस देश के रहे हैं, शायद वह इस अनुदान को भी लेने को तैयार न हों और अपना उद्धार करने के लिये स्वयं तत्परता के साथ तैयार हों, इससे हम बंध गये हैं। एक तरफ कहा जाता है कि हम हरिजनों पर मेहरबानी कर रहे हैं। लड़कों की छात्रावृत्ति की बात है जिसके ज्यादा नम्बर होते हैं उस को छात्रवृत्ति दी जायगी, लेकिन जो गरीब घास खोदने वाले या जो गरीब औरत घास खोद कर बच्चों को पढ़ाती हैं उसके बच्चे किस तरह से अच्छे नम्बर पा सकते हैं जब उन की रहायश खानपान कुछ भी दूसरे बच्चों के बराबर नहीं है। यह कारण है कि गरीब के बच्चे महरूम रह जाते हैं। इस तरह की चीज को हटा कर ठीक करना चाहिये और जो वास्तव में छात्रवृत्ति का अधिकारी है उसको वजीफा मिलना चाहिये।

[श्री शिवराम]

इसी तरह से कुओं की सहायता भी उन्हीं को दी जाती है जो एम० एल० ए० होते हैं या जिन की तरफ सुपरवाइजर साहब का अच्छा रुख होता है। इसके अलावा उन कुओं की मजदूरी में जो व्यय होता है उसके भुगतान में बड़ी दिक्कत होती है, ऐसी भी मिसालें हैं कि दो दो साल हो गये अभी तक भुगतान नहीं हुआ है, जब कुयें तैयार हो जाते हैं तो ओवरसियर जाकर देखते हैं तो कहते हैं कि यह तो ३० फुट गहरा नहीं है, यह केवल २२ या २५ फुट गहरा है। ऐसी दशा में कैसे अन्दाजा हो सकता है कि कुयें की नीचक कितनी नीची है? वे कहते हैं कि गलत रसीदें हैं--तरह तरह की दिक्कत भुगतान के समय होती हैं। इसमें अगर आसानी पैदा की जाय तो बड़ी कृपा होगी।

इसी तरह से जो कृषि सम्बन्धी सहायता दी जाती है वह उन्हीं को दी जाती है जिन के सम्बन्ध अच्छे रहते हैं। लड़को के सम्बन्ध में सरकार ने जो सहायता दी उस को भी ऐसे लोगों ने प्राप्त किया कि जो सब-कमेटी के मेम्बर थे। जो गरीब मजदूर हैं उन को इस प्रकार की सहायता नहीं मिलती। अगर पूछा जाय कि ऐसे कितने गरीब हैं कि जिन की झोपड़ी बनाई गई तो मालूम होगा कि ऐसे लोगों को सहायता प्राप्त नहीं हो सकी।

हरिजन सहायक विभाग का जहां तक सम्बन्ध है सुपरवाइजर भी उनके पास नहीं जाते और जनसम्पर्क नहीं कर पाते, न कोई हरिजनों की परेशानियों को ही देखने की कोशिश करता है। उनके लिये जितनी छात्रवृत्तियां खुली हैं उन को समय से दिलाने की कोशिश नहीं की जाती। जहां पर हरिजन छात्रावास खुले हैं उनको भी ठीक से सहायता नहीं पहुंच पाती। विद्यार्थी वजीफे के लिये परेशान रहते हैं, पूरा सेशन बीत जाता है और उनको वजीफा नहीं मिलता जब वह पुस्तकें खरीद लेते हैं और परीक्षा हो जाती है तब पुस्तकों की सहायता पहुंचती है। यदि २-३ मास पहले ही इस तरह की सहायता मिलना शुरू हो जाय तो ठीक है।

उद्योग धंधों के सम्बन्ध में जो सहायता दी जाती है वह भी ठीक समय पर और ठीक लोगों को नहीं मिल पाती है। न मीटिंग ही ठीक समय से हो पाती है और न ठीक समय से सहायता ही मिल पाती है और लोग ३१ मार्च तक उस की आशा में चक्कर लगाते रहते हैं। जो लोग कोई औद्योगिक शिक्षा पाते हैं वह शिक्षा पाने के बाद तीन-तीन चार-चार मास तक बेकार बैठे रहते हैं, लेकिन उन को कोई सहायता नहीं मिलती कि जिस से वह कोई काम चालू कर सकें। सालों तक प्रतीक्षा करना पड़ती है तब कहीं जाकर पैसा मिलता है। इस तरह की कठिनाइयां रहती हैं उन लोगों को, क्योंकि वह ज्यादातर पढ़े लिखे नहीं होते और न उन की कोई जानकारी ही होती है। सरकार ने उन की दशा सुधारने के लिये जो कदम उठाया है और उद्योग धंधों को प्रोत्साहन देने के लिये जो सहायता वह देती है उसके अनुसार जितनी प्रगति होनी चाहिये थी वह नहीं हुई है। देहात में जो चमड़े का काम करने वाले लोग हैं उन की दशा बहुत खराब है, चमड़े के भाव बहुत बढ़ गये हैं और ज्यादातर माल बाहर भेजा जाता है। इसका फल यह हो रहा है कि जो चमड़े के काम करने वाले हैं वे बहुत परेशान हैं और भूखों मरते हैं उन की दशा सुधारने के लिये कोई विशेष कदम नहीं उठाया गया है। आज गांवों से यह काम समाप्त होता जा रहा है। हरिजन सहायक विभाग से बहुत असन्तोष बढ़ता जाता है, विद्यार्थियों में भी समय पर छात्रवृत्ति न मिलने के कारण असन्तोष है। इसी तरह से नौकरियों का जहांतक सवाल है १८ प्रतिशत जो निर्धारित किया गया है उसकी पूर्ति आवश्यक है। यदि समस्त सदन में बैठे भाई हरिजनों के उद्धार में विश्वास रखते हैं तो उन को अपने अपने क्षेत्र में जाकर हरिजनों की दशा को देखना चाहिये कि उन की क्या हालत हो रही है, तभी आप राष्ट्र के महापुरुष का नाम सार्थक कर सकते हैं जब हम उन के बताये हुये मार्ग पर चलें। और राष्ट्रीय उन्नति के लिये हरिजनों के उद्धार का यह मसला सुलझ जाना बहुत जरूरी है और यह मसला जल्दी ही तय हो जाना चाहिये था, वही असमानता बनी हुई है, अभी वह हरिजन के हरिजन ही हैं, चमार के चमार बने हुये हैं।

श्री उपाध्यक्ष--आपका समय समाप्त हो गया।

श्री रामलाल (जिला बस्ती)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे भी आज हरिजन तथा पिछड़ी जाति के उत्थान पर अपना विचार प्रकट करने का अवसर दिया। श्रीमन्, जहां तक हरिजनों की आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक इन तमाम बातों का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं, कि प्रत्येक माननीय सदस्य इससे भली भांति परिचित हैं कि उनकी क्या दशा है। श्रीमन्, जिस प्रदेश का बजट लगभग सवा अरब का हो और जिस प्रदेश के निवासियों में हरिजनों का स्थान लगभग एक चौथाई हो यह कैसे आशा की जा सकती है कि हरिजनों का और पिछड़ी जातियों का जल्द से जल्द उत्थान हो सकता है, जबकि उनके लिये इतनी छोटी सी रकम रखी गयी है। माननीय मंत्री जी का ध्यान उन खेतिहर और भूमिहीन मजदूरों की तरफ दिलाना चाहता हूं जो अब भी अपनी जगह पर मजदूर के मजदूर कायम हैं। वे समझते थे कि यह मुल्क आजाद होगा, उनको जमीन मिलेगी, जमीन का बटवारा होगा, परन्तु वह लक्ष्य उनके प्रतिकूल हुआ। हां, हो सकता है कि शायद वह दिन कभी आ जाय। मैं सरकार की निन्दा तो नहीं करना चाहता, कुछ न कुछ तो सरकार काम कर रही है, लेकिन यह मैं जानता हूं कि जितना काम हो रहा है वह बिलकुल नहीं के बराबर है। संसार के प्रत्येक मुल्क में यह धर्म है कि आजाद होने पर पहला काम यह हो कि गरीबों की गरीबी दूर करे।

(इस समय ४ बजकर ५८ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्री बेचनराम गुप्त ने आसन ग्रहण किया।)

मान्यवर, आज लगभग १२ साल स्वराज्य प्राप्त हुये हो गये और जिस हिसाब से काम हो रहा है उससे तो हरिजनों की मकानों के लिये, पानी पीने की, पढ़ाई-लिखाई की, नौकरी इत्यादि की जितनी समस्याएं हैं वह पचासों साल में भी हल नहीं हो सकतीं। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान उन हरिजन, खेतिहर मजदूरों, भूमिहीनों की तरफ दिलाना चाहता हूं और मैं तो माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि भूमि वितरण पर सरकार के सामने अपनी राय दें। आशा है कि जमीन का बटवारा होगा, लेकिन कहीं ३० एकड़ की, कहीं साढ़े १२ एकड़ की जो बात कही जाती है और कानून बनता है तो उसमें हरिजनों को क्या लाभ है? क्या उन भूमिहीनों को लाभ है? यदि सरकार जमीनों का बटवारा कर दे और कुछ जमीन जो ज्यादा हो जाय उसे खेतिहर और भूमिहीनों को दे दें तो मैं समझता हूं कि जो आज बड़ा नारा लग रहा है मुल्क में कि अधिक से अधिक अन्न का उत्पादन हो तो मेरा कहना है कि बहुत बड़ी जोतों में अन्न कम पैदा होता है और छोटी-छोटी जोतों में ज्यादा उत्पादन होता है। इस से गरीबों की गरीबी भी दूर होती और उत्पादन भी अधिक होता। मैं मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि सरकार के सामने यह विचार जाहिर करेंगे कि साढ़े १२ एकड़ का जो कानून है वह लागू कराने की कृपा करें और उससे अधिक जमीन जितनी है उसको लेकर भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को दे। श्रीमन्, मंत्री जी ने अभी खुद तसलीम किया है कि आज हरिजनों को पानी पीने में भी दिक्कत हो रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि आज १२ साल की हुकूमत के बाद भी हरिजनों के पानी पीने की दिक्कत दूर नहीं हो सकी। मान्यवर, जो बाढ़ के इलाके हैं उनमें जो रहने वाले खेतिहर मजदूर हैं, जब बाढ़ आती है तो उनके मकान परत हो जाते हैं और उस वक्त वे बेचारे परेशान हो जाते हैं। भूमिहीन होने के नाते उनको तकावी भी नहीं मिलती और मजदूरी भी नहीं रह जाती, वह खाने बिना मरता है। वह घर बनाये या अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करने के लिये कहीं जाकर मजदूरी करे। तो यह जो अनुदान रखा गया है मैं समझता हूं कि यह बहुत कम है। अगर सरकार यह चाहती है कि हरिजनों का उत्थान जल्द से जल्द हो तो उनके घरों के लिये, पढ़ाई के लिये और उनके रोजगार के लिये ज्यादा से ज्यादा रुपया लगाना चाहिये।

इसके अतिरिक्त, जो अनुदान हरिजनों के सिलसिले में दिया जाता है उसके भी मिलने में उनको बड़ी कठिनाई होती है। जिलों में हरिजन सहायक आफिसर्स हैं, लेकिन उनके हाथ

[श्री रामलाल]

में अनुदानों के वितरण करने का अधिकार नहीं है। मैं अपने जिले बस्ती की बात कहता हूं कि हमारे जिले में हरिजन सहायक आफिसर हैं, लेकिन हरिजनों को रुपया लेने में चेक बनवाने में और दस्तखत बनवाने में कई महीने लग जाते हैं और वह मजदूर आदमी दौड़-दौड़ कर परेशान हो जाता है। तो श्रीमन्, मैं निवेदन करूंगा कि अनुदान वितरण करने का अधिकार हरिजन सहायक आफसरों को होना चाहिये जिससे एक महीने में अनुदान मिलने के स्थान पर ६ महीने न लग सकें।

एक बात और कहना चाहता हूं किडिस्ट्रिक्ट हरिजन आफिसर्स के पास कोई सवारियां नहीं हैं। हमारे कुछ साथियों ने अभी कहा था कि इस स्थान को खत्म करना चाहिये, लेकिन मैं कहता हूं कि ऐसा कहकर वे भूल करते हैं। हरिजन सहायक आफिसरों को सवारियां दी जायं जैसे विकास खंडों में और, और विभागों में अफसरों को जीप वगैरह दी जाती हैं, उसी तरह से हरिजन सहायक आफिसरों को भी मिलनी चाहिये जिससे वे जल्दी जल्दी पूरे जिले का दौरा कर सकें और हरिजनों की तकलीफों को दूर करने का प्रयत्न कर सकें।

मान्यवर, एक सुझाव और देना चाहता हूं वह यह है कि जो सोशल सर्विस के लोग मुकर्रर होते हैं उनका वक्त ज्यादा से ज्यादा ८–९ महीने का होता है और वह परमानेन्ट नहीं रहते हैं। यह नहीं होना चाहिये कि वह एक महीने काम करें और महीने भर बेकार रहें। इसलिये मेरा नम्र निवेदन है कि उनको परमानेन्ट किया जाय।

मान्यवर, मुझे यह कहने में संकोच नहीं है और एक सदस्य ने चर्चा भी की है कि आज हरिजनों को मौका मिला है केन्द्रीय तथा सूबे की सरकार में मंत्री होने का और मैं कहना चाहता हूं कि हो सकता है कि उनकी आर्थिक दशा सुधर गई हो, लेकिन जो देहात के खेतिहर तथा भूमिहीन मजदूर हैं वह अपनी जगह पर ज्यों के त्यों कायम हैं। यह जो अनुदान रखा गया है मुझे आशा है कि इसको दुगना और तिगुना कर दिया जायगा, ताकि गरीबों की गरीबी शीघ्र से शीघ्र दूर हो जिससे वह भी समझें कि मुल्क आजाद हुआ और वह भी सुखी हुये। इन शब्दों के साथ मैं अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री अधिष्ठाता—आपका समय समाप्त हुआ।

श्री रामदीन (जिला मैनपुरी)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। आपने जो मुझे आज इस हरिजन बजट पर बोलने का मौका दिया है उसके लिए मैं आपका बड़ा आभारी हूं। मैं दरअसल में उसी वर्ग का व्यक्ति हूं जिसका कि यह अनुदान है और जिस समाज का यह बजट पेश हुआ है और यह भी सही है कि इन गरीबों की बात सदन में दो साल के बीच में बहुत कम आई है जिनकी बदौलत हम और माननीय सदस्य इस आदरणीय सदन में गुलाब के फूल बने बैठे हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जो वह कहती है कि देश में समाजवाद लायेंगे तो मुझे एक छोटी बुद्धि के नाते, एक देहाती के नाते, एक अशिक्षित के नाते, बतलायें कि वह कौन सी चीज है समाजवाद जिसे वह अपने देश में लाना चाहते हैं?

मुझे आशा है कि मंत्री जी अवश्य हमें कुछ समय देंगे जिससे हम उनको देहात के अन्दर समाजवाद दिखायें। दरअसल में उनको कष्ट तो होगा, क्योंकि अच्छी जगह पर बैठने वाले और अच्छी सड़क पर चलने वाले देहात में कैसे जा सकते हैं? लेकिन वह अवश्य मेरे साथ चलें, मैं उनको समाजवाद दिखाऊं और वह समाजवाद देखें। मैंने देखा है आपका समाजवाद। एक तरफ करोड़पति अरबपति हैं, और दूसरी तरफ वह हैं जिनको शाम को खाने को नहीं मिलता। यह इस हुकूमत का समाजवाद है ११ वर्ष इस हुकूमत को हो गये। पचासों हजार रुपया एक एक व्यक्ति का मकानों का किराया आता है इसी समाजवाद में। दूसरी तरफ उस व्यक्ति को देखिये जिस के यहां रात में वृक्ष के नीचे विश्राम होता है। यह समाजवाद है। तीसरी बात। एक और घी दूध मलीदा—हम पढ़े नहीं हैं जो पूरी व्याख्या कर सकें,

उनके कुत्ते नहीं खाते, मनुष्य की क्या गिनती है। दूसरी तरफ इसी लखनऊ में मनुष्य भूखे पड़े रहते हैं। क्या यह समाजवाद है? जरा उत्तर दीजिये। यह एक अशिक्षित व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है कि इसकी व्याख्या करें वह कौन सा समाजवाद है। एक ओर हजारों एकड़ जमीन एक एक व्यक्ति के पास पड़ी है जिसे जोतने का उन्हें खयाल नहीं दूसरी तरफ करोड़ों आदमी ऐसे हैं जिनको बैठने की जगह नहीं। लेटना तो बहुत बड़ी चीज है। लेटा तो पांच हाथ में जाता है। बैठने की जगह नहीं है। यह है सरकार का समाजवाद। वह कहां हैं समाजवाद को कहने वाले बहादुर वह नकली हैं। असली समाजवादी हमारे महात्मा गांधी थे जो देश से उड़ गये। उसकी बात को एक भी समाजवादी मानने को तैयार नहीं हैं। यह कानून आपका बनाया हुआ है, हम लोगों का बनाया हुआ नहीं है कि हम हरिजनों को उठायेंगे। क्या उठाया? हम किताबें तो पढ़ नहीं सकते क्योंकि पढ़े ही नहीं हैं। जो बात शिक्षित समाज में सुन लेते हैं वही जान लेते हैं। वही कह रहा हूं। बताइये कि कौन सा समाज वाद है और कौन सा उत्थान किया है। कितने वर्ष हुये १८ प्रतिशत सीटें देना आपने ही मंजूर किया था और यह कानून आपका बनाया हुआ है, मेरा नहीं बनाया हुआ है। मैं एक छोटा व्यक्ति हूं। मैंने इसी सदन में पचासों सवाल किये हैं। कोरा जवाब मिलता है कि पढ़े लिखे नहीं हैं। चपरासियों में कितनी योग्यता की जरूरत है बताइये? कृषि विभाग में कामदार रहते हैं। यहां पर जितने शिक्षित व्यक्ति हैं इससे ज्यादा हमें मिल नहीं सकते जो हमारी इस खोपड़ी को सिखायें। कितने हैं कामदार इस प्रदेश में? और क्यों नहीं रखते? इसका जरा जवाब दें। क्या यह सरकार हमारी छोटी सी बुद्धि वालों के एक भी शब्द का उत्तर दे सकती है कि यह बात गलत है। जरा बतायें भाई, चपरासी ही नहीं और भी ऐसी बहुत सी जगहें हैं जैसे लेखपाल, पंचायत मंत्री, पटवारी, पोस्टमैन वगैरह की हैं जिनमें हरिजनों को लिया जा सकता है। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप कुछ अनुदान, मत बढ़ाइये कुछ रुपया मत खर्च कीजिये। हम कुछ आपसे मांगते नहीं। आपने ही हमें देने के लिये कहा है, हमने नहीं कहा है। आपने ही यह दान देने के लिये कहा है। आप अपनी बात को पूरी कीजिये आपका कर्त्तव्य है। एक छोटा सा बच्चा बात करता है आज तो वह भी उसे निभाता है, किन्तु आज यह सरकार एक कानून बनाती है और वह खत्म हो जाता है।

श्री शिवराजसिंह यादव (जिला बदायूं)--प्रस्तुत अनुदान जो हरिजन तथा पिछड़ी जातियों की उन्नति से सम्बन्धित है उसके महत्व को ओवर इम्फेसाइज नहीं किया जा सकता। मुझे खेद है कि इस समय जब इतने महत्वपूर्ण विषय पर सदन में डिबेट चल रही है मैं देखता हूं कि विरोधी दलों के लगभग तमाम नेता और उपनेता सदन में उपस्थित नहीं हैं। यह इस बात का द्योतक है कि कितनी हमदर्दी इस विषय में उन लोगों को है। हमदर्दी के आयतन के मांपने को मैं आदरणीय सदन के सदस्यों के ऊपर छोड़ता हूं। इस सदन में अभी तक जो डिबेट इस प्रश्न पर हुई है वह इस पहलू पर हुई है कि जैसे यह अनुदान केवल हरिजन और पिछड़ी जाति के उत्थान से संबंधित हो। श्रीमन्, मुझे इस सवाल के इस पहलू पर बड़ी भारी आपत्ति है। मेरा दृष्टिकोण तो यह है कि यह सवाल केवल हरिजन और पिछड़ी जातियों की उन्नति से सम्बन्धित नहीं है बल्कि आज असली माने में इस सवाल के ऊपर सारे प्रदेश और अन्त में सारे देश की उन्नति निहित है। श्रीमन्, इतिहास इस बात का साक्षी है कि कोई भी तरीका सरकार या कोई भी इज्म कहीं कामयाब नहीं हुआ जब तक कि उस देश के अन्दर दौलत की पैदावार में वृद्धि नहीं हुई। इस सम्बन्ध में दो राय नहीं हो सकतीं। आज इस देश में जितने भी हरिजन और पिछड़े वर्ग के सदस्य हैं वह किसी विशेष सम्पत्ति के मालिक नहीं हैं, वह विशेष तौर से आज जमीनों पर काम करते हैं, और कारखानों में काम करते हैं। चुनान्चे निष्कर्ष यह निकलता है कि दौलत का स्रोत जो जमीन और कारखाना है उनमें उत्पादकों का एक विशेष अंग अगर कोई है तो वह हरिजन और पिछड़े वर्ग के लोगों का है और आज हरिजन और पिछड़े वर्ग के लोगों को ताकत देकर, उनकी उन्नति

[श्री शिवराजसिंह यादव]

और उत्थान करके प्रदेश की दौलत की पैदावार में बढ़ावा करते हैं इस तरह से न केवल उनकी उन्नति होती है, बल्कि आज प्रदेश की उन्नति होती है। आज इस बात की जरूरत है कि राष्ट्रीय नव निर्माण कार्य में हम अपने values को बदलें। आज जो देहात में गरीब औरत गिरे हुए अन्न को खेत से उठाती है, सीला बीनती है और इस तरह अन्न को अधिक संग्रह करके हमारे प्राइम मिनिस्टर का माथा ऊंचा करती हैं उसका शहरों की बसने वाली उन औरतों से जो फारेन एक्सचेन्ज से मंगाये हुए लिपस्टिक व कपड़े इत्यादि इस्तेमाल करती हैं कहीं ऊंचा सम्मान और आदर का स्थान होना चाहिये। क्योंकि गांव की वह महिलायें आज फारेन एक्सचेन्ज पैदा करती हैं और शहर की वह फैशन एबल लेडीज वह फौरन ऐक्सचेन्ज जो राष्ट्र निर्माण पर खर्च होना चाहिये खर्च कर डालती हैं। श्रीमन्, आज से नहीं विगत कई वर्षों से हमने इस बात को स्वीकार किया है कि हमें वेलफेयर स्टेट अपने यहां कायम करनी है। वेल फेयर स्टेट की बहुत सी परिभाषाएं मैंने पढ़ी हैं। जो सबसे अच्छी परिभाषा मुझे पसन्द आयी वह यह है कि किसी भी देश के अन्दर जितनी भी सम्पत्ति हो उस सम्पत्ति के अन्दर जो भी न्यूनतम स्तर जिन्दगी का हो सकता हो हर नागरिक के लिये वह वहां की सरकार अपने साधनों के अन्दर तय करे और देखे कि उस न्यूनतम स्तर से नीचे कोई भी व्यक्ति जिन्दगी व्यतीत न करे। श्रीमन्, कोई भी न्यूनतम स्तर आप नियत करें उसमें स्वच्छ पानी पीने की व्यवस्था एक अनिवार्य चीज होगी।

आज जब मैंने आदरणीय पंडित जी की जबान से यह सुना कि इस प्रदेश में लगभग १२ हजार पानी पीने के कुओं की जरूरत है तब हरिजनों को स्वच्छ पानी पीने को मिल सकता है तो इससे मुझे दुख हुआ। आज लाखों रुपया हम शहरों की वाटर सप्लाई पर खर्च कर रहे हैं जब कि वहां पर कुएं हैं, पानी पीने की व्यस्था मौजूद है। आज बहुत से गांवों के अन्दर जहां कुएं मौजूद हैं ट्यूबवेल के ऊपर टंकी बनाकर पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि जबकि हरिजनों और पिछड़े वर्ग के लिये १२ हजार कुओं की जरूरत बाकी है तो वहां पर हम ऐसी प्रायरिटी नियत करें कि देहात और शहरों के अन्दर वाटर सप्लाई की व्यवस्था करें।

श्रीमन्, मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय मंत्री महोदय से कि जब तक हम हरिजनों और पिछड़े वर्ग के लिये पीने के पानी की व्यवस्था इस प्रदेश में नहीं कर लेते तब तक यह तमाम रूरल वाटर सप्लाई और अरबन वाटर सप्लाई के सवाल को उठा रखें और इस कार्य को शीघ्र पूरा करें। आज प्रदेश के अन्दर और सारे देश के अन्दर सोशलिज्म की एक लहर फैली हुई है। श्रीमन्, मैं तो अपने तजुर्बे से यह देखता हूं कि देश के नागरिकों की खूराक और पोशाक में इतना अन्तर नहीं है जितना कि उनके बच्चों की तालीम की व्यवस्था में अन्तर है। जहां तक कि मामूली तालीम का सवाल है वहां तो अवश्य हरिजनों के बच्चों के लिये निःशुल्क शिक्षा कर दी गई है, लेकिन क्या मैं बड़े अदब से पूछ सकता हूं कि वह पब्लिक स्कूल्स जहां कि ऊंचे-ऊंचे खर्चे से तालीम दी जाती है वहां पर हरिजनों और पिछड़े वर्ग के बच्चों की शिक्षा की कोई व्यवस्था है? जहां तक मेरी जानकारी है इन पब्लिक स्कूल्स के अन्दर हरिजनों तथा पिछड़े वर्ग के बच्चों का कोई स्थान नहीं है और उनकी संख्या न के बराबर है। तो अबोध बालकों के बीच में जब हम इतनी खलीज पैदा कर रहे हैं तो आप सोचिये कि बड़े होने पर पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने उनको दूसरों के मुकाबिले में आप रखें तो यह कौन से प्राकृतिक न्याय की बात है। श्रीमन्, मेरा अनुरोध है कि इन स्कूलों के अन्दर भी जिनको कि पब्लिक स्कूल कहते हैं उनमें भी हरिजनों और बैकवर्ड क्लास के बच्चों के लिये स्कालरशिप और फ्रीशिप रखी जाय। श्रीमन्, मैं निवेदन करूंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनके लिये मेरिट स्कालरशिप की व्यवस्था की है। हर वर्ष पिछड़े वर्ग के बच्चों का इम्तहान होता है और केन्द्रीय सरकार काफी मात्रा में उन्हें वजीफा वगैरह देती है इन पब्लिक स्कूल में पढ़ने के लिये। मेरा अनुरोध है कि हमारे प्रदेश की सरकार भी ऐसा कदम उठाये

और निश्चित मात्रा में उनके लिये रुपया रखे जिससे कि पिछड़े वर्ग के तथा हरिजनों के बच्चे बचपन से ही अच्छी तालीम पाकर देश प्रदेश की उन्नति में अपना हाथ बटा सकें।

आज देहातों के अन्दर हरिजनों तथा पिछड़े वर्ग की आबादी का भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। वह सदियों से दुख और तकलीफ में रहते चले आये हैं। लेकिन दुख की बात है कि आज भी जो व्यवस्था कायम की गई है आबादी के लिये जमीन देने की वह भी उनके हक में नहीं जाती। मेरा तात्पर्य है कि चकबन्दी के कानून की तहत में जो जमीन छोड़ी जाती है आबादी के लिये गांव समाज के जरिये उसका एलाटमेंट दिया जाता है। गांव समाज में हरिजन तथा पिछड़े वर्ग के लोगों का बहुमत न होने के कारण आज उन जरूरतमन्द हरिजनों को और बैकवर्ड लोगों को बसने के लिये जगह नहीं मिल पाती और वह लोग जिनके पास आज भी काफी जगह है वह उसे ले लेते हैं। इसलिये मेरा अनुरोध है कि जो जमीन आज विलेज लेआउट्स के लिये चकबन्दी की तहत में छोड़ी गई है उसको सरकारी अफसरों के तहत में लेकर यह आदेश दें कि वह उन हरिजन और पिछड़े लोगों को मिल सके जिनके पास जमीन नहीं है। वह दूसरे लोगों को न दी जाय। श्रीमन्, आज करोड़ों रुपया इस प्रदेश में एन० इ० एस० ब्लाक के बजट में गांवों की उन्नति कार्य करने के लिये जाता है। उन कार्यों के लिये जो नियम है वह इस प्रकार के हैं कि जिससे लाभ हरिजन और पिछड़े वर्ग के लोग नहीं उठा पाते। उसमें रुल है कि ५० फीसदी रुपया पब्लिक से इकट्ठा करके दिया जाय। जाहिर है कि गांव में जिन लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी है वही आधा रुपया इकट्ठा करके उस धन का फायदा उठाते हैं। उसमें किसी प्रकार से हरिजन और पिछड़े वर्ग के लिये कोई गुंजायश नहीं है। मैं सरकार से इस अवसर पर यह अनुरोध करूंगा कि वह ५० फीसदी की मात्रा जो उसमें पब्लिक से रुपया इकट्ठा करने के लिये रखी गई है वह जहां पर हरिजन तथा पिछड़े वर्ग के मुहल्ले की उन्नति कार्यों का सवाल आवे वहां पर उस मात्रा को घटाया जाय ताकि वे मुहल्ले जहां पर अभी तक अन्धेरा है, वहां प्रकाश हो जाय।

श्री रामसूरत प्रसाद (जिला गोरखपुर)--श्रीमन्, बड़ी मेहनत के बाद आज मुझे बोलने का अवसर मिला है। जिस विषय पर विवाद हो रहा है यह हरिजनों की समस्या बहुत पुरानी है। यह कोई नई समस्या नहीं है। इसके समाधान के लिये सिर्फ मौखिक रूप से या लिखित रूप से इसका उपचार करने की बात सोची जाय तो इसका कल्याण नहीं होगा। इसके लिये केवल उन बातों को लागू करने की जरूरत है जिनको व्यवहारिक रूप देकर इस हरिजनों की समस्या का समाधान किया जा सके। इस सम्बन्ध में स्वर्गीय डाक्टर भीमराव अम्बेदकर ने काफी प्रयत्न किया कि अनुसूचित जातियों की समस्याओं का ठीक से समाधान हो सके। तत्पश्चात् पूज्य महात्मा गांधी जी ने इसको अपने हाथ में लिया और इनकी समस्या के समाधान के लिये कुछ तरीके भी निकाले और उन्हीं तरीकों के आधार पर या उन्हीं के बताये हुए रास्ते का अनुसरण करके आज कांग्रेस सरकार कुछ हद तक आगे बढ़ने में सफल हुई है। इसमें संदेह नहीं है कि आज हमारी जो मौलिक समयाएं हैं उनमें काफी सुधार हुआ है, लेकिन उस सुधार से ही केवल सरकार को सन्तोष नहीं कर लेना चाहिये कि अनुसूचित जाति की सारी समस्या हल हो चुकी है। आज भी ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जिनके अन्तर्गत वह हर तरह से पीड़ित हैं।

मान्यवर, अनुसूचित जाति, विमोचित जाति तथा पिछड़ी जातियों के कल्याण के लिये इस कांग्रेस सरकार के अन्तर्गत हरिजन कल्याण विभाग की स्थापना हुई। वह हरिजन कल्याण विभाग धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते आज इस रूप में काम कर रहा है कि प्रत्येक जिले में एक हरिजन कल्याण अधिकारी और हेड क्वार्टर पर भी हरिजन कल्याण संचालक, उप-संचालक तथा कई एक सहायक आज काम कर रहे हैं। इस विभाग का धीरे-धीरे प्रसार भी होता गया और कार्यों में वृद्धि भी होती गई और समस्याओं का समाधान भी कुछ न कुछ रूप में होता गया, लेकिन आज भी मौलिक समस्या सुलझ नहीं सकी है और उसके लिये बहुत कुछ अभी करने को

[श्री रामसूरत प्रसाद]

बाकी है । श्रीमन्, जिलों में जो हरिजन कल्याण अधिकारी रखे गये हैं उनको इस विभाग के अन्तर्गत हरिजनों के कल्याण के लिये जो रुपया दिया जाता है उसमें से ही वेतन देने की व्यवस्था की गई है, लेकिन उनको कोई भी ऐसा अधिकार नहीं दिया गया जिसके आधार पर वह सही रूप में हरिजनों की शिकायतों वगैरह को दूर कर सकें । आज भी जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग अफसर हैं उनके अन्तर्गत और जिला विद्यालय निरीक्षक के अन्तर्गत उनको आश्रित रहना पड़ता है । हरिजन विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति के लिये जो भी आवेदन पत्र आते हैं वह जिला विद्यालय निरीक्षक और प्रधानाचार्य आदि को भेजते हैं । जब तक जिला विद्यालय निरीक्षक विशेष सूची नहीं देते हैं तब तक ठीक समय से विद्यार्थियों के आवेदन पत्र नहीं आ पाते हैं और कमेटी निर्णय ठीक वक्त से नहीं ले पाती है । इस प्रकार विद्यार्थियों को ठीक समय से छात्रवृत्तियां नहीं मिल पाती हैं और उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ।

हरिजनों के लिये कुएं वगैरह बनवाने के काम जो प्लानिंग के द्वारा होते हैं उनमें भी रुपया प्लानिंग अधिकारी के द्वारा दिया जाता है और जिला हरिजन कल्याण अधिकारी की कोशिश के बावजूद भी ठीक समय से हरिजनों को रुपया नहीं मिलता है । इसलिये मेरा निवेदन है कि मंत्री जी जिला हरिजन वेलफेयर अफसर को अधिकार दे दें कि वह स्वयं इन अधिकारियों के सहयोग से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकें और छात्रवृत्तियां और अनुदानों के पैसे स्वयं अपने हस्ताक्षर से निकाल कर आवश्यकता के मारे हुए व्यक्तियों को सही समय पर दें ।

जिला हरिजन वेलफेयर अफसर को जिला स्तर पर चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया जाय ताकि जिला स्तर की छोटी-मोटी नौकरियों में प्रतिशत पूरा कराने में वह समर्थ हो सकें । चाहे छोटी नौकरियां हों या बड़ी हों हमारे लिये १८ प्रतिशत संरक्षण ठीक है, लेकिन वह कागज पर ही है, कार्यान्वित नहीं हो पाता है । चाहे किसी भी वर्ग या जाति का मंत्री, हो, अपने विभाग में वह १८ प्रतिशत पूरा नहीं करा पाया है भले ही राज्यादेश जारी होते रहे हैं सरकारी कर्मचारियों में एक ऐसी मनोवृत्ति बन गई है कि १८ प्रतिशत पूरा नहीं होने देते हैं यद्यपि १० वर्ष बीत चुके हैं । चपरासियों और क्लर्कों का भी प्रतिशत पूरा नही है । उनकी शैक्षिक योग्यता न्यूनतम होते हुए भी सुटेबिलिटी की बीमारी के आधार पर वे निकाल दिये जाते हैं । आज समाज का ढांचा ऐसा है कि हरिजन और अनुसूचित जातियां सदियों से पिछड़ी होने के कारण उतने ऊंचे मानसिक स्तर के नहीं हैं जितने की और जातियां हैं । इसलिये यह सुटेबिलिटी का प्रतिबन्ध बिलकुल हट जाना चाहिये ।

हरिजन विद्यार्थियों के लिये यह प्रतिबन्ध है कि जिनके संरक्षक २५० रुपये से ज्यादा पाते हों या जिनकी आमदनी हो उनके बच्चों की फीस माफ नहीं होगी । बहुत से अधिकारी २५० से ८५० के ग्रेड में हैं यद्यपि इससे ऊपर शायद ही कोई मिलेगा । यदि किसी का वेतन २५० रुपये है और उसके ४ बच्चे हैं तो उनकी फीस माफ नहीं होगी । यह प्रतिबन्ध आमदनी का हट जाना चाहिये । उसका आर्थिक स्तर ऊंचा नहीं हो पाया है, सामाजिक स्तर में भले ही उसे स्थान मिल गया हो । इसलिये यह प्रबन्ध जरूर करना चाहिये । इसके अलावा अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिये इस तरह का प्रतिबन्ध लगाया गया है कि अमुक हद तक जो परीक्षा में अंक प्राप्त करेंगे उनको छात्रवृत्ति दी जायगी । इस सम्बन्ध में मुझे यह भी निवेदन करना है कि हमें उनके आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक वातावरण का भी ध्यान रखना चाहिये क्योंकि यदि आप उन को १५, २० या ३०, ३५ रुपये छात्रवृत्ति दे देते हैं इसलिये कि वे परीक्षा में अच्छे नम्बर से पास होंगे, तो इस बात को आपको अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिये । आपको यह भी सोचना चाहिये कि उन्हें भी अपने परिवार के लोगों से सम्बन्ध रखना पड़ता है और वे भुक्तभोगी होते हैं । हमें इन सब बातों पर विचार करके उन सभी को छात्रवृत्ति देनी चाहिये और इस के लिये कोशिश करनी चाहिये । हाई स्कूल से ऊपर के लोगों को तो गवर्नमेंट आफ इन्डिया से छात्रवृत्ति मिल जाती है, लेकिन छोटे दर्जे के विद्यार्थियों को हमें छात्रवृत्ति देनी चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता—आप का समय समाप्त हो गया ।

श्री द्वारिकाप्रसाद (जिला फर्रुखाबाद)—अधिष्ठाता महोदय, आज जो डेढ़ करोड़ के लगभग अनुदान दिया गया है, वह ऐसे लोगों के लिये है जिनकी आर्थिक दशा, सामाजिक दशा तथा राजनीतिक दशा बहुत ही खराब है और सदियों से खराब होती चली आयी है । हम देखते हैं कि उन के लिये जो डेढ़ करोड़ का अनुदान रखा गया है, यह बहुत ही कम है । मैं तो यह कहूंगा कि जो डेढ़ करोड़ का अनुदान रखा गया है, इस में से १२, १३ लाख तो केवल अधिकारियों में ही खर्च हो जाता है । यह अनुदान कहां पर खर्च किया जाता है, किस के लिये खर्च किया जाता है, मुर्गी पालन के लिये, सुअर चराने के लिये, बन्दर पालने के लिये, ढोर उठाने के लिये इस तरह का अनुदान दिया जाता है, यानी इसके लिये मेरा मतलब यही है । मैं तो यह कहूंगा कि यह अनुदान सिर्फ इसलिये दिया जाता है ताकि ठीक तरह से यह किसी भी काम में न आ सके । २५० रुपये देकर आप उनकी आर्थिक व सामाजिक दशा सुधार लेंगे यह बात नहीं हो सकती है । आप जो २५० रुपये अनुदान देते हैं, उस में से १२५ रुपये की तो मशीन ही आ जाती है जिस से कि वह जूते बनाने का काम करते हैं, १० रुपये की लागत में जूता बन कर क्रूम का तैयार है । मेरा आप से निवेदन है कि इस अनुदान को ५०० रुपये कर दिया जाय ताकि वे सुचारु रूप से अपनी व्यस्था कर सकें ।

दूसरी बात यह है कि विद्यार्थियों को जो वजीफा दिया जाता है, वह बहुत लेट दिया जाता है । उन को अधिकारी वर्ग बहुत परेशान करते हैं और उनको जो २५० रुपये दिये जाते हैं । कम से कम ६०, ७० रुपया तो उनके दौड़ने में ही खर्च हो जाता है । अगर आप को अनुसूचित जातियों की आर्थिक दशा को संभालना है, तो आप को उन के लिये छोटे-छोटे उद्योग-धंधों की तरफ ध्यान देना चाहिये । चाहे उधर के लोग हों या इधर के बैठने वाले लोग हों, सब को इस बात पर ध्यान देना चाहिये कि आज जो खेती पर सीलिंग हो रही है, तो उस में भी इन लोगों को जमीन दी जाय ताकि ये भी खेती कर सकें । जबतक यह खेती नहीं करेंगे तब तक इन की आर्थिक दशा नहीं सुधर सकती है ।

विद्यार्थियों को जो अनुदान दिया जाता है, तो सभी को रुपया मिलना चाहिये ताकि वे लोग पा सकें । मैं आप से कहता हूं कि बजट में इन के लिये जो डेढ़ करोड़ रुपया रखा गया है यह बहुत ही कम है, इस रकम को आप को और बढ़ाना चाहिये । आप देखें तो पता चलेगा कि साहू जैन को अकेले ही डेढ़ करोड़ रुपया दिया गया है । तो हमें इस पर बहुत गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये और बजट में इनके लिये ज्यादा रुपये की व्यवस्था करनी चाहिये । प्रत्येक साल इस सम्बन्ध में रुपया कम होता जाता है । हमें इसके लिये दो बातों को देखना है । एक तो हमें पिछड़ी जाति का सुधार करना है, दूसरे इन की आर्थिक दशा को संभालना है ताकि इनको भीख मांगने की जरूरत न पड़े, किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत न पड़े, इन के लिये कोई रिजर्वेशन भी नहीं होना चाहिये । अगर इन की आर्थिक दशा संभल जाय तो ये खुदबखुद इन सब बातों पर विचार कर लेंगे । मैं आपसे बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि आप इस तरह की बात सोचें ।

यहां पर वेद की बात भी कही गयी कि वेद में ऐसा कहा है । संस्कृत में कहा गया है । मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं । मनु ने कहा था कि चार वर्ण हैं—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र । लेकिन इस सरकार ने बीसवीं सदी में एक वर्ण और तैयार कर दिया हरिजन । भारत की आजादी के बाद एक हरिजन कौम और पैदा हुई । क्या यह इतिहास में नहीं लिखा जायगा ? मैं तो कहूंगा कि जब जब कोई भी आदमी हुकूमत करने के लिये आया तब तब हम लोगों को पददलित किया गया । मुसलमान जब आये तो उन्होंने रजील कौम बनायी, अंग्रेज आये तो उन्होंने शिड्यूल कास्ट बनायी, रामचन्द्र जी के समय में बानर, भालू और रीछ कह

[श्री द्वारिकाप्रसाद]

दिया। अब अछूत इस तरह की बातों को बरदाश्त नहीं कर सकता। जब रिजर्वेशन खत्म होगा तब यह बैठा नहीं रहेगा। उसका खून उबलेगा। वह तो एक अच्छे लीडर की तलाश में है। आज हमारे देश में जो भी अछूत लीडर तैयार होता है उसको मंत्री बना दिया जाता है। अछूत लोग कतई निराश न हों। हम अछूत लोग चाहे इधर के हों या उधर के हों, हम देख रहे हैं अपने लीडर को, सन् ६२ में जब रिजर्वेशन समाप्त होगा तो वह उबल उठेगा और तब हमारी हुकूमत होगी। ७५ प्रतिशत अछूत और बेकवर्ड हैं जिनको दो दो रुपया देकर टट्टी कमवाई जाती है। अगर उसके लिये भी आज ५०० रुपया देने लगें तो बड़े बड़े लोग उस काम को करने लगें और डाल्डा के डिब्बों की तरह से उठा कर ले जांय। इसको भी दूसरे लोग हड़प लें। स्वीपरों की तनख्वाह कम से कम २०० रुपया होनी चाहिये। वह जमीन के अन्दर घुसता है तो कई स्वीपरों की जानें भी चली जाती हैं। वह अपने बीबी बच्चों को छोड़ कर जाता है और आप उसको २० रुपया माहवार देते हैं। ऐसा मौका नहीं आता जब मैं आपको देहात में ले चलूं। आपको स्वीपरों के यहां ले जाऊंगा जिनकी आर्थिक हालत अभी तक सुधरी नहीं है।

जो ग्रान्ट कुओं के लिये दी गयी है उसके नियम आपने बहुत ही सख्त बनाये हैं। वह यह कि पहले रुपया लगायें बाद में वह रुपया आप उसे देंगे। अगर अछूतों के पास रुपया होता तो आपके सामने वह अपना झोली दामन क्यों फैलाते। आप उस पर विश्वास कीजिये और उसको रुपया दीजिये। ताकि वह अपने कार्य को धीरे-धीरे पूरा कर सके। यह बात कहना बिलकुल गलत है कि अछूत बेइमान है। जो आदमी गरीब होता है वह ईमानदार होता है, गरीब ईश्वर से डरता है। उससे कहा जाता है कि जमानत दो तब रुपया दिया जायगा। तो मैं आपसे कहूंगा कि ये जो हरिजन अफसर हैं कोई काम नहीं करते हैं। उनकी वेशभूषा भी अंग्रेजी है, वही टोप और पैंट लगा कर निकलते हैं जिससे गरीब हरिजन उनको देखते ही डर जाते हैं। इसलिये मेरा सुझाव है कि उनका ड्रेस धोती और कुर्ता होना चाहिये।

इसके अलावा श्रीमन्, आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री जी से यह कहूंगा कि यह जो १८ फीसदी का रिजर्वेशन आपने सर्विसेज के अन्दर रखा है उसे पूरा नहीं किया जाता है तो बाहर ऐसी आग भड़केगी और ऐसा आन्दोलन होगा कि न मालूम कितने अछूत जेलों के अन्दर जायेंगे डाक्टर अम्बेदकर नहीं हैं तो हमलोग हताश नहीं हो गये हैं। आज डाक्टर अम्बेदकर की बदौलत ही हम और आप यहां बैठे हुए हैं। सन् २९ में जब राउंड टेबुल कांफ्रेंस हुई थी तो उन्होंने ही वहां हरिजनों के लिये रिजर्वेशन की मांग की थी, लेकिन वह हमको नहीं मिलती है तो ठीक है। लेकिन हम सदन से मांग करते हैं कि आप रिजर्वेशन को खत्म कर दीजिये। आपके द्वारा मैं सदन से अपील करता हूं कि हमारी आवाज सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचायी जाय कि सन् ६२ के चुनाव से असेम्बली में रिजर्वेशन को खत्म कर दिया जाय और जितना पैसा है वह अधिक से अधिक पैसा उनकी पढ़ाई लिखाई में तथा उनकी आर्थिक दशा सुधारने में लगाया जाय क्योंकि हम यहां पर अपने लिये या अपनी बीबी के लिये चाहे अच्छे कपड़े बनवा लें लेकिन जो गरीब हरिजन हैं उनकी आर्थिक दशा जो खराब है वह तभी सुधर सकती है जब कि अधिक से अधिक पैसा उनके ऊपर खर्च किया जाय। इसलिये मेरा सुझाव है कि सन् ६२ से असेम्बली का रिजर्वेशन खत्म हो जाना चाहिये और जितना भी पैसा है वह हरिजनों की पढ़ाई लिखाई तथा उनकी आर्थिक दशा सुधारने में खर्च करना चाहिये। इसके अलावा तबला सारंगी ले लेकर जो हरिजन शब्द का प्रचार किया जाता है वह भी बन्द होना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता---आपका समय समाप्त हो गया।

श्री भजनलाल (जिला इटावा)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, आज भारत की जनता ३ हजार जातियों से भी ऊपर में विभाजित है। पिछड़ा वर्ग कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर भारत

में बैकवर्ड २० करोड़ हैं और हरिजन १२ करोड़ हैं । इस प्रकार ३२ करोड़ की आबादी बैकवर्ड और हरिजन वर्ग की है । ४० करोड़ की आबादी में से अनुपात लगाया जाय तो उत्तर प्रदेश में जहां ६ करोड़ से ऊपर की आबादी है उसमें करीब ५ करोड़ हरिजन और पिछड़े वर्ग की आबादी है ।

श्री अधिष्ठाता—मेरे सामने की मेज से यहां तक आवाज आ रही है, माननीय सदस्य सावधान हो जांय ।

श्री भजनलाल—कहना यह है कि भारतवर्ष में अनादिकाल से अधिकांश जनता के ऊपर कुछ थोड़े से चतुर व्यक्तियों ने अनधिकार चेष्टा करके अपना कब्जा बना रखा है, और उस समाज का शोषक बन कर इतने बड़े समाज को शोषित कर रखा है । तथा इस शोषण को कायम करने के लिये उन्होंने एक धर्म व ईश्वर और सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है जिसके जरिये वे इतने बड़े समाज के एक विभाग की जनता का शोषण करते आते हैं । श्रीमन्, हमारे मनु महाराज ने यह कहा है कि यदि वेद को कोई शूद्र सुने तो उसके कानों में गर्म शीशा डाल देना चाहिये । इसका क्या अर्थ हुआ ? इसका अर्थ यह हुआ कि कहीं हरिजन, शूद्र और पिछड़े वर्ग के लोग उसे सुन कर चतुर न हो जांय और वे चतुर बन कर शासन सत्ता पर आरूढ़ न हों । इसलिये उन्होंने ऐसा वेद में लिखा है इसके साफ माने क्या यह नहीं हैं कि भारतवर्ष की करोड़ों जनता को शोषित बनाने के लिये, उन्हें उसी स्थान पर रखने के लिये इन धर्मग्रन्थों और सिद्धान्तों का प्रतिपादन नहीं किया गया है ? बिल्कुल किया गया है और उसी के आधार पर कर्म, पुनर्जन्म और जन्म के आधार पर तमाम सिद्धान्तों को लिख करके इस समूचे वर्ग को अंधकार में रखने के लिये आज तक हमारी मौजूदा सरकार में भी वही रवैया चल रहा है । युग परिवर्तन कर चुका है, हमारा कहना है कि जब युग परिवर्तनशील है, देश स्वतन्त्र हुआ तो ऐसे समय पर सरकार का भी ध्यान इस ओर जाना चाहिये कि जो कुछ प्राचीन युग में हुआ वह हुआ, लेकिन आजके युग में और जब सरकार अपने को समाजवादी कहने का दम भरती है, तो ऐसा उदाहरण पेश करे ।

मेरा तो दावा है कि १ अरब २१ करोड़ का बजट वित्त मंत्री जी ने पेश किया उसका लेखा जोखा देखा जाय तो मैं कहूंगा कि उसी दृष्टिकोण से ४० करोड़ की आबादी में से जहां ३२ करोड़ हरिजन पिछड़ा हुआ वर्ग हो, उसी हिसाब से उस रकम को हमेशा खर्च किया जाय । लेकिन होता क्या है हरिजनों को और पिछड़े वर्ग के लोगों को कुत्ते की भांति टुकड़ा फेंक कर फुसलाया जाता है कि समाजवाद आ रहा है । जो रुपया सरकार खर्च करने जा रही है यह बिल्कुल न के बराबर है ५ करोड़ की आबादी पर इतना खर्च करना मेरी समझ में नहीं आता कहां तक न्यायसंगत है । कम से कम ५, ६ करोड़ रुपया इस वर्ग के उत्थान के लिये खर्च करना चाहिये । जो हरिजनों और पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी हों उनको शिक्षित बनायें, उनकी दस्ताकरी में सहयोग दें, छात्रवृत्ति दें, नौकरियों में हक दें । मैंने कम से कम १,००० के करीब क्वेश्चन किये किस विभाग में कितने-कितने हरिजन और पिछड़े वर्ग के अधिकारी हैं ? लेकिन सरकार की ओर से जवाब दिया गया कि ५०० में २ सीटें और ६०० में १ सीट । इन आंकड़ों को देखा जाय तो बिल्कुल नगण्य के बराबर है । आखिर यह है क्यों ? बिल्कुल साफ है हमारी सरकार के जो चतुर लोग हैं उनको यह भय लगा रहता है कि कहीं अगर इस वर्ग का उत्थान हो गया तो हो सकता है कुछ समय आगे चल करके यह हमारी सीटों पर कब्जा कर लें । यह चालबाजी कब तक चलती रहेगी । आज वह समय नहीं, जनता जाग चुकी है और देहात की ९० फीसदी जनता इसी वर्ग की है जहां से यह प्रतिनिधि और मंत्री चुन करके आये हैं । अब वह समय अधिक नहीं है जब कि हम इस वर्ग को ज्यादा समय तक अंधेरे में रख सकें । इसलिये मेरा निवेदन है कि उठिये और बा ू की तरफ जरा ध्यान रखें । उन्होंने अपना डेरा कहां कायम किया था दिल्ली में मेहतर के घर । आज क्या हो रहा है ? दो-दो दाने के लिये तड़प रहे हैं कोई सुनवाई नहीं

[श्री भजनलाल]

है । मेरे एक साथी चपरासी के बारे में कह रहे हैं । चपरासी के लिये तो शिक्षा की आवश्यकता नहीं है लेकिन डर यह है कि उससे पानी नहीं भरवा पायेंगे । या तो ऊंची जाति वाले होंगे या बैकवर्ड क्लास के होंगे जिनके हाथ का पानी पी सकते हैं । उनको यह अधिकारी लोग रक्खेंगे । मैं यह कहना चाहूंगा कि इसके लिये तो योग्यता की आवश्यकता नहीं है । क्यों न मेहतर, चमार, कोरी और धोबी को चरपासियों की जगह दी जाय । जो कुछ मैं कह रहा हूं लोगों को कड़वा मालूम हो रहा होगा । मैं यह कहता हूं कि कब तक हमें नीचे दबोचे रहेंगे ? हम आगे आएंगे और वह समय दूर नहीं है जब सारे भारत की बागडोर इन ५३ परसेन्ट लोगों के हाथ में होगी । किसान का बच्चा गद्दी पर बैठेगा और मजदूर का बच्चा उसका मंत्री होगा । १ करोड़ ५१ लाख इस विभाग पर खर्च करने के लिये दिया गया है । मैं कुछ आंकड़े आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं । उद्योगों के अनुदान के लिये सन् ५५–५६ में १.५३ लाख और ५७–५८ में १.४८ लाख समय थोड़ा है इसलिये मैं इस तरफ नहीं जाना चाहता हूं । मैं वित्त मंत्री से यह पूछना चाहता हूं––यह बजट वित्त मंत्री जी ने पेश किया है––कि इसमें आकस्मिक व्यय के सम्बन्ध में न मालूम कितने करोड़ रुपया रखा हुआ है जिसकी मद कहीं भी किसी भी अनुदान में नहीं दी गई है । इसमें भी आकस्मिक व्यय पर लाखों रुपया दिखाया गया है । आखिर यह क्या है ? मैं तो यह स्पष्ट कहूंगा कि अगर कोई मद नहीं तो खाने-पीने का बीच का दायरा रक्खा गया है, जिसके अंतर्गत आकस्मिक व्यय लिख कर गुलछर्रे उड़ाते हैं । मेरा यह आरोप है वित्त मंत्री जी के ऊपर, इस पर वह स्पष्टीकरण दें कि क्यों नहीं इसके लिये मद रक्खी गई ?

बैकवर्ड कमीशन की रिपोर्ट को अब तक सरकार ने लागू क्यों नहीं किया ? क्यों छिपाए हुए रक्खा है ? क्यों नहीं लागू करने जा रही है यह सरकार, क्या वजह है ? बैकवर्ड कमीशन की रिपोर्ट को लागू होना चाहिये । मैं सदन के बीच में कहता हूं कि अगर बैकवर्ड कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया और पिछड़े हुए वर्ग को, हरिजन को नीचे दबोचा गया तो वह समय दूर नहीं होगा जब सोशलिस्ट पार्टी अगर जरूरत समझी तो.....

श्री अधिष्ठाता––आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी––माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से इस अनुदान पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । मैंने इस अनुदान पर अपने हरिजन भाइयों के विचारों को सुना । मैं उनकी भावना का तो आदर करता हूं, लेकिन मैं उनके जोश के साथ में बहना नहीं चाहता और मैं कुछ अपना मशविरा भी उनके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूं । जब हमारे भाई इस तरह का तीखा वातावरण पैदा कर देते हैं तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि हम अपने हरिजन भाइयों की कोई मदद नहीं कर पा रहे हैं । अगर हम इस सदन में बहुत जोशीली तकरीर करें और बहुत कड़े शब्दों का इस्तेमाल करें और अपने दूसरे भाइयों के दिलों को दूसरी तरफ से छूने की कोशिश करें, तो समस्या हल नहीं होती ।

मैं भी ऊंची जाति का हूं । मेरे जो विचार हैं मैं रक्खूंगा । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप दूसरों की बातों को भी सुनें । मुझे ऐसा लगता है कि हरिजन भाइयों की सेवा करने का अधिकार केवल हरिजन भाइयों ने ही ले रक्खा है । हरिजन भाइयों से अधिक सेवा करने का दावा मेरा है अपने क्षेत्र में । इसलिये मैं अधिकारपूर्वक आप के सम्मुख निवेदन करूंगा कि कम से कम कृपा कर के दूसरे भाइयों की बात तो सुन लें, उस के बाद जो आप के विचार हों उन के ऊपर आप सोचें, आप को अधिकार है आप सोचें या न सोचें । तो मैं यह कह रहा था.....

श्री अधिष्ठाता––आप तो इस प्रकार भाषण दे रहे हैं मालूम होता है किसी पब्लिक मीटिंग में भाषण दे रहे हैं, यहां तो सभी सुनने को तैयार हैं ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी––मैं जैसा पहले निवेदन कर चुका मैं हरिजन भाइयों की बात की कद्र तो जरूर करता हूं....

(एक आवाज.....) (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता––श्री ऊदल जरा शान्त रहें ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)––हरिजन भाई हैं या माननीय सदस्य हैं ?

श्री अधिष्ठाता––ज्यादा फर्क नहीं है दोनों में ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी––मुझे श्रीमन्, इसके कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि जो भावना और विचार सामाजिक अवस्था में हरिजन भाइयों के बने हैं वह अगर न बनते तो ताज्जुब होता । समाज ने उन्हें सैंकड़ों वर्षों से ठुकराया,है उनका सदियों तक गुलामी में जीवन बीता है इसलिये आज उनको अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है और व्यक्त करना चाहिये । मैं अपने सवर्ण भाइयों से जो सदन के सदस्य हैं या नहीं हैं कहूंगा कि आप या हम जब इन हरिजन भाइयों की मदद करते हैं तो अपने मन से इस भावना को निकाल दें कि हम उन पर कोई दया दिखा रहे हैं, चाहें हम उन्हें अनुदान दें, नौकरियों में रखें या सहायता दें तो इस भावना का प्रसार होता है कि हम उन पर कोई अहसान कर रहे हैं । मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि दोनों तरफ ऐसी भावना चल रही है कि हम उस रास्ते से अलग होते दिखाई पड़ते हैं कि जो हमें पूज्य बापू ने दिखाया था .....

(इसके बाद सदन ६ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ ;
२० मार्च, १९५९ ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७०६ पर)

सम्बन्धित गांवों के नाम

१--कुतुबपुर
२--नुरुद्दीनपुर
३--नवीनगर
४--मातन
५--उमरिया
६--कथौलिया
७--डखियाकलां
८--पलहरिया
९--गलवापुर
१०--मितिया
११--खजुरना
१२--मुडकिला
१३--मदयापुर
१४--जलालनगर
१५--बरगांवां
१६--शमशेरनगर
१७--जिगिनियां
१८--सिकतौली
१९--सेजखुर्द
२०--सादीपुर
२१--देवरिया
२२--नादन
२३--रौना
२४--रसुवापुर
२५--बहुबी
२६--राग्रो
२७--मुतहापुर

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७०६ पर)

सूची (क)

वर्ष १९५७–५८ में हरिजन कल्याण विभाग द्वारा आजमगढ़ जिले में हरिजनों के लिये बनवाये गये कूपों की सूची

क्रम-सं०	नाम प्रार्थी	ग्राम	स्वीकृत धन
			रु०
१	श्री विश्वनाथ	मतौलीपुर	३५०
२	श्री मुन्नन	खैरा	३५०
३	श्री बिदेशी	नियाउच	३५०
४	श्री पल्टूदास	टेकमजार	३५०
५	श्री भगेलू	धिपहां	३५०
६	श्री बैरागी	कोदहरा	३५०
७	श्री बलराज	मनेरकलां	३५०
८	श्री शिवनन्दन	मजन्धरपदीभद्दौर	३५०
९	श्री सुमेरी	भरौली	३५०
१०	श्री दुक्खी	मसहिया	३५०
११	श्री हरगुन	बिनहापुर	३५०
१२	श्री नारायण	देवहत	३५०
१३	श्री मटरू	बक्सपुर	३५०
१४	श्री कतवारू	सिहाय	३५०
१५	श्री चौकी	करीसाथ	३५०
१६	श्री गोवर्धन	चकमुहीउद्दीनपुर	३५०
१७	श्री मनुश्वर	भगवानपुर	३५०
१८	श्री पहाड़ी	अमारी	३५०
१९	श्री शिवधन	जमीरपुर	३५०
२०	श्री पल्टू	हरैया	३५०
२१	श्री रामदेव	पारीपटी	३५०
२२	श्री बसावन	फुलवारिया	३५०
२३	श्री जगदेव	चकगोपाल	३५०
२४	श्री सरजू	शांतिपुर	३५०
२५	श्री बनारसी	नेवरही	३५०
			८,७५०

संसद पुस्तकालय

मरम्मत किये गये कूपों की सूची

क्रम-सं०	नाम प्रार्थी	ग्राम	स्वीकृत धन
			रु०
१	श्री तेज	मलेपुर	१००
२	श्री जवाहीर	फरहीबाद	१००
३	श्री रामधारी	जीमनपुर	१००
४	श्री हरिजन	एकमा	१००
५	श्री फिरत	शाहगढ़	१००
६	श्री रिवई	छिहपुर	१००
७	श्री रामलाल	भदौरा	१००
८	श्री डोढई	कोग्रलसा	१००
९	श्री हरगुन	डेमूडिह	१००
१०	श्री रामकरे	बरबा	१००
११	श्री जगदेव	भगवानपुर	१००
१२	श्री फलमान	रसूलपुर	१००
१३	श्री विन्धर	हुमराव	१००
१४	श्री ब्रजेलाल	फोलहरवोर	१००
१५	श्री वसखूराम	पुड़ीलपुर	१००
१६	श्री अवतार	सहुवार वेदौली	१००
		योग ..	१,६००

सूची (ख)

वर्ष १९५८–५९ में हरिजन कल्याण विभाग द्वारा आजमगढ़ जिले में हरिजनों के लिये बनवाये गये कूपों की सूची

क्रम-सं०	नाम प्रार्थी	ग्राम	स्वीकृत धन
			रु०
१	श्री सरजू राम	बरहज	४००
२	श्री नकूनराम	बरहज	४००
३	श्री नन्द लाल	अमेठी	४००
४	श्री सबरूराम	जमुई	४००
५	श्री परदेशीराम	सादीपुर	४००
६	श्री गोकुल राम	रघुनाथपुर	४००
७	श्री निमयदास	काफा	४००
८	श्री पति	गालिबपुर	४००
९	श्री पूर्णमासी	कारौली	४००
१०	श्री महोदेव	चकमुस्तफा	४००
११	श्री जतनराम	बुजुर्ग अहिरानी	४००
१२	श्री रघुनन्दन	अदूरी	४००

विधान सभा

क्र० सं०	नाम प्रार्थी	ग्राम	स्वीकृत धन
१३	श्री भावन	गोडारी	४००
१४	श्री जितईराम	सम्भलपजगावां	४००
१५	श्री सग्गूराम	मसिदिया	४००
१६	श्री उमराव	अहियापुर	४००
१७	श्री वशु	कोहडौरा	४००
१८	श्री जयराम	बेला	४००
१९	श्री सुखराज	रम्मोपुर	४००
२०	श्री वालिकरन	हडवा	४००
२१	श्री सवेरू राम	पलथी	४००
२२	श्री छेदी राम	जोलूहापुर	४००
		योग ..	८,८००

मरम्मत कराये जाने वाले कूपों की सूची

१	श्री दासा राम	गांडारी	१००
२	श्री पांच राम	चकहदी	१००
३	श्री कतवारू राम	उतरेजपुर	१००
४	श्री दुखंती	हरई रामपुर	१००
		योग ..	४००

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७०९ पर)

१९५७–५८ में हरिजन व पिछड़े वर्ग के छात्रों में कुल क्रमशः ४५० तथा १६५ छात्रवृत्तियां वितरित की गईं जिनका विवरण निम्न प्रकार है

	हरिजन छात्रों में	पिछड़े वर्ग के छात्रों में
१—प्राइमरी कक्षाओं में	२३९	५८
२—जूनियर हाई स्कूल में	१६१	७२
३—हायर सेकेंडरी कक्षाओं में	५०	३५
	४५०	१६५
	(२४,०७७ रुपये)	(९'५२१ रुपये)

२—अन्य वर्ग के छात्रों को दी गई छात्रवृत्ति के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७१२ पर)

क्रम-सं०	विद्यालय का नाम	वर्ष १९५६–५७				वर्ष १९५७–५८			वर्ष १९५८–५९			विशेष विवरण
		अनुपालन अनुदान	महंगाई अनुदान	अनावर्तक अनुदान	अनु-अनुपालन अनुदान	महंगाई अनुदान	अनावर्तक अनुदान	अनु-अनुपालन अनुदान	महंगाई अनुदान	अनावर्तक अनुदान	अनु-अनुपालन अनुदान	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११		२२
१	लखनऊ मांटेसरी स्कूल, लखनऊ	..	–	–	२,८३२	३९८	–	४,०५६	५९५	–		–
२	लालबाग गर्ल्स स्कूल, लालबाग लखनऊ											
	अ– नर्सरी कक्षायें	..	–	३००	–	–	३००	–	–	३००		–
	ब–उच्चतर माध्यमिक कक्षायें (कक्षा ६ से १२ तक)	२२,९९२	५४०	–	२४,७६८	६२०	–	२६,०२८	७५०	–		–

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७१२ पर)

थाना जरीफनगर, जिला बदायं में १९५७–५८ में हुए अपराधों का विवरण

		रिपोर्ट हुई	चालान हुआ	सजायाब
डकैती	..	४	४	—
कत्ल	..	३	२	२
चोरी	..	१२	९	२

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—१८ एल० ए०—१९५९—८४५

उत्तर प्रदेश विधान सभा